(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 11] पंचम विधान सभा के ग्यारहवें सत्र का दसवां दिवस [संख्या 7

बुधवार

17 मार्च, 1976

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[आयुर्वेदिक, राजस्व, समाज कल्याण, स्वायत्त शासन, खनिज, भेड़ व ऊन, श्रम, जन स्वास्थ्य, कृषि, भू-जल, नगर आयोजन, यातायात, वित्त, वन, चिकित्सा, आबकारी, खाद्य, सैनिक कल्याण--विभाग]

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न। श्रीमती गौरी पुनिया।

नागौर जिले में यूनानी दवाखाने

103. श्रीमती गौरी पुनिया (मकराना): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) जिला नागौर में कुल कितने यूनानी दवाखाने हैं तथा वे किस किस स्थान पर हैं? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य सरकार ने पिछले वर्ष में कुल कितने यूनानी दवाखाने खोले हैं तथा किस किस जिले में? तथा 1976-77 में कितने यूनानी दवाखाने खोलने का लक्ष्य है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि मकराना कस्बे की जनता पिछले कई वर्षों से यूनानी दवाखाने की मांग कर रही है? यदि हां, तो मांग कब तक पूरी होगी?

राज्य मंत्री, आयुर्वेद (श्रीमती कमला): (1) जिला नागौर में दो यूनानी औषधालय वर्तमान में निम्न स्थानों पर संचालित हैं:-

1. ग्राम बासनी पं. स. नागौर।
2. शहर नागौर।

(2) वर्ष 1975-76 में राज्य में दो नवीन यूनानी औषधालय ग्राम कौमारा (जिला बाड़मेर) तथा ग्राम पिड़ावा (जिला झालावाड़) में खोले गये हैं। वर्ष 1976-77 में 200 नवीन आयुर्वेदिक औषधालय स्वीकृत हुए हैं। इनमें से किस पद्धति के कितने चिकित्सालय खोले जावें यह अभी तय नहीं हुआ है।

(3) निर्धारित शर्तों के अनुसार ये औषधालय वहीं खोले जावेंगे जहां 4-5 मील की दूरी में अन्य कोई चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

श्रीमती गौरी पुनिया : क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि मकराना की इतनी पोपूलेशन है जिसमें एक यूनानी औषधालय होना आवश्यक है ?

श्रीमती कमला : मकराना में इस वक्त एक आयुर्वेदिक औषधालय 'बी' श्रेणी का काम कर रहा है इसलिए वहीं पर दूसरा औषधालय खोला जाय या जिस जगह पर पांच सात मील में कुछ भी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है; वहां खोला जाय । इसलिए ही यह शर्त लगाई है कि पांच मील के एरिया में जहां कोई भी औषधालय नहीं हो, पहले प्राथमिकता उन स्थानों को दी जाय ।

श्री ओंकार लाल चौहान (डग) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय, से यह जानकारी चाहता हूं कि यह दो सौ आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का निर्णय लिया है तो क्या इसका कोई क्राइटेरिया तय किया है या क्राइटेरिया तय कर लिया जाएगा कि इन इन जगहों पर खोलने हैं ?

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी माननीय मंत्री महोदया से एक प्रश्न पूछना चाहती हूं । यह यूनानी औषधालय जो हैं किस आधार पर हैं और किस संख्या में खोले गए हैं ? कहां पर आगे के लिए उनके लिए क्या स्कोप है ? जहां आयुर्वेद का औषधालय नहीं है वहां यूनानी खोल सकते हैं ?

(व्यवधान: अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : श्री दीपंकर।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि क्या वहां के लोगों की इस किस्म की मांग है कि यहां यूनानी शफाखाना कायम किया जाय ? यदि हां, तो फिर क्या कठिनाई पैदा हो गई है ? एक क्राइटेरिया एब्सोल्यूट नहीं बन सकता है । जहां पर आबादी ज्यादा है वहां एक औषधालय होते हुए भी अगर यूनानी औषधालय की मांग है जनता की या किसी किस्म की तो वहां यूनानी शफाखाना खोलने में क्या दिक्कत है ? क्या इस किस्म की मांग को आपने रिजेक्ट किया है या मंजूर किया है ?

श्री दीपंकर (लाडनूं) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना···

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया, उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री दीपंकर : एक साथ ही उत्तर आ जाएगा । माननीय सदस्या, हमारा प्रश्न भी शामिल हो जाय । अर्ज ऐसी है कि विभिन्न जो चिकित्सा पद्धतियां सरकार ने अपनाई हैं उनके पीछे क्या सरकार की यह मान्यता है कि जहां पर आयुर्वेदिक औषधालय खोले जावें वहां दूसरी तरह से औषधालय नहीं हों ? दूसरा निवेदन है कि क्या सरकार यह मान्यता रखती है कि जहां पर यूनानी पद्धति पर विश्वास रखने वाले ज्यादा हों··

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । समाप्त करिए ।

श्री दीपंकर : वहां पर यूनानी औषधालय ही खोले जावें इस दृष्टि से राजस्थान का कोई सर्वे कराया है सरकार ने ? और इस

(श्री दीपंकर)
तरह से औषधालय खोलने की कोई योजना है जिससे वहां के लोगों को संतोष हो ? आयुर्वेदिक औषधालय होते हुए भी यूनानी औषधालय खोलने की मांग सरकार के पास गई है, न केवल मकराना की बल्कि लाडनूं और दूसरे स्थानों की भी मांग है। क्या सरकार उनके लिए बन्दोबस्त करने का विचार रखती है ?

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह माननीय सदस्या के भी विचार का विषय है। जैसा मैंने निवेदन किया कि एक तरफ तो ऐसी बस्तियां हैं जहां पर पांच पांच, दस दस मील तक कोई भी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है उसको प्राथमिकता दी जावे या उन इलाकों को दी जावे जो पहले से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध रखते हैं। इसलिए पांच मील का काइटेरिया कायम किया है। अगर कोई पांच मील के हिसाब से किसी गांव में यूनानी औषधालय चाहेंगे तो यूनानी औषधालय खोला जाएगा, कोई होम्योपैथिक चाहेंगे तो होम्योपैथिक खोला जावेगा, और जहां आयुर्वेदिक चाहेंगे वहां आयुर्वेद का औषधालय खोला जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्रीमती गौरी पूनिया : माननीय मंत्री महोदया, मकराना की पचास प्रतिशत से अधिक जनता यूनानी दवाखाने में विश्वास रखती है।

श्रीमती कमला : मैं माननीय सदस्या से निवेदन कर चुकी हूं कि वहां पहले से ही एक 'बी' श्रेणी का आयुर्वेदिक औषधालय काम कर रहा है। आपके खुद के क्षेत्र में ऐसी कई जगह होंगी जिनमें दस-दस मील के एरिया में कोई चिकित्सा सुविधा नहीं है। इसलिए प्राथमिकता उन स्थानों को दी जाय या उन स्थानों को दी जाय जहां पर पहले से ही चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है, यह माननीय सदस्या के भी सोचने की बात है।

श्री दीपंकर : इसको दूसरी जगह बदल दीजिए और यहां पर यूनानी औषधालय खोल दीजिए; जब जनता की मांग है तो।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (दीगोद) : उपाध्यक्ष महोदय, साधारण सा सवाल पूछा था, माननीय सदस्या ने। प्रश्न के हिसाब से यह बात साफ है कि वहां की जो जन संख्या निवास करती है वह यूनानी दवाखाने की ज्यादा डिमाण्ड कर रही है। क्या ऐसी स्थिति में माननीय सदस्या को यह विश्वास दिला सकती हैं कि यूनानी दवाखाना जल्दी ही खोल दिया जाएगा ?

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्या से निवेदन किया कि जहां पर कोई भी चिकित्सा सुविधा नहीं है वहां पर पहले व्यवस्था कराना चाहेंगी या जहां पर पहले से ही सुविधा है वहां पर और सुविधा बढ़ाना चाहेंगी ? अगर माननीय सदस्या यह कह दें कि वहीं पर दूसरा औषधालय खोल दें और दूसरी जगह कुछ नहीं चाहिए तो यह देखने की बात है कि अपनी कांस्टीट्यूएंसी में कहां पर कंसन्ट्रेट करना चाहती हैं और कहां पर वाजिब सुविधा भी नहीं देना चाहती हैं।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : क्या इस तरह की बात अन्य माननीय सदस्यों से पूछी है. . .

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये । नैक्स्ट ।

(व्यवधान—प्रश्रव्य)

श्री मूलचन्द सामरिया : यह पूर्णतया राजनैतिक रूप से प्रेरित होकर कार्य करती हैं। जनता की मांग का कोई औचित्य नहीं है।

(व्यवस्था—सूचक घण्टी)

श्रीमती कमला : जी नहीं। दौसा क्षेत्र में भी एक औषधालय मैंने गत वर्ष खोला था। मेरे पास रिपोर्ट है कि दौसा कांस्टीट्यूएंसी में एक औषधालय पिछले साल खोला गया था।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें राजनीति का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । नैक्स्ट। श्रीमती मदन कौर।

गांव बोठूजा (पचपदरा) में काश्त की भूमि का आवंटन

104. श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर के एक भूतपूर्व जागीरदार पाबूदानसिंह को गांव बोठूजा तहसील पचपदरा (जिला बाड़मेर) में काश्त की भूमि आवंटित की गई थी? यदि हां, तो कब और कितने बीघा? मौजूदा में यह भूमि किस की खातेदारी में है और इस पर काबिज कौन है?

(2) क्या यह सही है कि इस भूमि के मालिक ने आस पास की काश्त की कीमती जमीन पर और एक आम रास्ते पर भी अवैध कब्जा कर रखा है?

(3) क्या राज्य सरकार इस अवैध कब्जे को खाली कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार और कब तक?

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री मूलचन्द मीणा) : (1) जी नहीं। अलबत्ता श्री पीरदानसिंह नाम के भूतपूर्व जागीरदार को ग्राम बोठूजा में 226 बीघा भूमि दिनांक 1-7-1971 को आवंटित की गई थी। इस समय यह भूमि श्रीमती देवी पत्नी सुल्तानमल, श्री मांगीलाल पुत्र सुलतानमल, श्री जैकचन्द पुत्र श्री सागरमल, श्रीमती गजीदेवी पत्नी श्री छगनलाल, श्री प्रकाशचन्द्र पुत्र श्री छगनलाल के खाते एवं कब्जे में हैं।

(2) जी हां।

(3) जी हां। राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत बेदखली की कार्यवाही चालू है। नाजायज कब्जे से उक्त व्यक्तियों को यथा शीघ्र बेदखल कर दिया जायेगा।

श्रीमती मदन कौर : उपाध्यक्ष महोदय, एक भूतपूर्व जागीरदार पीरदानसिंह को इतनी कीमती जमीन 226 बीघा, एक साथ अलाट करने का क्या आधार है? दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि यही जमीन जो भूमिहीनों काश्तकारों को अलाट की गई वह दस-दस, 15-15 बीघा ही अलाट की गई। इसलिए मैं जानना चाहती हूं कि कौन से कानून के तहत खुदकाश्त के लिए 226 बीघा इतनी कीमती जमीन, जो कि गंगानगर की

(श्रीमती मदन कौर)
बढ़िया जमीन है, एक साथ क्यों दी ? इसका क्या आधार है ?

मेरा दूसरा सवाल यह था कि इस पीरदान सिंह ने जमीन दूसरों को बेचान कर दी जिससे स्पष्ट है कि उसको खुदकाश्त के लिए जमीन नहीं चाहिए तो फिर इतनी जमीन देने का क्या औचित्य है ?

मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि अभी यह जमीन जिसके कब्जे में है उसने आस पास के आम रास्ते पर और एक सैनिक की भूमि, जो उसको आवंटित की गई थी, पर भी अवैध कब्जा कर लिया है और बार बार ग्राम पंचायत को शिकायत करने पर और सम्बन्धित अधिकारियों को कहने पर भी आज तक आपके तहसीलदार, एस. डी. ओ. और कलेक्टर किसी ने कोई कार्यवाही नहीं की है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : एक सवाल पूछना चाहूंगा । क्या यह सही है कि इस जमीन का करेक्टर, जो पहले गोचर था, रातों रात बदला गया ? क्या यह इसका प्रमाण नहीं है कि जो अधिकारी वहां पर था उनका कोई हित इसके अन्दर निहित था ? एक सवाल। दूसरा सवाल मेरा यह है कि जो वाकई हकदार होते हैं उनको तो आप दस पन्द्रह बीघा जमीन अलाट करते हैं और जो जागीरदार होते हैं, उनको 226 बीघा जमीन अलाट करते हैं। तो आपकी असल में नीति क्या है ? इसका स्पष्टीकरण मैं चाहता हूं। क्या जागीरदारों को प्रोत्साहन देना है या भूमिहीन लोगों को प्रोत्साहन देना है ? अगर यही है कि आपको जागीरदारों को प्रोत्साहन नहीं देना है तो यह किस बात का सबूत है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । तशरीफ रखिए ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि यह काम गलत हुआ है तो क्या गवर्नमेन्ट अपना यह एक्शन वापिस लेने को तैयार है गलती से जोजमीन अलाट कर दी और उसने बेच दी है तो क्या गवर्नमेन्ट उसके रिजम्पशन का कोई इरादा रखती है ? इन सवालों का जवाब दें।

राजस्व मंत्री (श्री परसराम मदेरणा): उपाध्यक्ष महोदय, बाड़मेर के एक भूतपूर्व जागीरदार पाबूदानसिंह को गांव बोठूजा तहसील पचपदरा में जो भूमि 226 बीघा एलाट की गयी है वह राजस्थान लैन्ड रिजम्पशन जागीर रूल्स, 1954 के अन्तर्गत की है और जैसे कि ये रूल्स हैं, इनके अन्तर्गत भूतपूर्व जागीरदार खुदकाश्त के लिए भूमि पाने का हकदार है। यह भूमि का अलाटमेन्ट किस एक्सटेन्ट तक होगा सेक्शन 18 में इसके डिटेल में दिये हुए हैं। उनको काफी ज्यादा एक्सटेन्ट तक भूमि का अलाटमेन्ट हो सकता है। इसलिए वाकई हकदार था या नहीं, यह प्रश्न ठीक नहीं है। वह हकदार था। जब उसको अलाटमेन्ट किया गया, वह एक्स जागीरदार था और उसको भूमि अलाट हो सकती थी। अब भूमि किस एक्सटेन्ट तक हो सकती है, यह देखना पड़ेगा कि उसके पास कितनी जागीर थी और उसके हिसाब से उसको 500 एकड़ तक या उससे ज्यादा भूमि अलाट हो सकती है। रूल्स में यह प्रावधान है। यह कानून है। सरकार की जो नीति अलाटमेन्ट के सम्बन्ध में है, जो स्थिति समय के अनुसार होती है

(श्री परसराम मदेरणा)
उसके अनुसार ही समय समय पर उसमें संशोधन कर दिए जाते हैं। पहले आर्डिनरी अलाटमेन्ट रूल्स के अन्तर्गत साढ़े सैंतीस बीघा जमीन लैण्डलेस को अलाट होती थी। बाद में यह 22 बीघा कर दी गयी और आज कल इसकी सीमा 16 बीघा है क्योंकि लैण्डलेस ज्यादा हैं। उसी तरह से अलाटमेन्ट रूल्स में तरमीम कर दिये गये हैं। जहां तक इस जमीन के गोचर होने का सवाल था और उसमें तब्दीली कर दी गयी, यह फैक्ट अभी मेरे सामने नहीं आया है यह सत्य भी हो सकता है। जहां तक गोचर भूमि को सिवाय चक में परिवर्तित करने का सवाल है, कलेक्टर के पास यह पावर सन् 1974 से पहले था। 1974 से यह पावर गवर्नमेन्ट के पास है। इससे पहले कलेक्टर के पास थी और कलेक्टर गोचर भूमि को सिवाय चक में और अन एग्रीकल्चर लैण्ड को गोचर में कर सकता था।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : इस जमीन के करैक्टर को एक रात के अंदर बदल दिया गया है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : कलेक्टर ने एक रात में इसका करेक्टर बदल दिया ? इसका क्लासिफिकेशन कब चैन्ज हुआ, यह इश्यू अभी नहीं है और न ही यह इन्फार्मेशन इस वक्त मेरे पास मौजूद है। इसको मैं देख लूंगा। एक बात जरूर है, ऐसी एक कम्पलेन्ट मेरे पास पहले आई थी और मैंने कलेक्टर से इसके बारे में फेक्चुअल रिपोर्ट मांगी है। वह अभी तक मेरे सामने नहीं आई है। फिर भी इसमें कोई गलती हुई या नहीं, इस बात को देखा जायेगा और इसकी जांच कराई जायेगी।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री परसराम मदेरणा : दूसरे भूमि पर जो अतिक्रमण किया गया है, इस प्रश्न के भाग 2 और 3 जो हैं, उनमें इसका उत्तर दिया गया है। यह कहा गया है कि उसने अतिक्रमण किया है। एक तो जो रास्ता है, उस पर किया है और दूसरे जो सिवाय चक की भूमि है उस पर किया है। कुल 22 बीघा 8 बिस्वा जमीन पर उसने अतिक्रमण किया है और जो उसकी खुदकाश्त की जमीन थी, उसको बेच दिया है। जो गवर्नमेन्ट लैण्ड व आम रास्ता है, उस पर उसने अतिक्रमण किया है। उस पर दफा 19 की कार्यवाही तहसीलदार के यहां पर अंडर तजवीज है और जल्दी ही उस पर निर्णय होने वाला है। हफ्ते दस दिन में यह हो जायेगा।

श्रीमती मदन कौर : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि 1971-72 के बाद भूमिहीन लोगों को उस गांव में जो जमीन अलाट की गयी है, 1971 में जागीरदार को 226 बीघा जमीन एलाट की गयी और वहां के भूमिहीन लोगों को 10 बीघा जमीन अलाट की गयी है जब कि उस समय 371/2 बीघा जमीन अलाट करने का नियम था ? भूमिहीन लोगों के लिये गवर्नमेंट ने यह क्राइटेरिया क्यों अपनाया जब कि उस समय 371/2 बीघा जमीन अलाट करने का नियम था ?

श्री परसराम मदेरणा : जागीरदारों के लिए वही नियम था। उसमें कोई तरमीम

(श्री परसराम मदेरणा)

नहीं की गयी है। खुदकाश्त के लिए एक्स जागीरदार को जमीन अलाट की जा सकती है। परन्तु अब यह देखना होगा कि वह इसके लिए हकदार था या नहीं इन नियमों के अन्तर्गत। जो रूल्स बने हुए हैं वे एक्स जागीरदारों के लिए अलग से बने हुए हैं।

श्री दीपंकर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि पहले इतनी भूमि थी ··

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ···

श्रीमती मदन कौर : दूसरा यह प्रश्न है ···

श्री उपाध्यक्ष : दूसरे सदस्य प्रश्न पूछ रहे हैं, पहले उनका तो आप ध्यान रखें।

श्रीमती मदन कौर : इस भूतपूर्व जागीरदार को खुदकाश्त के लिए जमीन की जरूरत नहीं थी, यह तो स्पष्ट हो गया है। उसको जमीन आवंटित होने के बाद इस जमीन का उसने बेचान कर दिया, यह भी साफ हो जाता है। खुदकाश्त के लिए जमीन आवंटित की गयी और उसको बेच दिया तो जिस प्रकार सीलिंग के केस को राज्य सरकार रिओपन करने का अधिकार अपने पास रखती है, तो क्या राज्य सरकार ऐसे व्यक्तियों के, जिनको कि खुदकाश्त की जमीन अलाट की गयी थी और उनको उस की जरूरत नहीं थी, केसेज को रिओपन करने जा रही है ? क्या इसको रिओपन करने का आप इरादा रखते हैं ?

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : एक प्रश्न और है ? ···

श्री उपाध्यक्ष : आप तशरीफ रखिये। जवाब होने दीजिये।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मौजूदा जो अधिनियम है राजस्थान जागीर रिजम्पशन एक्ट, उसमें इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। 1974 के पहले के जो अलाटमेन्ट रूल्स थे उनमें एरिया ज्यादा था और उसके बाद कम कर दिया गया है। परन्तु एक्स जागीरदारों के मामले में ऐसा नहीं है। मौजूदा कानून की स्थिति को देखते हुए उसके अलाटमेन्ट एरिया को कम नहीं किया जा सकता है। एक तो यह देखना होगा कि इस जागीरदार ने खुदकाश्त के लिए जो जमीन ली है वह उसके क्षेत्र में है या नहीं। अगर उसके पास जमीन थी और उनके पर्सनल कल्टीवेशन में जो लैण्ड था उसका एक्सटेन्ट आफ एरिया जागीर के एरिया से कितना है ? अगर इस कानून से देखते हैं तो यह खुदकाश्त के लिए जमीन का अलाटमेन्ट कराने का हकदार पाया जाता है। जागीर रिजम्पशन एक्ट 1954 के अन्तर्गत कुछ प्राविजन हैं। एक्ट का प्राविजन है और लिमिटेशन का पीरियड दिया हुआ है। उस लिमिटेशन के पीरियड के अन्तर्गत भूमि के आवंटन के लिए आवेदन पत्र देना होता है। तो यह देखना होगा कि इस जागीरदार ने इस लिमिटेशन की अवधि के अंदर आवेदन-पत्र दिया या नहीं दिया। लेकिन जहां तक बेचने का प्रश्न है--और जो रूल्स हैं उसमें अलाटमेन्ट वाली जमीन पर खातेदारी के राइट्स नहीं दिये जाते हैं। लेकिन इस एक्ट को पढ़ने के बाद मालूम होगा सेक्शन 15 टिनेन्सी एक्ट का है उसमें अलाटमेन्ट का प्रावधान है। इसके इन्टरप्रिटेशन से लगता है कि जागीरदारों

Page No 8

(8)

(श्री परसराम मदेरणा)
को जो अलाटमेन्ट जमीन का किया गया है उसमें उनको गैर खातेदार नहीं माना गया है। याने वह गैर खातेदार नहीं है ज्योंही उनको जमीन एलाट हो जाती है वे उसके खातेदार बन जाते हैं। खातेदार बनने के बाद वे अपनी भूमि को बेचने के अधिकारी हैं। यह कानून की आज की स्थिति है, जिसका अध्ययन मैंने किया है। इसलिए जिनके पास पर्सनल कल्टीवेशन के राइट्स हैं या जिनके पास खातेदारी के अधिकार हैं ऐसे लोगों की जांच या उनके केसेज रिओ-पन करने के लिए रिट्रोस्पेक्टिव इफैक्ट से कानून बनाने की बात से मैं सहमत नहीं हूं। इस संबंध में मैंने कानूनी राय भी ली है और मैं ऐसा समझता हूं इस प्रकार के कानून में, जागीर रिजम्पशन एक्ट में संशोधन हम नहीं ला सकेंगे। दूसरे टिनेन्सी एक्ट के सैक्शन 15 में, लिमिटेशन के पाइन्ट है। वह हकदार था, एक्स जागीरदार के हिसाब से वह इससे भी ज्यादा जमीन लेने का हकदार था। दूसरा यह प्रश्न यहां पर माननीय सदस्यों ने उठाया है कि किस तरह से गोचर भूमि का कनवर्सन किया गया? यह कनवर्सन रुटिन के अन्दर हुआ या इसके अन्दर खास तौर से इन्ट्रेस्ट लेकर किसी व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए अवैध कार्यवाही की गई—इस बात की मैं जांच करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हांडा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, एक सीधा सा प्रश्न है। इस बात को स्वीकार किया गया है कि इस व्यक्ति ने सरकारी भूमि का अतिक्रमण किया है। तो उस पर 50 गुना तावान लगना चाहिये या उसे तीन महीने की जेल होनी चाहिये, यह प्रावधान है पर ऐसा नहीं किया गया ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न पूछें ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह एक सीधा सा प्रश्न है और बिलकुल स्पष्ट है। यह जो नियम है यह इस जागीरदार पर लागू नहीं किये गये। क्यों ? 50 गुना तावान और तीन महीने की सजा इस जुर्म में कई लोगों को हुई है तो फिर इस व्यक्ति को क्यों नहीं हुई ? स्पष्ट है कि जागीरदार के विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती है। नम्बर दो मैं यह जानना चाहता हूँ कि 71–72 में उनको यह जमीन एलाट हुई है। मेरी समझ में जागीर रिजम्पशन एक्ट 54 के जितने भी केसेज थे उनमें से रेयर केसेज 71–72 तक थोड़े ही बचे होंगे, बाकी 60–62 तक एग्जास्ट हो चुके थे। एक एक्स्ट्रा आर्डिनरी केस है जो 71–72 में तय ···

श्री उपाध्यक्ष : आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं ?

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : क्वेश्चन पूछ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : Why do you prolong it ?

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : तीसरा, यह बताने का कष्ट करेंगे कि उसकी खुदकाश्त की जमीन कितनी थी और उसे खुदकाश्त की जमीन जहां का वह जागीरदार है उसी गांव में क्यों नहीं दी गई ?

श्रीमती मदन कौर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस कानून के अन्दर इस जागीरदार को खुदकाश्त की जमीन अलाट हुई है उसको मैंने चैलेंज नहीं किया है । यह उस पर विचार कर सकते थे। खुदकाश्त जब आवंटित हो जाती है तो वह खातेदार हो जाता है उसको मैंने चैलेन्ज नहीं किया है । मैं यह जानना चाह रही हूं कि जिस जागीरदार को जमीन की जरूरत नहीं जैसा कि उसके तुरन्त बेचान से साबित होता है तो इस प्रकार के केसेज को रिओपन करने का सरकार इरादा रखती है ? मेरे पहले भाग का यह सप्लीमेंट्री है ।

दूसरे भाग का सप्लीमेंट्री यह है कि राज्य सरकार ने स्पष्ट रूप से यह माना है कि आम रास्ते पर और आसपास की जमीन पर उसने कब्जा किया है तो जब आम रास्ते पर उसने कब्जा किया है जिसकी शिकायतें ग्राम पंचायत ने बीसों दफा की लेकिन आज तक उस पर से कब्जा हटाने की कोई कार्यवाही नहीं हुई। दूसरा अवैध कब्जा, एक सैनिक को भूमि अलाट हुई थी उस पर उसने किया है। उसके बाल-बच्चे वहां पर रहते हैं और वह बोर्डर पर रहता है। इसके बारे में दूसरे काश्तकारों ने भी शिकायतें कीं और मैंने स्वयं ने भी शिकायत की, लेकिन आज तक उसे हटाने की कोई कार्यवाही की है ?

श्री ओंकार लाल चौहान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रश्न के भाग (ड) में उन्होंने यह जवाब दिया है कि अतिक्रमण किया है तो यह अतिक्रमण कब हुआ और अब तक इस पर कार्यवाही क्यों नहीं की ?

दूसरा पाइंट यह है कि, माननीय राजस्व मंत्रीजी ने यह कहा कि जागीर रिजम्पशन एक्ट, 1954 में 1976 में अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। तो जब कि हम फण्डामेन्टल राइट्स में कान्स्टीट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसमें क्या आपत्ति है ? इस प्रकार से 1954 में बनाये गये कानून में जनहित में अमेंडमेंट करने के अन्दर क्या बाधा है और क्यों नहीं कर सकते हैं ?

श्रीमती मनोहरा (?) बाला : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक प्रश्न है। माननीय मंत्रीजी ने अपने जवाब में यह बतलाया है कि उस जागीरदार को खुदकाश्त की जमीन अलाट की है तो किसी जागीरदार के पास जमीन थी या नहीं तो उसका निश्चय होना चाहिए कि जमीन थी या नहीं, क्योंकि ज्यों ही जमीन का अलाटमेंट हुआ उसने बेचान कर दिया तो साफ जाहिर है कि जमीन की उसको आवश्यकता नहीं थी तो किन अधिकारियों का प्रश्रय उस अमुक व्यक्ति को मिला हुआ है ? एक ही रात में नरनोट को परिवर्तित करके उसको जमीन अलाट कर दी और बेचान के बाद उसने दूसरे की जमीन पर ट्रेसपास कर लिया जिसके सम्बन्ध में कार्यवाही चल रही है । उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ ? तो कौनसा अधिकारी उसको प्रश्रय दे रहा है ? क्या माननीय मंत्री महोदय इसको जानने की कोशिश करेंगे ?

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय (बूंदी) : मेरा भी एक सप्लीमेन्ट्री है...

श्री यशवन्त सिंह, नाहर (बनेड़ा) : मेरा प्रश्न यह है कि रेवेन्यू या लॉ डिपार्टमेंट में क्या कोई ऐसा सेल नहीं है जो कि 54 से आज तक उस कानून में से जागीरदार शब्द को समाप्त करने के लिए कोई कार्यवाही करता ?

श्री उपाध्यक्ष : आप सुन लीजिए । आपका जवाब आ जायेगा ।

श्री परसराम मदेरणा : भूतपूर्व जागीरदार पीरदानसिंह को जो भूमि आवंटित की गई है खुदकाश्त की जमीन उसका एक प्रश्न है कि इस जागीरदार ने खुदकाश्त की जमीन को बेचा है, और दूसरे की भूमि को ट्रेसपास किया है, यह दूसरा प्रश्न है ।

जहां तक ट्रेसपास का प्रश्न है तो उसमें कार्यवाही, जैसा कि मैंने निवेदन किया है, 91 की चल रही है, और मुझे सूचना दी गई है कि 8–10 दिन में उसमें फैसला हो जायगा ।

सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि 91 के केसेज जब उस पर चल रहे हैं तो हमने 50 टाइम्स पेनल्टी क्यों नहीं इम्पोज की और उसको 3 महीने की सिविल जेल क्यों नहीं दी ? सेक्शन 91 में हमने 15 अगस्त 1975 को अमेंडमेंट किया है । 15 अगस्त 1975 से पहले यदि सब्सिक्वेन्ट ट्रेसपास हो तो लॉ डिपार्टमेंट का ऐसा मानना है कि सब्सिक्वेन्ट ट्रेसपास उसका ही माना जायगा जो इस कानून के बाद सब्सिक्वेन्ट ट्रेसपास करे । तो यह प्रश्न विचाराधीन है कि सिविल जेल हो सकती है या नहीं । जहां तक 50 टाइम्स पेनल्टी इम्पोज करने का प्रश्न है तो यह तहसीलदार के डिस्क्रीशन पर है, और 91 के केसेज में माननीय सदस्य सभी जानते हैं, गवर्नमेंट के पास रिवीजनल पावर्स नहीं हैं और नॉन जुडिशियल मैटर्स में तो रिवीजनल पावर्स गवर्नमेंट के पास में हैं । यह एक जुडिशियल मैटर है और यह तहसीलदार के डिस्क्रीशन पर है कि कितनी पैनल्टी लगाये । इसके बारे में कोई आश्वासन सदन में नहीं दे सकता कि वह उस पर 50 टाइम्स ही पैनल्टी लगाये । मैं यह सूचना दे सकता हूं कि जल्दी ही उसका डिसपोजल हो जायगा, 8–10 दिन में ही इस केस में फैसला हो जायगा ।

यहां पर दूसरी बात यह कही गई कि वह दूसरे की भूमि पर बैठा हुआ है । उसकी शिकायत माननीय सदस्या ने स्वयं की थी उस पर एक्शन नहीं लिया गया । इसके फैक्ट्स सारे मुझे मालूम नहीं हैं किन्तु मुझे यह बताया गया है कि 17 एफ में 419 बिस्वा सिवाय चक और 7/2 में 12 बीघा इस तरह से कुल मिलाकर 22 बीघा और 5 बिस्वा भूमि पर उसने ट्रेसपास किया हुआ है । किसी सैनिक की जमीन नहीं बताई है । हो सकता है कि किसी सैनिक को इसमें भूमि अलाट हुई हो और उसका सैनिक को पजेशन दिया गया हो और पजेशन देने के बाद में यह ट्रेसपासर बैठ गया हो तो ऐसी सूरत में वह गवर्नमेंट की सिवाय चक की जमीन नहीं रहती है । किसी व्यक्ति को पजेशन दे दिया हो और किसी दूसरे व्यक्ति ने जाकर उसको बेदखल कर दिया हो तो वह दोनों व्यक्तियों के बीच का मामला है और गवर्नमेंट और ट्रेसपासर के बीच का मामला नहीं है ।

(श्री परसराम मदेरणा)

यहां पर यह बात भी कही गई कि 1954 में जागीर रिजम्पशन एक्ट बना उसके अन्दर तरमीम कर दी जाय, और किसी जागीरदार को खुदकाश्त की भूमि आवंटित हो गई तो उस वक्त जो प्रावधान था, उससे मौजूदा स्थिति में जमीन बहुत कम रहती है। लैण्डलैस लोगों को 15 बीघा भूमि अलाट कर रहे हैं और 1974 में एक जागीरदार को 226 बीघा भूमि अलाट की जा रही है। एक केस में ऐसा क्यों कर दिया? मैं निवेदन कर दूं कि पहले से एप्लीकेशन्स दी हुई है और जो लिमिटेशन पीरियड में दी हुई हैं और जो अभी तक पैंडिग हैं कुछ केसेज, मेरे ध्यान में हैं। यह नहीं हो सकता है कि जो टाइम लिमिट में एप्लीकेशन नहीं दी हुई है ऐसे किसी एक जागीरदार के लिए यह अपना रहे हैं भूमि अलाटमेंट करने के लिए। सभी को अलाटमेंट कर दी हो, यह प्रश्न है। इस प्रश्न को भी देख लिया जायगा, इसलिए मैंने कहा है।

पचपदरा से आने वाली माननीय सदस्या ने यह कहा है कि खातेदारी राइट्स मिले हुए हैं तो जहां तक उसका सवाल है मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। यहां पर यह भी कहा गया है कि उसके पास खुदकाश्त की जमीन थी उसके बाद में जमीन अलाटमेंट क्यों हुआ है, और लिमिटेशन पीरियड में एप्लीकेशन दी या नहीं। जमीन का कन्वर्शन हुआ है वह एक रुटीन की तरह हुआ है या एक जागीरदार को गोचर की भूमि अलाट करने के बाद में हुआ है। यह अलग से प्रश्न है।

पर्सनल कल्टीवेशन नहीं की है फिर जमीन अलॉट क्यों हुई, यह बात प्रारम्भ में एक्जामिन की गई है तो जागीरदार को भूमि अलाट होती है तो सैक्शन 18 एण्ड सैक्शन 15 आफ दी टेनेन्सी एक्ट में अलाटमेंट कन्डीशन नहीं है। दी मोमेन्ट अलाटमेंट होता है वह खातेदार बन जाता है और पर्सनल कल्टीवेशन नहीं की तो भी खातेदारी में ट्रान्सफर के और हेरिडिटेरी राइट्स हैं। पुराने खातेदार हैं और नया खातेदार बनता है तो उनके प्रोपराइटरी राइट्स में किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता है। वह जमीन बेच सकता था। इस पाइंट को भी मैं एक्जामिन कराऊंगा कि आया यह केस रिओपन हो सकता है या नहीं। जैसा कि माननीय सदस्या ने कहा मैं समझता हूं कि रिओपन के लिए कुछ प्रावधान हैं, एक तो अलाटमेंट के 6 महीने के अन्दर फाडुलेन्टली कोई फैक्ट देकर किसी आदमी ने जमीन ली हो तो टाइमली एक्शन सैक्शन के लिए 48 (ए) के तहत जागीर रिजम्पशन एक्ट में काफी पावर रखी है गवर्नमेंट के पास। साल भर पहले कुछ केसेज जागीरदारों के, जिनको जमीनें अलाट हुई थी खुदकाश्त की रिओपन मैंने किये हैं, और उनके डाइरेक्शन दिये हैं जागीर कमिश्नर को कि इन केसेज को देखा जाय। उन केसेज के फैक्ट्स और हैं और इस केस के फैक्ट्स और दूसरे हैं। इसलिए यह केस रिओपन हो सकता है या नहीं, मौजूदा प्रावधान के अन्दर, इसको कानूनी रूप से एक्जामिन कराऊंगा और कानूनी तौर से एक्जामिन करने के बाद यदि यह राय बनती है विधि विभाग की कि सैक्शन 48 (ए) के अन्दर इसको रिओपन किया जा सकता है तो निश्चित तौर से इसको रिओपन किया जायगा। इसकी इन्क्वायरी करने के बाद ही कुछ किया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव।

अपंग लोगों की पेंशन

105. सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अपंग वर्ग के लोगों के लिए राज्य सरकार के पास कोई योजना है ? यदि हां, तो कितने ऐसे अपंग लोगों को सन् 1972 से अब तक कितनी पेंशन दी गयी है ? कृपया तालिका सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(2) समाज कल्याण विभाग ने क्या अब तक ऐसे लोग, जो अपंग अथवा बेसहारा हैं, का सर्वेक्षण कराया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) कौन कौन से व्यक्तियों को अपंग की श्रेणी में रखा जाता है ?

राज्य मंत्री, समाज कल्याण (श्रीमती कमला) : (1) जी हां। वर्ष 1972-73 से वर्ष 974-75 तक निम्न प्रकार से अपाहिज पेंशन स्वीकृत की गई है:—

वर्ष	लाभान्वितों की संख्या	व्यय की गई राशि (लाखों में)
1972-73	1151	3.65
1973-74	1814	3.73
1974-75	18.7	4.35
1975-76	1900	5.00
	(अनुमानित)	(प्रावधान)

(2) जी नहीं। नियमानुसार प्रत्येक पेंशन पाने वाले व्यक्ति को पेंशन स्वीकृत कर दी जाती है। अतः इसकी आवश्यकता महसूस नहीं हुई।

(3) विकलांग, नेत्रहीन, मूक बधिर आदि ऐसे समस्त अपाहिज जो शरीर से अपंग होने के कारण जीविकोपार्जन करने में असमर्थ हैं।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न नं. (1) का महत्व है। मैं आपके द्वारा माननीय समाज कल्याण मन्त्री से पूछना चाहती हूं कि क्या मन्त्री महोदय स्वयं जवाब देने में असमर्थ हैं जो माननीय मन्त्री महोदया को ही जवाब देने के लिए कष्ट दिया जाता है ?

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : हो सकता है, समाज कल्याण मन्त्री अपंग हों।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : आपकी राय से मैं सहमत हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अपंग का खड़ा होना तो आवश्यक है।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : आपकी राय से मैं सहमत हूं। मैं निवेदन करती हूं कि क्या आपकी नीति बदल गई है ? मैंने तालिका सदन के पटल पर रखने के लिए निवेदन किया। मंत्री महोदया तालिका सदन पटल पर रखने के बजाय पढ़ रही हैं।

श्रीमती कमला : जो जवाब मैंने दिया है, उसकी प्रति माननीय सदस्या के पास है।

Page No 13

(13)

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : मुझे कॉपी नहीं मिली है।

श्रीमती कमला : मैं दुबारा पढ़कर सुना सकती हूं। किस-किस को कितना दिया गया है। क्या बढ़ा है या घटा है।

समाज कल्याण मंत्री (श्री मोहनलाल छंगाणी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या को स्वयं पढ़कर सुना देता हूं :–

1972–73	1151	3.65
1973–74	1814	3.73
1974–75	1847	4.35
1975–76	1900	5.00
	(अनुमानित)	(प्रावधान)

यह राशि अनुमानित की गई है।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : उपाध्यक्ष महोदय, यह संख्या जिस प्रकार दिनों दिन घटती जा रही है...

श्रीमती कमला : कहां घट रही है ?

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : महिला वर्ष है...

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 1972–73 और 1973–74...

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, व्यक्ति भी तो बढ़े हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अपंगता बढ़ती ही चली गई।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, 11 लाख 63 हजार...

श्री मोहनलाल छंगाणी : उपाध्यक्ष महोदय, उनके कई शैक्षणिक केन्द्र भी चलते हैं। इस प्रकार से कई राशियों में देना पड़ता है। माननीय सदस्य बनियां हैं लेकिन यह गलत हिसाब लगाया गया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपकी और इनकी जाति अलग कब से हो गई है ?

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपने अपंग से वाचाल कर दिया।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : अपंगों की संख्या घटती जा रहा है। वास्तव में यह पैसा दिया गया है, मैं समझती हूं कि यह गलत है।

श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : मेडिकल विभाग का अलग से प्रश्न है। वह अलग से सेन्टर के साथ बना है। इसके लिए जो भी ऐसे आदमी हैं, उनको निश्चित रूप से सहायता मिलती है। फिर भी यदि माननीय सदस्या को मालूम हो कि किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं मिलती है तो मैं व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने के लिए तैयार हूं।

श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा (फागी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिनको आश्रम में प्रवेश करके सहायता दी जाती है, इसके अलावा गांवों में रहने वाले ऐसे बहुत से अपंग स्थिति में हैं, क्या उनको भी दी जायेगी ? दूसरा प्रश्न यह है कि उदयपुर

Page No 14

(14)

(श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा)

और जोधपुर में ही इस प्रकार के केन्द्र खोले गये हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज अपंग व्यक्तियों को सुविधाएं देने का सरकार के पास कोई साधन है या नहीं ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर में और जोधपुर में ही नहीं अजमेर और उदयपुर में दो केन्द्र हैं। यहां 4 स्कूल हैं। रिहैबिलिटेशन सेण्टर, भारतीय समाज कल्याण, जयपुर, राजस्थान सोसाइटी फार रिहैबिलिटेशन आफ हैण्डीकेप्ड, फिरदौसी मेहरबान रिहैबिलिटेशन फार हैण्ड कैप्ड, माउण्ट आबू। इस प्रकार से जो भी अपंग व्यक्ति हैं, हमारे रूल्स बने हुए हैं, तहसीलदार के पास एप्लीकेशन जाती हैं। उनकी जांच की जाती है। जो भी रूल्स में आता है, उसको मिल जाती है।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 3 का जो उत्तर है, उसकी परिभाषा क्या है ? वह हमको बता दें।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : उपाध्यक्ष महोदय . . .

श्रीमती कमला : विकलांग की जो परिभाषा है उसमें कहा गया है, 'विकलांग' नेत्रहीन, मूक, बधिर आदि ऐसे समस्त अपाहिज व्यक्ति जो शरीर से अपंग होने के कारण जीविकोपार्जन करने में असमर्थ हैं।' उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या की जानकारी के लिए मेरा निवेदन है कि पेंशन के अलावा छात्रवृत्ति का प्रावधान अलग से है। कई प्रकार के उद्योगों का प्रशिक्षण भी दिया जाता है, उसके लिए अलग से प्रावधान है ताकि अपंग सभी क्षेत्रों में काम कर अपनी जीविका को अर्जित कर सकें।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव : उपाध्यक्ष महोदय, . . .

श्री उपाध्यक्ष : मैं इसे क्लोज कर चुका हूं। No.

(व्यवस्था-सूचक-घण्टी)

प्रश्न संख्या 106

श्री चेतराम।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

श्री रामगोपाल।

पंचायत समिति शाहबाद में खनिज सर्वे

107. श्री रामगोपाल (किशनगंज) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सत्य है कि पंचायत समिति, शाहबाद जिला कोटा में खनिज विभाग की ओर से सर्वे करवाया गया था ? यदि हां, तो कब कब और किस-किस स्थान का ? कृपया सर्वे रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सत्य है कि उक्त सर्वे में किन्हीं स्थानों पर कुछ धातुओं की उपलब्धियां हुई थीं ? यदि हां, तो किस-किस प्रकार के धातुओं की ओर सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या-क्या कदम उठाये हैं ?

राजस्व मंत्री, खनिज (श्री जुझार सिंह) : (1) जी हां, खनिज विभाग ने प्रारम्भिक सर्वेक्षण इस क्षेत्र का 1957-58, 58-59 एवं 74-75 में किया। यह सर्वेक्षण गांव खास, सिलोद, बाखरा राठी, मंगोला एवं आसपास के क्षेत्र में किया गया था।

इस क्षेत्र की सर्वेक्षण रिपोर्ट की संक्षिप्त टिप्पणी सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। प्रारम्भिक सर्वेक्षण से इस क्षेत्र में खनिज बाक्साईट, क्ले, रेड ओकर पाये गये हैं। इन खनिजों के नमूनों का विश्लेषण कराया गया जिसके आधार पर यह खनिज निम्न श्रेणी में आते हैं। अतः कोई कार्यवाही वांछनीय नहीं थी।

(टिप्पणी के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री रामगोपाल : क्या यह सही है कि वहां पर अभी यह चालू नहीं है आपके डिपार्टमेंट की ओर से ? दूसरा यह निवेदन है कि पंचायत समिति रामगढ़ में एक डूंगरी है उसमें कई प्रकार की धातुएं हैं। क्या सरकार उसका सर्वे कराने का विचार रखती है ?

श्री जुझारसिंह : मैंने निवेदन किया, 1957-58, 1958-59 में सर्वेक्षण हुआ है। वहां जो उपलब्ध हुआ है, वह काम का नहीं है। अभी भी वहां सर्वेक्षण चल रहा है। अभी खत्म नहीं हुआ है।

श्री रामगोपाल : रामगढ़ डूंगरी का सर्वेक्षण नहीं हुआ है।

श्री जुझार सिंह : रामगढ़ डूंगरी की सूचना नहीं है। लेकिन सर्वेक्षण करने वाले खुद समझते हैं। अगर कोई सम्भावना है तो वह करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। उनके हिसाब से जो वह महसूस करते हैं वही वह करेंगे।

श्री राम गोपाल : मेरा इसमें कहना यह है कि वहां पर धातु की उत्पत्ति हो सकती है, तो क्या ऐसी हालत में आप वहां पर सर्वे करा रहे हैं ? यदि अब तक नहीं कराया है तो क्या अब आप सर्वे करायेंगे ? यह राज्य सरकार के हित में है।

श्री जुझारसिंह : अगर जियोसर्वेयर यह अनुभव करते हैं कि वहां पर कोई चीज मिलने की संभावना है तो वहां पर सर्वेक्षण करेंगे। इसलिए अगर वहां पर कोई चीज मिलने की संभावना हुई तो मैं इसको दिखवा लूंगा।

प्रश्न संख्या 108

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री रामसिंह कुडी।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 109

श्री केशरीमल।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 110

श्री मोहनराज।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

श्री अमृतलाल गहलोत।

इन्जिनीयर्स एवं ओवरसियर्स का चयन

111. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या जनस्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दिनांक 1-4-74 से अब तक कितने आवेदन-पत्र जन स्वास्थ्य अभि०

Page No 16

(16)

(श्री अमृतलाल गहलोत)
विभाग को असिस्टेन्ट इन्जिनीयर्स, जूनियर इन्जिनीयर्स एवं ओवरसियर्स के पद के लिये प्राप्त हुए ? उनकी पूर्ण सूची मय आवेदक के नाम, आवेदन के दिनांक और उसके द्वारा इन्जिनीयरिंग डिग्री या डिप्लोमा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के अलग-अलग सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) उपरोक्त आवेदकों में से जिनको नियुक्ति दी गई, उनके नाम, नियुक्ति का दिनांक एवं उनके द्वारा इन्जिनीयरिंग डिग्री या डिप्लोमा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत की अलग-अलग सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या उपरोक्त आवेदकों के चयन में कोई निश्चित नीति अपनाई गई है ? यदि हां, तो उस नीति-पत्र को सदन की मेज पर रखें और यदि नहीं अपनाई गई तो क्यों ?

जन स्वास्थ्य मन्त्री (श्री चन्दनमल बैद): (1) दिनांक 1-4-74 से अब तक सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता के पद के लिये प्राप्त आवेदनों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उपरोक्त आवेदकों में से किसी को भी नियुक्ति नहीं दी गई।

(3) अभी तक उक्त आवेदकों का चयन नहीं किया गया है अतः नीति पत्र सदन की मेज पर रखने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री अमृतलाल गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, दूसरे विभागों में इस सम्बन्ध में जो नीति है उस बारे में मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर दूं कि दो आदमियों की · · ·

श्री उपाध्यक्ष : उसकी आवश्यकता नहीं है, Come to the relevant point. और विभागों में क्या नीति है उसके लिए सप्लीमेन्ट्री अलाऊ नहीं होते।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में मेरा निवेदन यह है कि कुल आवेदन पत्र 683 आये थे, जिनमें 58 ए. एम. आई. के और 625 डिप्लोमा होल्डर्स के थे।

श्री अमृतलाल गहलोत : क्या नीति के बारे मे जिक्र नहीं कर सकते ?

श्री उपाध्यक्ष : Not by way of question. You cannot give the policy statement here. आपका जो रेलेवेन्ट क्वेश्चन है उसके बारे में पूछ सकते हैं।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक असिस्टेन्ट इन्जिनीयर्स का सवाल है उनकी नियुक्ति तो पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा की जाती है। हमारे पास किसी ने एप्लीकेशन्स भेज दीं तो हमने उनको सूचित कर दिया कि पब्लिक सर्विस कमीशन को भिजवायें। कनिष्ठ अभियन्ताओं के सम्बन्ध में मैन पावर डिपार्टमेन्ट के यह आदेश हैं कि सबसे पहले जो स्टाइपेन्ड होल्डर्स हैं और रोस्टर में हैं उनकी नियुक्ति की जानी चाहिए और उनमें भी जो पहले तीन साल से स्टाइपेन्ड ले रहे हैं उनको सबसे पहले, उसके बाद जो स्टाइपन्ड होल्डर्स हैं उनको और

(श्री चन्दनमल बैद)

उनके बाद जो, उनके रोस्टर पर हैं उनको लिया जाना चाहिये। इसलिए भी हमारे पास एप्लीकेशन्स आई उनके अन्दर जो पहले तीन साल से स्टाइपन्ड ले रहे थे उनको पहले लिया और उसके बाद जो स्टाइपन्ड ले रहे थे उनको और उनके बाद रोस्टर पर थे उनकी नियुक्ति की गई। उनके अन्दर शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स वालों की संख्या बहुत कम थी। इसके अलावा तीस प्रतिशत उनमें से लेना था जो कि विभागों में कार्यरत थे। उन सबको इन्टरव्यू के लिये बुलाया और इन्टरव्यू लेने के बाद वित्त विभाग से पूछा गया कि यह नियुक्तियां कर ली जायं तो उन्होंने जवाब दिया कि अभी विभाग का काम का रिअसेसमेंन्ट कर रहे हैं खाली पोस्टों के सम्बन्ध में। इस वास्ते अभी उनको भरा नहीं गया।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

निदेशक एवं वरिष्ठ लेखाकार के विरुद्ध शिकायतें

112. श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री दौलतराम चतुर्वेदी निदेशक आयुर्वेद विभाग अजमेर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पूर्ण आश्रय देते हैं? यदि नहीं तो क्या कारण है कि उन्होंने अपने विभाग के वरिष्ठ लेखाकार श्री ब्रजेश शर्मा जो माने हुए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के नेता हैं के विरुद्ध आज तक कोई कार्यवाही नहीं की, ना ही उसके विरुद्ध कोई रिपोर्ट भेजी ?

(2) क्या यह सही है कि श्री वृजेश शर्मा अन्तरिम लेख जांच के लिये अलवर, भरतपुर, ब्यावर, माउन्ट आबू, भीलवाड़ा, जोधपुर, कोटा वगैहरा स्थानों पर गए तथा वहां उन्होंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई ? क्या यह भी सही है कि इन समस्त मीटिंगों की जानकारी निदेशक को दी जाती रही है ? यदि हां, तो इसके बावजूद भी श्री शर्मा के विरुद्ध उन्होंने कार्यवाही क्यों नहीं की ?

(3) क्या यह भी सही है कि आदर्श नगर जयपुर औषधालय के वैद्य श्री केदारनाथ शर्मा को राष्ट्रीय जनसंघ के नेता होने के नाते जनवरी माह में गिरफ्तार किया ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि गिरफ्तारी के दौरान श्री दौलतराम चतुर्वेदी के आदेश देने पर जिला आयुर्वेद अधिकारी द्वारा उनकी छुट्टी स्वीकृत कर दी गई ? यदि नहीं, तो आज तक श्री दौलतराम चतुर्वेदी को मीसा में गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया ?

राज्य मंत्री, आयुर्वेद (श्रीमती कमला) : उपाध्यक्ष महोदय, इसकी जानकारी मंगवाई जा रही है। अभी तक इसकी सूचना प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए इस प्रश्न की सूचना मिलते ही इसका जवाब दे दिया जायगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें जानकारी लेने जैसी कोई बात नहीं है। यह...

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। It is concern of the Government.

श्री श्रीराम गोटेवाला : It is definitely concern of the Government. लेकिन जवाब हाउस में आ जाता। गवर्नमेन्ट को इस बारे में सूचित करना चाहिए। यह आर. एस. एस. के बारे में क्वेश्चन है और इसको जानबूझ कर टाला जा रहा है।

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल गलत आक्षेप लगाये जा रहे हैं। एक व्यक्ति अलवर, भरतपुर, ब्यावर, माउन्ट आबू भीलवाड़ा, जोधपुर, कोटा वगैरह गया और वहां पर मीटिंग करी तो इसकी जानकारी इन तमाम स्थानों से मंगवाई जानी है।

(व्यवधान। अश्रव्य)

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय (बूंदी) : इसमें कोई लम्बी-चौड़ी इन्क्वायरी का सवाल नहीं है।

श्रीमती कमला : इन तमाम स्थानों पर विभाग के जरिये और सी.आई.डी. के जरिये जानकारी करानी है, कहां पर मीटिंग की गई, उसके सम्बन्ध में पूरी जानकारी आने पर ही जवाब देना संभव हो सकेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : उपध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह नहीं है। लेखाकार ने अपनी ड्यूटी के दौरान मीटिंगें कीं जिनकी लिखित रिपोर्ट उसने निदेशक को दी और निदेशक ने उसकी जांच की या नहीं ? यह प्रश्न कहां पैदा होता है कि. .

श्रीमती कमला : आपने लिखित में रिपोर्ट की बात कही है, यह जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, इसको स्थगित कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : Yes. Postponed.

प्रश्न संख्या 113

नेक्स्ट। श्री गिरधारी लाल भार्गव।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखिये)

श्री मीठालाल मीणा।

राज्य सरकार या भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्न की खरीद

114. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) [श्री मीठालाल मीणा (लालसोट) की अनुपस्थिति में] : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार अपनी एजेन्सियों या भारतीय खाद्य निगम द्वारा अथवा अन्य किसी प्रकार से राज्य में सरकारी मूल्य से गेहूँ धान आदि खाद्यान्न किसानों से नहीं खरीद रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या राज्य सरकार खाद्यान्नों के सरकारी न्यूनतम दर से नीचे गिरते भावों को रोकने के लिये यह उचित नहीं मानती कि अपनी एजेन्सियों द्वारा सरकारी दर से खाद्यान्नों की खरीद करे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री शिवचरण माथुर): (1) खाद्य निगम द्वारा गेहूँ, धान एवं अन्य मोटे

(श्री शिवचरण माथुर)
अनाज की कीमत निर्धारित न्यूनतम दर से गिर जाने पर खरीद किये जाने हेतु व्यवस्था है।

(2) सरकार ने न्यूनतम दर से नीचे गिरते हुए भावों को रोकने के लिये ही खाद्य निगम द्वारा खरीद किये जाने की व्यवस्था की है।

श्री गुरदयाल सिंह संधु (करणपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि उन लोगों की फसल को, जिनकी कीमतें गिर रही हैं, सरकार खरीदने का फैसला क्यों नहीं करती ?

श्री शिवचरण माथुर : अलग-अलग जगहों पर गेहूं और धान खरीदे जाने की व्यवस्था की गई है।

श्री मूलचन्द सामरिया : यह व्यवस्था कहां कहां पर की गई है? क्या किसान वहां पर गेहूं या चावल बेच सकता है ?

श्री झाबरमल सुण्डा (फतेहपुर) : और आपने कितने लाख टन तक कहां कहां पर खरीदे जाने की व्यवस्था की है ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : क्या राज्य सरकार यह उचित नहीं समझती कि होलसेल के अनाज के ट्रेड को अपने हाथ में ले ले जिससे कि किसानों को राहत मिल सके।

श्री गुरदयाल सिंह सन्धु : कहां कहां से कितनी कितनी खरीद की गई है, यह बता सकते हैं ?

श्री शिवचरण माथुर : मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं, इसकी जानकारी मेरे पास है। कोटा से 2311 टन पेडी और बून्दी से 1330 टन और कुल मिलाकर 3752 टन पेडी की खरीद हुई है। उसके अलावा लेवी में है वह अलग है। वह कुल 32 हजार टन है। 2094 टन गेहूं खरीदा गया है। इसके अलावा मैं निवेदन कर दूं कि भारत सरकार की गेहूं की खरीद की नीति बहुत ही जल्दी तय होने वाली है। कल ही दिल्ली में हमारी बैठक बुलाई गई है और इस सम्बन्ध में आशा है कि एग्रीकल्चर कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार गेहूं की खरीद बड़े पैमाने पर हम लोग करेंगे। मिनिमम प्राइस एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन के द्वारा 105 रुपये क्विन्टल गेहूं की रखी गई है। मेरा अनुमान है कि 105 रुपये के भाव से निर्धारित मात्रा से काफी अधिक खरीदने से प्राइस स्टेबल रहेगी। आज भी सपोर्ट प्राइस पर खरीदने से मंडियों के अन्दर बिक्री के भाव कम हुए हैं। आज कोटा और बून्दी में जो प्राइस चल रही है वह 105 और 110 रुपये क्विन्टल के बीच में चल रही है। मैं समझता हूं कि सरकार की नीति का इम्पेक्ट होने वाला है। हम भाव नीचे के लेवल पर और ऊपर के लेवल पर स्थिर रखना चाहते हैं। ऊपर के लेवल को नहीं बढ़ने देना चाहते हैं और नीचे के लेवल पर प्राइस स्टेबिलाइज करना चाहते हैं। यह सरकार की नीति है।

श्री गुरदयाल सिंह संधु : मेरा प्रश्न था, पिछले दिनों जौ के भाव 35 रुपये और गेहूं के भाव 87 रुपये हो गये। आपने जो खरीद बतलायी है वह पुरानी बतलाई है जून के आस पास की। मैं पूछना चाहता हूं पिछले दो महीने के अन्दर क्या आपने कोई ऐसी

(श्री गुरदयालसिंह संधु)
खरीद की है ? और की है, तो कहां कहां, कितनी कितनी ?

श्री शिवचरण माथुर : मैंने यह निवेदन किया था···

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : 40 रुपये क्विन्टल बाजरे का भाव जालोर में चल रहा है और गेहूं का भाव 80 रुपये चल रहा है ? क्या यह सही है ?

श्री शिवचरण माथुर : बाजरे की खरीद का निर्णय राज्य सरकार और भारत सरकार ने नहीं किया है। मैं पहले निवेदन कर चुका हूं कि इस बार बाजरा काला होने के कारण डिस्ट्रब्यूशन में काम में लेना मुश्किल है। इसलिए नहीं खरीदा है। दूसरे कोर्स ग्रेन के लिए सारा भारत जोन है, और एक प्रदेश में ही बिकने का सवाल नहीं है। यह बन्धन नहीं है कि राजस्थान में ही बेचा जाय, जहां अच्छी प्राइस मिले वहां कोर्स ग्रेन जाता है। गेहूं का मैंने निवेदन किया, पिछले साल जो निर्धारित किया था लक्ष्य उससे अधिक अनाज खरीदा है। सपोर्ट प्राइस पर इतना खरीदा है, वह लेवी के बाद खरीदा है–इस बात का जिक्र किया है। अब कल निर्णय होने के बाद प्राइस स्टेबिलाइज हो जायगी। जहां तक 80 रुपये क्विन्टल के भाव का सवाल है, वह किसी वक्त रहा होगा। इस वक्त नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : भाव के लिए आप कैसे कह रहे हैं···

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : मैं जानकारी लेना चाहता हूं। गंगानगर मंडी में फूड कार्पोरेशन ने गेहूं खरीदा, वहां 90–92 के भाव चल रहे हैं। उन्होंने 105 में माल खरीद किया है। वह माल खरीदा उसमें किसानों को 5 रुपये प्रति बोरी कर्मचारी को देने पड़े। यह जानकारी मैं लेना चाहता हूँ, इसकी क्या आप जांच करायेंगे ?

श्री शिवचरण माथुर : यह अलग से प्रश्न है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह जांच कराने को कह रहे हैं।

श्री शिवचरण माथुर : आपकी सूचना के आधार पर जांच करा लूंगा।

श्री झाबरमल सुण्डा : लेवी में दो लाख टन अनाज खरीद रहे हैं। सपोर्ट प्राइस पर 2300 टन अनाज खरीदा। मैं पूछना चाहता हूं कि लेवी के अलावा, आपने भाषण में भी जिक्र किया, कितना रुपया सपोर्ट प्राइस पर कितना खरीदना तय किया है अब तक ?

श्री शिवचरण माथुर : रुपये की इसमें सीमा नहीं है। जितना अनाज आयेगा वह खरीदा जायगा। रुपये की क्यों घोषणा कराना चाहते हैं कि कितना रखा गया ? जितना आयेगा वह खरीदेंगे, कम से कम दो लाख टन खरीदेंगे।

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : इस चीज को बतलाइये, दो ढाई महीने में बाजरा, ग्वार, मोठ की फसल राजस्थान के ग्यारह बारह जिलों में बहुतायत से पैदा हुई है और किसान को एक तिहाई, एक चौथाई प्राइस मिल रही है। इसको रोकने के लिए आपने क्या किया है? इन इलाकों की तरफ क्या आपका ध्यान रहा है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : आपके साथ में क्यों शरीक होते हैं ?

श्री शिवचरण माथुर : राजस्थान में, सारे देश में जो पैदावार होती है उस सबको सरकार नहीं खरीद सकती है। मैंने निवेदन किया कि कोर्स ग्रेन को खरीदने का निर्णय नहीं लिया गया है क्योंकि कोर्स ग्रेन एक स्टेट में ही नहीं, दूसरी स्टेट में, राजस्थान के बाहर, जहां अच्छी प्राइस होती है, फ्लो करता है। सारे देश में फसल अच्छी होने के कारण भाव गिरे हैं, और जिन्सों में गिरावट आयी है, यह निश्चित बात है। गेहूं के मामले में, पेड़ी के मामले में, मक्की के मामले में हमने खरीद की है, उसकी आपको जानकारी दे दी। अब गेहूं की फसल आने वाली है बाजार में तो हम बड़े पैमाने पर खरीद करना चाहते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : प्रश्न यह है कि क्या आपकी जानकारी में है कि सटोरिये बहुत सक्रिय हो गये हैं और बढ़ा चढ़ा कर गिरे हुए भावों पर चाहे कोर्स ग्रेन हो, चाहे दूसरे ग्रेन हों, खरीद को घोषित कर रहे हैं? गंगानगर में 110 रुपये की कीमत है, लेकिन सटोरियों ने घोषित कर दी है 70, 80 रुपये क्विन्टल, जो कि वर्स्ट स्थिति है। क्या आपकी एजेन्सी ऐसी स्थिति में सक्रिय होकर अपनी खरीद, अपनी कीमत की घोषणा करके सटोरियों का मोरल डाउन नहीं करना चाहती ?

श्री शिवचरण माथुर : मैंने स्पष्ट निवेदन किया, सतर्कता, हिम्मत और हौंसले से अनाज की खरीद करेंगे। इतने बड़े पैमाने पर अनाज की खरीद होने पर सटोरिये प्ले कर सकते हैं–यह उम्मीद नहीं है। वह करें, प्ले, ऐसी बात होगी तो उसका मुकाबला करने के लिए सरकार सक्षम है। इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए।

प्रश्न संख्या 115

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री भीमसेन।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिए)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

श्री मोहर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय..

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री मोहर सिंह : आधे मिनिट का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। I have closed that.

श्री मोहरसिंह : किसानों के लिए यह काफी महत्व रखता है।

श्री उपाध्यक्ष : I have closed that.

श्री मोहर सिंह : आधे मिनिट का टाइम दिया जाय, उपाध्यक्ष महोदय।

(व्यवस्था-सूचक घण्टी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आधे मिनिट का प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : I have closed that.

श्री मोहरसिंह : थोड़ा सा समय लगेगा मामूली प्रश्न है...

श्री उपाध्यक्ष : I have closed that.

श्री मोहर सिंह : मुझे माननीय मंत्री के उत्तर से संतोष नहीं है। इसलिये आधे मिनिट का और टाइम दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : मैं अलाऊ नहीं करता। आप तशरीफ रखिये।

श्री मोहर सिंह : आखिर में मेरे साथ यह होगा, मैं समझ गया।

बाड़मेर जिले में भू-तल जल का सर्वेक्षण

116. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : क्या भूजल विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) राजस्थान में किन किन जिलों में भूतल जल प्राप्ति की दृष्टि से विस्तृत सर्वेक्षण किया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले में भूतल जल प्राप्ति की दृष्टि से विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया है ? यदि हां, तो अब कब विस्तृत सर्वेक्षण का कार्य हाथ में लिया जायेगा ?

(3) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले में सहायक अभियन्ता, भूतल जल विभाग का कार्यालय नहीं है? यदि हां, तो उक्त जिले की राज्य सरकार द्वारा क्यों उपेक्षा की जा रही है ? अब कब तक सहायक अभियन्ता का कार्यालय स्थापित कर दिया जावेगा ?

मंत्री, भू-तल जल विभाग (श्री चन्दनमल बैद) : (1) राजस्थान प्रान्त के किसी भी जिले में भूतल जल प्राप्ति की दृष्टि से विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(2) जी नहीं । बाड़मेर जिले की तीन पंचायत समितियों सिवाना, धोरीमाना तथा शिव का अर्द्ध विस्तृत भू-जल सर्वेक्षण कर लिया गया है । शेष चार पंचायत समितियां पंचभदरा, सिन्धरी, बाड़मेर तथा चौहटन का अर्द्ध विस्तृत भू-जल सर्वेक्षण वर्तमान वर्ष (1975–76) में किये जाने के आदेश दे दिये गये हैं । विस्तृत सर्वेक्षण का कार्य चालू वर्ष में शुरू करने के आदेश दे दिये गये हैं ?

(3) जी हां । बाडमेर जिले में पर्याप्त मात्रा में कार्य न होने के कारण सहायक अभियन्ता, भू-जल विभाग का कार्यालय स्थापित नहीं किया गया है ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह खुशी हुई कि यह तो मान लिया गया है कि बाड़मेर में विस्तृत सर्वेक्षण का कार्य शुरू कर दिया जायगा । मैं यह जानना चाहता हूं कि जब ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं में ट्यूब वैल्स बने हैं, ट्यूब वैल्स मेन्टेन करने के लिए कार्यालय होना आवश्यक है और डी.पी.ए.पी कार्यक्रम को सक्सेसफुल बनाने के लिए ट्यूब वैल्स खोदना आवश्यक है । इन सबके लिये असिस्टेन्ट इंजिनीयर कार्यालय होना आवश्यक है । क्या यह महसूस करते कि काम कम हो रहा है स्कीम का काम किया जा रहा है, ट्यूब वैल्स बाड़मेर में बनाने की स्कीम है उसका काम ढंग से नहीं हो रहा है । कार्य बहुत ज्यादा है तो असिस्टेन्ट इंजिनीयर का कार्यालय होना आवश्यक है–इस पर विचार करेंगे या नहीं ?

श्री चन्दनमल बैद : मुझे ताज्जुब है इस बात से, माननीय सदस्य यह कहते है, खर्च कम करना चाहिए । दूसरी तरफ वकालत करते हैं, नया आफिस खोलना चाहिए । सरकार यह महसूस कर रही है कि काम ठीक से चल रहा है तो माननीय सदस्य को वकालत करने की क्या जरूरत है कि नया दफ्तर खोलें और, स्टाफ रखें । जो स्टाफ है, वो काम हो रहा है वह ठीक है । डी.पी. ए.पी का काम होगा, डिस्ट्रिक्ट्स का डिटेल्ड सर्वे किया जाएगा–उस वक्त यह सोचने की बात है कि खोला जाना चाहिए या नहीं खोला जाना चाहिये । खोलने की जरूरत होगी तो खोला जायगा ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : इकानामी के नाम से यह नहीं कहता कि इकानामी न करें । इकानामी के नाम पर आवश्यक कार्य हैं, वह करें । आपका जो काम

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

चल रहा है, डिपार्टमेंट काम कर रहा है, बाड़मेर टाउन की रिवाइज्ड स्कीम है उसके अनुसार ट्यूब वैल्स नहीं बनाये हैं और स्कीम का काम सफर कर रहा है। जो ट्यूब वैल्स बनाने का कार्य होता है उसके लिए क्या वाटर विभाग का आफिस खोलने की जरूरत नहीं है ? उसके लिए पार्टी जाती है। जल प्रदाय विभाग ट्यूब वैल्स खोदता है और पी.एच.ई.डी. को हैंडोवर करता है जहां जहां ट्यूब वैल्स खोदे उसके लिए हमने ग्रामीण वाटर विभाग खोला है तो फिर हर गांव में आफिस खोला जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न-काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

टोडाभीम नगरपालिका क्षेत्र के अन्तर्गत ग्रामों में मकान बनाने की स्वीकृति

106. श्री चेतराम (टोडाभीम): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि नगरपालिका टोडाभीम, जिला सवाई माधोपुर, क्षेत्र में रंगलाल का पुरा, हौद का पुरा, बड़ापुरा, बाल का पुरा, आदि ग्रामों में कुछ व्यक्तियों को पक्के व कच्चे मकान बनाने की जगहों पर नजराना के रूप में प्रति अधिक धन राशि जमा कराने के आदेश दिये हैं ? यदि हां, तो कितने आदमियों को तथा उसमें अनुसूचित जन जातियों के कितने व्यक्ति हैं तथा अन्य कितने हैं ?

(2) क्या यह सच है कि ये मकानात आदि नगरपालिका बनने से पूर्व के बने हुए हैं ? यदि हां, तो कितने पूर्व के हैं तथा कितने बाद के हैं ? नगरपालिका बनने के पश्चात् कितने व्यक्तियों ने मकान आदि बनाने की स्वीकृति ली है तथा नगरपालिका ने कितने पट्टे दिये हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार आदिवासियों को दिये गये नोटिसेज को वापिस लेकर आदिवासियों को राहत पहुंचायेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) यह बताना कठिन है कि ये मकानात नगरपालिका बनने के पूर्व के हैं या बाद के बने हुए हैं। तामीर इजाजत के संबंध में नगरपालिका द्वारा समय समय पर तामीर की स्वीकृतियां दी हैं और यदि किसी ने बिना इजाजत निर्माण करना प्रारम्भ कर दिया है नियमानुसार नोटिस जारी कर उनके विरुद्ध कार्यवाही की गई है। इस प्रश्न के संबंध में माननीय राजस्व महोदय जी ने दिनांक 13–3–76 को ऐसे ही प्रश्न का उत्तर में विस्तार उत्तर दिया था।

(3) भाग (1) में दिये गए उत्तर के सन्दर्भ में प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

ऊन की सरकारी खरीद

108. श्री राम सिंह कुड़ी (जायल): क्या भेड़ व ऊन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में 1975–76 में किस किस जिले में कितनी कितनी भेड़ें व बकरियां बाढ़ से, बीमारी से व कुदरती मौत से मरीं ?

(2) राज्य में वर्ष 1975–76 में प्रत्येक जिले में भेड़ों की दवाइयों पर व संस्थापन पर कितना कितना व्यय हुआ है ?

Page No 24

(24)

(श्री रामसिंह कुड़ी)

(3) राज्य में वर्ष 1975–76 में प्रत्येक मास में ऊन के भावों में कितना कितना उतार चढ़ाव आया ?

(4) सरकार द्वारा कितनी कितनी ऊन किस किस जिले में किस किस भाव से वर्ष 1975–76 में खरीदी गई है एवं कितनी कितनी ऊन किस किस माह में स्टाक में रही है ?

उत्तर

(1) सूचना तालिका 'अ' में संलग्न है ।

(2) तालिका 'ब' में संलग्न है ।

(3) तालिका 'स' में संकलित है ।

(4) तालिका 'क' और 'ख' में सूचना संलग्न है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ब्यावर के श्रमिकों के लिए दवाइयों की व्यवस्था

109. श्री केशरीमल (ब्यावर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ब्यवार के श्रमिकों को नवम्बर 75 से लेकर अभी फरवरी मध्य तक ई. एस. आई. शफाखानों से विशेषज्ञों द्वारा लिखी गई दवायें नहीं दी जा रही हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि आम तौर पर श्रमिकों को बाजार से दवा खरीद कर लाने के लिए मजबूर किया जा रहा है ? क्या ऐसी ही व्यवस्था अन्य औद्योगिक केन्द्रों पर भी है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि श्रमिक ई.एस.आई. का चन्दा देने के बाद विशेषज्ञों द्वारा लिखी गई दवा अपने पैसे से खरीदने में असमर्थ हैं और इसकी वजह से वे वगैर दवा के रह जाते हैं ?

(4) इस अव्यवस्था के लिए कौन जिम्मेदार है तथा इस अव्यवस्था को ठीक क्यों नहीं किया जाता ? क्या अब ऐसी व्यवस्था की जायेगी कि जिससे ऐसी परिस्थिति फिर न आये ?

उत्तर

(1) जी नहीं । विशेषज्ञों द्वारा लिखी गई समस्त दवाइयां (टानिक्स को छोड़कर) निम्न प्रकार से सभी सीमित व्यक्तियों को उपलब्ध कराई गई:—

1. डिस्पेन्सरी के स्टोर से

2. अधिकृत औषधि विक्रेता से खरीद कर ।

3. उक्त दोनों ईकाइयों द्वारा उपलब्ध न कराने पर सीमित व्यक्तियों को स्वयं खरीद लेने की स्वीकृति देकर ।

अधिकृत औषधि विक्रेता का वार्षिक ठेका (कान्ट्रेक्ट) माह अक्टूबर 75 में समाप्त हो गया जिसे 31–12–75 तक बढ़ा दिया गया था । ठेका (कान्ट्रेक्ट) नया नहीं दिया जा सका क्योंकि कोई भी दवा विक्रेता अधिकृत विक्रेता बनने को राजी नहीं है । पुराने ठेकेदार (कान्ट्रेक्टर) ने दवाइयां देना बन्द कर दिया । इस कारण

(श्रम मंत्री)
समस्त घोषित व्यक्तियों को दवाइयां बाजार से खरीद कर लाने तथा रिएम्बर्समेंट लेने को स्वीकृति दे दी गई।

(2) जी हां ऐसी व्यवस्था निम्न औद्योगिक केन्द्रों पर की है :

भरतपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, भवानीमण्डी, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, इन स्थानों पर कोई भी दवा विक्रेता अधिकृत विक्रेता नहीं बनना चाहता है।

(3) वित्तीय वर्ष में कुल रिएम्बर्समेन्ट को देखते हुए यह कहना कठिन है कि पैसे की असमर्थता के कारण कोई भी घोषित व्यक्ति दवाई से वंचित रह जाता है न ऐसी कोई भी शिकायत किसी भी घोषित व्यक्ति ने आज तक की है।

(4) प्रश्न नहीं उठता। रोगियों द्वारा भी बाजार से दवाइयां स्वयं लाकर रिए-म्बर्समेन्ट करवाना योजना की एक स्वीकृत व्यवस्था है ?

पाली जिले में सीलिंग से अधिक भूमि के मामले

110 श्री मोहनराज (पाली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिलाधीश पाली ने पाली जिले के कतिपय ग्रामों में कुछ लोगों के पास सीलिंग से अधिक भूमि होने की शिकायत होने पर मौके पर जांच करवाई है ? यदि हां, तो कितने मामले ऐसे प्रकट हुए जिनके पास बेनामी बेचान अथवा अन्य प्रकार से अधिक भूमि कब्जे काश्त में है ? व्यक्तिवार आंकड़े व विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य सरकार ने इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) हां, यह सही है। जांच करने पर 11 बेनामी बेचान अथवा अन्य प्रकार से निर्धारित सीमा से अधिक भूमि होने के मामले सामने आये हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी है। व्यक्तिवार निर्धारित सीमा से अधिक भूमि के आंकड़े सीलिंग में प्रकरण निर्णित होने पर ही दिये जा सकते हैं।

(2) इस प्रश्न का उत्तर जिलाधीश पाली से प्राप्त होने पर ही ये मामले राज्य सरकार के सामने आये हैं। अतः पूर्व में कार्यवाही करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

जयपुर नगर परिषद द्वारा बाजारों में रोशनी की व्यवस्था

113. श्री गिरधारीलाल भार्गव : (जौहरी बाजार जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जयपुर नगर परिषद द्वारा शहर के प्रमुख बाजारों में रोशनी व्यवस्था का कार्य कब तक पूरा कर दिया जावेगा तथा अभी तक कौन कौन से बाजारों में यह कार्य पूरा हो चुका है ?

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

(2) क्या शहर की चौपड़ों को भी सुन्दर बना कर भी इन पर आधुनिक रोशनी व्यवस्था करने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक, और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) क्या नगर के अन्य प्रमुख भवनों पर भी रोशनी व्यवस्था स्थाई रूप से करने की योजना है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या राजस्थान विधान सभा के प्रमुख द्वार के सम्मुख जलेबी चौक का विकास करके उसे भी रोशनी व्यवस्था में शामिल करने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) नगर परिषद् जयपुर द्वारा नगर के प्रमुख बाजारों में रोशनी की व्यवस्था हेतु राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को 4,57,815 रुपये की राशि अग्रिम भेज दी गई है व चांदपोल, किशनपोल, त्रिपोलिया, सिरहड्योढी बाजार में कार्य करीब करीब पूर्ण हो चुका है। बाकी बाजारों में कार्य शीघ्रता से हो रहा है।

(2) शहर की चौपड़ों को सुन्दर बनाकर आधुनिक रोशनी व्यवस्था पर विचार है तथा रामगंज चौपड़ का विकास कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। शेष की रोशनी व्यवस्था हेतु विद्युत मण्डल से अनुमानित व्यय की जानकारी मांगी जा रही है।

(3) नगर परिषद् की इस प्रकार की कोई योजना नहीं है।

(4) इस प्रकार की कोई योजना नहीं है।

राजस्थान नहर क्षेत्र में मंडियों का निर्माण

115. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि राजस्थान नहर क्षेत्र में मंडियों के निर्माण के लिए राज्य सरकार की ओर से एक निगम की स्थापना करने के लिये आश्वासन दिया गया था ? अगर हां, तो इस निगम की स्थापना में विलम्ब क्यों हो रहा है ?

उत्तर

जी हां। मामला अभी तक राज्य सरकार के विचाराधीन है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

मार्गों का राष्ट्रीयकरण

33. **श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा** (फागी): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में 1976-77 में कितने मार्गों का राष्ट्रीयकरण किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में 1976-77 में कितने मार्गों का राष्ट्रीयकरण किया जावेगा ?

उत्तर

(1) राज्य में वर्ष 1975-76 में 13 योजनाओं के अन्तर्गत 20 मार्गों का राष्ट्रीयकरण किया गया है जिसकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(यातायात मंत्री)

(2) वर्ष 1976-77 में लगभग 60 मार्गों के राष्ट्रीयकरण किये जाने की योजना है।

(सूची प्राप्त नहीं हुई)

आयकर देने वाले डाक्टरों की सूची

34. श्री बनवारीलाल (धोलपुर) :

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या राज्य सरकार ने आयकर देने वाले राजकीय डाक्टरों की सूची तैयार की थी ? यदि हां, तो कब और किस आदेश के अनुसार ? कृपया आयकर देने वाले डाक्टरों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। इस प्रकार की कोई सूची तैयार नहीं की गई। शेष प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता।

35. श्री बेगाराम चौहान (रायसिंहनगर): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पदमपुर से रिडमलसर मण्डी केवल एक बस शाम को जाती है और सुबह रिडमलसर मण्डी से पदमपुर जाती है ?

(2) क्या यह सही है कि इस मार्ग पर एक ही बस चलने से इस क्षेत्र के यात्रियों को अत्यन्त असुविधा होती है ?

(3) क्या राज्य सरकार इस रूट पर अतिरिक्त बस सेवा उपलब्ध कराने हेतु सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी ?

(4) क्या यह सही है कि 9-1-76 को रिडमलसर से पदमपुर जाने वाली बस नं. आर.जे के. 3195 में एक गर्भवती हरिजन महिला को बस में बैठने का स्थान नहीं मिला और उसे बस में प्रसव हो जाने के कारण अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ा ?

उत्तर

(1) पदमपुर से रिडमलसर मार्ग पर दो बसों के अनुज्ञा-पत्र दिये हुये हैं। पदमपुर से एक बस सुबह जाती है एवं एक बस शाम को जाती है तथा एक बस रिडमलसर से सुबह आती है।

(2) इस मार्ग पर बस सेवा की असुविधा के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। इस मार्ग पर पहिले एक बस थी। दिनांक 16-2-76 से एक बस का अनुज्ञा-पत्र और दे दिया गया है। दोनों बसें मार्ग पर चल रही हैं एवं बस सेवा की असुविधा के बारे में कोई शिकायत नहीं है।

(3) उपरोक्त उत्तर नं. (2) में बताये अनुसार पहिले इस मार्ग पर एक बस थी तथा दिनांक 16-2-76 से एक बस का परमिट और दे दिये जाने के कारण अब दो बसें इस मार्ग पर चल रही हैं। अतः और बसें बढ़ाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। रिडमलसर से एक ट्रिप और बढ़ाने की कार्यवाही स्थानीय मांग होने पर कर दी जावेगी।

(4) इस बारे में कोई शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

श्रम विभाग में अनुसूचित जाति व जनजाति के कर्मचारी

36. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) श्रम विभाग में अनुसूचित जाति व जन जाति के कितने प्रतिशत व्यक्ति सेवारत हैं ? श्रेणीवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अनुसूचित जाति व जनजाति के कर्मचारियों में से कितनों की पदोन्नति व अवनति की गई ? सूची मय कारणों के सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। पदों को पदोन्नति द्वारा भरे जाने के लिये व जनजाति अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के लिये स्थान सुरक्षित रखे जाने के आदेशों के पश्चात् अभी तक विभाग में किसी प्रकार की पदोन्नति नहीं हुई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

दौसा अस्पताल की एक्स-रे-मशीन

37. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि दौसा अस्पताल में एक एक्स-रे की मशीन बेकार पड़ी हुई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) उक्त मशीन सर्व प्रथम कब, कितने में व किसके द्वारा खरीदी गई ?

(3) क्या उक्त मशीन चालू की जावेगी ? यदि हां, तो कब ? और नहीं तो क्यों ?

(4) दौसा अस्पताल में कुल कितनी और क्या क्या मशीनें हैं ? उनमें से कितनी काम में आ रही हैं और कौन कौन सी बन्द पड़ी हैं ? मशीनें बन्द पड़ी रहने का क्या कारण है तथा इन्हें कब से चालू किया जा सकेगा ?

(5) क्या दौसा अस्पताल में टेलीफोन की व्यवस्था भी थी ? यदि हां, तो वह कब तक रही ?

(6) क्या सरकार इस सुविधा को पुन: उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब से ?

उत्तर

(1) जी हां। मशीन 24-2-76 से खराब है।

(2) यह मशीन वर्ष 1964 में नगर पालिका के दान से रु. 17000 में खरीदी गई थी।

(3) जी हां। एस्कोट कम्पनी देहली को दिनांक 26-2-76 को इसकी मरम्मत के लिये लिखा जा चुका है।

(4) इस अस्पताल में दो मशीनें क्रमश:

1. सैक्शन

Page No 29

(29)

(चिकित्सा मंत्री)

2. रेफ्रीजेटर है। इनमें से केवल रेफ्रीजेटर खराब हो गया है जिसे ठीक कराने की कार्यवाही की जा रही है।

(5) जी हां। अप्रेल 1975 तक यह सुविधा जन सहयोग से उपलब्ध थी।

(6) जी हां। किन्तु सीमित आर्थिक साधनों के कारण जन सहयोग से ही यह सुविधा उपलब्ध कराना सम्भव हो सकेगा।

कोटा के संस्थानों में श्रमिकों की सेवा मुक्ति

38. श्री केशरीमल (ब्यावर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या श्रम विभाग राजस्थान ने छोटे उद्योगों तथा वाणिज्य संस्थान में काम करने वाले श्रमिकों के सेवा-मुक्ति के विवाद लेबर कोर्ट में भेजने पर पाबन्दी लगा दी है? यदि हां, तो कब से तथा किस कानून के तहत सिनेमा होटल आदि संस्थानों के श्रमिकों को औद्योगिक विवाद अधिनियम के लाभ से वंचित रखा जा रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि जे.के. संस्थान कोटा से 26 जून, 75 के बाद 50 श्रमिकों को सेवा से अचानक मुक्त किया गया और बाद में आरोप लगाये गये ? तथा कई पुराने श्रमिकों को जबरन हिसाब लेने को विवश किया और जिन्होंने हिसाब नहीं लिया उन पर दोषारोपण करके अपूर्ण जांच ही सेवा से पृथक् कर दिया ?

(3) क्या यह सही है कि गोपाल इण्डस्ट्री कोटा से 1-1-76 से कई श्रमिकों को छंटनी का नोटिस दिया गया और अब छंटनी का डर दिखाकर श्रमिकों से मनमाफिक इकरार कराये जा रहे हैं ? यदि हां, तो लेआफ तथा छंटनी को रोकने हेतु विभाग ने क्या कदम उठाये हैं ?

(4) क्या यह भी सही है कि नगर परिषद् कोटा द्वारा दिनांक 15-2-75 को श्रम विभाग के माध्यम से किये गये समझौते का उल्लंघन किया जा रहा है और श्रम कल्याण अधिकारी कोटा के समक्ष समझौते पर अमल कराने का प्रार्थना-पत्र दिया था ? यदि हां, तो श्रम विभाग ने अब तक क्या कार्यवाही की है ? क्या यह सही है कि नगर परिषद् कोटा से श्रमिकों को सेवा-मुक्त किया जाकर नई भर्ती की जा रही है ? यदि हां, तो उसे रोकने हेतु श्रम विभाग क्या कर रहा है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं, संस्थान में 44 श्रमिकों को विभिन्न आरोपों के कारण निलम्बित किया गया था जिनमें से जांच समाप्त होने पर 8 को कार्य पर रख लिया व बाकी को सेवा से पृथक् कर दिया गया। सेवा से पृथक् किए गए श्रमिकों में से 23 ने नियोजक से आपसी समझौता करके त्याग पत्र दे दिया व मुआवजे की राशि प्राप्त कर ली। शेष 13 श्रमिकों के विवाद औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33 (2) (बी) के अन्तर्गत औद्योगिक न्यायालय में स्वीकृति के लिये विचाराधीन हैं।

(3) जी नहीं। क्षेत्रीय उप श्रम आयुक्त, कोटा ने अपने स्तर पर सम्बन्धित पक्षों को विवाद में वार्ता हेतु बुलाया है।

(श्रम मंत्री)

(4) नगर परिषद् कोटा में पंचायत सलेक्शन कमीशन द्वारा जो श्रमिक सेवा के लिए नहीं चुने गये हैं उन्हीं में से 2 श्रमिकों को सेवा से पृथक् किया गया है।

दांतील (कोटपूतली) की जल प्रदाय योजना

39. श्री सुरेशचन्द्र शर्मा (कोटपूतली): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटपूतली तहसील की दांतील जल प्रदाय योजना की स्वीकृति के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(2) क्या यह सही है कि काफी अर्से से विचाराधीन इस योजना पर अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ है ? यदि हां, तो कब कार्य शुरू कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) कोटपूतली तहसील की दांतील जल प्रदाय योजना की स्वीकृति दिनांक 2-3-76 को की जा चुकी है।

(2) योजना पर इस वित्तीय वर्ष (75–76) में 50,000 रु. की धन राशि का आवंटन किया जा चुका है एवं कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है।

ए. पी. पी. श्री गंगानगर की सेवायें

40. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि आबकारी विभाग में सन् 1972 से कुछ ए. पी. पी. कार्य कर रहे थे ? क्या यह भी सत्य है कि उनमें एक श्री मनोहर लाल ए. पी. पी. गंगानगर जिले में कार्य कर रहे थे ? अगर हां, तो वे कितने वर्षों से कार्य कर रहे थे ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि अब सरकार ने उनकी सेवायें खत्म करने का निर्णय ले लिया है ? अगर हां, तो कब से एवं क्यों ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि श्री मनोहरलाल ए. पी. पी. गंगानगर बीमारी के कारण विभागीय परीक्षा में नहीं बैठ पाये थे इसलिये नौकरी से निकालने के पूर्व उनको एक मौका विभागीय परीक्षा में बैठने का देना इन्साफन जरूरी है ? अगर हां, तो उनको वह मौका कब तक दे दिया जायगा एवं सेवाएं खत्म करने का निर्णय सरकार वापिस कब तक लेना उचित समझेगी ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सत्य है कि जनवरी, 1972 में अभियोजक निरीक्षकों की नियुक्ति की गई थी। इनमें से श्री मनोहर लाल को चूरू में नियुक्त किया था। ये तारीख 25-8-73 से गंगानगर में कार्य कर रहे हैं।

(2) जी हां। राजस्थान अधीनस्थ सेवा नियम के नियम 22 के अनुसार इन्हें परीक्षा काल में विभागीय परीक्षा पास करनी थी। इन्हें इस परीवेक्षण काल में सन् 1972, 1973 और 1974 में विभागीय परीक्षा में बैठने का अवसर दिया गया। प्रथम दो परीक्षाओं में ये असफल रहे और तीसरी परीक्षा में बैठे ही नहीं। इनकी सेवायें समाप्त

Page No 31

(आबकारी मंत्री)
करने के सम्बन्ध में नियमानुसार एक माह का नोटिस दिया जा चुका है।

(3) मामला विचाराधीन है।

राज्य सरकार की बकाया वसूली

41. श्री जयकिशन लाल तोसावडा (फागी) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार की कुल बकाया राशि दिसम्बर, 1975 तक कितनी थी ? विभागवाइज सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इस बकाया की वसूली के बारे में राज्य सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं।

उत्तर

(1) राज्य के 10 विभागों (सूची संलग्न) से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार माह सितम्बर के अन्त तक राजस्व की बकाया राशि 3517—33 लाख रुपये थी। तथा ऋण की बकाया राशि 2534—82 लाख रुपये थी। अतः कुल बकाया राशि 6052—15 लाख रुपये थी। बकाया राशि की विभागवार सूची संलग्न है।

(2) बकाया राशि की वसूली के लिये ठोस प्रयास करने हेतु विभागाध्यक्षों को सजग कर दिया गया है। वसूली में प्रगति लाने हेतु क्षेत्रीय बैठकें आयोजित की जाती हैं। एवं विशेष अभियान चलायें जा रहे हैं। जिन विभागों की ओर बकाया राशि अत्यधिक है उनके प्रतिनिधियों को बुलाकर इस सम्बन्ध में विचार विमर्श भी किया जा रहा है तथा वसूली में तीव्रता लाने हेतु सुझाव दिये गये हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

दी बाडमेर सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि. बाडमेर द्वारा ऋण वितरण

42. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दी बाड़मेर सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड बाड़मेर को 74-75 एवं 75-76 में खरीफ एवं रबी फसल पर ऋण वितरण का कितना कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया ? आवंटित लक्ष्यों के अनुसार कितनी पूर्ति की गई ?

(2) वर्ष 74-75 एवं 75-76 में किन किन सहकारी समितियों को कितना कितना ऋण वितरण किया गया ? सहकारी समितियों के नाम मय राशि दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) ऋण वितरण के दौरान कमजोर वर्ग के कितने लोगों को ऋण वितरण किया गया ? और इसका क्या प्रतिशत रहा ?

(4) वर्ष 75-76 में कितनी कमजोर वर्ग की सदस्यता में वृद्धि हुई है तथा उनको कितना कितना ऋण बैंक द्वारा उपलब्ध कराया गया है ?

(स्थगित किया गया)

सिरोही सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक में अनुसूचित जाति व जनजाति के कर्मचारी

43. श्री जेठमल आर्य (बरखड़): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक व भूमि विकास बैंक के कर्मचारियों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के कोई कर्मचारी नहीं हैं? यदि हां, तो वर्तमान में दोनों बैंकों में कौन कौन कर्मचारी किस किस जाति के व किस ग्रेड में हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

सिरोही सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक व भूमि विकास बैंक में इस समय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति का कोई कर्मचारी नहीं है।

वर्तमान में उक्त दोनों बैंकों में कार्यरत कर्मचारियों का वाँछित विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

श्री गंगानगर की नगरपालिकाओं द्वारा चुंगी-कर की वसूली

44. श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(क) श्री गंगानगर जिले की नगरपालिकाओं की अलग 2 कितनी 2 आय है? इस आय में चुंगी तथा रेल यात्रियों से प्राप्त नगरपालिका कर कितना है? और दूसरे कौन 2 से करों से कितनी 2 आय है?

(ख) उक्त जिले में खाद, कृषि यंत्रों, ट्रेक्टरों, अनाज, सब्जियों और दूसरी अन्य कृषि उपज जैसे कपास, मूंगफली, आलू आदि पर कितना 2 चुंगी कर वसूल किया जा रहा है? प्रत्येक नगरपालिका के आंकड़े अलग 2 दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(क) श्री गंगानगर जिले की नगरपालिकाओं की पृथक् पृथक् आय का विवरण संलग्न है।

(ख) जिन नगरपालिकाओं से खाद, ट्रेक्टर, कृषि यंत्रों, अनाज आदि पर जो चुंगियां वसूल की जा रही हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। जिन नगरपालिकाओं की सूचना प्राप्त नहीं हुई है उनकी प्राप्त होने पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

झालरापाटन लघु सिंचाई परियोजना का कार्य

45. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) झालरापाटन लघु सिंचाई परियोजना का कार्य कब से शुरू हुआ, कितने साल में यह कार्य पूरा होना है और कितनी धनराशि इस योजना में लगनी है?

(2) अब तक कितना रुपया इस योजना के लिये दिया जा चुका है?

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

(3) 31 दिसम्बर, 75 तक ऐसे किन किन व्यक्तियों को कितने 2 रुपये मंजूर हुए जिनमें एक एक किश्त दे दी गई। कृपया नाम, वल्दियत, ग्राम व रकम की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) 31 दिसम्बर, 75 तक ऐसे कौन 2 से व्यक्ति हैं जिनका रुपया तो मंजूर हो गया है परन्तु एक भी किश्त नहीं दी गई? कृपया ऐसे व्यक्तियों के नाम, ग्राम, रकम तथा मंजूरी की तारीख सहित सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(5) ऐसे आवेदन-पत्र, जो 31 दिसम्बर 75 तक विचाराधीन पड़े हुए हैं, किन 2 के तथा कितनी 2 रकम के हैं? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(स्थगित किया गया)

सहकारी डेयरी समितियों का गठन

46. श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल, जयपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान में प्रस्तावित डेयरी योजना के तहत कुल कितनी सहकारी डेयरी समितियां गठित की गयी है और कुल कितनी समितियां गठित करने की योजना है? अभी तक गठित समितियों की जिले अनुसार सदस्य संख्या दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत की जावे।

(2) राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक सहकारी डेयरी समितियों को क्या सहायता प्रदान की जावेगी?

उत्तर

(1) अब तक कुल 699 दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का गठन किया जा चुका है। पंचम पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कुल 2000 दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां गठित करने का लक्ष्य है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के लिए आवश्यक उपकरण क्रय करने व 2 वर्ष तक समिति के घाटे पूर्ति हेतु आवश्यक राजकीय सहायता देने का प्रावधान है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

पंचायत समिति पदमपुर को दिया गया गेहूं का फाउन्डेशन सीड

47. श्री गुरदयालसिंह सन्धु (करणपुर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सच है कि पंचायत समिति पदमपुर में गेहूं का जो फाउन्डेशन सीड इस वर्ष राज्य सरकार द्वारा दिया गया था वह दिसम्बर 1975 में मिला जब कि गेहूं की बुआई का समय समाप्त हो चुका था? यदि हां, तो इस देरी का क्या कारण है? और क्या सरकार भविष्य में समय पर बीज देने का प्रबन्ध करेगी?

उत्तर

जी नहीं। जिला कृषि अधिकारी श्रीगंगानगर ने गेहूं का फाउन्डेशन बीज दिनांक 12-11-75 को पंचायत समिति पदमपुर को बीज उत्पादन हेतु वितरण के लिए दे दिया था। पंजीकृत उत्पादकों ने अपनी सुविधा अनुसार फाउन्डेशन बीज विकास अधिकारी, पदमपुर से प्राप्त कर बोया है।

राज्य में कृषि बीमा योजना

48. श्री गिरधारी लाल भार्गव (हवा-महल, जयपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में कुल कृषि योग्य भूमि कितनी है ?

(2) क्या यह सही है कि अन्य प्रदेशों की तुलना में राजस्थान राज्य में कृषि योग्य भूमि कम है ? राज्य के किसानों के अनुपात में प्रति व्यक्ति कितनी है ?

(3) क्या राज्य सरकार ने छोटे किसानों और उन लोगों, जिन्हें भू-आवंटन किया गया है, के लिए कृषि उपज बढ़ाने के तरीके, खेती के उपकरण, खाद, बैल और कर्जे व सहायता आदि की व्यवस्थाएं कर दी हैं ?

(4) क्या राज्य में कृषि बीमा योजना प्रारम्भ किए जाने की योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) राजस्थान में कुल कृषि योग्य भूमि 250 लाख हैक्टर है।

(2) जी नहीं। अन्य प्रदेशों की तुलना में राजस्थान में कृषि योग्य भूमि अधिक है। राज्य में प्रति किसान औसतन करीब 5.45 हैक्टर कृषि योग्य भूमि है।

(3) जी हां। कृषि उपज बढ़ाने के साधनों की उपलब्धि कृषकों को कराने के बहुत प्रयास योजना काल में किये गये हैं।

(4) जनरल लाइफ इन्शोरेन्स कार्पोरेशन के द्वारा प्रस्थापित एक योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है।

गांव चाडाबिया, केलवाडा (तहसील शाहबाद) में माफी मन्दिर श्री नाथजी की भूमि का मामला

49. श्री गुरदयाल सिंह सन्धु (करणपुर): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) गांव चाडाबिया, केलवाड़ा आदि तहसील शाहबाद, जिला कोटा में रघुवीरसिंह पुत्र चरणसिंह, सेवाराम पुत्र तेजाराम, रामलाल पुत्र भोलाराम तथा स्वर्णसिंह के परिवारों के कब्जे में कितनी–कितनी भूमि है और कब से है तथा उसमें से माफी मन्दिर श्री नाथजी की कितनी-कितनी भूमि है ?

(2) रघुवीरसिंह पुत्र चरणसिंह द्वारा कितनी माफी की भूमि के दूसरी भूमि के मुखत्यारनामे झूंठे बनाकर बेचान किया गया और कितनी रकम प्राप्त की गई ? और आज तक इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) केलवाड़ा ग्राम में सेवारान एवं रामलाल खातेदारान के नाम 5 किला भूमि है जिसका रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा है। इस गांव में रघुवीरसिंह के खाते में रिकार्ड के अनुसार कोई भूमि नहीं है।

केलवाड़ा में माफी मन्दिर श्री नाथजी की भूमि 84 बीघा 12 बिस्वा है, उसमें से 1955 के बन्दोबस्त के समय 61 बीघा

(देवस्थान मंत्री)
बिस्वा भूमि अन्य लोगों के खातों में दर्ज हो गई। इसमें से 18 बीघा 17 बिस्वा भूमि सेवाराम तथा रामलाल के खातों में दर्ज हुई।

ग्राम चाडाविया में इन लोगों के नाम कोई भूमि नहीं है। पूर्व में अतिक्रमण था, जिसे अक्टूबर-नवम्बर, 1975 में हटा दिया गया। केवल रघुवीरसिंह का कब्जा 60 बीघा वन भूमि पर था इसके बाबत राजस्व मंडल का स्टे था, जिससे कब्जा राजस्व अधिकारियों ने नहीं हटाया। परन्तु ऐसी जानकारी मिली है कि वन विभाग ने इस नाजायज कब्जे को अब हटा दिया है।

जहां तक स्वर्णसिंह का सम्बन्ध है, ग्राम पेमावंदा में स्वर्णसिंह एवं गुरुमुखसिंह पुत्र उधमसिंह एवं हरिसिंह पुत्र बूटासिंह के शामलाती खाते में 12 बीघा 19 बिस्वा भूमि है। ग्राम छिछरानी में स्वर्णसिंह एवं जनरैलसिंह पुत्र उधमसिंह के शामलाती खाते में 52 बीघा 12 बिस्वा जमीन है।

(2) रघुवीरसिंह द्वारा अजायब कौर एवं सुरजीत कौर पुत्री नन्दीसिंह की ओर से जरिये मुखत्यारनामा खाता नं. 5 शामलाती के कुल रकबा 29 बीघा 4 बिस्वा में से 1/4 यानि 7 बीघा 6 बिस्वा भूमि का एवं खाता नं. 6 में से कुल रकबा 45 बीघा 4 बिस्वा में से आधा हिस्सा अर्थात् 22 बीघा 12 बिस्वा, इस प्रकार कुल 29 बीघा 18 बिस्वा, जिस पर रघुवीरसिंह काबिज था, उसका बेचान किया गया है। यह बेचान 29 हजार रुपये में किया गया था। इनके अलावा मुखत्यारनामे पर अन्य भूमि का बेचान नहीं हुआ। झूठा मुखत्यारनामा बनाने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। अतः कोई कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री गंगानगर में गुरुद्वारे की भूमि

50. श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) जिला श्री गंगानगर में कितने सिखों के गुरुद्वारों की भूमि की खातेदारी गुरुद्वारों को दी जा चुकी है और कितनों को दी जानी अभी बाकी है और आज तक न दिये जाने का क्या कारण है ?

(2) क्या यह सच है कि सिखों के गुरुद्वारों की भूमि स्थाई व अस्थाई दूसरे अन्य लोगों को आवंटित की जा रही है ?

(3) क्या यह सच है कि चक 20 आर. बी. में गुरुद्वारे की भूमि का आवंटन किसी श्री बुद्धराम नामक व्यक्ति को कर दिया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(स्थगित किया गया)

जयपुर जिले में खनिज सर्वे

51. श्री सुरेशचन्द्र शर्मा (कोटपूतली): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) जयपुर जिले में किस किस तहसील में किस गांव में क्या क्या खनिज सम्पदा सर्वे रिपोर्ट के आधार पर पाई जाती है ?

(2) क्या यह सही है कि काफी खनिज क्षेत्र के खनन करने की लीज नहीं दिये जाने से राज्य सरकार को हानि हो रही है ? यदि हां, तो लीज क्यों नहीं दी जा रही है ?

(खनिज मंत्री)

उत्तर

(1) खनिजों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) केवल कुछ भारतीय भू-सर्वेक्षण द्वारा आरक्षित क्षेत्र में ही खनन पट्टे नहीं दिये हुये हैं चूंकि उन क्षेत्रों में खनिज सम्पदा सुरक्षित है। वैसे जनता एवं मजदूरों की सुविधा हेतु बजरी के लिये अल्पावधि परमिट दिए हुए हैं जिससे राजस्व की हानि नहीं हो रही है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

अनुदान की मांगे

मांग सं. 5, 16, 41 व 42 का उपस्थापन

श्री उपाध्यक्ष : अनुदान की मांगें।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (राज्य मंत्री गृह): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 5 के संबंध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,57,74 000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाए।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 16 के संबंध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को 22,11,69,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 41 के संबंध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,87,55,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 42 के संबंध में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 48,60,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

मांग संख्या 5, 16, 41 व 42 पर कटौती प्रस्ताव

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर)

श्री बनवारीलाल (धौलपुर): (1) मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 253—जिला प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बढ़ीक कर्मचारियों को समय पर अन्य विभागों में नियुक्त कराने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

2. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक—255 पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

3. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (यातायात पुलिस की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये)।

4. मांग संख्या 16 मुख्य शीर्षक 255—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रत्येक थानों पर एक एक जीप तफतीश हेतु उपलब्ध कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री अजीतसिंह (टोंक): (5) मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 265-अन्य प्रशासनिक सेवाओं के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पूल की जीप गाड़ियों के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये)।

6. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस अफसरों ने लाटरी के टिकिट बेचना जारी कर रखा है, इस पर चर्चा के लिये)।

7. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टोंक शहर यातायात व कोतवाली में सिपाही बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

8. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के प्रयास किया जावे, इस पर चर्चा के लिये)।

9. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टोंक चमड़ा उद्योग में चमड़े की किस्म सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

10. मांग संख्या 42 मुख्य शीर्षक 321-ग्राम और लघु उद्योग के लिए ऋण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टोंक में लघु औद्योगिक क्षेत्र में पानी बिजली-सड़क की विभाग द्वारा व्यवस्था कराये जाने हेतु चर्चा के लिए)।

11. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321-ग्राम और लघु उद्योग के लिए ऋण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामों में चल रहे पुराने कुटीर उद्योगों को ऋण व कच्चा माल दिलाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): (12) मांग संख्या 5. मुख्य शीर्षक 253-जिला प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला सतर्कता समितियों को सशक्त बनाने एवं स्थानीय जनता की शिकायतें नहीं सुनने के बारे में चर्चा के लिये)।

13. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर की क्राइम की स्थिति एवं पुलिस थानों के पुनर्गठन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

14. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255- पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (न्यायिक सेवायें अलग होने के बाद पुलिस विभाग के ए. पी. पी. के भविष्य के बारे में चर्चा के लिये)।

15. मांग संख्या 41 मुख्य शीर्षक 320-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला घोषित करने के बारे में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

16. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321- ग्राम और लघु उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में ग्राम और लघु उद्योगों

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

का बड़ा भारी प्रकोप होते हुए भी उक्त उद्योगों के विकास के बारे में विभाग की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : (17) मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 253–जिला प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान हाउस दिल्ली में सुविधायें और अधिक उपलब्ध कराये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

18. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस के सिपाहियों की वेतन वृद्धि की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

19. मांग संख्या 15, मुख्य शीर्षक 255–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस द्वारा लोटरी के टिकिट विक्रय करने पर चर्चा के लिये)।

20. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255– पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस के सिपाहियों की वेतन श्रृंखला पर चर्चा के लिये)।

21. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321– ग्राम और लघु उद्योग के लिये ऋण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लघु उद्योग के चलाने वालों के लिए ऋण की समुचित व्यवस्था करने पर चर्चा के लिये)।

22. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321–ग्राम और लघु उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लघु उद्योग के द्वारा उत्पादित वस्तुओं को प्रोत्साहन दिलाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

23. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321– ग्राम और लघु उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छोटे बुनकरों को कर्ज नहीं देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (हवा महल, जयपुर) : (24) मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 265–अन्य प्रशासनिक सेवाओं के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डाक बंगले तथा विश्राम गृहों में समुचित व्यवस्था न होने पर चर्चा के लिये)।

25. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255– पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में निरन्तर नियमित डी. पी. सी. की बैठक न होने पर चर्चा के लिये)।

26. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 538– सड़कें और जल परिवहन सेवाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान राज्य पथ परिवहन में विनियोजित राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

27. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255– पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के पुलिस कर्मचारी का वेतन अन्य प्रान्तों से

Page No 39

(39)

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
बहुत ही कम है, इससे व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये)।

28. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255– पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वर्दी अलाउन्स के केवल 45) रुपये सालाना, जो महंगाई के युग में नहीं के बराबर है, के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

29. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320– उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में अन्य प्रान्तों की तुलना में उद्योग स्थापना में रही असफलता पर चर्चा के लिये)।

30. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक–320–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थानी शिल्पकारों को औद्योगिक प्रशिक्षण दिये जाने पर चर्चा के लिए)।

31. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321–ग्राम और लघु उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामों में लघु उद्योगों की उन्नति व विकास पर कम ध्यान दिये जाने पर चर्चा के लिए)।

श्री उम्मेदीलाल (हिण्डौन) : (32) मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 688–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए ऋण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (क्षेत्र हिन्डौन के राजनैतिक पीड़ितों को दिए जाने वाले ऋण पर चर्चा के लिए)।

33. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (हिन्डौन क्षेत्र की जनता को सुरक्षा प्रदान करने में पुलिस की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिए)।

34. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (हिन्डौन क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना हेतु चर्चा के लिए)।

35. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321–ग्राम और लघु उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (हिन्डौन क्षेत्र की जनता को कुटीर उद्योग के लिये प्रोत्साहित नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : (36) मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 295–अन्य सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में स्वतंत्रता सेनानियों को दिये जाने वाले ऋण पर चर्चा के लिये)।

37. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस द्वारा अपराधों का पता लगाने के लिए बनिस्वत पुराने तरीकों के नई तकनीक इस्तेमाल करें इस हेतु चर्चा के लिये)।

38. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस अब भी निहित स्वार्थ वालों की सेवा में कार्यरत है बनिस्वत गरीबों व साधनविहीनों की सेवा व रक्षण के, इस पर चर्चा के लिये)।

(श्री मोहरसिंह)

39. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील राजगढ़ (जिला चूरू) में वर्षों से पुलिस की अकर्मण्यता से हुए कत्लों पर पुलिस की चुप्पी पर चर्चा के लिये)।

40. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस थानों को नाम-मात्र की स्टेशनरी दिये जाने से उत्पन्न कठिनाई पर चर्चा के लिये)।

41. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय, (फारेन्सिक प्रयोग शाला में काम की शिथिलता, स्टाफ, औजार और उपकरण की कमी पर चर्चा के लिये)।

42. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रेगिस्तानी क्षेत्र के पुलिस थानों में मकानों, जीप, टेलीफोन की कमी पर चर्चा के लिये)।

43. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा रिजर्व लाइन पुलिस, चूरू के मकानों की मरम्मत न होने तथा बिजली व पानी की कमी से हुई दिक्कतों पर चर्चा के लिये)।

44. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रेगिस्तानी क्षेत्र में उद्योग की ओर विभाग द्वारा पर्याप्त ध्यान न दिये जाने पर चर्चा के लिए)।

45. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू में ऊनी गलीचा निर्माण उद्योग की स्थापना पर चर्चा के लिए)।

46. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 721-ग्राम और लघु उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजगढ़ जिला चूरू में तुरन्त इन्डस्ट्रीयल शेड्स बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

47. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321-ग्राम और लघु उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बेरोजगारी मिटाने हेतु लघु उद्योगों के विस्तार में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिए)।

48. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321-ग्राम और लघु उद्योग के अन्तर्गत मांग में 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम और लघु उद्योग की स्थापना में हो रही उपेक्षा और शिथिलता पर चर्चा के लिए)।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु (करणपुर): (49) मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 265-अन्य प्रशासनिक सेवाओं के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [जिला गंगानगर की जनगणना (गांव वार) आज तक प्रकाशित न होने पर चर्चा के लिए]।

50. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में बढ़े हुए भ्रष्टाचार को समाप्त करने पर चर्चा के लिए)।

(श्री गुरदयालसिंह सन्धु)

51. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिखों के धार्मिक चिन्ह कृपाण रखने पर पाबन्दी लगाने व कृपाण रखने वाले सिखों के विरुद्ध पुलिस द्वारा चालान करने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिए)।

52. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गांव गिलवाला, तहसील हनुमानगढ़, जिला गंगा नगर के हरिजन परिवारों को, जो गांव छोड़ कर चले गये थे, पुलिस के पास बार बार चक्कर लगाने पर भी उनका घर का सामान निकालने में सहायता न देना, इस पर चर्चा के लिए)।

53. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस अधिकारियों द्वारा दिसम्बर, 1975 व जनवरी, 1976 में जनता को जबरदस्ती लाटरी के टिकिट देना, इस पर चर्चा के लिए)।

54. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला गंगानगर में पुलिस द्वारा किसानों को तंग करने पर चर्चा के लिए)।

55. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला गंगानगर के क्षेत्र में हथियारों के नये लाइसेन्स दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर):

56. मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 265–अन्य प्रशासनिक सेवायें के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सर्किट हाउस, डाक बंगला के सम्बन्ध में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

57. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले के मुख्यालय बाड़मेर में चोरियों के मुकदमों में पुलिस मुलजिमान को गिरफ्तार करने में तथा माल बरामद करने में असफल रही जिसके कारण जनता में गहरा असन्तोष है, इस पर चर्चा के लिए)।

58. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले की शिव तहसील के गडरा रोड में गत दो वर्षों में अनेक व्यक्तियों के मकानों में प्रवेश करके चोरियां हो रही हैं, पुलिस उक्त मामलों को खोलने में बिल्कुल असफल रही है, इस पर चर्चा के लिए)।

59. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विशेष सेवा पदक प्रदान करने के आधारों के बारे में चर्चा के लिये)।

60. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जालौर जिले की सरहद पर गुजरात प्रान्त के नेनवा गांव में दिन दहाड़े हुई डकैती, जिसमें मुलजिमान नामजद हो चुके और उनसे माल भी

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

बरामद कर लिया गया का परन्तु उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, माल बरामद करने में अवैध रवैया अख्तियार किया गया और कानूनी कार्यवाही न करने के कारण, इस पर चर्चा के लिये)।

61. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस प्रशासन में सुधार लाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

62. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस कर्मचारियों के वेतन और भत्ते की दरों में परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

63. मांग सख्या 16, मुख्य शीर्षक 225–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस कर्मचारियों से कार्यालय कार्यकाल के अतिरिक्त ड्यूटी लिये जाने पर अन्य कर्मचारियों की भांति मानदेय की सुविधा न दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

64. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले की चौहटन तहसील के हैडक्वार्टर चौहटन में सर्किल आफिस यानि डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट के नये पद का सृजन करने पर चर्चा के लिये)।

65. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस थानों के पुनर्गठन के बारे में जो गृह विभाग ने निर्णय लिये हैं उनकी क्रियान्विति में ढिलाई बरतने पर चर्चा के लिये)।

66. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले की औद्योगिक दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा उपेक्षा किये जाने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

67. मांग संख्या 41 मुख्य शीर्षक 320–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बाड़मेर में औद्योगिक विकास में राज्य सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

68. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर नगर में खमियों की रंगाई छपाई का धंधा प्रायः नष्ट हो रहा है और विभाग द्वारा उनके प्रति उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाने के कारण पैदा हुई स्थिति पर चर्चा के लिये)।

69. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 721–ग्राम और लघु उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर कर दिया जाय (खादी ग्रामोद्योग को दी जाने वाली सहायता के बावजूद खादी का कपड़ा महंगा है और खादी की कताई में जो कार्य कर रहे हैं उनकी मजदूरी बहुत ही सस्ती है, इस पर चर्चा के लिये)।

70. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 721–ग्राम और लघु उद्योग के अन्तर्गत

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (हाथ कर्घा उद्योग के विकास में राज्य सरकार द्वारा सीमावर्ती रेगिस्तानी जिलों के प्रति उपेक्षा अपनाने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्री दीपंकर (लाडनूं) : 71. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभागीय कर्मचारियों द्वारा अपराधियों को आश्रय देने व समाज में आतंक फैलाने पर चर्चा के लिये)।

72. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भारत सरकार द्वारा औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए घोषित जिलों के औद्योगीकरण हेतु चर्चा के लिये)।

73. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 721–ग्राम और लघु उद्योगों के लिये ऋण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कुटीर घरेलू उद्योगों को दिये जाने वाले ऋणों की रकम में बढ़ोतरी पर चर्चा के लिये)।

श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद) : 74. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस द्वारा समय पर चालान पेश न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

75. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस द्वारा भ्रष्ट व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने से जनता की पुलिस पर आस्था न रहने पर चर्चा के लिये)।

76. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस की भर्ती करते समय ग्रामीण बेरोजगारों को प्राथमिकता दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : 77. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चित्तौड़गढ़ जिले में पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

78. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चित्तौड़गढ़ कोतवाली में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

79. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चित्तौड़गढ़ को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा इलाका घोषित कराने हेतु चर्चा के लिये)।

80. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उद्योगों पर लगाई जाने वाली राशि में इस बजट में कटौती पर चर्चा के लिये)।

श्री ओंकार लाल चौहान (डग): 81. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर

Page No 44

(५५)

(श्री ओंकार लाल चौहान)

दिया जाय (पुलिस विभाग की अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

82. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उद्योगों की स्थापना में भेद-भाव करने पर चर्चा के लिये)।

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा (सूरतगढ़): 83. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनूपगढ़ तहसील के गांव 7 में श्री गुरु ग्रन्थ साहब जलाये जाने के जुम्मेवार पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही न होने पर चर्चा के लिये)।

84. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बड़े उद्योगपतियों को दी जाने वाली रियायतों के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

85. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर सीमेन्ट फैक्ट्री के बन्द हो जाने से पैदा हुई स्थितियों पर चर्चा के लिये)।

86. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 721–ग्राम और लघु उद्योगों के लिये ऋण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीस सूत्रीय कार्यक्रम के तहत जुलाहों की दशा सुधारने में राजस्थान सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम): 87. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आपात स्थिति की घोषणा के बाद पुलिस विभाग में पुनः भ्रष्टाचार फैलने व शिथिलता आने पर चर्चा के लिये)।

88. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर जिले को पिछड़ा हुआ औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा (फागी): 89. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस कर्मचारियों की तनख्वाह कम होने के कारण पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

90. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

91. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के रिजर्व स्थानों की पूर्ति हेतु चर्चा के लिये)।

92. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर जिले में

(श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा) औद्योगिक सर्वे की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

93. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उद्योग विभाग की औद्योगिक नीति की क्रियान्विति की असफलता पर चर्चा के लिये)।

94. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321-ग्राम और लघु उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामों में लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

95. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 721–ग्राम और लघु उद्योगों के लिये ऋण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामों में कुटीर उद्योगों को आर्थिक सहायता देने की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री रामगोपाल (किशनगंज) : 96. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार से जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये)।

96A. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आदिवासी क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

96B. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले के कस्बा नोखा में नोर्थ इण्डिया केबल्स फैक्ट्री को कई बार ताम्बे का कोटा सरकार द्वारा दिया गया परन्तु कोई तार नहीं बनाया गया, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री करण सिंह (डीग) : 97. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में और सुधार लाने हेतु चर्चा के लिये)।

98. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अधिक उद्योगों की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

99. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321–ग्राम और लघु उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामों में लघु उद्योगों की स्थापना हेतु ग्रामीणों को अधिक सुविधा देने पर चर्चा के लिये)।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : 100. मांग संख्या 16 मुख्य शीर्षक 255–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर जिले में डाकाजनी, चोरी व अन्य अपराधों की तफतीश में पुलिस की निष्क्रियता व अकर्मण्यता पर चर्चा के लिए)।

101. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321–ग्राम और लघु उद्योगों के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)
(राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान में नये ग्राम उद्योग खोलने में उपेक्षा बरतने पर चर्चा के लिये)।

श्री जगमोहनसिंह (छबड़ा) : 102. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छबड़ा में पुलिस स्टेशन का भवन निर्माण कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

103. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिपाहियों के वेतन में बढोतरी की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री नानालाल (राजसमन्द): 104. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रेलमगरा थाने में टेलीफोन लगाने हेतु तथा कुरज जिला उदयपुर में पुलिस चौकी स्थापित कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

105. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा उद्योगों में अनुसूचित जाति व जन जाति के व्यक्तियों को प्राथमिकता दिलाने के बारे में चर्चा के लिये)।

106. मांग संख्या 42, मुख्य, शीर्षक 321-ग्राम और लघु उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामों की हालत सुधारने तथा उनके विकास हेतु कुटीर घरेलु उद्योगों के लिए ऋण व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : 107. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस द्वारा अत्याचार किये जाने पर चर्चा के लिये)।

108. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला झालावाड़ में पुलिस विभाग द्वारा अनियमिततायें करने व चोरी डकैतियों को नहीं रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

109. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला झालावाड़ में उद्योग लगाने वालों को विभाग द्वारा समय समय पर लोन, जमीन आदि नहीं दिलाने पर चर्चा के लिये)।

110. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321-ग्राम और लघु उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला झालावाड़ में लघु उद्योग न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्री भोपालसिंह (जैसलमेर) : 111. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में प्रचलित भ्रष्टाचार व पुलिस द्वारा पुराने तीसरे दर्जे के तरीके अपराध अनुसंधान के दौरान अपनाने से जनता में भारी असंतोष व्याप्त है इस पर चर्चा के लिये)।

(श्री भोपालसिंह)

112. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जैसलमेर जिला में उपलब्ध खनिजों जैसे सैलेनाइट, जिप्सम, सिलीकालेड पर आधारित कोई उद्योग न खोलने से जनता में व्याप्त भारी असंतोष पर चर्चा के लिये)।

श्री राजेन्द्रसिंह (उनियारा) : 113. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर जाय, (पुलिस के द्वारा अव्यवस्था फैलाने एवं पुलिस जिला प्रशासन में शिथिलता के विषय पर चर्चा के लिये)।

श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन) : 114. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

115. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बून्दी जिले में होने वाली चोरियों का पता नहीं चलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

116. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी के ग्राम का घाट वराना में पुलिस चौकी कायम नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

117. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी में कापरेन देवपुरा में पुलिस स्टेशन कायम नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

118. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के गांवों में औद्योगीकरण नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

119. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा उद्योगों में श्रमिकों को प्रतिनिधित्व नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

120. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320–उद्योगों के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बून्दी में सीमेंट फैक्ट्री नहीं खोले जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

121. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्ट्री अब तक चालू नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

122. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 721–ग्राम और लघु उद्योगों के लिये ऋण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में ग्रामीण उद्योगों को समय समय पर ऋण नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

(श्री नन्दलाल बैरवा)

123. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321–ग्राम और लघु उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चम्बल कमांड क्षेत्र में चल रहे ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहन नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्री रतीराम यादव (तिजारा): 124. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आपात स्थिति में पुलिस अधिकारियों द्वारा अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने और गरीबों को संरक्षण न देने पर चर्चा के लिये)।

125. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में हरिजन व जन जाति के लोगों को आफिसर रैंक में क्रमोन्नत करने में उपेक्षा एवं पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाने पर चर्चा के लिये)।

126. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तिजारा क्षेत्र में चोरी व कत्ल के मामलों में पुलिस की अकर्मण्यता एवं व्याप्त भ्रष्टाचार की स्थिति पर चर्चा के लिये)।

127. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321–ग्राम और लघु उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत बुनकरों की स्थिति सुधारने के लिये विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये)।

128. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321–ग्राम और लघु उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर जिले में बुनकरों द्वारा बनाई जाने वाली पगड़ी आदि की बिक्री का सरकार द्वारा उचित प्रबन्ध न करने पर चर्चा के लिये)।

श्री हनुमान सहाय व्यास (बैराठ): 129. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस स्टेशन तथा पुलिस चौकियों पर स्टाक की कमी तथा तुरन्त कार्यवाही हेतु थानों में जीप का प्रबन्ध किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

130. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आर.पी.एस. तथा आई. पी. एस. अधिकारियों के वर्दी अलाउन्स के अन्तर के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

131. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [शाहपुरा (जयपुर) में औद्योगिक क्षेत्र कायम किए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये]।

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा (कोटपूतली): 132. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस द्वारा तफतीश के पुराने तरीकों के बदलने पर चर्चा के लिये)

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)

133. मांग संख्या 41 मुख्य शीर्षक 320—उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटपूतली में औद्योगिक क्षेत्र घोषित कराने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री श्रीनिवास शारदा (निम्बाहेड़ा): 134. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को समाप्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

135. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चित्तौड़गढ़ जिले को औद्योगिक दृष्टि से बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट की सूची में सम्मिलित कराने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री मोहनराज (बाली): 136. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाली क्षेत्र के ग्रामों में गत दिनों बड़े पैमाने पर हुई चोरियों के फलस्वरूप व्याप्त असुरक्षा व असंतोष की भावना पर चर्चा के लिये)।

श्री विजयसिंह राठौड (मांडल): 137. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मान्डल थाने में सिपाहियों के लिए फैमिली क्वार्टर बनाने में विभाग की शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

138. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस के शुद्धिकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

139. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

140. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320—उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [मान्डल (भीलवाड़ा) में बोन क्रशिंग फैक्ट्री का स्थान परिवर्तन करने पर चर्चा के लिये]।

141. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321—ग्राम और लघु उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण लघु उद्योगों को सरकारी सहयोग नहीं मिलने पर चर्चा के लिए)।

श्री नत्थासिंह (नदबई): 142. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भरतपुर व बयाना की पुलिस द्वारा चोरी व डकैतियों को रोकने में असमर्थता पर चर्चा के लिये)

श्री शंकरलाल (पाली): 143. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली की पुलिस द्वारा असामाजिक व देश द्रोही तत्वों के विरुद्ध उचित कदम न उठाने व उदासीन रहने पर चर्चा के लिए)।

(श्री शंकर लाल)

144. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली नगर की रंगाई छपाई की फैक्ट्रियों से होने वाले जन-स्वास्थ्य और खेती के भयंकर नुकसान की चर्चा के लिये)।

145. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321–ग्राम और लघु उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में परम्परागत व घरेलू उद्योग धंधों को प्रोत्साहन देने हेतु चर्चा के लिये)।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेर): 146. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस में उत्पन्न असंतोष और उनके जीवन के असुरक्षित भावों पर चर्चा के लिये)।

147. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उद्योगों को बढ़ावा नहीं देने से उत्पन्न श्रमिकों की कठिनाई पर चर्चा के लिये)।

148. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 311–ग्राम और लघु उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा छोटे छोटे दस्तकारों को उचित Incentive नहीं देने से उत्पन्न असंतोष पर चर्चा के लिये)।

श्री लूणाराम (डूंगरगढ़): 149. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (थानों में स्टाफ बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

150. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम जाखासर जिला चूरू में जेवरों की चोरी की बरामदगी कराने के बारे में चर्चा के लिये)।

151. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम रिड़ी की ऊंट चोरी की बरामदगी न होने पर चर्चा के लिये)।

152. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (श्री डूंगरगढ़ थाने के अन्तर्गत हुई चोरियों की बरामदगी के बारे में चर्चा के लिये)।

153. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम सोनियासर जिला चूरू के ऊंटों की चोरी बरामद करने में पुलिस की असफलता पर चर्चा के लिये)।

154. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू जिले के पुलिस प्रशासन को व्यवस्थित कर चोरियों की रोक-थाम कराने हेतु चर्चा के लिये)।

155. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामों में बढ़ रही चोरी को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

(श्री लूणाराम)

156. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू जिले में छापर के अलावा नमक उद्योग की अन्य जगह सर्वे कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

157. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शहरों की तरफ बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के लिए उद्योगों के लिए ऋण ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ही स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

158. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू जिले में उद्योगों को बढ़ावा देकर विभाग द्वारा प्रोत्साहित करने पर चर्चा के लिए)।

159. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू जिले की औद्योगिक परियोजना के कार्यकलापों से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिए)।

160. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321–ग्राम और लघु उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रामों में विभाग द्वारा उचित व्यवस्था नहीं करने से उत्पन्न असंतोष पर चर्चा के लिए)।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): 161. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नागरिकों के खिलाफ झूंठे मुकदमे बनाने से पुलिस के प्रति जनता में असंतोष व सरकार के प्रति निराशा व्याप्त होने पर चर्चा के लिये)।

162. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (थाना नोखा में एस. एच. ओ. द्वारा नागरिकों के खिलाफ झूंठे मुकदमे बनाने से जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिए)।

163. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321–ग्राम और लघु उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण कुटीर उद्योग को सरकार द्वारा बढ़ावा नहीं देने पर चर्चा के लिए)।

श्री सज्जनसिंह (सुमेरपुर): 164. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण जनता पर कुप्रभाव पड़ने पर चर्चा के लिए)।

श्री केशरीमल (ब्यावर): 165. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ब्यावर में लगातार हो रही साईकिलों की चोरी को रोकने में पुलिस की असमर्थता पर चर्चा के लिए)।

166. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कालीजा में गिरदावर जैतसिंह की हत्या की जांच में बरती गई ढिलाई पर चर्चा के लिए)।

(श्री केशरीमल)

167. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255-पुलिस के अन्तर्गत मांग में 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस से नये नये आधुनिक यंत्रों के द्वारा जांच कार्य कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

168. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग द्वारा तफतीस हेतु आधुनिक तरीके अपनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

169. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ब्यावर में पोर्सलीन फैक्ट्री लगवाने में रही असफलता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

170. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ब्यावर में कालीन उद्योग लगवाने में रही असफलता पर चर्चा के लिये)।

171. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भरू के नाके के पास बर और सेन्दड़ा के मध्य मिलाई मारबल की फैक्ट्रियां लगवाने व चलवाने में रही असफलता पर चर्चा के लिये)।

172. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320–औद्योगिक अन्वेषण एवं विकास के लिये ऋण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीमेन्ट फैक्ट्री सवाई माधोपुर के बन्द हो जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

173. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ब्यावर में सीमेंट फैक्ट्री लगवाने हेतु चर्चा के लिये)।

174. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फोम लेदर का कारखाना ब्यावर में खुलाने हेतु चर्चा के लिये)।

175. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321–ग्राम और लघु उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जुलाहों की दशा सुधारने में बरती गई कोताई पर चर्चा के लिये)।

176. मांग संख्या 42, मुख्य शीषक 321–ग्राम और लघु उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ब्यावर में ऊनी धागे के उद्योग लगवाने में बरती गई कोताई के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती उषा प्रकाश (बैर): 177. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बैर, भुसावर तथा नदबई के थानों के हल्कों में गत छः महीने में हुई अनेक चोरी व डकैतियों की वारदातों को बरामद करने में पुलिस की असमर्थता पर चर्चा के लिये)।

178. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321–ग्राम और लघु उद्योग के अन्तर्गत मां

(श्रीमती उषा प्रकाश)
में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण उद्योग का विस्तृत सर्वेक्षण करवा के उनके विकास के लिये इन्टेन्सिव प्लान बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री शंकरलाल जाट (कपासन) 179. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस को अधिक अनुशासित करने हेतु चर्चा के लिये)।

180. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चित्तौड़गढ़ जिले को उद्योग की दृष्टि से घोषित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय (बूंदी): 181. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255 पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग की खुफिया शाखाओं की उपयोगिता पर चर्चा के लिये)।

182. मांग संख्या 16 मुख्य शीर्षक 255–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बून्दी जिले के थानेदारों के वर्षों से स्थानान्तरण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

183. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में पुलिस विभाग को सुधारने हेतु चर्चा के लिये)।

184. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बून्दी जिले में संगीन जुर्म की बढ़ोतरी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

185. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर सीमेंट फैक्ट्री के बन्द हो जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

186. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लैटर आफ इन्टेन्ट जारी होने के उपरान्त स्थिति पर चर्चा के लिये)।

187. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बून्दी जिले को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ घोषित करने के लिए राज्य सरकार की केन्द्र को सिफारिश नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

188. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बून्दी में कांच का कारखाना जो गत चार वर्षों से लगने वाला था उसके स्थापित नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

189. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में नये उर्वरक के कारखाने स्थापित कराने हेतु चर्चा के लिये)।

190. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321–ग्राम और लघु उद्योग के अन्तर्गत मांग

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय) में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बून्दी में बीड़ी के कारखाने ग्रामों में लघु उद्योग के रूप में स्थापित कराने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): 191. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस के अमले की कमी के कारण शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने में होने वाली कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

श्री रामलाल (बाड़ी) : 192. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़ी क्षेत्र में पुलिस द्वारा जनता की चोरियां आदि बरामद न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्री **देवीलाल** (सराड़ा) : 193. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा पुलिस चौकी कठोड़ा में बेकसूर आदिवासियों की पिटाई किये जाने पर चर्चा के लिये।)

194. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला उदयपुर के आदिवासी जवानों को पुलिस में भर्ती करने में पक्षपात तथा प्रमोशन के अन्दर भेदभाव किये जाने पर चर्चा के लिये।)

श्री चेतराम (टोडाभीम): 195. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर जिले में अपराधों की बढ़ोतरी तथा पुलिस की लापरवाही से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।)

196. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 321–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में उद्योग धन्धों को बढ़ाने में राज्य सरकार द्वारा उपेक्षा तथा उद्योगपतियों को औद्योगिकरण हेतु सुविधा न देने से राजस्थान का औद्योगीकरण नहीं हो सका, इस पर चर्चा के लिये।)

197. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321–ग्राम और लघु उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के कृषि श्रमिकों को लघु उद्योगों की सुविधा दिलाये जाने पर चर्चा के लिये।)

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : 198. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255 पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस की वर्तमान कार्य प्रणाली में परिवर्तन कर नई वैज्ञानिक प्रणाली अपनाते हुए सुव्यवस्थित ढंग से कार्य सम्पादित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।)

199. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगापुर में हुई चोरियों को अभी तक बरामद नहीं कराने से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।)

200. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में फैले हुये भ्रष्टाचार को रोकने हेतु चर्चा के लिये)।

201. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगापुर शहर की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुये थाना गंगापुर में फोर्स की अधिक व्यवस्था कराने हेतु चर्चा के लिये)।

202. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के पुलिस सिपाहियों की वेतन श्रृंखला में परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

203. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला सवाई माधोपुर को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ घोषित कराने हेतु चर्चा के लिये)।

204. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321–ग्राम और लघु उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगापुर सिटी में औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार कराने हेतु चर्चा के लिये)।

205. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321–ग्राम और लघु उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामों में लघु उद्योगों की स्थापना कर कृषकों को अत्यधिक सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री सांवरमल मोर (श्रीमाधोपुर) : 206. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस चोरियों की रोकथाम में असफल रहने पर चर्चा के लिये)।

207. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीकर जिले के औद्योगिक क्षेत्र में तथा राजस्थान के कई हिस्सों में उद्योगों की स्थापना का कार्य शुरू न करने पर चर्चा के लिये)।

श्री झाबरमल सुण्डा (फतेहपुर) : 208. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिपाहियों की वेतन श्रृंखला में परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

209. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के उद्योगपतियों को राजस्थान में उद्योग स्थापित करने में आकर्षित करने में विभाग की सफलता पर चर्चा के लिये)।

210. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321–ग्राम और लघु उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु ऋण देने की प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) 211. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (यातायात पुलिस की अकुशलता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

212. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस थानों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

213. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस थाना डेगाना जिला नागौर के पुराने भवन की जगह नया भवन कहीं अन्य बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

214. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस थानों का पुनर्गठन एवं मौजूदा अपराधों की संख्या के अनुसार पुलिस थानों में और स्टाफ बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

215. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस थानों में ऊंटों की जगह जीप का प्रावधान कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

216. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नागौर में चल रहे लोहे के औजारों के उद्योग की दयनीय दशा व कच्चा माल उपलब्ध नहीं होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)

117. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320–उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नागौर में जिप्सम से सम्बन्धित उद्योग लगाने हेतु चर्चा के लिये)

218. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321–ग्राम और लघु उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (देहातों में लघु उद्योग व हाथ कर्घा जैसे धंधों को विकसित करने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री बिश्वम्भर नाथ जोशी (बांदीकुई) : 219. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार व पुलिस की शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

श्री गोपालसिंह (खण्डेला) : 220. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस द्वारा राजनैतिक दबाव से झूठे मुकदमे बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

221. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस द्वारा ग्राम पंचायत सिरोही तहसील नीमका थाना के हत्या के मामलों को रफा दफा कर देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

222. मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक 255–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस अधिकारियों का रुख जन-भावनाओं व जन-समस्याओं के प्रति सहानुभूतिपूर्ण बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)

(श्री गोपाल सिंह)

223. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321-ग्राम और लघु उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम और लघु उद्योग के क्षेत्र में धीमी प्रगति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा) : 224. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जोधपुर नगर में सार्वजनिक क्षेत्र में आज तक कोई भी उद्योग न लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद) : 225. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नसीराबाद नगर में बीड़ी उद्योग की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

226. मांग संख्या 42 मुख्य शीर्षक 321 ग्राम और लघु उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (2 हजार से पांच हजार तक की आबादी के ग्रामों में लघु उद्योग की स्थापना कराने में उद्योग विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

श्री प्रतापसिंह (किशनगढ़) : 227. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320 उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने हेतु विभाग द्वारा प्रोत्साहन न देने पर चर्चा के लिये)।

श्री प्रतापसिंह (किशनगढ़) : 228. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321-ग्राम और लघु उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कुटीर उद्योगों के विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री जेठमल (वरवड) : 229. मांग संख्या 41, मुख्य शीर्षक 320-उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मकराना नगर में नया मार्बल उद्योग लगाने के बारे में चर्चा के लिये)।

230. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321-ग्राम और लघु उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नागौर जिले के बुनकरों तथा चमड़े के काम करने वालों को ऋण देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

231. मांग संख्या 42, मुख्य शीर्षक 321-ग्राम और लघु उद्योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्र में लघु उद्योगों को पनपाने में विभाग की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये)।

मांग सं. 5, 16, 41 व 42 पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रीराम गोटेवाला।

श्री श्रीराम गोटेवाला : प्रश्न संख्या 118

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुए काफी समय हो गया।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : यह तरंग है होली की।

श्री उपाध्यक्ष : कटौती प्रस्तावों पर बोलना चाहते हैं ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : बाद में ।

श्री बनवारीलाल

(अनुपस्थित)

श्री अजीत सिंह ।

श्री अजीतसिंह (टोंक) : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे आज जो विभाग हैं उनके लिए सब कुछ कहना इतने कम समय में बड़ा मुश्किल है लेकिन कोशिश करके जल्दी ही इन पर प्रकाश डालूंगा। पहले तो पुलिस विभाग में भयंकर भ्रष्टाचार व अव्यवस्था है। वैसे इस साल इतना बड़ा एजीटेशन हुआ लेकिन फिर भी जिस धैर्य के साथ पुलिस ने इसको निभाया उसके लिए मैं पुलिस विभाग की तारीफ करूंगा। ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिसके अन्दर अत्याचार हुआ है। फिर भी जिन बातों की ओर हम आपका ध्यान आकर्षित करते हैं, मैं आशा करता हूं कि जो दिक्कतें हैं, जो गिरफ्तारियां की गईं, उनका आप निराकरण करेंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से भी मंत्रीजी से कह चुका हूं, आप उनको देखें। कई जगह दुर्भावनापूर्ण वातावरण बना, आपसी जलेसी के कारण सरकारी आज्ञा को कठोरता से निभाया गया, यह नहीं होना चाहिए था। जबर्दस्ती गिरफ्तारियां हुईं, मारपीट हुई। गिरफ्तार किए हुए व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार करना उचित नहीं था। आप इसको गंभीरता से लें और ठीक व्यवस्था करायें।

इसके साथ ही मेरा निवेदन है कि पुलिस विभाग के अन्दर जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, उसके अन्दर आपने कोई अच्छी प्रगति नहीं दिखायी है, ऐसी मेरी मान्यता है। भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक आ रहा है और छोटे छोटे पुलिस स्टेशन्स पर जनता की आम शिकायतें रहती हैं। यहां तक कि मामूली कागज के लिए भी आपके थाने पर पैसा देना पड़ता है तब तक रिपोर्ट दर्ज होती है। आप इसको मिटा नहीं सकते। यह उचित व्यवस्था नहीं है।

इसके साथ ही थानों और चौकियों की मरम्मत का सवाल है। जब कोई आदमी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आता है तो थाने की तरफ से सफेदी के लिए चंदा देने या लेखन सामग्री के लिए पैसा देने की मांग आती है, यह उचित नहीं है।

मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सदन में मुख्य मंत्री ने एलान किया था कि पुलिस द्वारा लाटरी के टिकट नहीं बेचे जायेंगे। उसके बावजूद पुलिस ने लाटरी के टिकट बेचे। शर्म की बात है। जब मुख्य मंत्री सदन में घोषणा करता है कि अब पुलिस द्वारा लाटरी के टिकट नहीं बेचे जायेंगे इसके बावजूद पुलिस वालों ने बेचे, तो यह गंभीर बात है। आप इसको गंभीरतापूर्वक देखें कि ऐसा क्यों हुआ ? सरकार ने सदन में एलान किया फिर भी पुलिस वालों के कान पर जूं नहीं रेंगी और डंडे के जोर पर टिकट बेचे। आशा है, गृह मंत्री जवाब देते समय इस पर प्रकाश डालेंगे।

इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत बुरी बात है कि पुलिस अधिकारी जो इन्सपेक्शन टूअर्स पर जाते हैं तो उनके साथ उनकी मैम साहब भी जाती हैं। अंग्रेजों के दिनों में

(श्री अजीतसिंह)

जरूर जाती थीं लेकिन मैम साहब का साथ होने से अटपटा लगता है यह मैम साहब अधिकारी के साथ क्लर्क का काम करती हैं। इस प्रथा को खत्म करना चाहिए। खास तौर से पुलिस प्रशासन में अधिकारियों के साथ लेडीज का जाना और फिर इन्सपेक्शन करना ठीक नहीं है। मंत्रीजी तो नए आदमी नहीं हैं, आप जानते हैं कि एस. पी. या डी. एस. पी. के साथ मैम साहब जाती हैं तो सारा खर्चा किस को उठाना पड़ता है? जब खर्चा किया जाता है तो उसका बोझ जनता पर आता है और खिलाने वाले पर नहीं होता है। तो मैम साहब साथ जायें और भय कर खर्चा हो, इस प्रथा को बन्द करें। मैंने जानकारी की थी, 1961 में आपने परिपत्र जारी किया था लेडीज को साथ में ले जाने के लिए कि इसमें कोई एतराज नहीं है। मुझे यह जंचा नहीं। इस प्रथा को समाप्त करें।

मुझे यह भी निवेदन करना है कि पुलिस की जीप का दुरुपयोग भी लगातार होता है और लोग अपने को ड्यूटी पर बताते हुए सरकारी वाहन को निजी काम में लेते हैं। इसके लिए आप कठोर कदम उठायें और वाहनों के दुरुपयोग को बंद करें।

दूसरी बात, अभी तक थानों में टेलीफोन व्यवस्था नहीं हुई। टेलीफोन हर पुलिस स्टेशन पर हो, ऐसा प्रावधान करना चाहिए।

मेरा टोंक 60 हजार की आबादी का शहर है। आपने वहां पर केवल 8 सिपाही यातायात के लगा रखे हैं। कोतवाली में भी पुलिस फोर्स कम रखी है, जनसंख्या के हिसाब से आप पुलिस फोर्स एलाट करें कि कोतवाली, थानों और चौकियों पर कितने सिपाहियों की आवश्यकता पड़ेगी। इस पर पुनर्विचार करें और जनसंख्या के आधार पर पोस्ट्स रखें।

उपाध्यक्ष महोदय टोंक एक ऐसी जगह है जहां पर अक्सर हिन्दू मुसलमानों के रॉयट होने की सम्भावना रहती है इसलिए मेरा निवेदन है कि वहां पर आप पुलिस फोर्स बढ़ाने की व्यवस्था करें ताकि जनता को इससे राहत मिले।

उपाध्यक्ष महोदय, अब दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह है उद्योग विभाग की मांग के बारे में। उपाध्यक्ष महोदय, उद्योग विभाग ऐसा विभाग है जिसकी ओर राज्य सरकार का ध्यान मैं आकर्षित करना अत्यन्त आवश्यक समझता हूं। क्योंकि उद्योग के जरिये ही हम आज हमारे देश का उत्पादन बढ़ा सकते हैं और देश के अन्दर जो बेरोजगारी फैली हुई है उस समस्या का हल कर सकते हैं। बाकी कोई तरीका आपके पास नहीं जिसमे कि आज जो देश में बेरोजगारी फैली हुई है उसको हम रोक सकें। आपने जो उद्योग खोले हैं उसका लाभ हमारी ग्रामीण जनता को पूरा नहीं मिल पाया है। आज भी देश में भूखे नंगे लोगों की और बेरोजगारों की कमी नहीं है। हालांकि आपने हमारे यहां पर क्रेश प्रोग्राम्स भी खोले और बेरोजगारों के लिये दूसरी योजना आपने हाफ ए मिलियन जोब वाली निकाली लेकिन उन योजनाओं के जरिये कोई कारगर उपलब्धियां आप प्राप्त नहीं कर सके।

(श्री अजीतसिंह)

उनसे कोई असर नहीं हुआ जिसका नतीजा यह हुआ कि वह आपने बन्द कर दी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपको बेरोजगारी की समस्या का हल निकलाना है तो आपको ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे यहां पर सदियों से छोटे छोटे उद्योग चल रहे हैं उन्हें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। हालांकि आपने जो 20 सूत्री कार्य-क्रम अपने हाथ में लिये हैं लेकिन मैं समझता हूँ कि आप ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर जो उद्योग 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत चलाने की व्यवस्था कर रहे हैं उनमें भी अगर आप उनमे भी निम्न स्तर के उद्योग जो कि पहले वहां पर चल रहे हैं, की तरफ इस 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत ध्यान दें तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप उन उद्योगों की तरफ विशेष तौर से ध्यान देकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेरोज-गारी फैली हुई है उसे निम्न उद्योग खोल कर समाप्त करने की व्यवस्था करें।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे टौंक जिले में पुरानें कई निम्न उद्योग चले आ रहे हैं जिनमें छपाई के, रंगाई के, कारपेट बनाने के, पंखियां बनाने के, मिट्टी की सुराहियां और खजूर की चटाईयां वगैरह बनाने के उद्योग हैं। उनमें काम करने वाले लोगों को आप को प्रोत्साहन देना चाहिये। ग्रामीण लोगों का जो लोग इन्टीरियर में रहते हैं, उनका स्टेण्डर्ड कुछ छोटा होता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो निम्न उद्योगों में काम करने वाले लोग हैं, उनको अगर आप प्रोत्साहन दें तो ग्रामीण क्षेत्र में काफी बेरोजगारी समाप्त हो जावेगी और जनता को इससे राहत मिलेगी। इसलिए मेरा राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि इस बारे में गम्भीरतापूर्वक सोचें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ ही यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार को चाहिये, जिस तरह से आप कृषि और दूसरे बड़े उद्योगों को ऋण दिलाने की व्यवस्था करते हैं, उद्योगों को जिस प्रकार आप ऋण के साथ साथ कच्चे माल भी दिलाते हैं उसी तरह की व्यवस्था आपको इन छोटे उद्योगों वालों के लिये करनी चाहिये, ताकि उन्हें जो फाइनेन्स और कच्चे माल की दिक्कतें आती हैं वह दिक्कतें उन ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को नहीं आयें। इनके ऋण की व्यवस्था भी ऐसी हो जिससे कि वह लोग अपनी जमानत देकर अथवा अपने कुछ असेट्स रख कर ऋण प्राप्त कर सकें। ऐसी व्यवस्था राज्य सरकार को करनी चाहिये ताकि उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो और वह लोग अपना धन्धा-पानी चला सकें।

इसी के साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से राज्य सरकार ने हैण्डलूम उद्योग में साड़ी और धोती को अलग-अलग किया है उसी तरह से ग्रामीण क्षेत्र में भी कुछ उद्योग लगाये जाने चाहिये ताकि वहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योग लगाये जा सकें। इस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी समाप्त हो सकेगी और हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ डिस्ट्रि-क्टस में आपने पायलेट प्रोजेक्ट्स खोले हैं लेकिन वह आपने हमारे टौंक में नहीं खोले है जब कि हमारे टौंक में काफी बुनकर लोग

(श्री अजीतसिंह)

हैं जिसमें हिन्दू भी हैं और मुसलमान भी हैं। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आपने उसमें टोंक डिस्ट्रिक्ट को नहीं लिया है। टोंक डिस्ट्रिक्ट में हैण्डलूम के काफी उद्योग हैं। टोंक जिला हैण्डलूम उद्योग में काफी आगे बढ़ा हुआ है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि यह उद्योग टोंक डिस्ट्रिक्ट में लगाये जाने चाहिये। हमारे वहां पर कम्बल वगैरह बनाये जाते हैं और एक साल में एक लाख रुपये तक के लोग कम्बल बनाते हैं इसलिये मेरा यह निवेदन है राज्य सरकार को चाहिये कि इन कम्बलों की खरीद के लिये व्यवस्था करे और ऐसी व्यवस्था करे ताकि उन लोगों को कच्चा माल भी उसके लिये मिल सके। राज्य सरकार ऐसी व्यवस्था कर दे कि जिससे वहां के लोग अपने कम्बल जमा कराके पैसा ले लेवें ताकि उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। इसके लिये आप बैंकों के माध्यम से व्यवस्था करें। चाहे वह कोई बैंक हो चाहे सहकारी बैंक हो आप ऐसा सक्यूलर निकाल दें उन बैंकों के नाम ताकि वह लोग अपना प्रोड्यूस जमा करा कर पैसा भी प्राप्त कर लें और उन्हें अपने कच्चे माल की खरीद के लिये ऋण प्राप्ति भी उन्हीं बैंकों से हो जाये इससे काफी उन लोगों को लाभ हो सकता है। मैं राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस ओर काफी गम्भीरतापूर्वक सोचे।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने वहां पर एक बड़ा चर्म उद्योग लगाया था, वहां पर भी सबसे बड़ी दिक्कत यह थी, हमारे यहां के लोगों को वहां पर काम पर नहीं लगाया गया और वहां पर सिर्फ अपने ही लोगों को लगाया गया था। वहां पर ऐसा उद्योग है लेकिन हमारे लोगों को वहां पर कोई काम नहीं मिल सकता है। आपने चाहे टोंक में चर्म का बड़ा कारखाना खोल दिया लेकिन वहां के आदमियों को कोई विशेष काम नहीं मिल सका। वहां के लोग ज्यादातर ट्रेन्ड नहीं थे और टेक्निकल काम की नोलेज वहां के लोगों में कम होने की वजह से बेकारी की समस्या बनी ही रही। इसलिये मेरा निवेदन है कि आपको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये जिससे कि वहां के लोगों को काम धन्धा मिल सके। वहां आपको ऐसी ही व्यवस्था करनी चाहिये जिस प्रकार की आपने शहर के उद्योगों को कच्चे माल व ऋण प्राप्त होने की व्यवस्था की है उसी प्रकार वहां पर हो तो काफी स्थिति में सुधार आ सकता है। इसलिये मेरा राज्य सरकार से विशेष तौर से यह अनुरोध है कि वह छोटे-छोटे उद्योग वालों की समस्याओं की ओर विशेष रूप से ध्यान दे।

उपाध्यक्ष महोदय, अब थोड़ा मैं भ्रष्टाचार विभाग के बारे में भी दो शब्द निवेदन करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, टोंक जिले के हैडक्वार्टर पर पहले भ्रष्टाचार विभाग का आफिस था वह आपने वहां से हटा लिया है। उपाध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार विभाग के आफिस के वहां से हटने से जनता को काफी नुकसान होने की सम्भावना रहती है। क्योंकि जब जिला स्तर पर भ्रष्टाचार विभाग का दफ्तर होता हैं तो भ्रष्टाचार रोकने में काफी सहूलियत मिलती है। नहीं तो आपको अगर किसी के खिलाफ में कोई कार्यवाही करनी होती है तो आपको जयपुर भ्रष्टाचार विभाग के आफिस में लिखना पड़ता है।

(श्री अजीतसिंह)

और फिर वहां की शिकायत पर कार्यवाही होती है जिससे काफी देर हो जाती है और फिर उस शिकायत का कोई महत्व नहीं रहता है। दूसरे अगर जिला हैडक्वार्टर पर भ्रष्टाचार निरोधक विभाग का आफिस होता है तो लोगों के मन में एक भय भी बना रहता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग का दुबारा वहां पर आफिस रखा जाना चाहिये ताकि लोगों पर चैकिंग रहे। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से पकड़े जाने का खतरा भी वहां के अधिकारियों में बना रहे। इसके साथ ही, उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा जो राज्य सरकार द्वारा जिला सतर्कता समितियां बनी हैं उनके बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, इन जिला सतर्कता समितियों के काम करने में काफी दिक्कत आती है। इसका सबसे बड़ा कारण है उस सतर्कता समिति का चेयरमैन हर जिले में कलेक्टर होता है। उपाध्यक्ष महोदय, यह कलेक्टर लोग अपनी मनमानी करते हैं और जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं जो जनता के हित में काम करना चाहते हैं वह कर नहीं पाते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप जिस तरह से विधान सभा में याचिका समिति का चेयरमैन विधान सभा के सदस्य को बनाते हैं और वह अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं उसी तरह इन जिला सतर्कता कमेटियों के चेयरमैन आप वहां के विधान सभा के सदस्यों में से बनाइये ताकि इससे जनता को राहत मिले, नहीं तो ऐसा देखा जाता है कि इन जिला सतर्कता समितियों में सरकारी अधिकारी अपने नीचे वाले कर्मचारियों और अधिकारियों का पक्ष लेते हैं। जैसे पटवारी की इन्क्वायरी तहसीलदार को दी जाती है और तहसीलदार की इन्क्वायरी एस.डी.ओ. को दी जाती है। इसमें ऐसा होता है कि या तो वह लोग पूरी तरह से इन्क्वायरी नहीं करते हैं या उसे अननेसेसरी इन्क्वायरी को लटकाये रहते हैं या अपनी रिपोर्ट नहीं देते हैं उससे जिला सतर्कता समितियां अपनी कार्यवाही नहीं कर सकती हैं। आपने वैसे तो जिला सतर्कता समितियों में इन्क्वायरी आफिसर बी. डी. ओ. को कर रखा है लेकिन जब उसके पास इन्क्वायरी जाती है तो उसकी इन्क्वायरी करने के लिये संबंधित आफिसरों के पास भेज देते हैं जिसका नतीजा यह होता है कि तीन तीन साल तक इन्क्वायरी नहीं होती है पूरी और शिकायत करने वाले भी बेचारे परेशान होकर बैठ जाते हैं। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि राज्य सरकार को इस ओर विशेष तौर से गम्भीरतापूर्वक सोचने की आवश्यकता है जिससे कि जनता को इन जिला सतर्कता समितियों का पूर्ण लाभ मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने सामान्य प्रशासन में सुधार करने के लिये जिला स्तर पर और स्टेट लेवल पर विजीलेंस कमेटियां बनाई हैं। इनमें जो जिला स्तर पर विजीलेन्स कमेटियां बनाई गई हैं वह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जिला स्तर पर जो सतर्कता समितियां बनाई गयी हैं वह अभी तक पूर्ण रूप से सक्रिय नहीं हो पायी हैं। हालांकि राज्य सरकार ने एक सक्यूलर भेज कर उन जिला सतर्कता समितियों से

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

कुछ सुझाव उनके बारे में मांगे हैं। इसमें यह सूचना मांगी गई है कि जिला सतर्कता समितियों में क्या क्या होना चाहिये। उनका स्कोप क्या होना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, आज सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि उन समितियों के पास जो शिकायतें आती हैं उनकी इन्क्वायरी करने में काफी लम्बा समय लग जाता है। आज भी कई सालों से लोगों के खिलाफ में शिकायतें पेश की हुई हैं इन्क्वायरी चल रही है लेकिन कोई फैसला अभी तक नहीं हो सका है।

(12.20 म. प.)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पीठासीन)

माननीय सभापति जी, आज भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो विजिलेन्स कमेटियां बनी हैं उनके पास बहुत सी मात्रा में शिकायतें प्राप्त होती हैं लेकिन उनका फैसला न होने के कारण बेहद मात्रा में वह उन समितियों के पास पड़ी हुई हैं। इसका नतीजा यह हुआ है कि इन समितियों के बनने से जनता को कोई विशेष सन्तोष प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि जिला समिति का मैं भी एक सदस्य हूं और सदस्य होने के नाते सैंकड़ों दरख्वास्तें प्राप्त होती हैं, वे हम चेयरमैन को भेज देते हैं और मीटिंग होने के पहले फैक्ट्स मंगाकर रख देते हैं परन्तु सक्रिय रूप में एक्शन जो होना चाहिये वह नहीं होता है। बहुत से मामले ऐसे हैं कि हम जनता को और आफिशियल लोगों को सन्तोष दिलाने में असमर्थ हैं। राज्य सरकार ने आकांक्षायें तो बहुत बढ़ा दी हैं कि जिला सतर्कता समितियों को सुनकर फैसले कर देने चाहिये। हर विभाग की दरख्वास्त आती है, आफिशियल्स की भी आती हैं और नान-आफिशियल्स की भी दरख्वास्तें आती हैं। उस बारे में हमने भी कई बार राज्य सरकार से राय चाही है। राज्य सरकार ने जो सक्यूलर भेजे हैं उनमें कुछ खास तौर से नहीं बताया है फिर सर्क्यूलर भेजा है उसमें कुछ गाइड लाइन बताई है, उसमें कुछ स्कोप बढ़ाया भी है परन्तु स्टेट लेवल पर लोगों की सुनवाई कम होती है जिला लेवल पर ज्यादातर शिकायतों की सुनवाई और उनका समाधान हो जाना चाहिये।

जैसा माननीय सदस्य ने कहा जिले में कलेक्टर साहबान चेयरमैन होते हैं और एस. पी. भी सदस्य होते हैं परन्तु उनके विभागों की ही ज्यादा शिकायते आती हैं। अमूमन यह देखा गया है कि रेवेन्यू अधिकारी के बारे में शिकायतें आती हैं और जिलाधीश उसमें कनवीनर होता है, उनके यहां रिपोर्ट जाती है और रिपोर्ट पर महीने भर तक कार्यवाही नहीं होती है। नतीजा यह होता है कि स्थानीय अधिकारियों के खिलाफ जब कोई एक्शन नहीं होता है तो लोगों को हरेसमेंट होता है और कोई हल नहीं होता है। तो, सभापति जी, इस बारे में मेरा यह सुझाव है, राज्य सरकार का जो विजिलेन्स कमीशन है, जो मुख्य मंत्रीजी का सतर्कता कमीशन है उसके पास भी जिस जिस तरह की शिकायतें आती हैं उनको जिला लेवल के स्कोप के लिये राज्य सरकार को कुछ गाइड लाइन भेज देनी चाहिए ताकि उन्हीं के आधार पर हम मामलों को निपटायें हम कोई डिसीजन लेकर जनता को राहत नहीं पहुंचा पाते हैं तो उसमें असन्तोष होता है। जिला समितियों पर मोटे रूप से कुछ असर जरूर पड़ा है। अगर पुलिस अधीक्षक

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

और कलेक्टर ज्यादा सतर्कता बरतें और कुछ करने की कोशिश करें तो कुछ राहत मिल सकती है वरना आफिशियल और नॉन-आफिशियल की जो रिपोर्ट्स मंगवाते हैं, वह उन्हीं विभागों के द्वारा इन्क्वायरी होकर आती है। तो मेरा अनुभव है, हम पूरा जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं।

माननीय सभापति जी, मेरा सुझाव है जिले के जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं, उनको चेयरमैन रखा जाय या हम कहें किसी एम.एल.ए. को रखा जाय तो एम.एल.ए. के पास भी कोई आफिस की मशीनरी तो है नहीं। उसका आफिस एस्टेब्लिश हो जो सीरियस शिकायतें हैं उनके इमीजियेट फैक्ट्स आ जाय और फैक्ट्स आने पर मुकदमा दर्ज कर दिया जायं इस बारे में कोई न कोई राज्य सरकार को एक्शन लेना चाहिये। सुझाव मंगाना और उसके बाद कोई कार्यवाही करना, इससे तो बहुत से मामले पेन्डिंग हैं। राज्य सरकार का कोई निर्देशन डिस्ट्रिक्ट विजिलेन्स कमीशन को दिया जाना चाहिये ताकि वास्तविक रूप से जनता को सन्तोष दिला सकें।

सभापति जी, इस प्रशासन के सुधार के लिये समय में कई कमीशन बने उनकी रिपोर्ट्स भी आई उन पर केन्द्र सरकार ने और राज्य सरकार ने स्टेप्स लिये हैं और उनमें कुछ सुधार भी हुआ है, कुछ करप्शन भी कम हुआ है परन्तु फिर भी पेपर वर्क इतना बढ़ गया कि सेक्रेटेरियट लेवल पर एक फाइल 5–5, 6–6 जगह जाय और जो क्विक डिस्पोजल होना चाहिये वह नहीं हो पाता है। मेरा निवेदन है अलग अलग विभाग के अधिकारियों के होने के बावजूद— क्विक डिस्पोजल होना चाहिये वह नहीं हो रहा है। मेरा सुझाव है सेक्रेटेरियट लेवल पर जितना स्टाफ है उसकी कमी करने की आवश्यकता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिले में जो होते हैं उनके पास 2–2 आदमियों का ही स्टाफ रहता है और पचासों तरह के केसेज आते हैं और उनके लिये हाई कोर्ट की एक गाइड लाइन है कि इतने समय में केसेज डिस्पोज आफ करना चाहिये तो उनका डिस्पोजल हर तरह से करना पड़ता है नहीं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है।

इसी प्रकार तहसीलदार, नायब तहसीलदार और एस.डी.ओ. के पास अमला ज्यादा होते हुये भी किसी की कोई जिम्मेवारी नहीं है इसलिये जितने ज्यादा आफिसर्स और जितने काम्पीटेन्ट आफिसर्स होंगे उनकी टेबल पर फाइल नहीं पहुंचेगी तो कुछ होने वाला नहीं है। आज स्थिति यह है कि हमें भी सेक्रेटेरियट लेवल पर कागज परस्यू करना पड़ता है। कभी असिस्टेन्ट सेक्रेटरी, कभी डिप्टी सेक्रेटरी और कभी सेक्रेटरी के पास जाना पड़ता है। कागज इतनी जगह जाता है कि उसको महीनों तो ऊपर लेवल पर पहुंचने में लग जाता है और फिर बाबू अच्छा अनुभवी और ज्यादा काम करने वाला नहीं है तो वह कागज को ही 15 दिन तक पढ़ता रहेगा और उस पर कोई निर्णय नहीं कर पायेगा। इससे क्या हाल होने वाला है। होना यह चाहिये कि शिकायत सीधी ऑफिसर के पास जानी चाहिये...

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : हाउस में कोरम नहीं है।

(गणपूरक घंटी)

(गणपूर्ति के पश्चात्)

श्री रघुनाथ विश्नोई : तो सभापति जी, जैसा हमने 20 सूत्री कार्यक्रम बनाकर, फिक्स टाइम निर्धारित करके आफिसर्स की ड्यूटीज बान्ध दीं और एक गाइड लाइन दे दी हैं कि कर्मचारियों की कान्फीडेन्स रोल देखकर करीब दो-तीन हजार लोगों को रिटायरमेंट देकर घर बिठा दिया। इसी एडमिनिस्ट्रेशन के इन्हीं लोगों के बारे में हजारों कट मोशन्स हर विभाग के बन कर हो हल्ला होता था और न उनसे कोई सन्तोष सदस्यों को मिलता था और न जनता को ही कोई राहत मिलती थी। अब जब दृढ़ निर्णय लिया तो कुछ काम होने लगा है। इसलिए अब इस एमर्जेन्सी में 8 घंटे बैठकर कर्मचारी खुद दरख्वास्तें देख लेता है तो देखता है कि इसका इतने दिनों तक डिस्पोजल क्यों नहीं हुआ तो उसी लेवल पर डिसपोजल हो जाता है। लेकिन अमूमन देखा गया है इतना काम होता नहीं है। एमर्जेन्सी में सतर्कता जरूर आई है, हर जगह काम जरूर होने लगा है परन्तु फिर भी लोगों को जितना सन्तोष मिलना चाहिये, वह हमें देखने को नहीं मिला।

सेक्रेटेरियेट लेवल पर सतर्कता से काम करने की आवश्यकता है और जो हाइएस्ट लेवल पर होना चाहिये वह 5–10 दिन में ही होकर चला जाना चाहिये। प्रशासन के सुधार के लिये अभी और करने की आवश्यकता है और कुछ स्टेप्स और लिये जाने चाहिये।

सभापतिजी, इसके अलावा जो मैंने कहा जिला लेवल पर सतर्कता समिति में कलेक्टर और एस.पी. दोनों मेम्बर हैं। पहले पुलिस की एडवाइजरी कमेटी अलग लेवल पर बनाई गई थी और उसकी एक–दो मीटिंग हुई। बाद में मालूम नहीं क्यों बिल्कुल खतम कर भंग कर दी, मेरे ख्याल से कोई कार्य नहीं हुआ है, क्योंकि पुलिस के बारे में जो भी काम करने की आवश्यकता थी, वह एडवाइजरी कमेटी ने काम नहीं किया। मेरे खयाल से राज्य सरकार ने उसको भंग कर दिया। इसलिये जुडिशियरी वालों को चेयरमैन बनाते या नान–आफिसियल को चेयरमैन बनाते तो शीघ्र से शीघ्र रिपोर्ट आ जाती, वरना बहुत से केसेज में रिपोर्ट्स आ जाती हैं और उस रिपोर्ट को फाइल कर देते हैं। अगर कुछ आफिसर्स के खिलाफ शिकायत है तो कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसे सस्पेन्स में बहुत सी दरख्वास्तें पेन्डिंग हैं, कोई निर्णय नहीं हो रहा है इसलिये मैं माननीय मंत्रीजी से चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में कुछ निर्णय लेकर गाइडलाइन्स भेज दें कि किस तरह की दरख्वास्तें लें और किस प्रकार से उनका डिस्पोजल हो। वरना गाइड लाइन्स नहीं होने से लोगों में असंतोष बढ़ता जा रहा है क्योंकि उनकी शिकायतों की और दरख्वास्तों की सुनवाई नहीं हो पाती है। बाकी शिकायतें किस तरह से की जावेंगी उनका भी निपटारा करना चाहिये। जिला लेवल पर जितनी दरख्वास्तें आ जाती हैं यदि उनका डिस्पोजल शीघ्र न हो तो बड़ी ही विचित्र स्थिति बन जाती है और लोगों में असंतोष फैलता है इसलिये इसके लिये कुछ न कुछ करना जरूरी है।

सभापति महोदय, मेरी तो राय यह है कि डिविजन लेकर एक सतर्कता कमेटी के रूप में डिविजन लेवल पर की कोई व्यवस्था करनी चाहिये जिससे वह शिकायतें सुन सके और डिसिजन ले सके। इन्क्वायरी

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

वगैरह भी हो तो इन्डिपेन्डेन्ट ग्राफिसर को भेज कर एक्शन लेने की बात हुई तो एक्शन होगा वरना संतोषप्रद इन्साफ नहीं दे पायेंगे।

सभापति महोदय, पुलिस विभाग का एडमिनिस्ट्रेशन इमर्जेन्सी में काफी ग्रच्छा हुग्रा है। ग्राफिसर्स ने भी ग्रपनी ड्यूटी निभाने की कोशिश की है। इसका सबूत यह है कि कट मोशन्स काफी कम ग्राये हैं। शिकायतों के सम्बन्ध में कमी होने लगी है। लेकिन सीनियर ग्राफिसर्स को यह पोइन्ट दर गुजर नहीं करना है कि नीचे के ग्राफिसर्स की जिम्मेदारी बढ़ गयी है, मीसा में पकड़ने की वजह से भी लोग शिकायतें न कर रहे हों, ग्रौर ग्रन्दुरूनी भी लोगों के इस तरह के विचार हैं, हमें इसकी जानकारी है, प्राइवेटली भी बातचीत चलती है, हमारा भी ग्रनुभव है कि नीचे के लेवल पर ड्यूटी ग्रौर तनख्वाह को देखते हुए काम काफी कर रहे हैं लेकिन थानों के लेवल पर शिकायतें दूर नहीं हो पायी हैं। इसलिये इसके लिये सीनियर ग्रोफिसर्स का दौरा होना चाहिये। खुद ग्राफिसर्स को शिकायतों का डिस्पोजल करके इन्साफ दिलाने की कोशिश करनी चाहिये।

सभापति महोदय, जिला जालौर के क्राइम के संगीन कैसेज के इन्वेस्टिगेशन की संख्या में कमी दिखायी गयी है लेकिन छोटे-मोटे कैसेज को इन्क्लूड करके पर्सेन्टेज बढ़ा दिया जाता है। संगीन केसेज ग्रक्सर फेल हो जाते हैं इसका कारण यह है कि इन्वेस्टि-गेटिंग ग्रधिकारी झूठी सच्ची जांच करके पूरा कर देते हैं लेकिन ग्रल्टीमेटली केस फेल हो जाता है। पुलिस प्रशासन को इस बारे में कुछ न कुछ स्टेप लेने चाहिये। फेस वेल्यू पर जैसी दर्ख्वास्त ग्रायी है जैसे तैसे उसको पूरा कर देना चाहते हैं इसका नतीजा यह हुआ है कि ग्रदालतों में जैसे 20 ग्रादमियों के खिलाफ है ग्रौर दो इन्वोल्व हो गये तो ग्रागे जाकर छूट जाते हैं, ग्रौर यह हमारा ग्रनुभव है। आज कल की ग्रावश्यकताग्रों को ध्यान में रख कर जनता की शिकायतों का स्पीडी डिस्पोजल होकर ग्रदालतों में केसेज चले जायं इस बारे में विशेष काम करने की ग्रावश्यकता है। पुलिस की पार्टी ग्रौर पकड़ने वालोंका थानों के रिग्रार्गेनाइजेशन के लिये एक पुलिस रिफोर्म्स कमेटी बनी थी। यह रिपोर्ट इम्पलीमेन्ट हो गयी हो ऐसा नहीं लगता है। चीतलपाना ग्रौर बागस में थाने होने को थे। मैं राज्य सरकार से जानना चाहूंगा कि इन थानों का गठन करेंगे या नहीं। बहुत बड़ा एरिया होता है वहां पर जितना स्टाफ चाहिये वह नहीं होता है इस कारण से डिले होती है। ग्रदम पते में ग्रौर किसी कारण से केस डिले हो कर फाइल होते हैं। इसलिये थानों में जीपें वगैरह बढ़ा कर आप इसकी व्यवस्था करें। रिग्रार्गेनाइजेशन कमेटी की रिपोर्ट को

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

शीघ्र इम्पलीमेन्ट करें। माननीय मंत्री जी से ग्राश्वासन चाहूंगा कि राज्य सरकार की ग्रोर से भविष्य में इस सम्बन्ध में क्या किया जावेगा।

पुलिस के जो ए. पी. पीज हैं, जुडि-शियरी ग्रौर एक्जीक्युटिव सेपरेशन के बाद, इस सम्बन्ध में रूल्स बनें या नहीं। ए.पी. पीज, को यदि जुडिशियरी में देना है तो

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

वहां पर दे दीजिये और पुलिस में लेना है तो उनको वहां पर ले लीजिये। इस सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय करें ताकि उनकी जो ग्रिवान्सेज हैं वे दूर हो जायं और उनका फ्यूचर सामने आ जाय।

इन्डस्ट्रीज की आखिरी डिमाण्ड रहती है। सभापति महोदय, मेरे कट मोशन के जरिये राज्य सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जिला जालौर इन्डस्ट्रीज की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। स्कॉप वहां पर बहुत है इसलिये इसको पिछड़ा जिला घोषित किया जाना चाहिये ताकि इन्डस्ट्रियलिस्ट्स आकर छोटी-मोटी अपनी इन्डस्ट्रीज वहां पर लगायें। इस ओर पूरी तरह से देख रेख न होने से जो थीं वे भी समाप्त हो गयी हैं। एग्रीकल्चर प्रेशर बढ़ रहा है और लेबर को कैसे खपाया जाय इसके लिये स्माल इन्डस्ट्रीज, हैंडलूम इन्डस्ट्रीज पावर लूम इन्डस्ट्रीज आदि अन्य छोटी-मोटी इन्डस्ट्रीज के लिये वहां का सर्वेक्षण कराया जाय, इसके लिये जिला जालौर को बेकवर्ड एरिया घोषित करके सारी फेसीलिटीज उद्योग लगाने वालों को देनी चाहिये ताकि इन्डस्ट्रियल पोइन्ट आफ व्यू से लोगों को एम्पलोयमेन्ट मिल सके। जिला जालौर में सैकड़ों की तादाद में वीवर्स हैं, स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज के आर्टिजन्स हैं, जो अच्छे से अच्छे पट्टु, खेस, बकरियों के बालों की पट्टियां अच्छी मात्रा में बनाते हैं। राज्य सरकार की ओर से बैंकों के नेशनेलाइजेशन के बाद भी इन स्माल स्केल आर्टिजन्स को न तो कोई लोन मिला है और न ही कोई फेसीलिटीज दी हैं। इसलिये इस ओर विशेष तौर से ध्यान देना चाहिये।

श्री सभापति : श्री मोहम्मद गफ्फार अली।

(अनुपस्थित)

श्री गिरधारीलाल भार्गव !

(अनुपस्थित)

श्री उम्मेदीलाल !

(अनुपस्थित)

श्री रामप्रसाद बोहरा !

श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : सभापति महोदय, पुलिस विभाग की मांग के सम्बन्ध में और उद्योग विभाग की मांग के सम्बन्ध में कुछ कटौती प्रस्ताव मेरे हैं उनके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा।

आपातकालीन स्थिति के बाद प्रशासन में सुधार हुआ है इसमें कोई शक नहीं। जिला स्तर पर भी हुआ है। लेकिन अभी भी ऐसे कर्मचारी हैं और अधिकारी मौजूद हैं जिनकी रफ्तार मौजूदा जमाने की रफ्तार को न अपनाने वाली, उसको तोड़ने वाली पूर्व की तरह से ही है और पूर्व की तरह ही वे काम कर रहे हैं। प्राइमाफेसी केस हो, शिकायत हो, उनको भी दर्ज नहीं करते हैं। कुछ दिनों पहले 5-2-76 को अकलेरा तहसील में जमीनें बांटी जा रही थीं। एक रामकुंवरी नाम की गांव झालरापाटन की लड़की डूंगर जो लकड़ी बेच कर धन्धा करती थी, पटवारी ने बहका कर कहा कि तुझको जमीन देंगे। जमीन का पट्टा लेने चलो तहसीलदार के पास। वह गयी। रात में तहसीलदार ने अपने यहां रखा और

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

उसके साथ बलात्कार हुआ। पहले पटवारी ने किया और उसके बाद उसने किया। रात 1 बजे ही वह बाहर निकली। उसने कहा कि मैं थाने जाना चाहती हूं। उसको चपरासियों ने रोक दिया कि थाने में नहीं जाओगी, घर जाओगी। थाने में जाने के बाद भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई क्योंकि तहसीलदार के मुकाबले में उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। एक महीना हो गया। आज तक कुछ नहीं हुआ। शपथ-पत्र उसका मेरे पास है। तीन चार दिन बाद जाकर चिट्ठी थाने पर मैंने यह शपथ-पत्र लिखवाया। इसके बाद मैंने सारी कापीज होम मिनिस्टर साहब, आई.जी. साहब और मुख्य मंत्रीजी को भी दे दी हैं लेकिन आज तक केस रजिस्टर नहीं हुआ, कल शाम तक। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी शिकायतें बराबर आती रही हैं। बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम में गरीबों को राहत देने के बारे में पटवारी और तहसीलदार इस तरह के निम्न स्तर के कार्य करते हैं और एक लड़की के साथ ऐसा हुआ है, तो मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहूंगा मंत्री महोदय से कि उस केस को रजिस्टर कराया जाये और उसकी इन्वेस्टीगेशन कराई जाये। जो लड़की के गवाह हैं उनको तहसीलदार और पटवारी परेशान कर रहे हैं और सजा की धमकी दे रहे हैं इसलिए कम से कम आप मेहरबानी करके दोनों को वहां से हटवाइये और उसके बाद तफतीश कराइये।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि रतनपाल सिंह पिड़ावा में सी. ओ. रह चुके हैं और अभी उनका शिकायतों की वजह से ट्रान्सफर हो गया है। 17 सरपंच और एक प्रधान, ब्लाक कांग्रेस का अध्यक्ष, जिला कांग्रेस का सेक्रेटरी और पी. सी.सी. के सदस्य सब ने मिलकर उच्च अधिकारी और मंत्री महोदय के पास इस बात की शिकायत भेजी है कि उन्होंने यह कहकर कि कन्जरों से हमारी मुठभेड़ हो गयी है, उस कन्जर को पेड़ से बांधकर गोली मार दी। यह भी किया कि कन्जरों में झगड़ा होने के बाद उनके पकड़ने के लिए गये तो उनसे हमारी मुठभेड़ हुई। उस कन्जर का नाम श्यामा कन्जर था और वह गंगधार थाने का रहने वाला था। यह 5–1–76 का मामला है। रतनपाल सिंह को 1969 में सस्पेण्ड किया गया था। वह कन्जरों से मिले हुए हैं। वहां से जितना सोना और चांदी आता है उसमें उनकी पाती होती है और उस मामले की आज तक तफतीश नहीं हुई।

मैं तीसरी बात निवेदन करना चाहता हूं कि अभी 12 तारीख को सूचना मिली कि डूंगर गांव थाना असनावा में पांच बदमाश रोज आते हैं और लोगों को बन्दूक और तलवार बताकर 500–200–100 रुपया रोजाना ले जाते हैं। 7 दिनों तक पुलिस ने उनको गिरफ्तार नहीं किया और इस तरह की वारदात वह रोज कर रहे हैं। एक सिपाही ने परसों ही 200 रुपये ले लिये। यानि 500 रुपये बदमाशों ने लिये और 200 रुपये सिपाही को दिये यह हालात मैं आपके सामने निवेदन कर रहा हूं। तो इस आपात कालीन स्थिति में कम से कम उच्च अधिकारियों को आपकी मार्फत मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो दोषी व्यक्ति हैं उनको सजा दिलायें। रतनपाल सिंह जैसे भ्रष्ट अधिकारी जिनकी बहुत सी शिकायतें हैं और

(श्री राम प्रसाद बोहरा)
उसके बावजूद आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

सभापति महोदय, पाटन थाने में गत साल पार्श्वनाथजी की मूर्ति, जो कि अष्ट धातु की थी, और द्वारकाधीश जी की मूर्ति, जो कि अष्ट धातु की थी, वह चोरी चली गई दस हजार की चोरी गुलाम अली बोहरा के यहां हुई और मंदिर द्वारकाधीश में चांदी के बरतन वगैरह थे उनको चोर निकाल कर ले गए। वह चोरी बरामद नहीं हुई। तो यह हालत है। इस मामले में मैंने आई.जी. साहब से भी कहा था लेकिन आज तक कुछ नहीं हो सका है।

मेडिकापुरा गांव मनोहर थाना के थानेदार ने केस को 15 दिन तक रजिस्टर नहीं किया और इसके बाद में 302 का केस रजिस्टर नहीं करके उसको बचाने के लिए 15 हजार लेकर केस को रजिस्टर किया। जब शिकायत की तो 302 में डी.एस.पी. ने उसको रजिस्टर कराया। मेरा कहना है कि ऐसे थानेदार को नोटिस तक नहीं दिया कि तुमने मौके पर जाकर इस केस को 302 में रजिस्टर क्यों नहीं किया। अगर रजिस्टर करने पर उसका तबादला कर दिया जाता है तो तबादला कोई सजा नहीं है।

सभापति महोदय, मैं उद्योग के संबंध में कुछ निवेदन करूंगा कि झालावाड़ जिले को पिछड़ा हुआ जिला घोषित किया है औद्योगिक दृष्टि से। वहां अब भी कोई उद्योग नहीं लग रहे हैं। मंत्री महोदय ने एक को भी जमीन नहीं दी और वहां लोगों को जमीन और लोन देने में दिक्कत आती है। कलेक्टर कहता है कि डवलपमेन्ट करने की मन्जूरी नहीं है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कम से कम जब आपने परियोजना वहां पर चालू की है, और वहां पर छोटे छोटे उद्योग लगाने वाले मौजूद हैं तो आप इस बारे में कार्यवाही करें और लोगों को जमीन दिलाने की कृपा करें। भवानी मण्डी, खानपुर और झालावाड़, झालरापाटन में लोग उद्योग लगाना चाहते हैं। आप वहां के स्टाफ से कहें कि उनको जमीनें दी जाय। मैं इतना ही कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री दीपंकर !

श्री दीपंकर (लाडनूं) : सभापति महोदय, आज की चार मांगें सामान्य प्रशासन, पुलिस, उद्योग और ग्राम और लघु उद्योग के संबंध में हैं। इन चारों के सिलसिले में मेरे कटौती प्रस्ताव हैं और मैं इनको सामुहिक रूप से लेने की कोशिश करूंगा।

सबसे बड़ी मांग वाला विभाग पुलिस है जिसके लिए 22 करोड़ 11 लाख रुपये की मांग की है। इसके बारे में मैं गत सत्र में भी निवेदन कर चुका हूं, सभापति महोदय, इस विभाग से बहुत आशायें हैं और इसका पुनर्गठन आवश्यक है। कुछ लोग इसके लिए आगे भी आये हैं और उनसे उम्मीद है। जो यह नीले रंग की किताब मिली है मैंने इसको पढ़ा है। वास्तव में कुछ इस विभाग ने अपने स्वरूप में परिवर्तन किया है, जनोपयोगी बनाया है काफी, बहुमूल्य सेवायें इस विभाग की हैं। समाज की सुरक्षा के लिए और आज जो इमरजेन्सी के समय में राजस्थान में शांति है।

(श्री दीपंकर)

इन तमाम बातों के लिए इनका कार्य प्रशंसनीय है। इसलिए मैं इस विभाग इस मायने में प्रशंसा करता हूं, किन्तु कुछ बातें ऐसी हैं कि जिनकी ओर मैं आपकी मार्फत, सभापति महोदय, मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा इस विभाग का एक कारगुजारी का तरीका है। वह आदमी सही माना जाता है जो कि कारगुजार हो। इसमें कभी कभी ऐसा हो जाता है कुछ काम ऐसे हो जाते हैं जिस तरह इस किताब में लिखा है कि इतने डाकू पकड़े गये, इतना माल पकड़ा गया, इतने वायरलेस सेट लगाये गये, इतनी ट्रेनिंग दिलाई गयी और थानों में इतीनी जीपें दी गयीं। ठीक है, जितना किया गया लेकिन थानों के अन्दर अभी भी आवश्यकता है। ऐसे सुदूर में अब भी थाने हैं जहां यह सुख सुविधायें देना शेष है। आपकी कारगुजारी में सही नतीजे निकले हैं वह तो समाज के लिए लाभदायक हैं ही लेकिन कम से कम, सभापति महोदय, ऐसा हो जाता है कि कारगुजारी जिला आफिसर्स को दिखलानी पड़ती है। उस समय ऐसा हो जाता है कि केस कुछ होता है और बन जाता है कुछ और। मैं आपको निवेदन करूं कि सोमानी हत्याकाण्ड चूरू जिले में हनुमान जी की डूंगरी पर हुआ था वहां पर एक नौजवान व्यक्ति मारा गया और उसकी स्त्री के जेवर लूटे गये। उस सिलसिले में पुलिस ने सतर्कता दिखाई और सी.आई.डी. ने जांच की। उसके बाद में दो आदमियों के बारे में माना गया कि यह दो मुल्जिम हैं जिनमें से एक को पकड़कर चालान कर दिया और दस साल की सजा भुगत रहा है। वह आपके चूरू जिले में है और दूसरा जो आदमी है उसकी तलाश है उसको खोजा जा रहा है। अभी लाडनूं जिला नागौर में एक चर्चा चली कि वहां काफी चोरियां हुई हैं और उसके लिए किशनगढ़ में एक कैम्प लगाया तो भादरा थाने का एक लड़का जो बी. एस. सी. पास है, लीडर हैं, वह सोमानी काण्ड का हत्यारा है। उसके पास से एक पिस्तौल बरामद हुई है। उसका सहायक मांगीलाल नाम का नाई है वहां। तो इस तरह से एक अदालत में कार गुजारी बताने के लिए एक को सजा हो गई, वह सजा भोग रहा है और नई तफतीश के अन्दर नए मुलजिम सामने आ रहे हैं। बरामदगी हो रही है। वह स्वीकार कर रहे हैं कि हमने सोमानी को मारा था। इस तरह के कितने परिवर्तन हो रहे हैं। इस तरह से कारगुजारी के काम हैं कि मुल्जिम कौन था और सजा किस को हो गई। नए मुल्जिम कौन हो गए? यहां के सी.आई.डी. ने, 1-3-76 को आपके जो डी. एस. पी. हैं रतनगढ़ के और एस. पी. चूरू ने नया रहस्य खोला है। एक ओर तो सजा भोगने वाला आदमी जब बाहर आएगा जिसके साथ में कार गुजारी अदालत में मुल्जिम बना कर उसे सजा करवा दी। उसके साथ में कोई समाधान नहीं है। वह सजा भोग रहा है और नये मुल्जिम हैं वह बाहर घूम रहे हैं। नए आदमी बता रहे हैं कि हमने मर्डर किया। वह लड़की समझ नहीं सकी जिसके पति का मर्डर हुआ। पिस्तौल लगी, छर्रे लगे और यह सारी की सारी बरामदगी हो रही है। कई तरह की चोरियां बरामद हो रही हैं। तो एक किस्सा इस तरह का है।

एक और किस्सा इसी तरह का आपके जयपुर शहर का है। अभी 4-3-76 को

(श्री दीपंकर)

ही रात को 9 बजे एक महाजन का एक्सीडेंट हुआ। जो सिनेमा देखकर आ रहा था। अम्बर सिनेमा से आ रहा है और मिर्जा इस्माईल रोड पर उसका एक्सीडेंट हो गया उसको एक रिक्शेवाला रात में डेढ बजे ले जाकर अस्पताल में दाखिल करा गया। उसकी डाक्टरी रिपोर्ट है। डाक्टर ने लिखा है कि उसके दोनों कूल्हे छिले हुए हैं, हड्डी टूटी हुई है, यह अकेला रिक्शे पर बैठ नहीं सकता था, दो तीन आदमियों ने मिलकर रिक्शे में रखा होगा। डाक्टर ने लिखा है कि यह कार एक्सीडेंट है। परन्तु पुलिस ने जांच नहीं की। क्या मालूम कौन से प्रभाव शाली व्यक्ति थे जो एक्सीडेंट करके चले गए। अब सुनते हैं कि रिक्शे वाले से पूछा तो वह कहता है कि मुझे तो टैम्पो वालों ने कहा और पुलिस यह कहती है कि टैम्पो का एक्सीडेंट हुआ। चार पांच और आदमियों के चोट लगी। उन लोगों ने यही बताया। किसको सही मानें। कौन सा रिक्शेवाला ले गया, कब ले गया। उसकी अच्छी तरह से पूछताछ नहीं हो रही है और एक ऐसे जवान आदमी, जिसकी छः महीने पहले ही शादी हुई थी, का इस तरह से मर्डर हो गया। कहने को यह भी कहा गया है यह पता लगा है कि यह आदमी गलत काम कर रहा था। जब उसकी जेब से रुपया निकला, सिनेमा का टिकिट निकला, हिसाब का कागज निकला तब यह साबित हो गया कि यह आदमी सिनेमा के शो में गया था। इस सिनेमा में गया था और सब बातें ऐसी हैं मनगढ़न्त। इस मामले की पूरी जांच नहीं की गई, यहां तक कि डाईंग डिक्लेरेशन तक नहीं लिया गया। जो वहां पर एक कम्पाउण्डर था ए.एन. खान, उसको उस घायल आदमी ने कहा कि मेरे घर वालों को इत्तला कर दो, मैं मर रहा हूं लेकिन उसकी इत्तला नहीं की। जब वह मर गया तो सुबह सूचना दी कि मर चुका है, आप लें जाइये। उसकी जेब में टेलीफोन नम्बर था, जेब में हिसाब के कागज थे, सिनेमा का टिकिट था और रिक्शे का नम्बर जिसमें वह चढ़ा था, भी था। सब कुछ था। परन्तु अभी तक न तो रिक्शेवाला सामने आया और न अभी तक कौन सी मोटर थी जिससे एक्सीडेंट हुआ यह सामने आया। इस तरह से यह चीजें इस तरह का प्रभाव डालती हैं जिनकी तरफ हमें देखना चाहिए, मुस्तैदी आनी चाहिए लेकिन वह सही मायने में आनी चाहिए। इस तरह के अनुचित कार्य हो जायं तो उनका कम से कम स्वरूप तो समाज को बताना आवश्यक है। इसके बारे में इस तरह की चर्चायें हो जायें। पुलिस समाज की सुरक्षा करने वाला एक विभाग है तो क्या एक छोटी सी बात का पता नहीं लगा सकता है? तो इस तरह से ये दो तीन केसेज मैंने आपके सामने रखे हैं। ऐसे केसेज तो काफी हो सकते हैं। आपने इमर्जेंसी के समय में स्टेप लिए हैं, बराबर थानों में लोगों को बिठाने की कोशिश की है। परन्तु यह तय है कि कुछ आदमी पुरानी आदत के आदी हैं अपने कार्य करने के तरीके से उनके विचारों में परिवर्तन कर सकते हैं। जिस तरह से थानेदारों की मीटिंग की जाती है जिला स्तर पर और जिला स्तर पर जो एस.पी. हैं उनकी मीटिंग की जाती है डिविजनल हैडक्वार्टर पर उसी तरह से और भी स्तर पर चर्चा हो सकती है। लेकिन जो कम से कम नीचे का स्टाफ है जो

(श्री दीपंकर)

वर्क कर रहा है, जो मुंशीगिरी करता है जो भला बुरा करने का आधार है, जैसे रेवेन्यू का पटवारी काम करता है वह आपके यहां भला बुरा करने का हकदार है, उस भले आदमी को समझाओ कि बदलते वक्त के मुताबिक वह समझे कि उसको अपने विचार बदलने हैं। समाज व्यवस्था बनानी है और व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ आगे जाकर अन्य आर्थिक परिवर्तन भी इसमें जोड़ दिए गए हैं। इस कार्यक्रम को हमारी प्रधान मंत्री ने भी जोड़ा है। हम जानते हैं कि पुलिस का महकमा जनता की सुरक्षा का महकमा है इसलिए उसका भय से ताल्लुक नहीं होना चाहिए। कानूनी तरीके से, उसको समझा इस तरीके से काम करना है। एक आदमी से हत्या हो जाय, जुर्म कर डाले तो उस वक्त में वह हां नहीं करता है लेकिन वकील के पास में जब जाता है, ट्रायल होती है, काफी समय निकल जाता है तब वह यह सोचता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वह ऐसा नहीं करता तो अच्छा होता। वह वकील के सामने कबूल करता है। न्यायालय के सामने चाहे वह कबूल नहीं करे। जो मनोवैज्ञानिक तरीके हैं, इनके द्वारा जरायम पेशा आदमी हैं उनके सुधारने का पुलिस के महकमे को काम करना है। जो जुर्म करते हैं उनके हृदय को परिवर्तन करने के लिए आप लोगों को काम करना चाहिए। जो लोग इस क्षेत्र में काम करते हैं आपको उनसे रिपोर्ट मंगानी चाहिए। ऐसी संस्थाओं के बीच में आपके विभाग के आदमियों को भेजना चाहिये जो इस किस्म की बुराई को बतायें तो मैं समझता हूं कि बहुत कुछ हो सकता है। राजस्थान में इस तरह की काफी कुछ बातें इस विभाग की हैं और जो आपका यह विभाग है, इसे अलग से महकमा रखते हैं ताकि हम भ्रष्टाचार को रोकें लेकिन उसके बदले में इस तरह की छोटी मोटी बातें जनता के सामने आए और बराबर चर्चा होती रहे इस विभाग की; हालांकि इस विभाग से ज्यादा नम्बर दूसरे विभागों ने ले लिया है कमाई में लेकिन यह जरूरी है कि जो भी रिपोर्ट लिखाने आये उसकी रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिये। यह नहीं होना चाहिये कि रिपोर्ट भी उसी वक्त दर्ज की जाय जब कोई बातें हो जायं। किसी तरह से थाने में जाकर बात नहीं कर लें तब तक रिपोर्ट नहीं लिखी जायं और जनता से पैसे ले लिये जायं तो फिर यह किस बात का बजट है? 22 करोड़ और 11 लाख का प्रोविजन पुलिस के लिए किस बात के लिए है? क्या उनकी तनख्वाहें नहीं हैं? इसमें कोई और तरह की सुविधायें नहीं हैं? टी.ए., डी.ए. नहीं है, दवा-दारू की व्यवस्था नहीं है? इस तरह के प्रोविजन उनके लिए हैं। तो यह सारा सब कुछ है, और पुलिस के बिना कुछ कर भी नहीं सकते हैं। पुलिस की बदौलत ही यह शासन चलता है, समाज में शांति है। इसलिए जरूरी है कि इन लोगों के विचार बदलें। उनके विचार बदल कर समाजीकरण पुलिस का हो। जो पुलिस ट्रेनिंग का तरीका है, उसको भी बदलना पड़ेगा। आपको ट्रेनिंग सेंटर्स में डेमोक्रेटिक वे में किस तरह का पुलिस को रोल अदा करना है इस तरह की नई ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। जब जब इस तरह की ट्रेनिंग नहीं देंगे तब तक आपका यह महकमा भय के आधार पर समाज पर कायम रहेगा। इसलिए पुलिस की विचारधारा को बदलने के लिए इस तरह की ट्रेनिंग दी जाय।

(श्री दीपंकर)

इसके अलावा इस विभाग के सम्बन्ध में दूसरे भी मेरे कट मोशन हैं जिनके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं। इस विभाग के अन्तर्गत एक होम गार्ड का भी आपका विभाग है। यह होम गार्ड ऐसा है जो ऐसे वक्त आपके काम में आता है जब देश को जरूरत होती है। जिसमें समाज के बहुत पढ़े लिखे लोग भी आते हैं, इसमें भाग लेते हैं। देश पर जब भी आपत्ति आई है होम गार्ड और दूसरे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। तो आपके महकमे के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि मैं भी होमगार्ड बना था स्वयं, बाकी लोग भी थे। हमने यह देखा कि पुलिस के थानेदार के अण्डर में वहां कहीं भी हमको लगाया हम बहुत दूर तक गए, मेड़ता, मकराना, जसवन्तगढ़ तक गये थे, जहां कहीं पर भी गए चाहे रेल्वे पुलिस हो, चाहे आपके पुलिस वाले हों सबने यही सोचा होगा कि हम सब उनके सबआर्डिनेट हैं। हमारे स्वयं सेवक चाहे बी. ए. पास हों, पढ़े लिखे हों लेकिन अगर एक अनपढ़ आदमी है कांस्टेबिल बना है तो पानी की बाल्टी हमसे ही उठवायेगा। इसलिए इसको बेगार का महकमा नहीं समझा जाय। यह बहुत काम का महकमा है, बहुत कुछ सूचना दे सकता है। आप इतने थानों की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, कुछ करने की चेष्टा की है लेकिन अभी बहुत कुछ करना है। तो जो सामाजिक कार्यकर्ता आगे आते हैं ...

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : माननीय सदस्य से एक बात पूछना चाहती हूं कि आपने जो होम गार्ड के बारे में कहा है कि बाल्टी उठवाई और आपने बाल्टी उठाने का काम किया तो क्या इसको अनुचित समझते हैं? डिग्निटी आफ लेबर लोगों को समझाई जाय क्या यह उचित नहीं है?

श्री दीपंकर : मैं माननीय सदस्या से निवेदन करूंगा कि मेरे कहने का मतलब यह था कि महकमे वालों ने ऐसा धन्धा करवाया। इसका मतलब यह है कि उन्होंने हमको मातहत समझा और बेगार ली। तो बेगार ली जानी चाहिए या नहीं यह निवेदन किया था।....

(व्यवधान-अश्रव्य)

(व्यवस्था-सूचक-घण्टी)

इसलिए एक तरफ मेरी जो मांग है, जो सूचना है वह यह है और माननीय मंत्री महोदय को, सभापतिजी, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि इसके लिए आज अलग से महकमा कायम कर पुलिस से इसको मुक्ति दिलायें। यह एक मिलिट्री टाइप का आर्गेनाईजेशन है, उसी टाइप के ओहदे हैं, लेकिन न तो आप उनको वर्दी देते हैं और न बराबर स्थाई तरीके से नाम पुकारा जाता है। पांच चार रुपया देते हैं एक बार आने के लिये, इसके बारे में उनको मालूम नहीं है। इस महकमे को तरजीह देनी चाहिए। मैं एक अधिकृत नक्शा इस सदन के पटल पर पेश करना चाहता हूं। इस नक्शे में उदयपुर में निरंजननाथ आचार्य का एक अखाड़ा है, उस अखाड़े की बहुत जमीन है, लाखों की इमारत बनी हुई है कई हजार का यह भू-खंड राजस्थान के होम डिपार्टमेन्ट को यह संस्था देने को तैयार है। भारत सरकार से 2 करोड़ 88 लाख या इस तरह से 2 लाख 88 हजार की राशि होमगार्ड की बिल्डिंग के

(श्री दीपंकर)

लिये मिल सकती है। भारत सरकार वह धनराशि देने को तैयार है। यह होम गार्ड की बिल्डिंग इसमें हो सकती है लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इतनी बड़ी धनराशि भारत सरकार से मिल रही है और राजस्थान सरकार इसको प्राप्त करने का प्रयास नहीं कर रही है। ऐसा लगता है कि हमारी भारत सरकार का इस ओर ध्यान नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार इस तरफ ध्यान दे। डिप्टी कमान्डेन्ट को डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस का दर्जा दिया जाना चाहिये। जो पुलिस के नियम हैं उनको पूरा लागू करना चाहिये। यही नहीं उनकी तरक्की नहीं होती है। डी. आई. जी रैंक से आते हैं और डिप्टी कमान्डेन्ट के पद से रिटायर हो जाते हैं। पुलिस विभाग से इसका सम्बन्ध होते हुए भी उस विभाग के रैंक से इसका सम्बन्ध जुड़ा नहीं है। इसका जो आफिसर है आई.जी को, आप बनाते हैं, वह भी परेशान होता है। वह दूसरे वातावरण से वहां पर आता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसके लिए जो आफिसर होना चाहिये वह मिलिटरी का आफिसर होना चाहिये। वह सिविल डिफेन्स के बारे में जानता है, प्लानिंग के बारे में जानता है। यह आपका सीमान्त प्रान्त है। सीमान्त प्रान्त होते हुए भी आप मिलिटरी की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। सीमान्त प्रान्त होने के कारण इस महकमे का महत्व है। आपके इस महकमे के अन्दर होम गार्ड परमानेन्ट तौर पर होना चाहिये। इसमें आर. ए. सी. की बटालियन होनी चाहिये। आशा करता हूं कि राज्य सरकार इस महकमे की ओर उपेक्षा न करेगी इसकी ओर समुचित ध्यान देगी।

सभापति महोदय, मैं अब दूसरी बात निवेदन करता हूं। वह है आपके उद्योगों के बारे में। बड़े उद्योगों के लिए राज्य सरकार ने 1 करोड़ 87 लाख का प्राविजन रखा है और ग्रामीण उद्योगों के लिए आपने केवल 42 लाख का प्राविजन किया है। यह एक दुःख की बात है। सभापति महोदय, मेरा निवेदन करना है कि राजस्थान में पांच ग्रामीण औद्योगिक परियोजनाएं चल रही हैं। इस तरह की और परियोजनाओं के लिए भारत सरकार से मांग की जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में इनको फैलाया जा सकता है और ऐसी योजनाएं बनायी जा सकती हैं। इसके लिए मेरा निवेदन है कि विशेष प्राविजन रखा जाना चाहिए ताकि इसका उपयोग किया जा सके। आज गांवों में काफी लोग बेकार हैं। उनके लिए यह योजना उपयोगी है। इस दिशा में विशेष तौर से ध्यान दिया जाना चाहिए।

जहां तक बड़े उद्योगों का सम्बन्ध है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि नागौर जिले को एक पिछड़ा हुआ जिला औद्योगिक दृष्टि से घोषित किया गया है। ऐसे ही और बहुत से जिले घोषित किये गये हैं। परन्तु जयपुर में बाइस गोदाम में, कोटा जैसे शहरों में ही आज उद्योगों का विकास हो रहा है। यहां की संस्थाओं में आपको बुलाया जाता है। उनके पास बड़े प्लान और इन्जीनियर भी हैं इसलिए उनका औद्योगिक डवलपमेन्ट बहुत जल्दी-जल्दी हो रहा है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं परन्तु यह जानना चाहता हूं कि पिछड़े हुए जिलों के औद्योगिक विकास की भी कोई योजना है आपके पास? आपने उद्योगों के लिए सब्सीडी देने की घोषणा की है। वहां पर जो कोई उद्योग धन्धे

(श्री दीपंकर)

लगावेंगे उनको मदद देने का भी आपने आश्वासन दे रखा है। मिनरल इन्डस्ट्रियल कार्पोरेशन ने वहां पर 'इन्डस्ट्रियल' एस्टेट बनाने की योजना बनायी थी और घोषणा की थी परन्तु आज तक वह योजना शुरू नहीं हुई। उसका कोई नक्शा हमें प्राप्त नहीं हुआ। कई इन्जीनियर बेकार हैं। लाडनूं, सुजानगढ़ क्षेत्र में पढ़े लिखे नवयुवक बेकार हैं। वे इन्डस्ट्रीज लगा सकते हैं। क्या क्या इन्डस्ट्रीज वहां पर लगाई जा सकती हैं, क्या-क्या रामटेरियल दिया जावेगा और इसके लिए कहां पर मार्केट है, इसकी कोई योजना जनता के सामने अभी तक नहीं आयी है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसकी ओर भी राज्य सरकार का उद्योग विभाग ध्यान दे।

जहां तक सामान्य प्रशासन की बात है– वह चाहे जिला स्तरीय हो, या तहसील स्तरीय हो या और किसी स्तर का हो, मोटे रूप में सामान्य प्रशासन एक सामान्य प्रशासन ही है। जब तक विभाग का महत्वपूर्ण व्यक्ति या अधिकारी बाबू को निवेदन न कर दे किसी संबंधित फाइल या मामले के बारे में तब तक काम शुरू नहीं होता है। इसलिए सामान्य प्रशासन से मेरा मतलब सामान्यतया यह है कि चाहे किसी तरह का कोई विभाग हो, उसमें काम जल्दी नहीं होता है। चाहे आप अदालत में जाते हैं या किन्हीं और दफतर में, जहां कि जनता से सम्पर्क होता है और भी कई विभाग हैं जिनका कि जनता से सम्पर्क होता है, वहां काम तीव्र गति से नहीं होता है। बीस सूत्री कार्यक्रम लागू किया है। इस कार्यक्रम में यह भी है। हम राज्य कोष से जिनके परिवारों को पालते हैं, जिनके जीवन को गारन्टी दे रखी है, जिन्हें सुख सुविधा दे रखी है, उन्हीं ने हमसे विद्रोह कर रखा है। जनता के सामने उसके कार्य-कलापों से हमारी बदनामी होती है उसके व्यवहार से, उसके काम से। चाहे वह पटवारी हो चाहे वह कलेक्टर हो–पटवारी से लेकर कलेक्टर तक जितने भी सम्बन्धित कर्मचारी हैं, वह सारे के सारे हमारे प्रशासन तन्त्र के यंत्र हैं। इनमें गति लाये बिना प्रशासन में गति नहीं लाई जा सकती है। टाइम पर आते हैं और टाइम से चले जाते हैं इससे ही सुधार नहीं हो सकता। वे आज काम नहीं करते हैं। जो लिस्टें बनी थीं वे धरी की धरी रह गई। कार्य की गति मन्द हो गई है। लोग आकर चले जाते हैं। यह देखा जाना चाहिए कि कितना काम पेन्डिंग है, 6 महीने से, साल भर से कितना पेन्डिंग है। पेन्डिंग पेन्डिंग ही है। मन्थर गति से, आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ रहे हैं। इसमें सुधार लाने की आवश्यकता है, यही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : श्री मोहरसिंह (सादुलपुर)।

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : माननीय सभापति महोदय, आज पुलिस, उद्योग तथा लघु उद्योग की मांगों पर विचार हो रहा है। इस पर मेरे कट मोशन्स हैं।

सभापति महोदय, वास्तव में आज पुलिस का बड़ा भारी उत्तरदायित्व है। पुलिस जनता की रक्षा करने के लिए है। ज्यों ज्यों, सभापति महोदय, हम सामन्तवादी युग से पूंजीवादी युग में आने और आज पूंजीवादी युग से हम समाजवादी युग में

(श्री मोहर सिंह)

आगे बढ़ने के लिए लालायित हैं, उसमें तो पुलिस का दायित्व और भी महत्वपूर्ण है। सभापति महोदय, आज राजस्थान के अन्दर चाहे ग्रामीण अंचल हो, चाहे शहरी अंचल हो, वस्तुस्थिति के तौर पर हम देखते हैं तो इस बात पर पहुंचते हैं कि पुलिस के अधिकांश अहलकार, आफिसर अपने दायित्वों का कतई पालन नहीं कर रहे हैं। सभापति महोदय, बहुत बड़ी जिम्मेदारी पुलिस के ऊपर है लेकिन ज्यों ज्यों युग आगे बढ़ता जा रहा है, पुलिस के दृष्टिकोण में, पुलिस के नजरिये में, पुलिस के आगे बढ़ने के कदमों में परिवर्तन होना चाहिए था परन्तु वह नहीं हुआ और आज भी पुलिस अधिकांश तौर पर दमन और घृणा की प्रतीक है। इसमें चेन्ज आना चाहिए था जमाने के अनुकूल। परन्तु वह नहीं हुआ। जैसे-जैसे समय परिवर्तित हो रहा है, मुझे कुछ बातें याद आ रही हैं, सामन्तवादी युग में जब कांग्रेस ने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और आजादी के युग में प्रवेश किया, उस वक्त की घटनायें याद आती हैं। कितनी श्रद्धा और प्रेम उस वक्त के काम करने वाले लोगों के प्रति था। खादी की टोपियां, पोशाक पहिन कर जब वे लोग ग्रामीण अंचल में जाते या शहरी अंचल में जाते तो उन लोगों को देख कर लोग कितने खुश होते थे। वे लोग उस समय त्याग और कुर्बानी के प्रतीक माने जाते थे। मैं समझता हूं कि यही स्वरूप पुलिस का सब जगह चाहे ग्रामीण अंचल में चाहे शहरी अंचल में, होना चाहिये। पुलिस को देखकर लोगों को यह प्रतीत हो कि ये हमारे रक्षणकर्ता हैं। खुशी हो दिल में, उमंग हो पुलिस के एक अहलकार और अफसर को देखकर। यह चेन्ज, यह परिवर्तन नुक्ते निगाह में और नक्शे कदम में आना चाहिए। पर आज क्या हो रहा है? इसके मायने यह भी नहीं है कि पुलिस में ईमानदार आदमी कतई हैं ही नहीं। ऐसी बात नहीं है। आजकल कुछ नवयुवक आ रहे हैं, सभापति महोदय, उनसे मिलने का काम पड़ा है। उनके दिल के अन्दर कुछ दर्द है। देश का जो नक्शा बदलता जा रहा है उसको कुछ महसूस करने का माद्दा भी है। वे उस तरफ बढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर जो आदमी पुलिस में पुराने हैं उनमें अब भी वही पुरानी भावना है। अब भी वही दकियानूसी खयालात उनके अन्दर हैं, अब भी वे बाबा आदम के जमाने का बेसुरा ढोल पीटना चाहते हैं। लेकिन, सभापति महोदय, जो नवयुवक आ रहे हैं पुलिस सर्विस में वे ईमानदारी के साथ काम करना चाहते हैं मेरा एक सुझाव है कि उनके लिए कुछ रुतबा विशेष तौर से कायम रहना चाहिए जिससे वे लोग यह समझ सकें कि वे समाज को त्याग और बलिदान की भावनाओं से युक्त होकर सेवा कर रहे हैं तो, उसके बदले में कम से कम आदर तो मिला, इज्जत तो मिली। कुछ आकर्षण इस प्रकार का उनको मिलना चाहिए। यू. पी. में चौधरी चरणसिंह जब चीफ मिनिस्टर थे चाहे वह दूसरी पार्टी के थे उसका यहां मैं विचार नहीं करता हूं, लेकिन उन्होंने कुछ इस प्रकार की कोशिश की थी कि जो ईमानदार आफिसर थे पुलिस के अन्दर उन लोगों के लिए विशेष आकर्षण रखा था कि कुछ विशेष इस तरह का रुतबा, इज्जत उनको बख्शी जाय, उनका स्वागत किया जाय, विशेष भत्ता दिया जावे जिससे वह लोग इस तरह की भावना

(श्री मोहरसिंह)

से युक्त होकर आगे कार्य का क्रियान्वयन करने की कोशिश करें। यह एक प्रोत्साहित करने का तरीका है। सभापति महोदय, उनकी अगर हम इज्जत नहीं करें, उनका स्वागत नहीं करें, उनको हम आकर्षित नहीं करेंगे लाभ नहीं देंगे तो बतलाइयेगा इस महंगाई के युग में जब कि नौकरी में पूरा पेट भरने के लिए पैसा न मिले, अपने बाल-बच्चों का पोषण करने के लिए या उनकी जरूरियात को पूरा करने के लिए पूरी तनख्वाह नहीं मिलती है, उस वक्त में ईमानदार लोगों के लिए डेमोक्रेसी में इस तरह की गुन्जाइश न रखें, उनको किसी तरह से आकर्षण न दें, उनका स्वागत न करें, उनको किसी तरह की विशेष इज्जत न दें, लाभ न दें तो वह मायूस हो जायेंगे। सभापति महोदय, इस बात का हमें विशेष ख्याल रखना चाहिये।

अब जो पुलिस के हालात हैं उनके लिए कहना चाहता हूं। रिश्वतखोरी कुछ और भी ज्यादा बढ़ी है। आज के करीबन 16 वर्ष पहिले जब मैं पहली दफा एम. एल. ए. बना था तब शिवदानसिंह थानेदार को 16 माह तक सस्पेंड रखा गया था 13 हजार रुपया रिश्वत लेने के कारण, लेकिन आज हर थाने में जाकर देखें तो पुलिस भ्रष्टाचार का अड्डा बनी हुई है। यह भ्रष्टाचार का बोलबाला कहां पर ले जायेगा देश को? जब बाड़ ही खेत को खाने लग जायेगी तो देश का क्या हाल होगा? पुलिस को आरक्षी कहा जाता है लेकिन आरक्षी ही भक्षण करने लग जाय तो रक्षा कौन करेगा? इसलिए यह उपाय करना चाहिए कि रिश्वतखोरी मिटे। इसके साथ में सबसे बड़ी चीज जो है वह यह है कि चाहे ग्राम अंचल हो, चाहे शहरी अंचल हो, वेस्टेड इन्ट्रेस्ट वालों की, जो साधन-सम्पन्न हैं उनकी पुलिस सेवा करती है। गरीब की सेवा के लिए, जो कि आगे आ नहीं सकता पुलिस को आगे आना चाहिए। अच्छाई के लिए, गरीबों के लिए, जो नीचे के तबके के लोग हैं उनको ऊंचा उठाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए, बदमाशों का दमन करने के लिए, हर तरह से लेकिन पुलिस उसके लिए तैयार नहीं प्रतीत होती है। जो निहित स्वार्थ वाले हैं उनके लिए पुलिस हमेशा तैयार रहती है। सभापति महोदय, बार-बार इस प्रकार की शिकायतें आती हैं कि पुलिस एफ. आई. आर. दर्ज नहीं करती है, प्रथम तो टरका दिया जाता है गरीब आदमी को। अभी रैवेन्यू के कुछ अहलकारों की बात आई और उसके साथ में पुलिस का नाम जोड़ा गया था। सभापति महोदय, वस्तु स्थिति यह है और इससे आंख नहीं मींचनी चाहिए। ज्यादातर अहलकार अपने फरायज को अन्जाम देने में नाकाबिल सिद्ध होते जा रहे हैं।

मैं अपने इलाके राजगढ़ के लिए बात रखना चाहता हूं कि ढाई वर्ष, चार वर्ष, और पांच वर्ष पहले 3-4 कत्ल हुए। चान्दरायण के अन्दर कत्ल हुआ, राजगढ़ के अन्दर कत्ल हुआ, उनका आज तक पता नहीं। ढाई साल पहले भगेला के अन्दर 60 हजार का डाका पड़ा लेकिन उसका आज तक पता नहीं लगा है। यह हालात एक क्षेत्र में नहीं अलग-अलग क्षेत्रों में जाकर देखेंगे तो मिलेंगे। इसका कारण क्या है? इसकी वजह यह है कि गुण्डागर्दी करने वाले जो लोग हैं उनको लगातार हर तरह से प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सबसे पहले

(श्री मोहरसिंह)

आप उनको हथियार दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि आपके आफिसर तो इस बात का ख्याल रखें कि किसी गुण्डे आदमी को, किसी बदमाश आदमी को हथियार न दें, लेकिन उन्हें बख्शीशनामे दिये जा रहे हैं, हथियार दिये जा रहे हैं जो कि पब्लिक पर रौब गालिब करते हैं, पार्टियां बनाते हैं, लोगों पर मुकदमे करवाते हैं और पुलिस अफसरान के साथ मिलकर रिश्वत खाते हैं और खिलाते हैं। इसका जबरदस्त गलत असर पब्लिक के ऊपर है। इस प्रकार की बेजा हरकत करने वालों का रजिस्टर में सही नाम होना चाहिए। हथियारों के लिए दरख्वास्त दें तो बड़ी छानबीन के बाद हथियार दिए जाने चाहिए। प्रसण से नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूं कि या तो उनको संरक्षण दिया जाता है बड़े-बड़े अफसरों की तरफ से या होम मिनिस्टर की तरफ से। अगर इस तरह के जो गुण्डे हैं, बदमाश हैं उनको किसी प्रकार का संरक्षण नहीं दे सकें तो बहुत सी चीजें मिट सकती हैं और पब्लिक बड़े आराम व अमन और शान्ति से अपनी जिन्दगी गुजार सकती है।

सभापति महोदय, इसी तरह से शहरों में जाकर देखें तो जहां पर ग्रामों के अन्दर [illegible] पुलिस के कारण ऐसी है तो उसी तरह की हालत पुलिस की आप शहरों में देखेंगे। शहरों में इण्डस्ट्रीज जो सेठ लोग चलाते हैं उनको भी देखें। देश के अन्दर अभी जो इमर्जेन्सी चल रही है उसमें बहुत से पुलिस के अधिकारियों को मनमानी करने का मौका मिला है। उन्होने देखा है कि बहुत ठीक टाइम है। थोड़ी-बहुत जो कसर निकालनी है वह इस इमर्जेन्सी में निकाल लो। औद्योगिक क्षेत्र में किस तरह से मजदूरों को थानों में बुलाकर करेन्ट लगाते हैं, और किस तरह से लोगों को कारखानों से मालिक बराबर निकालते जा रहे हैं। थोड़ी बहुत मदाखलत जो पुलिस अपनी तरफ से ऐसे मामले में कर सकती है वह कतई नहीं करती है। पुलिस इण्डस्ट्रियलिस्ट के साथ में है। पुलिस मजदूरों के बजाय, श्रमिकों के बजाय सेठों का पक्ष लेती जा रही है। इसका नतीजा यह है कि आज अमन व शान्ति कहीं नहीं है। चाहे देहाती क्षेत्र में देखें चाहे शहरी क्षेत्र में देखें लोग चारों तरफ भय के कारण, दमन के कारण चुप हैं लेकिन उनके दिल में तूफान उठ रहा है। जगह-जगह से यह बातें आ रही हैं कि एफ. आई. आर दर्ज कराने को दो दिन से कोशिश कर रही है उसके पहले ही दूसरे पक्ष वालों ने आकर पैसा दे दिया तो उनकी एफ. आई. आर. पहले दर्ज कर ली। इस तरह से जो पुलिस का व्यवहार है। उसका जो परिवर्तित दृष्टिकोण आज के जमाने में होना चाहिए वह आज तक नहीं बना है जिस तरह समय बदलता जा रहा है, उसी तरह से अपने आपको चेंज करना चाहिए।

श्री प्रद्युम्नसिंह : जो गुण्डागर्दी बढ़ गई थी, वह खत्म हो गई है, इसलिए आप कहते हैं।

श्री मोहरसिंह : आप जो गुण्डागर्दी करवा रहे हैं सामने खुलकर क्यों नहीं करवाते हैं। आप पूरी ताकत से सामने आ जाइये। लुकाछिपी की बात नहीं है। पुलिस की मदद से जनता पर जुल्म कर रहे

(श्री मोहरसिंह)

हैं। इमर्जेंसी लगाई गई है। इसमें पुलिस के द्वारा जनता का दमन किया गया है। सभापति महोदय, इन सारी चीजों के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस को कार्यवाही आज के जमाने के अनुरूप होनी चाहिए।

अब कुछ वाक्य मैं उद्योगों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। आज लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। उद्योग जगह-जगह बन्द पड़े हैं। कारखाने बीमार हो रहे हैं। जो उनके अन्दर काम करने वाले मजदूर हैं, उनकी बुरी हालत हो रही है। राजगढ़ के अन्दर इण्डस्ट्रियल एरिया है। लेकिन बार-बार कहने के बाद भी वहां पर रोड्स नहीं बनायी जा रही हैं। इलाके की बहबूदी के लिए लोग कहते हैं कि इण्डस्ट्रियल एरिया रोड्स कायम हो जाये तो हम वहां पर उद्योग लगा सकते हैं। वहां पर पानी की कमी दूर हो गई है। छोटे उद्योग लगाने की बहुत जरूरत है। मन्त्री महोदय को इस पर ध्यान देना चाहिए। जिन इलाकों के लोग, जिन इलाकों के मजदूर पिछड़े हुए हैं, उनको आगे बढ़कर सहयोग दिया जाना चाहिए, हर तरह की मदद देनी चाहिए। ताकि जो इण्डस्ट्रीज वगैरह हैं, वह पनपें। गांवों में भी ज्यादा से ज्यादा पनपें। जिससे कि आज जो खासतौर से पढ़े लिखे परेशान हैं उनको भी राहत मिले क्योंकि राजस्थान कैनाल में तो उनको जमीन नहीं मिलेगी। तो मैं उद्योग मन्त्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि छोटे उद्योग गांवों में पनपायें। छोटे उद्योगों को भी आप प्रोत्साहन दें।

इन्हीं शब्दों के साथ जो पुलिस विभाग है, उद्योग विभाग है, इनमें जो रवैया चल रहा है, उसका मैं विरोध करता हूं।

श्री सभापति : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय...

श्रीमती निर्मला कुमारी [illegible] : सभापति महोदय, किस क्रम से बोल रहे हैं समझ में नहीं आता है।

श्री सभापति : नम्बर से ही बोले हैं। आपका नाम आयगा तब बता दिया जायगा।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : सभापति महोदय, इसे क्रम से ही ले लें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य ! आर्डर प्लीज।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

एक माननीय सदस्य : नम्बर मालूम है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : सभापति महोदय, मैंने पुलिस और सामान्य प्रशासन पर कटौती प्रस्ताव रखें हैं। मैं सबसे पहले पुलिस विभाग को लूंगा। पुलिस विभाग पर जो कटौती प्रस्ताव रखें हैं, उनमें से पहले कटौती प्रस्ताव पर आता हूं। जिस प्रकार से हमारे 20 सूत्री कार्यक्रम का महत्व बढ़ गया है मैं वही निवेदन करने जा रहा हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सभापति महोदय, यह क्रम मेरी समझ में नहीं आता है।

श्री सभापति। आप समझने की कोशिश नहीं करते।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक तो महिला के अधिकार का हनन हो रहा है, दूसरे क्रम का हनन हो रहा है।

श्री सभापति : आपकी सहानुभूति के लिए धन्यवाद।

श्री बुद्धिचन्द्र जैन : जितना 20 सूत्री कार्यक्रम का महत्व बढ़ गया है, उतना ही पुलिस का महत्व बढ़ गया है। सागड़ी प्रथा को समाप्त करने, दहेज प्रथा को समाप्त करने के बारे में लें या कोई भी अन्य प्रश्न शराब बन्दी के प्रश्न को लें, हम सबके साथ में बिना पुलिस के सहयोग के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जब इतना पुलिस का महत्व बढ़ गया है, हमारे प्रजातन्त्र के ढांचे में तो मैंने यह पाया है कि उस महत्वपूर्ण विभाग से वेतन सबसे कम है। वहां कान्स्टेबल 70/- से 110/- रुपया वेतन है। हैड कान्स्टेबल का 90- रु. से 150 रु0 है। सब इन्सपेक्टर का वेतन 160 से लेकर 360 है। ए. एस. आई. का 110 से 230 रु0 है। एक सब इन्सपेक्टर का वेतन एक यू. डी. सी. के बराबर है। सब इन्सपेक्टर का कर्तव्य और जिम्मेदारी इतनी बड़ी है कि उसको बहुत ही कार्य करना पड़ता है, जिम्मेदारी का कार्य करना पड़ता है। इसके लिए उसको जो तनख्वाह है, वह बहुत ही कम है हम उनसे ज्यादा काम लेना चाहते हैं हम यह चाहते हैं कि प्रजातन्त्र के युग में वह जन सेवक का कार्य करें, तो फिर जो उन पर व्यय करते हैं, वह बहुत ही अपर्याप्त है, यह राज्य सरकार को सोचना चाहिए पुलिस की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं तो उनकी तनख्वाह बढ़ाने के बारे में भी सोचना चाहिए। अब प्रश्न यह है कि उनकी तनख्वाह बढ़ाने से क्या करप्शन रुक जायगा ? तनख्वाह बढ़ाने से यह होगा कि ईमानदार व्यक्ति है, वह और ईमानदारी से काम करेगा और जो बेईमान हैं तो उसके दिमाग में यह आयेगा कि जब राज्य सरकार हमारा वेतन बढ़ा रही है तो क्यों नहीं ईमानदारी से काम किया जाय। इससे ईमानदारी को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे पुलिस ईमानदारी से काम करेगी। दूसरा यह है कि पुलिस के कान्स्टेबल और हैड कान्स्टेबल से एक्सट्रा ड्यूटी ली जाती है। आज कहीं भी, अगर बैंक में क्लर्क एक्स्ट्रा काम करता है तो वह एक्स्ट्रा अलाउन्स प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। परन्तु जिस प्रकार से इन लोगों से हार्ड ड्यूटी ली जाती है, उसके लिए कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। राज्य सरकार को कुछ कदम इस बारे में उठाना चाहिए। अब मैं बाड़मेर जिले की जो समस्याएं हैं, उनके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। बाड़मेर में दो बड़ी चोरियां हो गई हैं। 50 हजार की चोरी हो गई है। एक तो भंवरलाल सन् आफ केसरीमल है। इसके यहां पर 50 हजार से अधिक की चोरी हो गई है। पुलिस बहुत कोशिश कर रही है परन्तु अभी तक इस बारे में कोई पता नहीं लग सका है कि चोर कौन है। जब पता नहीं लगा सके हैं तो माल बरामद होने का सवाल ही नहीं उठता है। एक चोरी अभी हाल ही में दो महीने पहले हुई थी वह भी करीब एक लाख की राशि की चोरी हुई थी। उसके बारे में भी पुलिस के कोशिश करने के उपरान्त भी उस चोरी का कोई पता नहीं लग सका है। पुलिस की तरफ से प्रयास किये जा रहे हैं, एस. पी. भी सक्रिय हैं परन्तु वह अभी तक उसमें सफल नहीं हो सके हैं। मैं यह चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन इस सम्बन्ध में जो भी सहयोग

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

दे सकता है इन केसेज को सक्सेसफुल करने में, इनको सक्सेसफुल करने की कोशिश करें क्योंकि इस तरह के केसेज में पचास हजार एक लाख की चोरियों में अगर पुलिस प्रशासन सफल नहीं होता है तो बड़ी बदनामी होती है। वे प्रयत्न भी कर रहे हैं, और उसको सिन्सीयरली अटेम्ड कर रहे हैं परन्तु अभी तक उनको सफलता नहीं मिली है इसलिए पुलिस प्रशासन और भी जितना सहयोग दे सकता है, उतना देना चाहिए। उनको कोशिश करनी चाहिए और इन केसेज को सक्सेसफुल करने के लिए प्रयास करना चाहिए। एक केस और है जिसके लिए मैंने पहले भी सदन में निवेदन किया था और अभी भी कर रहा हूं कि नेनवां गांव में, जो गुजरात में है, डकैती हुई थी, वह जालौर तहसील से लगा हुआ है। उसके मुलजिम भी नामजद हो गये और कुछ माल भी बरामद हो गया। परन्तु उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाये गये हैं और जिस प्रकार से उस माल की रिकवरी हुई है वह भी अभी रहस्यमय बना हुआ है। जब मुलजिम ही नहीं पकड़े गये तो माल कैसे बरामद हो गया? गुजरात के अन्दर वह गांव है जो अपने प्रान्त से मिला हुआ है तो हमारे प्रान्त का भी फर्ज है कि करीब दो लाख की कुल मिलाकर, जिसमें आर्नामिन्ट्स भी हैं, की चोरी हुई है। इस केस को भी खोलने का प्रयास करना चाहिए। एक केस और है जिसकी ओर भी मैं पुलिस प्रशासन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक मेराराम कोआपरेटिव सोसायटी, सांचोर का अध्यक्ष था उसका मर्डर हुआ था। उसका मुलजिम खुद ही प्राप्त हो गया। किसने उसको शरण दी, कहां शरण दी, इतने अर्से तक उसको किसने प्रोटेक्शन दिया, इसकी भी जानकारी मिलना आवश्यक है। इस बारे में मालूम हुआ है कि उसको प्रोटेक्शन देने वाले प्रभावशाली व्यक्ति हैं। यह मालूम किया जाना चाहिए। इस प्रकार के मर्डर हो जायं और मर्डरर को प्रोटेक्शन दें, यह जानते हुए भी कि इसने मर्डर किया है और उनके विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाया जाय तो इससे उनको प्रोत्साहन मिलता है। रियली जब मुलजिम प्राप्त हो गया और इन्वेस्टीगेशन किया गया, एक बहुत बड़े आफिसर ने इन्वेस्टीगेशन किया, उस आफिसर की बहुत अच्छी रेपुटेशन है, वह बहुत आॅनेस्ट है और इम्पार्शियल भी है, जिन आदमियों ने मुलजिम को प्रोटेक्शन दिया उनके विरुद्ध सख्त कदम उठाये जाने चाहिए। यह मैं पुलिस प्रशासन से अपेक्षा करता हूं कि इस सम्बन्ध में भी कदम उठाकर हमको सन्तुष्ट करेंगे।

पुलिस प्रशासन के बारे में भी कुछ स्टेप्स लिये गये हैं। बाड़मेर पुलिस स्टेशन के लिये भी यह निर्णय लिया गया था और चौहटन जो कि बोर्डर पर हैडक्वार्टर है वहां पर एक डी. एस. पी. या सर्किल इन्सपेक्टर होना चाहिए। इस प्रकार का निर्णय पुनर्गठन के समय लिया गया था उसको क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

पुलिस पदक के बारे में मेरी मान्यता यह है कि जो भी पदक दिये जाते हैं, वह ऐसे-ऐसे व्यक्तियों को और अधिकारियों को मिल जाते हैं जो कि भ्रष्ट हैं। इससे बहुत ही बुरा इम्प्रेशन पड़ता है। इस प्रजातन्त्र के युग में जब ऐसे करप्ट आफिसर्स को

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

पदक दिये जाते हैं और उनको सम्मान दिया जाता है तो बहुत बुरा ही असर पड़ता है। मैं ऐसे-ऐसे अधिकारियों को देखता हूं कि जो गलत प्रशंसा पाकर एस. पी. के रेन्क पर पहुंच गये तो मुझको दुःख होता है। इसलिए हमको चाहिए कि इस प्रकार के लोगों के लिए इन पदकों का प्रयोग होना चाहिए जो बहुत ही योग्य हों और जिनकी बहुत अच्छी परफार्मेन्स रही हो, जिनकी रेपुटेशन जनता में ईमानदारी की हो तब तो पदक की भी प्रतिष्ठा होगी। आज जो पुलिस मैडल और प्रेसिडेन्ट मैडल दिये जाते हैं उनकी इम्पार्टेन्स होनी चाहिए। इसलिए मेरा सुझाव है कि किन व्यक्तियों को इस प्रकार के मैडल दिये जाने चाहिए इसके लिए एक हाई लेवल की कमेटी बनायी जानी चाहिए जिसके स्टेट होम मिनिस्टर चेयरमैन हों। हम देखते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को भी पदक मिल जाते हैं जिनकी प्रेस्टिज ठीक नहीं है तो इसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है। इसलिए इस बारे में ठोस कदम उठाये जाने चाहिए और स्टेट होम मिनिस्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन होना चाहिए। इसके अन्दर नॉन-आफिशियल भी शामिल किये जाने चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 41 उद्योगों के बारे मे मैं कुछ प्रश्न रखूंगा। मेरे जिले की समस्याएं हैं उनके बारे में कुछ जानकारी देना चाहूंगा। हमारा राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से इन पांच वर्षों में काफी तरक्की कर रहा है। मैंने उद्योग विभाग से सम्बन्धित रिपोर्ट पढ़ी है और उसको पढ़ने से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि लघु उद्योगों की दृष्टि से और बड़े उद्योगों की दृष्टि से हमारा राजस्थान प्रान्त आगे बढ़ रहा है। जब हमारा राजस्थान प्रान्त आगे बढ़ता है तब हम देखते हैं कि हमारा जिला जो एक सीमावर्ती जिला है वह भी आगे नहीं बढ़ता है तो मुझे बड़ा दुःख होता है। आज स्थिति यह है कि जो इण्डस्ट्रियल एण्ड मिनरल डवलपमेंट कार्पोरेशन और वित्त निगम कार्य कर रहे हैं, वे अधिकांश ऐसे जिलों में कार्य कर रहे हैं जो कि पूर्वी राजस्थान में हैं, या उदयपुर डिविजन के जिले हैं। जोधपुर डिविजन के अधिकांश जिले नेग्लेक्ट कर दिये गये हैं। जितने भी आपके लैटर आफ इन्टेन्ट हैं, मैंने सब पढ़े वे सब····

श्री ओंकार लाल चौहान : यह असन्तुलन में नहीं आता क्या, माननीय सदस्य ?

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : वह सब बांसवाड़ा के हैं, अलवर के हैं, जोधपुर डिविजन में एक भी कवर नहीं होता है। बीकानेर डिविजन को भी कवर नहीं करता। इसलिए मेरा निवेदन है कि आपकी जो औद्योगिक नीति है उसमें आप विशाल दृष्टिकोण रखें तो ठीक है। अब प्रश्न यह आता है, आप कहते हैं कि आपके यहां बिजली नहीं है उद्योग कैसे लगावें। तो इस बारे में आप माननीय विद्युत मन्त्रीजी से सहयोग करके बिजली में प्रगति करावें, जैसलमेर एक सीमावर्ती जिला है इसलिए आप उनसे कोआपरेशन करके बिजली बढ़ाने की कोशिश करें। आप यह तो करिये। आप ग्रामोद्योग का विस्तार कर सकते हैं, खादी के बारे में जैसलमेर और बाडमेर में तरक्की हुई है उसका आप और विस्तार कर सकते हैं। आप बड़े-बड़े उद्योग अलवर में स्थापित करना चाहते हैं, जयपुर में स्थापित करना चाहते हैं तो छोटे-छोटे जो गृह उद्योग हैं

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

उनको तो हमारे यहां पर स्थापित करिये। खादी एवं ग्रामोद्योग का विस्तार तो कर ही सकते हैं। अगर आप यह करेंगे तो मैं कहना चाहता हूं कि आप उद्योग मंत्रीजी चाहे अकाल सहायता में भी रिलीफ दें, अगर खादी और बुनाई के कार्य को हाथ में लें तो इसमें तो काफी प्रास्पेक्ट्स हैं। जूट का काम इस प्रकार का क्षसोम में है, उसकी बड़ी इम्पार्टेन्स है और वह कार्य बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार वहां बुनाई का कार्य बढ़ाया जा सकता है, जूट का कार्य बढ़ाने की क्षमता है, बढ़ाने का काफी स्कोप है, बढ़ाया जा सकता है। यह छोटे-छोटे कार्य हाथ में लेने चाहिये जिससे वहां की इकानामी सफल हो (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं दो मिनिट में खत्म करूंगा।

मैं कहना चाहता हूं कि हमने मिनिमम वेजेज एक्ट पास किया, परन्तु आज कताई के क्या पैसे मिलते हैं? दिन भर कताई करे तो कताई का पैसा मिलता है वह डेढ़ रुपये से ज्यादा नहीं मिलता है। क्या इसे मिनिमम वेजेज एक्ट के अनुसार कहा जायगा? कताई के बारे में आपको निर्णय लेना चाहिये, कताई पर जो महनत करे, उसको महनत का फ्रूट तो मिले, फल तो मिले। बुनाई के लिए ठीक राशि मिल जाती है, तीन, चार, पांच रुपये मिल जाते हैं। लेकिन यह एक्स-पर्टस का धन्धा है। बुनाई का ज्यादा लेबरर्स को मिलना चाहिए। जब खादी की इतनी कीमत बढ़ रही हैं, हम जो दे रहे हैं वह दुगुनी तिगुनी कीमत दे रहे हैं फिर भी मजदूरी मजदूरों को पूरी तरह से नहीं मिलती है। उन मजदूरों का शोषण किया जाता है। एक तरफ तो शोषण हटा रहे हैं, दूसरी तरफ यह खादी ग्रामोद्योग विभाग एक्सप्लोइटेशन का काम कर रहा है, यह शोषण का काम कर रहा है। इस शोषण को मिटाने की आवश्यकता है।

इन शब्दों के साथ में मैं मेरे कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री सभापति। श्री शंकरसिंह रावत।

(अनुपस्थित)

श्रीमती निर्मला कुमारी।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, मैंने कुछ कटौती प्रस्ताव तीन विभागों पर पेश किये थे-उद्योग, सामान्य प्रशासन तथा पुलिस। इन विभागों के बारे में अपने कुछ सुझाव मैं संक्षेप में पेश करना चाहती हूं।

विश्व मानचित्र पर यदि हम दृष्टि डालें तो भारत की उद्योग में जो स्थिति है वही स्थिति राजस्थान की भी हमें देश के मानचित्र में दिखाई देती है, अर्थात् हमारा प्रान्त औद्योगिक दृष्टि से काफी अधिक पिछड़ा हुआ है। सौभाग्य से हमारे देश की जो जलवायु है वह ग्रोइंग क्लाईमेट है, जिसमें यह माना जाता है-फलोरा और फोना एक फलोरा मिन्स गोडेरीका आफ फ्लावर अर्थात् वनस्पति। फोना मीन्स जीव जन्तु इन दोनों में हमारा देश, खास तौर पर हमारा प्रान्त बहुत अधिक सम्पन्न है। यह सुखद आश्चर्य है कि हमारा भू-भाग है इसमें अतुल सम्पदा खनिज की छिपी हुई है। फिर भी यह औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है क्योंकि औद्योगिक दृष्टि से अब तक

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)

विकास नहीं कर पाया है । मान्यवर, राजस्थान के उद्योग का भविष्य बहुत अधिक सुनहरा है। यदि आप ठीक ढंग से, कारगर तौर पर, विशेष तौर पर कदम उठाते हैं तो। परन्तु आज उद्योग की बात सोचें तो पब्लिक सेक्टर में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी जितना विकास होना चाहिये था उतना नहीं हो पाया है और इस रफ्तार से आगे बढ़ते रहे तो बेकारों की बेकारी है वह भयंकर रूप से एक विस्फोटक रूप में हमारे सामने आयेगी । मान्यवर, राजस्थान में उद्योगों का भविष्य है उसको तीन भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात् तीन प्रकार के उद्योगों का भविष्य यहां पर बहुत अच्छा है, (1) मिनरल बेस्ड इण्डस्ट्री, (2) एग्रीकल्चर बेस्ड इन्डस्ट्री, (3) फारेस्ट बेस्ड इन्डस्ट्री–इनकी ओर ध्यान नहीं दे सके हैं। मैटलिक मिनरल्स और नॉन-मैटलिक मिनरल्स दोनों में राजस्थान धनी है । राजस्थान की जो स्थिति है वह देश में तीसरी आती है। बिहार, मध्य प्रदेश के बाद तीसरा स्थान राजस्थान का है । परन्तु मैटल सम्बन्धी उद्योग हमारे प्रान्त में देखें तो अंगुली पर गिने जा सकते हैं । इसी प्रकार नॉन-मैटलिक उद्योग हैं उस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया है। यद्यपि हमारे प्रान्त में नार्थ में पलाना में काला सोना छिपा हुआ है और काला सोना बहुत अधिक देश में खुशहाली ला सकता है परन्तु उनकी स्थिति शोचनीय है। इसी प्रकार झामर कोटड़ा में राक फास्फेट है और सलादीपुरा में पाईराइट है, लेकिन खाद कारखाने की चर्चा बहुत लम्बे अर्से से चलने के बाद भी खटाई में पड़ी है। ऐसा क्यों है ? इसके बारे में क्या हमारी राज्य सरकार प्रगति नहीं करेगी ? क्या राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार को सुझाव नहीं दे सकती है कि आज बेकारी की समस्या को दूर करने के लिए इन उद्योगों की व्यवस्था बहुत जरूरी है ।

मान्यवर, खनिज सम्पदा के आधार पर कुटीर धन्धे भी स्थापित किये जा सकते हैं, जिनकी ओर ध्यान बहुत कम गया है । इसी प्रकार से कृषि सम्बन्धी उद्योग का भविष्य बड़ा मोहक है । जो कृषि से सम्बन्धित उत्पादन हैं, गन्ना, कपास, तिलहन–इनसे सम्बन्धित उद्योग खोलते हैं-इस पर हमारा दृष्टिकोण नकारात्मक रहा है। इनके बारे में बहुत अधिक नहीं सोचा। गन्ने की इन्डस्ट्री राजस्थान में तीन हैं। क्या यह इन्डस्ट्री और नहीं बढ़ाई जा सकती है ? इसी प्रकार से काटन टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड है। तिलहन सम्बन्धी इन्डस्ट्री की तरफ ध्यान नहीं दिया है। मान्यवर, कृषि उत्पादन इतना अधिक होता है और सारा का सारा सड़ गल कर नष्ट हो जाता है। क्या हम टिनिंग के माध्यम से उसको प्रिजर्व नहीं कर सकते ? हमारे यहां पर मटर होती है, टमाटर होता है और अन्य प्रकार की चीजें हैं, जिन्हें टिन में भर कर, सुरक्षित रख कर केवल प्रान्त में ही नहीं, देश में ही नहीं, अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी ख्याति अर्जित कर सकते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हम इस आधार पर ज्यादा निर्यात बढ़ा सकते हैं।

मान्यवर, मैं एक सुझाव इसमें यह भी देना चाहता हूं, एक एक पंचायत समिति को कम से कम एक लाइसेन्स कुटीर उद्योग का अवश्य देना चाहिए। इससे दो लाभ होंगे–एक तो यह

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)

है, देश में वेकार व्यक्ति हैं, उनको रोजगार मिलेगा। दूसरी बात यह होगी उसके माध्यम से पंचायत समिति के बजट को वैलेन्स किया जा सकता है क्योंकि हम देखते हैं कि पंचायत समिति के पास धन का अभाव अधिक होता है।

मान्यवर, वन सम्पदा में हम बहुत अधिक धनी हैं परन्तु केवल फाल्गना को छोड़ कर माचिस फैक्ट्री कहां डाली है? इस क्षेत्र में सफलता बहुत अधिक नहीं मिल पायी है। वनों में पशु पक्षी बहुत अधिक मिलते हैं और राजस्थान में जनसंख्या का ड्योढ़ा हमारा पशु धन है, इस कारण चमड़ा बहुत अधिक उपलब्ध होता है। लेकिन चमड़े का क्या उपयोग किया है? टोंक में केवल एक इन्डस्ट्री चल रही है। मैं सुझाव देना चाहती हूं कि जिस क्षेत्र में लकड़ी वनों से मिलती है, वहां उद्योग इसी प्रकार से जो चमड़ा पशुओं से मिलता है, उसके आधार पर स्पोर्ट्स इन्डस्ट्री डवलप की जा सकती है। पंजाब ने कितनी अधिक स्पोर्टस इन्डस्ट्री डवलप की है। क्या हम स्पोर्टस इन्डस्ट्री राजस्थान में डेवलप नहीं कर सकते? कर सकते हैं। पर इस दृष्टि से अभी तक बहुत अधिक प्रयत्न नहीं किये हैं। शिक्षा के क्षेत्र में टेन प्लस टू प्लस थ्री की बात करते हैं। हमारे यहां व्यवसायिक शिक्षा बढ़े इस दृष्टि से इसको लागू करके छोटे मोटे उद्योग धन्धों की ट्रेनिंग युवकों को नहीं दे सकते? प्रश्न यह है कि इस प्रकार हम कर सकते हैं। मान्यवर, आज यदि देखें, हमारे यहां क्लाइमेट ऐसी है वहां वर्ड्स बहुत ज्यादा हैं और वर्ड्स के लिये यह स्थान आकर्षण का केन्द्र रहा है। परन्तु इस ओर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया गया है। वर्ड्स के पंख होते हैं उनका उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। हम एक इन्डस्ट्री शटल काक की लगा कर डवलप कर लेंगे तो लोगों को रोजगार दे सकते हैं। इसके लिए उद्योग विभाग की मार्फत कामकर सकते हैं। परन्तु हमारा इन्डस्ट्री विभाग मौन धारण किये हुए हैं। इसलिए मैं कहना चाहती हूं, आज इतना अधिक रा मैटेरियल होते हुए भी इन्डस्ट्रीज में क्यों नहीं सफलता प्राप्त कर पाये हैं? असफलता के कौन कौन से कारण हैं उन पर मैं प्रकाश डालना चाहती हूं।

पहली बात तो यह है कि उद्योग के लिए जो पूंजी की आवश्यकता होनी चाहिए उसका अभाव दिखाई देता है। जो आपके राष्ट्रीय कृषि वैंक हैं, उनसे पूंजी मिलने में बहुत अधिक कठिनाई है। इन्डस्ट्रियल वैंक में जाते हैं तो केवल नेगेटिव आसपेक्ट ही व्यक्ति के सामने रखा जाता है कि इस उद्योग में यह नुकसान होता है, इससे यह परेशानी होती है और प्रयास किया जाता है कि वह पैसा न ले ताकि वैंक को रिस्क उठाना नहीं पड़े। इस ओर सुधार की आवश्यकता है।

दूसरी बात यह है कि उद्योग इसलिए स्थापित नहीं हो पाते क्योंकि उचित मार्केटिंग सुविधायें नहीं हैं। खुले मार्केट में कम्पिटीशन होता है, उसको छोटे मोटे कुटीर उद्योग सहन नहीं कर पाते और लुप्त हो जाते हैं। उदाहरण के लिए चित्तौड़गढ़ में प्रतापगढ़ सब-डिविजन है। वहां पर एक खंडसारी का उद्योग था, वंद हो गया। इसी प्रकार मेरे निर्वाचन क्षेत्र में घोसुन्डा में एक कागज

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)

का उद्योग था, वह भी नष्ट हो गया। तो इस प्रकार उनको मार्केट के लिए विशेष प्रकार की सुविधायें देनी होंगी, संरक्षण देना होगा तभी जाकर उद्योग विकसित हो सकते हैं। उद्योगों के बारे में जितनी पब्लिसिटी होनी चाहिए उतनी हमारी नहीं है। इसलिए कोई व्यक्ति इस ओर आकर्षित नहीं हो पाता।

तीसरा कारण यह है कि हमने जिलों में उद्योग अधिकारी नियुक्त किये हैं, निरीक्षक नियुक्त किए हैं, परन्तु उनका कार्य केवल डेकोरेटिव है। वहां पर उनको क्या क्या काम करने चाहिए उसके बारे में वे मौन हैं। उनका कार्य-क्षेत्र आफिस की चहारदीवारी और फाइलों तक सीमित है।

सभापतिजी, मैं कहना चाहती हूं कि इन उद्योग अधिकारियों को अपने अपने जिलों में सर्वेक्षण करना चाहिए कि कौन से स्थान पर भौगोलिक दृष्टि से कौन कौन से उद्योग विकसित किये जा सकते हैं। वे सुझाव दें। इसके साथ ही उन स्थानों पर ट्रेनिंग सेंटर्स होने चाहिए जहां पर व्यक्ति ट्रेनिंग ले सकें। विदेशों में ऐसी व्यवस्था है, परन्तु राजस्थान में ऐसा करने का क्यों नहीं सोचते हैं? इस ओर भी हमें सोचना होगा। उद्योग विकसित नहीं हो पाये, इसका कारण लोगों का भटकाव है। उनको पूंजी के लिए भटकना पड़ता है। हर जगह भटकने के बाद मुश्किल से वे सफल हो सकते हैं। इसलिए वन विंडो एप्रोच होना चाहिए जिससे उद्योग पनप सकें। उद्योगों का आधुनिकरण करके उनको आधुनिक मंदिर का रूप दे सकते हैं जहां श्रम की पूजा हो सके।

जहां सामान्य प्रशासन की चर्चा होती है, वहां नौकरशाही की चर्चा बहुत अधिक आती है। अब क्या नौकरशाही को हटा दें? यदि इस बारे में हम विचार करें तो नौकरशाही किसी भी प्रशासन को चलाने के लिए नितांत आवश्यक है। बिना नौकरशाही के प्रशासनिक व्यवस्था चल नहीं सकती। परन्तु इस नौकरशाही की तुलना हम एक आग से करते हैं। जिस प्रकार आग मानव की सेवा करती है, मानव को विशेष सुख सुविधायें उपलब्ध कराती है उसी प्रकार से मानव को नष्ट भी कर सकती है। वही नौकरशाही यदि सेवक के रूप में कार्य करती है तो अधिक उपयोगी है, समाज के लिए वरदान है। परन्तु यही नौकरशाही यदि स्वामी के रूप में कार्य करती है तो उससे समाज में किस प्रकार की परेशानियां पैदा होंगी, उसकी कल्पना की जा सकती है। प्रशासन शब्द का जब हम विवेचन करते हैं तो प्र और शासन होता है। प्र का मतलब प्रजा, तो यह प्रजा का शासन होना चाहिए। परन्तु दुःख के साथ कहना पड़ता है कि 28 वर्ष की आजादी के बाद भी आज जो प्रशासन है वह अपने आगे प्र नहीं जोड़ पाया। वही पुरानी परम्परा, रोड़े अटकाने की प्रवृत्ति, जनता को परेशान करने की प्रवृत्ति। तो यह प्र कब जोड़ेंगे?

जिला प्रशासन का जो कार्यालय है सारे का सारा जिला मुख्यालय पर है। वहां पर मीटिंग्स होती हैं, प्रोसीडिंग्स नोट की जाती हैं, उसके बाद लंबी चौड़ी फाइलें बनती हैं, साइक्लो स्टाइल्ड कागज निकलते हैं, कागजों का पुलिन्दा बन जाता है, परन्तु विकास के लिए

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)

क्या हुआ है उसका अवलोकन करें तो वह नगण्य दिखाई देगा। इसी संदर्भ में मैं निवेदन करना चाहती हूं कि इमर्जेंसी में हमने प्रशासन पर यह थोपा कि सारा काम जल्दी से जल्दी निपटाया जाए। परन्तु वह कैसे हुआ? उसमें दरअसल क्या हुआ है, वे सोचते हैं कि हमें कागज अपने पास नहीं रखना है, पास आन करना है अर्थात एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को, दूसरे से तीसरे को। यदि इसी प्रकार काम होता रहा तो उसे हम प्रशासनिक सुधार नहीं कह सकते। सामान्यत: क्या होता है कि अगर कोई एप्लीकेशन आती है तो उस पर कोई न कोई आपत्ति लगाकर पास आन कर देते हैं। तो जनता को क्या लाभ हुआ? यदि जन प्रतिनिधि जिला प्रशासन से कहता है तो उसे एक कागज मिलता है जो मेरे पास कई सुरक्षित हैं। लिखा हुआ मिलता है कि फलां लेटर संबद्ध अधिकारी को भेज दिया गया है। अब संबद्ध अधिकारी की लंबी चौड़ी शृंखला है। जिलाधीश से ए. डी. एम. ए. डी. एम से एस. डी. एम., वहां से तहसीलदार, तहसीलदार से नायब तहसीलदार और पटवारी इस प्रकार शृंखला चलती है। यदि इस प्रकार कार्य होता रहा तो हम सुधार नहीं कर सकते। हरियाणा ने एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया है वहां दो दो गांव एक प्रशासनिक अधिकारी को सौंपे गए हैं। उन दो गांवों के विकास की जिम्मेदारी उस पर है। क्या आप राजस्थान में प्रशासनिक अधिकारियों को इस तरह विकास का काम नहीं सौंप सकते? चाहें तो आप 5–10 गांव सौंप सकते हैं। उसके आधार पर ही यदि हम उसकी सी. आर. लिखते हैं या सोचते हैं, मूल्यांकन करते हैं तो यह बहुत ही सराहनीय कार्य हो सकता है परन्तु यह तभी होगा जब कि सभी विभागों में कोडिनेशन हो। यदि राजस्व, सहकारिता, पंचायत, सार्वजनिक निर्माण और सिंचाई विभाग, सारे के सारे अपना अलग अलग राग अलापते रहें तो कोरस बिगड़ जाएगा। हमें एक लय की व्यवस्था करनी होगी। एक ही उद्देश्य लेकर चलना होगा। जनता के बारे में सोचना और उनके विकास के बारे में सोचना होगा। आपने इन सी. आर. में कोई विशेष प्रकार का सुधार किया? अच्छा होगा यदि जनता के राज्य में एक कर्मचारी की सी. आर. में एक कालम जनता की ओपीनियन का हो। जनता उनके बारे में क्या सोचती है, चाहे वह कालम किसी भी माध्यम से भरें परन्तु वह कालम अवश्य होना चाहिए जिससे जनता उसके बारे में अपनी धारणा बना सके तभी वह जनता का प्रशासन हो सकेगा।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

5 मिनिट और लूंगी क्योंकि पुलिस पर भी बोलना है।

श्री सभापति : पुलिस पर आ जाइए।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : इस प्रकार से प्रशासनिक सुधार लाना होगा। आपने कई लोगों का कम्पलसरी रिटायरमेंट किया परन्तु एक बात देखते हैं कि सारे भ्रष्ट व्यक्ति अभी भी प्रशासन में बैठे हुए हैं, आपने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा जबकि आपने, ऐसे व्यक्ति भी रिटायर किए हैं जो पक्षपात-पूर्ण तरीके से विभागाध्यक्ष की खुशामद

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)

नहीं कर पाए इसलिए उनसे नाराज हैं। इस प्रकार की बात की ओर आपको ध्यान देना होगा।

इसलिये जैसा कि आपने कहा अब मैं पुलिस विभाग पर आ जाती हूं। सभापति महोदय, पुलिस शब्द एक ऐसा शब्द है जिसका जब उच्चारण करते हैं तो लोगों के मन में एक प्रकार की कंपकंपी सी पैदा हो जाती है। एक प्रकार का भय पैदा हो जाता है लोगों के मन में। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है सभापति महोदय, पुलिस विभाग ने जनता के सामने किस प्रकार के उदाहरण पेश किये हैं वह जनता से छुपे हुए नहीं हैं। सभापति महोदय, पुलिस को समाज की रीढ़ कहा जाता है। समाज की सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी पुलिस के ऊपर रहती है। सभापति महोदय, अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक रेडियो टॉक सुनी थी जो राजस्थान के आई. जी. पी. ने दी थी। सभापति महोदय, उस रेडियो टॉक में उन्होंने यह कहा था कि पुलिस का समाज में वही स्थान है जो कि भाषा में व्याकरण का है। जिस प्रकार भाषा में व्याकरण का स्थान होता है उसी प्रकार पुलिस का समाज में स्थान होता है। लेकिन यहां पर जिस प्रकार वर्ड्स का प्रयोग आई. जी.पी. साहब द्वारा किया गया है उसके लिये मैं आई.जी. पी. साहब से यह कहना चाहती हूं कि वह इस ओर ध्यान दें। क्योंकि यहां आपकी व्याकरण समाज को विकृत कर रही है। समाज के साथ में पुलिस का व्यवहार उचित नहीं है। मान्यवर, डी. आई. आर. और आपात् स्थिति का दुरुपयोग जितना पुलिस विभाग ने किया है उतना शायद किसी ने भी नहीं किया होगा। जितना नाजायज फायदा पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उठाया उतना शायद ही किसी ने भी नहीं उठाया होगा। यह एक निर्विवाद सत्य है कि पुलिस विभाग के जो सर्वोच्च स्तर पर बैठे हैं वह एक ईमानदार, कार्यकुशल और एक निष्ठावान व्यक्ति हैं। लेकिन, सभापति महोदय, ज्यों ज्यों हम ऊपर से नीचे की ओर अधिकारियों की तरफ आते हैं त्यों त्यों पुलिस विभाग के अधिकारियों में ईमानदारी, कार्यकुशलता और कार्यनिष्ठा में कमी दिखाई देती है और एक प्वाइन्ट ऐसा आता है जबकि ईमानदारी और कार्यकुशलता और कार्यनिष्ठा समाप्त हो जाती है। वह लुप्त हो जाती है। सभापति महोदय, यह पाइन्ट है थानेदार। मान्यवर, थानेदार पुलिस की एक ऐसी जगह है जहां पर ईमानदारी और कार्यकुशलता और कार्य के प्रति निष्ठा समाप्त हो जाती है। सभापति महोदय, मैं एक बात विशेष रूप से यह कहना चाहती हूं। अगर पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार या कलंक का सेहरा है तो वह थानेदार होता है। थानेदार एक ऐसा व्यक्ति है जो कि किसी भी समाज के व्यक्ति की किसी भी समय इज्जत उतार के रख देता है और भ्रष्टाचार में लिप्त रहता है। सभापति महोदय, वह अश्लील शब्दों का प्रयोग अधिक करता है तथा किसी भी समय किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति की इज्जत उतार देना उसके लिए एक सामान्य सी बात है।

मान्यवर, इस सम्बन्ध में हमारे देश की नेता प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गान्धी ने थोड़े दिनों पहले यह कहा था कि हमारी सरकार को बदनाम करने वाले तीन पहले व्यक्ति हैं। एक पटवारी, दूसरा थानेदार,

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)

तीसरा लाइनमेन, बिजली विभाग। सभापति महोदय, यह सारे के सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी वजह से हमारा देश बरबाद हो रहा है। इसमें खास तौर से थानेदार ऐसा व्यक्ति है जिसका आज का एस. पी. भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तो यह कहना चाहूंगी, मान्यवर, कि आपका ईमानदार से ईमानदार एस. पी. भी उस थानेदार से डरता है। वह उसके खिलाफ में कोई एक्शन लेने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। यह एस.पी. लोग, जो कि ईमानदार हैं उनके खिलाफ में एक्शन क्यों नहीं ले पाते उसका कारण है कि उन भ्रष्टाचारी थानेदारों के खिलाफ में कोई कार्यवाही नहीं होती है। इसका नतीजा यह होता है, मान्यवर, कि यह थानेदार लोग दिन ब दिन समाज में भ्रष्टाचार बढ़ाते रहते हैं। इसके लिए मेरा यह निवेदन है कि इस भ्रष्टाचार को हमें घटाना होगा, इसके लिए हमें अग्रसर होना पड़ेगा। आज, मान्यवर, कई लोग जानते भी है कि यहां पर भ्रष्टाचार थानेदार के स्तर पर बढ़ रहा है सामान्य व्यक्ति देखते हैं, समझते हैं, पर मुंह नहीं खोल सकते और उस थानेदार के खिलाफ में इसलिये नहीं बोलते है कि कहीं वह थानेदार उनकी इज्जत उतार के नहीं रख दे। सभापति महोदय, हर शरीफ आदमी को यह डर रहता है कि थानेदार मेरी इज्जत एक मिनट में मिट्टी में मिला देगा, अगर मैं उसके खिलाफ में कुछ भी कहूंगा तो। यह लोगों में एक डर सा बैठा हुआ है इसलिए कोई भी थानेदार के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं होता है। इस प्रकार आज भी इन थानेदारों की वजह से दिन ब दिन भ्रष्टाचार अधिक बढ़ रहा है।

सभापति महोदय, मुझे आज विधान सभा में आये चार साल हो गये हैं लेकिन मैंने किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया है, आप चाहें तो विधान सभा की प्रोसिडिंग्स मंगाकर देख लें। लेकिन यहां पर आज मैं एक विशेष बात व्यक्ति विशेष के लिये निवेदन करना चाहती हूं। सभापति महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र चितौड़गढ़ में कोतवाली का जो थानेदार है वह हर वक्त भ्रष्टाचार में लिप्त रहता है। थानेदार का नाम है भारत सिंह। सभापति महोदय, वह व्यक्ति हर वक्त भ्रष्टाचार में लिप्त रहता है....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : भारत सिंह भारत का नाम ऊंचा कर रहा है।

श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत : वास्तव में भ्रष्टाचार में भारत से भारत का नाम रिप्रेजेन्ट नहीं होता। मान्यवर, यह वह थानेदार है जो खुले आम कोतवाली में बैठकर दिन दहाड़े रिश्वत लेता है। और इसके साथ साथ वह लोगों में यह भी कहता है कि मैं जनता से नहीं डरता, किसी विधान सभा सदस्य से नहीं डरता, मैं किसी मन्त्री से डरता वरता नहीं हूं क्योंकि मैं जब यहां पुलिस में भर्ती हुआ था तो मैंने दस हजार रुपये दिये थे।

एक माननीय सदस्य : किसको दस हजार रुपये दिये ?

(व्यवधान: अश्रव्य)

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : जब मैं भर्ती हुआ तो मैंने दस हजार रुपये दिये और अभी मेरा भाई जब पुलिस में भर्ती हुआ है तब मैंने उसके लिये भी दस हजार

(श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत)

रुपये दिये हैं। इसलिये उसने कहा कि मैं किसी से नहीं डरता हूं और रिश्वत मैं इसलिये खाता हूं कि मुझे अपने बॉस को खुश करना पड़ता है। मुझे चांदी की चमचमाहट और खनखनाहट से बॉस को खुश करना पड़ता है। सभापति महोदय, वह जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है, जिस प्रकार के अश्लील शब्दों का प्रयोग करता है उसमें यह कहता है कि मैं किसी की भी परवाह नहीं करता। वह यह भी कहता है कि मेरे बड़े बड़े पुलिस के आफिसर रिश्तेदार हैं। पुलिस के डी. आई. जी. हिम्मतसिंह जी मेरे रिश्तेदार हैं, पुलिस के डी. वाई. एस. पी. गजराजसिंहजी मेरे रिश्तेदार हैं। मेरा कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और, मान्यवर, इसके साथ साथ यह भी कहता है लोगों को कि अगर विधान सभा का सदस्य कोई मेरे खिलाफ में कुछ विधान सभा में बोल भी आएगा तो भी मेरे लिये कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि आप अगर ऐसे व्यक्ति से कानून की हिफाजत करवाना चाहते हैं तो मैं समझती हूं कि ऐसे लोग तो कानून का हनन ही करते हैं। यह लोग जनता का शोषण करते हैं ऐसे भ्रष्टाचारी थानेदारों के रहते हमारे समाज में किसी प्रकार की तरक्की होना सम्भव नहीं है। मान्यवर, मैं यहां पर सदन का अमूल्य समय ज्यादा खराब नहीं करना चाहती पर मैं एक दो बातें चित्तौड़गढ के थानेदार के बारे में जरूर निवेदन करना चाहूंगी। मान्यवर, जिस समय हमारा नया वर्ष का आगमन हुआ, नव वर्ष की शुभ कामनायें भेजने की घड़ी थी उस वक्त हमारे कोतवाल साहब क्या सोच रहे थे उसके उदाहरण एक दो मैं आपके सामने देना चाहूंगी।

(व्यवधान: अश्रव्य)

एक माननीय सदस्य : हां कहो।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : सभापति महोदय, जब सन् 1975 का साल समाप्त होकर सन् 1976 का नया साल लगा उस समय सामान्यतया लोग अपने नये वर्ष के बारे में सोच रहे थे। उस वक्त हमारे चित्तौड़गढ़ के थानेदार साहब यह बजट बना रहे थे कि मैंने सन् 1975 में कितना कमाया और नये वर्ष में ऐसे कौन कौन से जरिये हो सकते हैं कि जिनके जरिये मैं सन् 1976 में ज्यादा से ज्यादा कमा सकूं। इसके लिये मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूं। सभापति महोदय, 21 जनवरी 1976 के दिन हमारे चित्तौड़गढ़ के पास एक सेवगा गांव है वहां पर किसी की मृत्यु हो जाने के कारण मृत्यु भोज हुआ था। तो यह थानेदार साहब उसके यहां पहुंचे। सभापति महोदय, जिन्होंने मृत्यु भोज किया था उनसे इसने 20 हजार रु. लिये। उनके नाम भी बता सकती हूं। एक का नाम था, रामलाल गाडरी और दूसरे व्यक्ति का नाम था पृथ्वीराज गाडरी। मान्यवर इस भ्रष्ट थानेदार ने उन लोगों से 20 हजार रुपये लिये थे। सभापति महोदय, अगर कानून का रक्षक ही भक्षक बन जाये अगर कानून का संरक्षण देने वाला ही कानून का उल्लंघन करे तो कानून की रक्षा कैसे हो सकेगी? सभापति महोदय, यह थानेदार

(श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत)

ऐसा भ्रष्टाचारी है कि वह लड़कों को भगवाने वाले गिरोहों से संबंध रखता है, उनको कानूनी संरक्षण देता है, इसी तरह इन्टरनेशनल महिला वर्ष में इस थानेदार ने कई महिलाओं की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। कई महिलाओं की इज्जत-आबरू को इस थानेदार ने लुटाने में मदद की। इतना ही नहीं, मान्यवर, इस थानेदार ने कई मर्डर केस में भी पैसे खाये। इसके अलावा इस थानेदार ने चित्तौड़गढ़ में जो सीमेन्ट फैक्ट्री है, उस बिड़ला सीमेन्ट फैक्ट्री के मैनेजमेन्ट से मिलकर कई श्रमिकों को बुरी तरह से पिटवाया है। कई श्रमिकों को चाकू मरवाया तथा मैनेजमेन्ट का श्रमिकों के खिलाफ में हमेशा साथ दिया।

सभापति महोदय, मैं यहां एक बात और निवेदन करना चाहती हूं। वह यह है कि आज के युग में जब कि पेट्रोल के भाव बहुत अधिक बढ़ गये हैं फिर भी, मान्यवर, हमारे चित्तौड़गढ़ के थानेदार साहब जीप को मेनटेन करते हैं। उनके पास एक जीप भी है जिसके माध्यम से वह थानेदार साहब स्मगलिंग भी करते हैं। मान्यवर, वह जीप एक बार कूप में पकड़ी भी गयी थी लेकिन प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण नहीं मिलने के कारण थानेदार साहब छूट गये। मान्यवर, यह जो बातें मैंने सदन के सामने रखी हैं उनमें से अगर एक भी बात गलत निकल जाये तो मैं विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र देने को तैयार हूं। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि उस थानेदार के खिलाफ में निष्पक्षता से जांच करायी जानी चाहिये ताकि जनता को राहत मिले और दूसरे भ्रष्टाचारी थानेदारों को इससे सबक मिले। सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि जो जांच इस थानेदार के खिलाफ में की जाय उसमें मुझे भी सम्मिलित किया जाय। मैं यह बता दूंगी कि किस किस जगह से किस किस व्यक्ति से कितने कितने रुपये उस भ्रष्टाचारी थानेदार ने लिये।

एक माननीय सदस्य : इस थानेदार को किस का संरक्षण प्राप्त है ?

श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत: सभापति महोदय, इस थानेदार के खिलाफ शिकायत मैंने आई.जी. पी. साहब, डी.आई.जी. पी. साहब और स्वयं राज्य मन्त्री गृह श्री गुलाब सिंहजी शक्तावत को की और मुख्य मन्त्रीजी को भी मैंने उस खिलाफ में दरख्वास्त अभी कुछ दिन हुए दी है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : सभापति महोदय, अभी चार दिन पहले माननीय सदस्या ने मुझे एक दरख्वास्त एक थानेदार के सम्बन्ध में दी थी। मैंने उस शिकायत पत्र के आते ही उस थानेदार को वहां से इमीडियेटली ट्रान्सफर कर दिया ताकि उसके खिलाफ में निष्पक्षता से जांच की जा सके।

(शोरगुल: अश्रव्य)

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर प्लीज ! आर्डर प्लीज !

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : सभापति महोदय, मुझे हक है कि मैं इसका जवाब दूं।

श्रीमती सुमित्रासिंह : मन्त्रीजी इसका जवाब, जब मांगों पर जवाब देते, उस वक्त देते।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : सभापति महोदय, जब माननीय सदस्या ने सदन में कुछ कहा तो मैंने यह कहा कि शिकायत पत्र प्राप्त होते ही मैंने उस थानेदार का ट्रान्सफर वहां से कर दिया ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : केवल मंत्री के विषय में·····

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य !

आसन पर मैं बैठा हूं उसका जवाब मैं भी दूंगा।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : सभापति महोदय, माननीय सदस्या कोई स्पेसिफिक चार्जेज लगाना चाहती हैं जिसका मैं जवाब दूं तो कट मोशन के रूप में सामने आतीं तो शायद जवाब दिया जाता।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : जवाब बाद में दे दीजिये···

(व्यवधान–अश्रव्य)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ! आर्डर प्लीज !

ऐसा है, वैसे तो यह बात सही है कि कट मोशन के द्वारा कोई चीज उठाई जाय··

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : माननीय सभापति महोदय···

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्या···

अगर कट मोशन द्वारा स्पेसिफिक चीज उठाई जाये तो मंत्री कन्सर्न्ड को जवाब देने में अधिक सहूलियत रहती है, परन्तु किसी एक कर्मचारी के लिये यदि कोई शिकायत है, उसके लिये यह आवश्यक नहीं है। जो कुछ कहें संक्षेप में कहें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अभी मंत्री महोदय ने फरमाया दो दिन पहिले बात कही और मैंने ट्रान्सफर कर दिया। तो मैं निवेदन करना चाहती हूं कि mere tr nsfer is no punishment.

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : मंत्री महोदय, मैं आपके लिये कोई बात नहीं कह रही हूं···

श्री सभापति : आर्डर प्लीज !

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : स्पेसिफिक चार्जेज लगाना चाहती हैं तो कट मोशन में आ जाने चाहिये···

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : सभापति जी, मेरी बात तो सुनी ही नहीं है।

श्री सभापति : झुन्झुनूं से आने वाली माननीय सदस्या और चित्तौड़गढ से आने वाली माननीय सदस्या चार्ज लगा रही हैं तो मंत्री महोदय ने बताया है उनके पास चार रोज पहिले ही शिकायत आई है फिर भी उस आदमी को वहां से हटा दिया है और जांच शुरू करवा रहे हैं। क्योंकि जांच उनके रहते नहीं हो सकती है इसलिये उसको वहां से हटा दिया गया है।

श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत : यदि, माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय देखने का कष्ट करें तो मैंने जो कट मोशन दिये हैं उनमें स्पष्ट दिया है। मैंने

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)
स्पष्ट अंकित किया है–"चित्तौड़गढ़ जिले में पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में," आप देख लीजिये।

श्री सभापति : इसकी बहस नहीं है। आपने उस मुद्दे को भी उठाया है कट मोशन है तब भी ठीक है और कट मोशन नहीं है तब भी आप कह चुकी हैं।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : सभापति महोदय, मेरा कोई चार्ज नहीं है मेरा तो पुलिस विभाग में व्याप्त...

श्री सभापति : इसके बारे में बहस की आवश्यकता नहीं है...

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : मेरा कहना है ट्रान्सफर ही रेमेडी नहीं है। वास्तव में उदाहरण पेश करना है, राजस्थान की जनता को दिखाना है कि भ्रष्टाचार को किस प्रकार मिटाया जा सकता है तो, भारत सिंह को तत्काल सस्पेन्ड किया जाना चाहिए। (विराम)

इसके साथ ही मान्यवर आपने कम्पलसरी रिटायरमेंट का नियम बनाकर जो...

श्री सभापति : मैं आपको समय बहुत दे चुका हूं।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : Within two minutes, सभापति महोदय...

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : She should be given time.

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : 20 साल बाद कम्पलसरी रिटायरमेंट देते हैं तो क्यों नहीं इस प्रकार के जो भ्रष्ट पुलिस अधिकारी हैं और जो मानवता पर कलंक हैं उनको 10 वर्ष में ही रिटायर कर देते हैं? क्या जरूरी है कि 20 वर्ष में ही रिटायर किये जायें? इमीजियेटली उसको सर्विस से निकाल देना चाहिए। मान्यवर, मेरे कहने का अभिप्राय यह है–संक्षेप में मैं कहना चाहती हूं कि वास्तव में इन्दिराजी का जो स्वप्न है उसको साकार करना है तो हमने जो डकैती-उन्मूलन किया, तस्करी का उन्मूलन किया, उसी प्रकार हमें पुलिस-भ्रष्टाचार का भी उन्मूलन करना होगा। जो आई. जी. साहब हैं पुलिस के वे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ऊपर लांछन नहीं है, कलंक नहीं है परन्तु पुलिस विभाग को क्यों नहीं सुधारते हैं? आप उनको पोस्ट मार्टम करने का पूरा अधिकार दीजिये कि इस प्रकार के जो भ्रष्ट व्यक्ति हैं वे कभी भी हटाये जा सकते हैं...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : समाप्त करिये।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : आपकी आज्ञा है तो समाप्त कर देती हूं।

श्री सभापति : श्री ओंकार लाल!

श्री ओंकारलाल चौहान (डग) : सभापति महोदय, मैं सबसे पहले पुलिस विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। पुलिस विभाग द्वारा वितरित पुस्तिका की प्रस्तावना में जिक्र किया है कि इस वर्ष गत वर्ष की

(श्री ओंकारलाल चौहान)

तुलना में 118 अपराध कम हुये हैं। साथ ही यह भी जिक्र किया है कि सर्वत्र शान्ति रही और कोई बड़े आन्दोलन, हड़ताल उपद्रव आदि नहीं हुए हैं। मैं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इमर्जेन्सी 26 जून, 1975 को लागू हुई, हालात बिगड़े और देश की प्रधान मंत्री ने तत्काल हालत को सुधारने के लिये आपात-कालीन स्थिति की घोषणा की। सबसे बड़ा जो श्रेय है वह आपातकालीन स्थिति को जाता है और आपात कालीन स्थिति का श्रेय हमारी प्रधान मंत्री को जाता है।

सभापति जी, मेरा निवेदन है कि आन्दोलन का जहां तक सम्बन्ध है, गत अधिवेशन जो 5 जनवरी से चला, या 6 जनवरी से, तब इसी शहर के अन्दर कई स्थानों पर आन्दोलन हुये। चार बत्ती पांच रास्ता या पांच बत्ती चार रास्ता, क्या है वहां 5 जनवरी, 1976 को महिलाओं के द्वारा बड़ा भारी पिकेटिंग किया गया और करीब घण्टे भर तक किया गया। इसी प्रकार भवानी टाकीज, मिनर्वा टाकीज का जो आपका एरिया है, वहां भी इसी प्रकार के उपद्रव हुये हैं और इसी प्रकार की घटनाएं हुई हैं इमर्जेन्सी के बाद। लेकिन मैं बहुत नम्रता के साथ निवेदन करना चाहताहूं किजो उपद्रव और आन्दोलन हो रहे हैं, इनकी ओर हमारा ध्यान जाना चाहिये कि आखिर इनके स्रोत क्या हैं? आप बड़ी अच्छी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दें और मान सकते हैं, अपराधों में कमी हुई है और मैं यह भी मान सकता हूं सुधार भी आया होगा आपात कालीन स्थिति के बाद, लेकिन राज-स्थान में ऐसा कौनसा हिस्सा है और खास तौर से विरोधी पार्टियों का जिसके बारे में पुलिस को पता न लगे, महिलायें आन्दोलन चलावें और पुलिस को जानकारी न हो। मैं यह कहना चाहता हूँ कि वास्तव में पुलिस का विभाग सक्रियता से कार्य नहीं कर रहा है। इतनी उपलब्धियों के बाद, सभापतिजी, आज की डिमान्ड्स में तीन महत्वपूर्ण डिमान्ड्स को एक साथ रख दिया है—पुलिस, सामान्य प्रशासन, उद्योग, फिर भी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा बहुत सूक्ष्म में कहना चाहूंगा और एक एक डिपार्टमेंट लेना चाहता हूं। जिस पुस्तिका की बात कर रहा हूं इसमें कहीं भी महिला पुलिस का जिक्र नहीं किया, महिलाओं का कोई संगठन देश में कायम नहीं किया जो आज की परिस्थितियों में बहुत आवश्यक है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो चोरियां और उपद्रव हो रहे हैं उनमें इस किस्म के नये तरीके अपनाये गये हैं कि महिलायें गुण्डागर्दी करती हैं, महिलायें स्मगलिंग करती हैं। पुलिस इन्हें प्रश्रय देती है और इनके माध्यम से स्मगलिंग चलता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां संगठन करने की बात करते हैं, और व्यवस्था में बताया कि महिलाओं का संगठन भी इसमें होना चाहिये, यदि वह है तो उसका सक्रिय रूप सामने आना चाहिये।

सभापति महोदय, एक और उदाहरण देना चाहता हूं। मीसा एक बहुत बड़ी अजीब सी बात लगती है। मीसा में जो भाई-बन्धु बन्द हैं, अस्पताल में लाये जाते हैं, उन पर कोई पाबन्दी नहीं है। नारे लगाते हैं और

(श्री ओंकारलाल चौहान)

इन्दिरा गांधी के पुतले जलाते हैं। भद्दे नारे लगाते हैं, एन्टी-नेशनल नारे लगाते हैं जो किसी तरह न्यायोचित और न्यायसंगत नहीं कहे जा सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था है, सभापति महोदय, कचहरियों में भी इसी प्रकार की नारेबाजी करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री मूलचन्द सामरिया : बन्दियों की जबान कटवा दें।

श्री ओंकार लाल चौहान : मैं सुझाव दे रहा हूँ ऐसे नारे बन्द हो जायं...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ऐसी जबान जो देश के खिलाफ बोलते है, काट भी दी जायगी।

श्री ओंकार लाल चौहान: जो लोग देश-द्रोही हैं, जो देश के गद्दार हैं और डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाना पड़ेगा। अगर नहीं उठाये हैं तो आयन्दा उठाने पड़ेंगे, वरना विघटनकारी तत्वों को, अराजकतापूर्ण चीजों को देश कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। देश की बदलती हुई परिस्थितियों को समझना चाहिये। देश में आजादी का मतलब यह नहीं कि कोई गुन्डागर्दी करने और अराजकता फैलाने वाली शक्तियां देश को बर्बाद कर दें। इस प्रकार की विघटनकारी प्रवृत्तियों पर इमर्जेन्सी के लागू होने के बाद रोक लगनी चाहिये और पुलिस वालों को सख्ती से कदम उठाने चाहिये। माननीय मंत्रीजी इस ओर ध्यान दें।

माननीय सभापतिजी, वास्तव में इमर्जेन्सी के बाद भी करप्शन बढ़ा है। मैंने भी कई बातें देखी हैं, लोग भय से आतंकित हैं पुलिस के नाम से, डेमोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी के बगैर काम नहीं कर सकती है। उसका दृष्टिकोण डेमोक्रेसी में बदलना चाहिये। डेमोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी किसी भी प्रशासन के दो अंग हैं। एक पक्ष नीति निर्धारित करता है और दूसरा पक्ष उन नीतियों को क्रियान्वित करता है। पहले के टूटे-फूटे दृष्टिकोण को आज के हालात में बदलने की बहुत आवश्यकता है। यदि दृष्टिकोण नहीं बदलता है तो जो उपलब्धियां होनी चाहियें वह नहीं हो पायेंगी। दुकानदार या आम आदमी हो, हरएक यह कहने लगता है कि पहले से रिश्वत की तादाद पांच गुना बढ़ गयी है। लोग यह समझते हैं कि तरीका यह है कि अधिक रिश्वत लो, कम लेंगे तो कौन बचायेगा? यह आम शिकायत है कि इमर्जेन्सी लागू होने के बाद कई जगह अराजकतायें हुई हैं। कई जगह मिसयूज आफ इमरजेन्सी हुआ है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, एक सज्जन श्री रामचरण को मीसा में गिरफ्तार कर के कोटा पुलिस पार्टी लेकर जा रही थी। टिकिट नम्बर था 272117 और फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बिराजमान थे। सारा डिब्बा बन्द था फर्स्ट क्लास के पैसेन्जर सब पीड़ित थे जगह न मिलने के कारण। रश ज्यादा था इसलिये घबराहट लोगों में होना स्वाभाविक था। मैंने स्वयं ने टी. टी. को कहा कि सारा का सारा कम्पार्टमेन्ट एक व्यक्ति लेकर इस प्रकार से बैठ जाय यह कहां तक उचित है। ज्यों ही टीटी आया दरवाजा खोला। वी. आई. पी. जा रहा है और कोई आइसो-

(श्री ओंकारलाल चौहान)

लेशन में रखने का केस है। आइसोलेशन में रखने के कारण उसको अलग से रखना है। लेकिन मेरा आप से यह निवेदन है कि आप इस प्रकार से कचहरियों में, रेलवे आथोरिटीज पर पाबन्दी नहीं लगा सकते हैं। जहां उनको सुविधा देनी चाहिये वहां दीजिये। कौनसी पावर्स हैं आपके पास कि जिनको लेकर आप इस तरह का उपयोग कर सकते हैं? This is your administration. इस तरह का तरीका पुलिस अपनाना चाहती है यह गलत है। इस प्रकार से जो हेरासमेन्ट होता है उस पर अंकुश लगाना चाहिये। भय रहना चाहिये। अधिकारियों को यह भी देखना चाहिये और उनका यह भी फर्ज होना चाहिये कि कहीं इस प्रकार की बातें तो नहीं हो रही हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कुछ दिनों पहले दिल्ली में कान्फ्रेन्स हुई थी। देश की प्रधान मंत्री ने उसमें साफ-साफ कहा था इस बात के लिये कि इमर्जेन्सी का दुरुपयोग हो रहा है कई जगह पर। उन्होंने चीफ मिनिस्टर्स को लैटर लिखा कि किसी तरह से इमर्जेन्सी का मिसयूज नहीं होना चाहिये। स्पष्ट है लोगों ने लिखा उनको और यह बात उनकी जानकारी में आयी। उसी आधार पर देश की प्रधान मंत्री ने कहा और महसूस किया।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये ऐसी चीजें हैं जिन को चैक करना चाहिये। सारा प्रशासन तन्त्र है वह पुलिस विभाग और जिलाधीश पर आधारित है। यदि उच्चाधिकारी सतर्कतापूर्वक काम करें तो नीचे के अधिकारियों में वैसी भावना नहीं होगी। नीचे के स्तर पर थानेदार हुआ, हैडकॉन्स्टेबल हुआ, उस पर और दूसरे अमले पर निगरानी रखने की आवश्यकता है। एक और उदाहरण पेश करूं कि कुछ दिन पहले एक केस आया कोटा के अन्दर मीसा का पाकिस्तान का। मुझे ताज्जुब हुआ। उन्होंने कुछ दिनों की छूट की दर्ख्वास्त दी। एक मुस्लिम परिवार है। लैटर उनको इश्यू हुआ और अवधि बढ़ायी गयी। जो अवधि बढ़ायी गयी वह उस व्यक्ति को कम्युनिकेट नहीं की गयी। वह परिवार अचम्भे में पड़ गया जब उसके पास यह आर्डर पहुंचा कि आप दो घंटे के अन्दर हिन्दुस्तान की बाउन्डरी छोड़ो। मैंने उसी समय हमारे राजस्थान के होम कमिश्नर साहब को फोन किया। मैं समझता हूं कि उन्होंने एकदम अच्छा निर्णय किया, मैं उनकी तारीफ करता हूं इस बात की कि उन्होंने इस बात को महसूस किया कि इतना कम समय उस, परिवार को समय न दिया जाय और कहा जाय कि फौरन बोर्डर छोड़ो, यह न्यायोचित नहीं है। यह मैंने आपको एक उदाहरण दिया। इस केस में न्याय हो गया। वे जागरूक थे। सारी कार्यवाही टैलीफोन पर पढ़ी गयी और निर्णय दिया। आये दिन ऐसे केसेज होते हैं जिसमें जिन लोगों को न्याय मिलना चाहिये उनको न्याय नहीं मिल पाता है। इन चीजों की ओर भी ध्यान देना चाहिये जिससे सुधार हो सके और हेरासमेन्ट और मिसयूज आँफ इमर्जेन्सी पावर्स को समाप्त कर सकें।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

माननीय सभापतिजी, एक बात और कहना चाहता हूं। डी. आई. जी. रेन्ज कायम की हुई हैं। एक सुझाव पेश करना

(श्री ओंकारलाल चौहान)

चाहता हूं। मेरी समझ में नहीं आता है कि डी.आई.जी की आवश्यकता क्या है? डी. आई. जी. रेन्ज का एडमिनिस्ट्रेशन सुपरफ्लुअस है। एस. पी. को सारे पावर्स होते हैं और वे ही एक्जीक्यूटिव को चलाते हैं। डी. आई. जी. के पास ऐसा कोई काम नहीं है जिससे एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक तरह से चलायें। मुझे एक अनुभव है इसके

(2.30 म. प.)

(श्री रघुनाथ विश्नोई, सभापति, पीठासीन)

आफिस का कि डी. आई. जी. के पास कुछ फाइल्स आ जावें और उसको वे निकाल देवें। वह इन्सपेक्शन के लिये जावें। यदि हायर आॅथोरिटीज यह महसूस करें कि डी. आई. जी. से इन्क्वायरी करायी जाय वह उनसे करवायें, वरना मिसयूज आॅफ मनी है। माननीय मंत्रीजी इस पर सोचेंगे और विचार करेंगे कि आया यह न्यायसंगत है या नहीं। मैं उन्हीं पर छोड़ता हूं। जो दृष्टिकोण मेरा है वह मैंने सदन में प्रस्तुत कर दिया।

इसी प्रकार से ए.पी.पी. की बड़ी अजीब सी स्थिति है। आपके यहां पुनर्गठन हुआ लेकिन आपने उनका कोई प्रावधान ही नहीं किया। उनकी स्थिति बड़ी ही डांवाडोल है और इस सम्बन्ध में अभी तक निर्णय नहीं हुआ। मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि उनकी स्थिति को वह स्पष्ट करें और उनसे काम लें और जैसे भी राज्य सरकार उचित समझें उनको लगाने की बात करें।

मैं इसी के साथ एक उदाहरण मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी का देना चाहता हूं। पिड़ावा और चौमहला और भवानीमण्डी ऐसी जगह हैं कि जहां कन्जरों की बस्तियां है। यह मध्यप्रदेश के बोर्डर पर है और वहां डाकुओं के आपरेशन्स होते हैं। वहां बोर्डर एरिया है और जहां डबल आपरेशन एरिया होता है उस जगह मैं समझता हूं कि राज्य सरकार को विशेष व्यवस्था करनी चाहिए। भवानीमण्डी का एक हिस्सा राजस्थान में और दूसरा मध्यप्रदेश में है। चौमहला राजस्थान और मध्यप्रदेश की सीमा पर है और ऐसे ही सीमावर्ती इलाके हैं। इन जगहों से तस्करी होती है। इन जगहों से तोड़फोड़ या अनैतिक कार्यवाहियां चलती रहती हैं जिससे हमारे राजस्थान को खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ न कुछ ऐसी मशीनरी इवाॅल्व की जाये कि जिससे इसकी ठीक तरह से देखभाल हो सके और तस्करी और गुण्डाइज्म में कमी आ सके। यह तो मैं पुलिस विभाग के संबंध में कहना चाहता हूं और इतनी बात कह कर पुलिस विभाग के सम्बन्ध में अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट को देखने से लगता है कि विभाग ने काफी प्रगति की है। अपराधों की संख्या में कमी हुई है और आप वायरलेस सैट चालू करना चाहते हैं। ठीक है, इम्प्रूवमेन्ट आप करना चाहते हैं।

एक बात और अर्ज करना चाहता हूं कि, चन्दा इकट्ठा करने में आप प्रेशर काम में न लीजिए। हरिजन-कल्याण के लिए या पुलिस-कल्याण के लिए आप पैसा लेते हैं। मेरे ख्याल से आप मेरे इशारे को मंत्री महोदय समझ गये होंगे और इस संबंध में एक

(श्री ओंकारलाल चौहान)

प्रश्न भी सामने आया सदन में कि इस प्रकार की जबरदस्ती नहीं होनी चाहिये चन्दे के लिए। काफी परेशानी और दबाव दिया जाता है वह चाहे व्यापारी हो या ट्रांसपोर्ट आपरेटर हो या दीगर लोग हों और उनके ऊपर दबाव डालकर पैसा वसूल किया जाता है, यह गलत है। किसी डवलपमेन्ट के लिए पैसा इकट्ठा करना है तो तरीके से किया जाना चाहिये जिससे देने वाला कल्याण कोटा के लिए अपनी स्वेच्छा से दे सके और अच्छी नीयत से दे सके। इन्हीं शब्दों के साथ पुलिस की बात समाप्त करना चाहता हूं कि उन्होंने कुछ काम किया है, इमर्जेन्सी में काम किया है।

माननीय सभापतिजी, अब मैं सामान्य प्रशासन पर आता हूं। सामान्य प्रशासन के अन्दर मैं विजिलेन्स कमेटी की बात कहना चाहता हूं। आफिशियल्स और नान-आफिशियल्स के जितने भी केसेज आते हैं मैं समझता हूं उनसे काम नहीं बैठा है। हम यह चाहते हैं कि लोगों के साथ न्याय हो और जिसने भी गड़बड़ी की उसकी पूरी इन्क्वायरी होनी चाहिये और उसका दण्ड उस व्यक्ति को मिलना चाहिये। आज कलेक्टर उन विजिलेन्स कमेटीज के चेयरमैन हैं। मैं समझता हूं कि उनको पता नहीं है। कुछ कमी उसमें जरूर नजर आती है इसलिए ऐसा काम करना चाहिये कि जिलों के अन्दर जो डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन्स जज हैं उनको इन विजिलेन्स कमेटीज का चेयरमैन बनाया जाता है तो उनको कोर्ट्स की भी पावर्स होती हैं और उनको प्रशासन का भी ज्ञान होता है। उनको एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी दोनों का ज्ञान होता है। वह उसके चेयरमैन होते हैं तो मैं समझता हूं कि इसमें प्रगति हो सकती है और कुछ सफलता प्राप्त हो सकती है।

इसी के साथ-साथ इन्डस्ट्रीज विभाग के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। माननीय सभापति जी, झालावाड़ जिले को भारत सरकार ने इन्डस्ट्रीज के सिलसिले में बैकवर्ड एरिया घोषित किया हुआ है। मैं माननीय मंत्री महोदय से इस संबंध में यह पूछना चाहता हूं कि आपने वहां पर आई. ओ. की पोस्ट कायम की हुई है। डेढ़-दो साल हो गए जितना एस्टेब्लिशमेन्ट का खर्चा है उसके मुकाबले में उपलब्धि नहीं हो पाई है। झालावाड़ जिले की अजीब सी परिस्थिति है, झालरापाटन, मनोहरथाना यह रेल से कटे हुए हैं और डग, चौमहला, झालावाड़ यह रेल के सहारे हैं। यहां कृषि का उत्पादन भी ठीक होता है और साथ ही औद्योगिक दृष्टि से यह क्षेत्र पनपाया जा सकता है। लेकिन एक इन्डस्ट्री भवानी मण्डी में लगी हुई है और वहां अभी भी स्कोप है। यह एरिया इन्डस्ट्रियली डेवलप्ड होना चाहिए। जहां हम कृषि का उत्पादन चाहते हैं वहां औद्योगिक सम्पदा भी चाहते हैं। अगर औद्योगिक दृष्टि से हम बढ़ावा दें और छोटे-छोटे उद्योग जैसे हाथ का उद्योग वहां डालने की कोशिश करें तो मैं समझता हूं कि वहां पर इस प्रकार का स्कोप मिल सकता है। राजस्थान के अन्दर जितने भी उद्योग डाले उनमें लेक आफ कोआर्डिनेशन है। कोआपरेटिव डिपार्टमेंट और इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट दोनों को बैठकर देखना चाहिए कि कहां कहां कठिनाइयां हैं,

(श्री ओंकारलाल चौहान)

कहां कहां दिक्कतें हैं और कौन कौनसी हमारे सामने दिक्कतें आती हैं कि जिससे हमारी प्रगति नहीं हो पाती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से कि एक कोर्डिनेशन कमेटी आप बैठायें और आप स्वयं भी बैठें और इन चीजों की ओर देखें तो मैं समझता हूं इन्डस्ट्रीयली राजस्थान आगे बढ़ सकता है, और बढ़ा भी है इसमें दो राय नहीं है, लेकिन कई जगह कुछ काम करने की आवश्यकता है। हमारे यहां जहां पानी की कमी नहीं, बिजली की कमी नहीं, हां सड़कों की जरूर कमी है, लेकिन दूसरे यातायात साधन रेल्वे से जुड़े हुए हैं, जहां ट्रान्सपोर्टेशन की सुविधा है वहां भी यह एरिया डवलप्ड नहीं हो तो अच्छा नहीं है। आप कहते हैं कि हमने कोटा को डवलप किया है लेकिन कोटा के साथ ही साथ दूसरे क्षेत्र हैं उनको भी डवलप किया जाना चाहिए जिससे हम औद्योगिक सम्पदा को प्राप्त करके राजस्थान की जो वित्तीय स्थिति है और जैसा माननीय वित्त मंत्री महोदय ने बताया कि बजट में घाटा है और नाजायज टैक्स लगाये, एन्टरटेनमेंट टैक्स लगाया मैं समझता हूं कि वह टैक्स लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। नान-टैक्स रेवेन्यू की ओर और वन-सम्पदा और इन्डस्ट्रीज की तरफ ध्यान देते तो मैं समझता हूं कि आपको टैक्स लगाने की जरूरत नहीं होती। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस ओर भी ध्यान दें और ध्यान देकर जो बैकवर्ड इलाका है उसको भी डवलप करने की कोशिश करें जिससे हमारे राजस्थान की तीव्र गति से प्रगति हो चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो।

अंत में, सभापति महोदय, एक बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस संघ के ऊपर मानवीय दृष्टिकोण रखना पड़ेगा। हमारे यहां कुछ लूपहोल्स हैं और उनको हर डिपार्टमेंट में प्लग करना चाहिए। सभापति महोदय, जीपों का बहुत दुरुपयोग होता है। ज्योंही इमर्जेन्सी लागू हुई उससे कुछ समय बाद तो कुछ चुस्ती दिखाई दी, लेकिन मैं बहुत नम्रता से कहना चाहूंगा कि आज भी जीपों का दुरुपयोग होता है। इस ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए मैं यह नहीं कहता कि जीप का माध्यम जो दिया हुआ है, उपयोग करने के लिए है, उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसका उपयोग उसी तरीके से होना चाहिए जिससे कि हमारा काम हो। यह नहीं हो कि हम उसका उपयोग घरेलू काम में करें। हमें देखना होगा कि हम उसका हमारे राजकीय कामों में इस्तेमाल करते हैं या दूसरे कामों में करते हैं। इस पर हमको चैक करना पड़ेगा। इन्हीं बातों को कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : माननीय सभापति महोदय, आज माननीय मंत्री महोदय, जो सामान्य प्रशासन, पुलिस, ग्रामीण उद्योग और लघु उद्योगों से सम्बन्धित हैं, इन विभिन्न मांगों के लिए विभिन्न राशियां चाही हैं जिनमें सबसे

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

अधिक राशि उनको मांग संख्या 16 पुलिस विभाग के लिए दरकार है जो 22,11,69,000 की है। इसलिए जहां राजस्थान की सबसे ज्यादा राशि व्यय हो रही है और जो आज साम्राज्यवादियों, प्रतिक्रियावादियों, अति-वामपंथियों की सक्रियता को रोकने के लिए एक मुख्य कारगर विभाग है, इसलिए ऐसे विभाग की ही मैं मुख्य रूप से चर्चा करना चाहूंगा।

सबसे पहले पुलिस विभाग ने इस बात का गौरव प्राप्त करने की कोशिश की है कि उनका क्राइम चार्ट पिछले वर्षों से काफी नीचे आया है। 118 क्राइम की कमी हुई है, यह वास्तव में उनके लिए गौरव की बात है और जब पिछले वर्ष में यहां पर रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी तो पिछले वर्ष में 929 आन्दोलन हुए थे जिसमें 94 आन्दोलन हिंसात्मक आन्दोलन थे और 478 विद्यार्थियों से सम्बन्धित थे। आज ये सारे आन्दोलनों से मुक्त हो गए हैं। इसलिए यह श्रेय भी इस बात का उन्होंने लिया है। इसके साथ-साथ उन्होंने अन्य श्रेय भी लिए हैं। उन्होंने पुलिस विभाग का आधुनिकरण किया है। उन्होंने रि-ओरियंटेशन किया है पुलिस विभाग का। उन्होंने पुलिस विभाग के अन्दर नए साइंटिफिक इन्स्ट्रीट्यूशन्स कायम किये हैं और उनका वायरलेस संचार अब वेरी हाई फ्रीक्वेंसी पर कार्य करने लगा है। आज उन्होंने राजस्थान के 8 बड़े शहरों में, जिनमें गंगानगर जैसा क्राइम एरिया है और अलवर के अन्दर, उड़न दस्ते प्रोवाइड किए हैं और पुलिस फोर्स की भी वृद्धि की है। कम्पलसरी रिटायरमेंट भी किये हैं। अब, सभापति महोदय, बहुत गम्भीरता से देखना होगा कि जो आज यह क्राईम चार्ट क्राइम चार्ट जो इतना कम हुआ है, बहुत कम तो नहीं हुआ, अगर वह इस बात का गौरव प्राप्त करें तो उनके आंकड़ों के मुताबिक बहुत स्टीप लो हो गया हो ऐसी बात नहीं है। चाहे डकैती की बात को ले लीजिए, चाहे लूट की बात ले लीजिए, चाहे हत्या की बात को ले लीजिए, चाहे उपद्रव को ले लीजिए और चाहे गृह-भेदन को ले लीजिए और चाहे पशु-चोरी को ले लीजिए। कोई बड़ा स्टीप फाल पशु-चोरी में पिछले साल से जरूर आया है लेकिन गृह भेदन में स्टीप फाल नहीं आया है। अगर डकैती को लें तो 1973 में जो 149 थीं वह अब 1975 में 141 हैं यानि 8 डकैतियां कम हुई हैं। तो अगर वह कहें कि कोई स्टीप फाल आ गया है तो नहीं आया है, लेकिन फिर भी फाल आया है वह इसके साथ ही साथ इस बात को भी देखें कि जहां उनके पास अब 31,191 कान्स्टेबल हैं, पहले जो 30967 कांस्टेबल थे उनके मुकाबले में आज 31191 कांस्टेबलों की संख्या कर ली है। जहां उनके पास 5191 हैड कांस्टेबल थे आज 5202 हैड कांस्टेबल कर दिए हैं। जहां पुलिस सहायक निरीक्षक 901 थे, आज उनकी संख्या 1241 है। पहले जो पुलिस उपज-निरीक्षक 1573 थे उनकी जगह अब 16291 पुलिस उप निरीक्षक कार्य कर रहे हैं। उन्होंने अपनी फोर्स भी बढ़ाई है। इसके साथ साथ उनकी लेबोरेटरी अब ज्यादा इक्वीप्ड है। क्रिमिनल फोटोग्राफी के रिकार्ड बनाए जा रहे हैं। इस हद तक एफीशियेंसी पर पहुंचने की स्थिति में आए हैं। इमरजेंसी के कारण, पुलिस वर्ग को बढ़ाने, पुलिस को मोडर्नाइज करने के कारण

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

हुआ है। माननीय सभापति महोदय, अगर हम उनके जासूस विभाग की क्रियाओं को देखें तो बहुत गंभीर प्रश्न सदन के सामने आता है। जहां 1974 के अन्दर 419 लोगों से पूछताछ की वहां इस वर्ष 390 लोगों से पूछताछ की है। जहां उन्होंने सन् 74 के अन्दर 11 जासूस पकड़े जिनको प्रमाणित कर दिया वहां इस वर्ष 26 जासूस प्रमाणित कर दिए। इतनी गंभीर स्थिति देश में चली है कि हमको इमर्जेंसी लगानी पड़ी। आनन्दमार्गियों की एक्टीविटीज ने, आर.एस.एस. की एक्टीविटीज ने सारे प्रजातंत्र को संकट में डाल दिया यह अच्छी तरह से जानता है सारा विश्व। सारे विश्व ने हमारे मजबूत और कठोर कदम की प्रशंसा की है। आज वही गिलगित, जहां से पेशावर को यू—2 हवाई जहाज गया था, एटोमोनाइज्ड बेस्ड हो गया है। आज गिलगित में एटेमिक बेस बन गए हैं। आज कराची के दो दो बन्दरगाह हैं वहां से पाकिस्तानी जासूसों की एक्टीविटीज होती हैं। उनकी एन्टी नेशनल एक्टीविटीज ने हमारे बोर्डर को पहले से ज्यादा खतरे में डाल दिया है। उनकी एक्टीविटीज टेन फोल्ड ज्यादा हो चुकी हैं और वर्ल्ड बैंक की सारी फैसीलिटीज ने, इम्पीरियलिज्म और पाकिस्तानी एक्टीविटीज को और ज्यादा प्रोत्साहित किया है। इस बात का गौरव आपका जासूस विभाग ले कि हमने इस समय के अन्दर 390 पाकिस्तानी जासूसों को जासूसी के सम्बन्ध में इन्ट्रोगेट किया, मैं आपको बहुत गौरव देने को तैयार नहीं हूं। सारे राजस्थान के अन्दर अगर आप दृष्टिपात करें तो कोटा के अन्दर पांच घण्टे तक इन्दिरा गांधी की अर्थी का जुलूस निकाला जाता रहा और राजस्थान की पुलिस और उसके आई.जी.पी. पचास आदमियों को जेल की सीखचों में बन्द नहीं कर सके। 15 अगस्त को कोटा के अन्दर चार पांच घण्टे तक दो तीन हजार लोग इन्दिरा विरोधी नारे लगाते रहे, आन्दोलन करते रहे और राजस्थान की पुलिस बेजार खड़ी रही। 5 जनवरी को पांच बत्ती पर पांच महिलाओं ने सारा ट्रैफिक जाम कर दिया और तीन हजार पुलिस मौके पर खड़ी रही लेकिन राजस्थान की पुलिस कोई एक्शन नहीं ले पाई। और जी.सी. पांडे साहब के यहां पूर्णानन्द अवधूत बाकायदा आता रहा और मिलता रहा लेकिन राजस्थान की पुलिस कोई एक्शन नहीं ले पाई। रामबाग पैलेस के अन्दर तीन तीन वाइस चांसलर साहबान यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की सैंक्शन के बिना मीटिंग करते रहे जिनमें अमेरिकन एम्बेसी के लोग अनापशनाप शामिल हुए और राजस्थान के पुलिस मंत्री इस सदन के अन्दर उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके। कानोता हाउस के अन्दर अपनी रिसर्च के नाम पर अपनी एक्टीविटीज को तीव्रतम करते रहें और राजस्थान पुलिस के पास उसकी कोई सूचना नहीं हो लोग कहते हैं कि आपके कोई डी.आई.जी. उसमें सम्मिलित हैं। फिर बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि श्रीमान रमजान खां के बारे में जिनका कि बाकायदा कैदी नम्बर मौजूद है, उनकी सम्पत्ति का पूरा ब्यौरा गवर्नर के अभिभाषण पर बोलते हुए मैंने दिया था, जिसका महाराष्ट्र का कैदी नम्बर 10768 है, का पूरा चिट्ठा मैंने इस सदन के अन्दर प्रस्तुत किया था, आज वह व्यक्ति बीस लाख की सम्पत्ति का मालिक हो गया। मेरा अधिक

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

समय आया नहीं हो इसलिये मैं इस सारी सम्पत्ति की डिटेल्स सदन की मेज पर रखना चाहता हूं कि सन् 1952 में नंवी का एक मामूली सा सिपाही आज लाखों की सम्पत्ति का मालिक कैसे हो गया। अफीम की स्मगलिंग और 376 के केसेज, आई.पी.सी. और सी आर पी सी का कोई सेक्शन नही जिसके अन्दर इसने अपराध नहीं किया हो और उसके बावजूद मुक्त फिरता रहे, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो, उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो। मैं राजस्थान की पुलिस से पूछना चाहता हूं कि मैंने पिछले सदन के अन्दर सूचना दी थी कि यह रमजानखां गुजरात के एक सेठ ढ़ाकिया के साथ न केवल अफीम की बल्कि सोने की स्मगलिंग करता है। कई दफा इसकी अफीम की जीप पकड़ी गई, कई दफा और कुछ पकड़ा गया और यह प्रिविलिज्ड आदमी बन गया। मोरल टरपीट्यूट के चार्जेज हों और उस पर कोई एक्शन नहीं हो। 73 के अन्दर इस आदमी को मुक्त कर दिया इस बात के लिए कि वह इलेक्शन लड़ सकता है सारे मोरल टरपीट्यूड के केसेज लुप्त कर दिए गये और यहां की राजस्थान की पुलिस ने मियां जी को इन्ट्रोगेट किया जो कि एक बहुत बड़ा काम्पलेक्स, रेकेट इन्टेलिजेन्स का पाकिस्तान की सी. आई. डी. के लिए रन करते हैं। पाकिस्तान की पुलिस ने शांतिलाल को इन्ट्रोगेट किया, जो के. एस. ब्यावर के मालिक हैं और बहुत बड़ा इन्टेलिजेन्स का रेकेट रन करते हैं। इसलिए, सभापति महोदय, अगर इस बात का गौरव चाहें तो मैं यह गौरव देने के लिए तैयार हूं। चाहे यह अग्रवाल कालेज हो, चाहे वह मालवीया कालेज हो, चाहे वह राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, चाहे वह गागोरिया हो, चाहे वह कर्मचारियों का बहुत बड़ा गैंग हो। सारे चीफ सेक्रेटरीज की कान्फ्रेन्स पिछले दिसम्बर माह में स्पेशली बुलाई गई थी और उसमें यह कहा गया था कि आनन्दमार्गियों, आर. एस. एस. और जमाते इस्लामिया के लोगों की लिस्ट बनायी जाये। पुलिस रिपोर्ट में मैं नहीं समझता कि इस पर क्या एक्शन हुआ। बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत आपने एक्शन लिये हैं परन्तु हमारे राज्य के जो विरोधी हैं, जो षड्यन्त्र कर रहे हैं, उनके विरुद्ध आपने क्या कार्यवाही की है? पुलिस ने कुछ कार्यवाही की है। लेकिन हमारी प्रधान मंत्री इससे सन्तुष्ट नहीं है। इसीलिए उन्होंने फिर मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया और उन्होंने यह कहा है कि ये आनन्दमार्गी आर.एस.एस. के लोग देश और समाज की पीठ में छुरा भोंक रहे हैं। इसलिए डिस्ट्रिक्ट लेविल तक इन लोगों के विरुद्ध सेल बनाये जायें, इनकी एक्टीविटी को रोका जाये। लेकिन कोई कार्य किया गया हो इस दिशा में, ऐसा संकेत नहीं मिलता है। जो इश्तिहार चिपकाये गये, जो बीस सूत्री कार्यक्रम के नारे और इश्तिहार दीवारों पर चिपकाए गए उन नारों और इश्तिहारों को एक नहीं अनेक शहरों में मिटा दिया गया है, जगह जगह उनको काली स्याही से पोत दिया गया है 'बीस सूत्री कार्यक्रम, हमारी जीवन रेखा है, उसको पोत दिया गया है चाहे वह नागौर हो, चाहे वह गंगानगर हो, चाहे वह रायसिंहनगर हो। इसके अलावा जगह जगह पर ऐसे इश्तिहार चिपकाये गये हैं और लोक संघर्ष समिति राजस्थान का पेम्पलेट भी वितरित किया गया है "स्वतन्त्र भारत के देश-

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

भक्त भाइयो और बहिनों, मैं नहीं मानता कि राजस्थान की पुलिस ने इस दिशा में कुछ कार्यवाही की हो।" इस रिपोर्ट के अन्दर देशद्रोहियों को रोकने का कोई संकेत नहीं मिलता। हां इस रिपोर्ट के अन्दर यह जरूर कहा गया है इतने क्राइम घटे हैं और इतने व्यक्तियों को सेवा निवृत्त कर दिया गया है। सभापति महोदय, सब से अधिक सेवा निवृत्त कान्स्टेबल किये गये हैं। मेरे ख्याल से आई. पी. एस. अधिकारी तो एक भी निवृत्त नहीं किया गया है। परन्तु 5 पुलिस अपर अधीक्षक, 7 पुलिस उप अधीक्षक, 23 पुलिस निरीक्षक, 115 पुलिस उप निरीक्षक, 127 हैड कान्सटेबल तथा 264 कान्सटेबलों को अकुशलता एवं अयोग्यता के कारण अनिवार्य रूप से सेवा मुक्त किया गया है। यह तो आपने सेवा निवृत्त किया है। अब बीकानेर का केस लीजिये, सभापति महोदय, वहां पर किसी को सेवा मुक्त नहीं किया गया है और जिनको सेवा मुक्त किया गया उनके बारे में भी आगे चल कर निवेदन करूंगा। वहां पर 36 थानेदारों को, जिनके केस अवार्ड, कमेन्डशन सर्टिफिकेट, मिले हैं, निकाला गया लेकिन जिनके एडवर्स रिमार्क्स हैं, जो कि कन्ट्रोल एण्ड क्लासिफिकेशन आफ रूल्स के तहत डिसमिस होने चाहिये, उनको डिसमिस नहीं किया जाकर सस्पेन्ड किया गया है। सस्पेन्शन तो इनइवीटेबल है माइनर पनिशमेन्ट भी साथ में है। एक श्रीमान के खिलाफ 23 एडवर्स रिमार्क्स हैं और उनका नाम है श्री करनसिंह, इतना रिकार्ड खराब होते हुए भी सेवा निवृत्त नहीं किया गया है। फिर दूसरे महापुरुष हैं उनके विरुद्ध 16 मेजर चार्जेज हैं, नाम है श्री रोशन अली। इनको भी सेवा निवृत्त नहीं किया गया है। तीसरे मेरिट के अन्दर है, श्री राजमेहरसिंह। 15 मेजर चार्जेज हैं इनके खिलाफ लेकिन मोअत्तिल किया गया। दस, दस एक, दो, तीन, चार और पांच वाले तो कई हैं। एक और 17 वाले हैं श्री भोपालसिंह, मेजर चार्जेज हैं, परन्तु इनको सेवा निवृत्त नहीं किया गया।

एक माननीय सदस्य : सिप्पे वाले होंगे ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या है, क्या नहीं, यह अलग बात है। यह तो बीकानेर रेन्ज के डी. आई. जी. जानें, क्योंकि थानेदारों को डी. आई. जी. नियुक्त करते हैं और सेवा मुक्त करने का अधिकार क्षेत्र भी उन्हीं का है। अब, सभापति महोदय, आप देखिये किन किन को सेवा मुक्त किया गया है। जो सेवा मुक्त किये गये हैं उनमें से एक श्री रामसिंह जिनको कि एक नहीं 11 कमेंडेशन अवार्ड मिले हैं, 11 केस अवार्ड मिले हैं और कुल 6 माइनर चार्जेज उनके खिलाफ हैं। उनको सेवा मुक्त कर दिया गया है। दूसरे नम्बर पर अब्दुल रहमान हैं जिनको कि 25 कमेंडेशन अवार्ड मिले हैं। मैं जानना चाहता हूं, सभापति महोदय, क्या ये अवार्ड बोगस थे ? क्या ये अवार्ड फर्जी थे ? आपने इनको 25 कमेंडेशन अवार्ड दिए, और 7 केश अवार्ड दिये और केवल एक मेजर पनिशमेन्ट का रिमार्क है। यह क्या है ?

एक माननीय सदस्य : व्यक्तिगत तौर पर आफिसर नाराज होगा ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : इसको भी आपने सेवा मुक्त कर दिया। एक और श्री नन्दलाल को आपने सेवा मुक्त कर दिया, इनके पास 12 केश अवार्ड हैं, 31 कमेंडेशन अवार्ड हैं और केवल तीन रिमार्क्स हैं इनके खिलाफ। यह तो ब्रीफली आपको बता रहा हूं। यह पूरा चार्ट आपके सामने प्रस्तुत है। यह क्या क्राइटेरिया है ? एक है आपके पुलिस विभाग के करणीदानसिंह इन्सपेक्टर, इसको भी आपने सेवा मुक्त कर दिया है जिनके पास कमेंडेशन अवार्ड हैं, केश अवार्ड हैं, और मीनिमम चार्जेज हैं। ऐसे लोगों को आप रिटायर करते हैं। क्राइम केसेज कम हो गये इसके लिए आप गौरव अनुभव करते हैं। यह गौरव की बात है कि 19 गैंग में से 15 गैंग को आपने एबोलिश कर दिया चम्बल की घाटी के अन्दर। बहुत बहादुरी दिखाई है आपने। यह आपका कार्य क़ाबिले तारीफ है। यही एक स्टेट है जिसने कि पुलिस शहीदों के परिवारों की बाकायदा व्यवस्था की है। इसके लिए आप प्रशंसा के पात्र हैं। इस कार्य की मैं अवश्य प्रशंसा करूंगा। परन्तु इसके साथ ही, सभापति महोदय, जहां तक डकैती के मामलों का सवाल है, मैं आपको संगराना जगह का किस्सा पहले भी सदन में सुना चुका हूं, 28–5–74 को दिन दहाड़े डकैत आए और डकैती डाली। जीप का नम्बर पुलिस के पास है। 70 हजार रुपये की डकैती डाली। जीप का नम्बर था डी. एल. पी. 5854, बदमपुर से पैट्रोल लिया और डकैत बड़े ठाठ से चले गये एक के बाद दूसरा तफतीश अधिकारी बदलता रहा और अभी तक डकैती बरामद नहीं हुई जब कि पुलिस को जीप का नम्बर, जीप की सारी ट्रेसेज मालूम है। कम से कम 100 आदमियों को इन्ट्रोगेट किया जा चुका है और पता नहीं अधिकारियों ने अब तक कितना पैसा इकट्ठा किया ? 23 मई को सी. आई. डी. डी. आई. जी. बजरंग लाल जी वहां पर पहुंचे। जम कर इन्क्वायरी हुई। मैं अवश्य ही उनकी प्रशंसा करूंगा। एक तरफ थानेदार की 25 जीपें चल रही थीं। एक तरफ जनता के लोग थे। उनको 30/40 मील दूर लाया गया। थानेदार द्वारा डराया गया इसके बावजूद जनता ने सबूत दिए और सब से बड़ा सबूत तो बजरंग लाल जी की इन्क्वायरी रिपोर्ट है। मैं पूछना चाहता हूं 17–12–74 को प्रमाणित हो गया परन्तु फिर भी आपने कोई कार्यवाही नहीं की। वहां के थानेदार ने 2 बजे से 7 बजे की बस यात्रा दिखाई है। उसका टी. ए. बिल सीज किया जाये। यह टी. ए. बिल फ्राड है। यह साबित हो गया है। इस टी. ए. बिल में थानेदार ने पीरियड का मैनीपुलेशन किया है। इस समय वहां पर कोई बस नहीं चलती। परन्तु आज भी वह प्रेमराज थानेदार बाकायदा वहां पर थानेदार है। वह कम्पलसरी रिटायरमेंट की लिस्ट में तो आये नहीं। न ही प्रश्न है कि वह आ जायं। 420 आई. पी. सी., 468 आई. पी. सी. और 409 आई. पी. सी. कौन सा आफेन्स उन्होंने नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं कि यहां एक प्रगति जरूर की है, इसके अन्दर 66 रिमाइन्डर्स एस. पी. और सी. ओ. ने प्रेमनाथ को डिलीवर किये कि तुम्हारी रिपोर्ट नहीं आ रही है इस केस के अन्दर, लेकिन कोई रिपोर्ट क्यों दे ? 100 आदमियों का इन्ट्रोगेशन किया और 5–5 हजार एक–एक से वसूल किये।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

पांच–पांच हजार की नकद वसूलियां कीं। मैं बराबर इस सदन के अन्दर चिल्लाता रहा कि उनको वहां से हटाओ। वह गवाहों को नेस्तनाबूद करने के लिए उनके खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं। एक्चुअली मेरे पास इस बात के गवाह हैं कि जिन लोगों की प्रेमनाथ के खिलाफ शहादत थी, उन सब के खिलाफ 110 आई. पी. सी. के मुकदमे चलाये गये और उनसे 60-50 हजार की जमानतें तलब की गई जब कि मैं यहां 20 बार बोल चुका हूं। मैं रेन्ज के डी.आई. जी. से भी पूछना चाहता हूं कि एस.पी विजिलेन्ट थे, उन्होंने 66 दफा रिमाइन्डर किये, सी. ओ. ने रिमाइन्डर किये तो डी. आई. जी. पी. साहब के पास इतना भी वक्त नहीं था कि वह एक भी रिमाइन्डर करते। रिमाइन्डर क्या करते वे तो उसके प्रोटेक्शन के लिए उसको बदलने के लिए बजाय उसको सस्पेन्ड कर रहे हैं एक चिट्ठी लिख कर। इससे क्या और ज्यादा प्रोटेक्शन एक थानेदार के लिए हो सकता है? तीन-तीन डी. आई. जी. एक थानेदार के प्रोटेक्शन के लिए इस राज्य में दिखाई दे रहे हैं– एक श्री मुदालियर साहब, एक श्री कालिया साहब व एक श्री मिश्रा साहब। प्रश्न यह है कि यह प्रोटेक्शन उसको क्यों है? क्या यह ऐसी मुर्गी है कि जो हर एक के दरवाजे पर जाकर सोने का अण्डा देती है?

सभापति महोदय, इतना ही नहीं एक गरीब महिला का मर्डर किया गया। उसका इन्वेस्टीगेशन पूरा हो गया। गरीब हरिजन महिला मर गयी मार डाली गई, मर्डर कर दी गई। इस संबंध में बहुत ज्यादा सदन का समय नहीं लेना चाहूंगा। 17–12–75 को मेडिकल रिपोर्ट दी और मेडिकल रिपोर्ट में मर्डर बताया गया। उसका कारण मर्डर था उसके बावजूद 3 महीनों तक उसकी एफ.आई. आर. दर्ज नहीं की गई। 12 दिन पुलिस डिटेंशन में रखा गया। यह साबित हो गया कि डुप्लिकेट स्टेटमेंट सी. आई. डी. इन्सपेक्टर पकड़ कर लाये और लाकर उनको अन्दर रखा गया। मुझे यह बताया गया जिनको इस बात की जानकारी है कि डुप्लिकेट स्टेटमेंट लाकर के अन्दर है। एक स्टेटमेंट आता है कि हरिजन महिला निमोनिया से मर गई, एक स्टेटमेंट आता है कि यह हरिजन महिला मिरगी के दौरे से मर गई और तीसरा स्टेटमेंट यह आता है कि इसे मार डाला गया है, गला घोंट कर मार डाला गया है। यह साबित है एक सी. आई. डी. डिटेन्शन में 12 दिन तक रहा और उस पर 342 का केस चलाया गया। क्या वह ज्ञानी दलपत सिंहजी की चिट्ठी लेकर आया था? क्या आप इसी आधार पर एडमिनिस्ट्रेशन चलाना चाहते हैं? फिर क्यों न मुदालियर साहब उनकी मदद करें? इस समय सदन के अन्दर माननीय मुख्य मंत्री जी होते तो ज्यादा अच्छा होता। सन् 1974 के अक्तूबर के अन्दर मैंने पूछा था कि मुदालियर साहब ने जब गंगानगर में गेहूं 230 रुपया प्रति क्विन्टल बिक रहा था तो अपने पुलिस के सिपाहियों को 160 रुपया प्रति क्विन्टल सप्लाई करने के लिए क्या एकत्रित नहीं किया? आप इन्कार कर दें? क्या पुलिस लाइन के रोजनामचे के अन्दर यह दर्ज नहीं है, और क्या रघुवीरसिंह को इसके लिए डेप्यूट नहीं किया सिपाहियों के

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

लिए गेहूं लाने के लिए ? और फिर यह कणक किस तरह से इकट्ठी की गई ? मनमोहन सिंह ग्रार.एस.आई. को डेप्यूट किया गया Sorry रघुवीरसिंह करेक्ट कर लें। हरियाणे से परमिट मांगे गये और सब जगह से परमिट मांगे गये, लेकिन यह कणक कहां से ग्राई है ? संगरिया से 100 बोरी ग्राई है। कौन सी 100 बोरी कनक ग्राई है ? क्या कोई प्रमाण दे सकते हैं माननीय मंत्री महोदय कि फलां से खरीदी गई और फलां जगह से खरीदी गई, फलां ग्राढ़तिये से खरीदी गई। कृषि उपज मंडी की रसीद प्रोड्यूस कर सकते हैं ? कणक कोई नहीं खरीदी गई है। बोर्डर पर एक ट्रक पकड़ लिया गया, पंजाब के बोर्डर पर और वहां के थानेदार ने कणक भेज दी। इसी प्रकार से सादुलशहर के थानेदार ने 1000 बोरी भेजी और पीलीबंगा के थानेदार ने गेहूं भेजा। आप उत्तर दें तो मैं चाहूंगा कि आप कान्क्रीट प्रूफ के साथ बतायें कि 59 हजार की कणक किस किस जगह से ली गई है और कृषि उपज मंडी की रसीद है।

ग्रापने इतनी बड़ी एफिशियन्सी कर रखी है कि ग्राप मुलजिम का फोटो उसके हुलिये से, उसके खाके के वर्णन से बना सकते हैं, चित्र बना सकते हैं, लेकिन यही मुदालियर साहब जब कोटा में एस. पी. थे तो स्पेशल कैमरा था उसको गायब करवा दिया और उसका कवर मुदालियर साहब के घर में बरामद हुग्रा। वहां पर नकली कैमरा काम कर रहा है और ग्रसली पुलिस का कैमरा डी.ग्राई.जी.पी. साहब ने गायब कर रखा है।

फिर मृगतृष्णा की शूटिंग के लिए ख्वाजा ग्रहमद ग्रब्बास बीकानेर में तशरीफ लाये तो 5000 रुपया उन्होंने पुलिस के बेनीवोलेन्ट फण्ड के लिए दिया। वह क्या कहते हैं वह मैं ग्रापको बाद में बता दूंगा लेकिन ग्राप मुदालियर साहब से यह पूछिये कि जो पुलिस के घोड़े और पुलिस के कान्सटेबल शूटिंग में प्रोवाइड किये गये थे उसके लिए 500 रुपये दिये गये थे तो क्या वह रुपया पुलिस के बेनीवोलेन्स पर खर्च किया गया ? क्या वह 50000 रुपया मुदालियर साहब की कोठी में खर्च नहीं हुग्रा ?

ग्राप ग्रीन रिवोल्युशन कर रहे हैं। उनके घर में बाकायदा पोल्ट्री फार्म चल रहा है। 12-12 सिपाही उनके पोलट्री फार्म को सम्हालने के लिए लगे हुए हैं। उनका थानेदार सोने के ग्रण्डे दे रहा है। उनके घर की मुर्गियां ग्रण्डे दे रही हैं जो कि बाजार में बिक रहे हैं। थानेदार श्री उन्होंने प्रशस्ति की है फिर कहां से जाय। ऐसे ग्रनेकों मामले हैं जिन पर मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मेरे कहने का तात्पर्य यह है···

श्री सभापति : कृपया जल्दी समाप्त करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मेरे कहने का, सभापति महोदय, मुख्य तात्पर्य यह है कि डेकोटीज का जो आपने जिक्र किया है उसकी हालत यह है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनसे देश को खतरा है। मैं ग्रापसे एक बात ग्रौर पूछना चाहता हूं कि यहां पर 11-12 ग्रौर 13 दिसम्बर को इस देश के सबसे बड़े डेकायट्स इकट्ठे हुए थे रामबाग पैलेस के ग्रन्दर तो वहां पर देवीदत्त

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

"न्यू पाइन्ट" के एडीटर भी थे। आपने, आई.जी.पी. साहब ने, राजस्व मंत्रीजी ने, गृह मंत्रीजी ने और हमारे मुख्य मंत्रीजी ने पेकिंग रेडियो सुना होगा तो पेकिंग रेडियो स्पेशली इन डेवीदत्त एडीटर साहब को कोट करता है। मैं निवेदन करूंगा कि उनके सीक्रेट एजेन्ट फन्क्शन कर रहे हैं जगह जगह पर और उनको सारी एक्टीविटीज मालूम होती हैं तो किसी डिस्ट्रिक्ट में आपने इस प्रकार का फेज कायम किया है।

सभापति महोदय, मैं एक बयान और अर्ज करना चाहूंगा आज की इमर्जेन्सी के मिसयूज के सम्बन्ध में। अगर इमर्जेन्सी का मिसयूज हुआ है तो सबसे ज्यादा मिसयूज मैं स्पष्ट और दिलेरी से कहना चाहूंगा कि पुलिस विभाग ने किया है। जनतान्त्रिक संस्थाओं को जगह जगह समाप्त कर दिया गया है। राजस्थान युनिवर्सिटीज के अन्दर शिक्षक संघ और सारी संस्थाओं को समाप्त कर दिया गया है। शिक्षक संघ और कर्मचारियों के प्रगतिशील संघों को, उनकी गतिविधियों को कुचला गया है। 2 जनवरी, 76 को किशनलाल गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक विभाग के दफ्तर में श्री के.एल. सेठिया को बेरहमी से पीटा गया। दफ्तर के अन्दर ही पीटा गया। सारे कर्मचारियों ने यह प्रश्न उठाया। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। सेठिया साहब को तसल्ली नहीं हुई तो वह थाने गये। फिर थाने में उनको बुरी तरह से मारा गया। श्री सेठिया आज पागल हैं। सभापति महोदय, मुझे यह कहने में झिझक नहीं है, चाहे अलवर हो, चाहे गंगानगर हो, आज पुलिस का दृष्टिकोण है, वहां आज 20 सूत्रीय कार्यक्रम में बड़ी से बड़ी अड़चन पुलिस डालती है। माननीय सदस्य श्री गुरुदयाल सिंह सन्धु ने गुरु ग्रन्थ जलाने का मामला उठाया। केवल गुरु ग्रन्थ ही नहीं जलाया लाल झण्डा भी जलाया। गुरु ग्रन्थ साहब जो सारी मानवता का पवित्र ग्रन्थ है। इसलिए कि 500 बीघा की जेठीबाई की बपौती है। आधा हिस्सा महताब सिंह लेता है। गिरदावरी में दर्ज है मेहताब सिंह के नाम। 3 तारीख को कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर में·· (अश्रव्य) हरीराम के गुण्डे, जो कहते थे कि इसको समाप्त करना चाहिये। कम्युनिस्ट पार्टी का सेक्रेटरी मेजरसिंह है। गोपालराम और कानसिंह है। पुलिस जेठीबाई का समर्थन करती है। जेठीबाई ने 4 मुरब्बे में से एक मुरब्बा पुलिस को देना तय किया है वहां एक ग्रन्थी को पकड़ लिया। बच्चे को पकड़ लिया। ज्योति जल रही है। ग्रन्थ साहब का पाठ हो रहा है। यह कहा गया कि ग्रन्थ साहब का पाठ हो रहा है। लेकिन एक बच्चे को नहीं छोड़ा गया। पन्द्रह के पन्द्रहों बच्चों को थानेदार हथकड़ी डाल कर लाया। 3 मील ही आगे निकले थे कि वहां के गांवों के लोग आगये। गुरु ग्रन्थ को जलाया गया। ग्रन्थ साहब को कोई नहीं मिटा सकता है। यह ठीक है कि आपने सी. ग्रो. को बहाल कर दिया। यह ठीक है कि आपकी पुलिस ने जेठीबाई के दलालों को फेवर किया। लेकिन जो भी कम्युनिस्ट पार्टी के 15 सदस्य थे, आज भी जिनके पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ था, उनकी 20·20 हजार की जमानत हुई है। 6 महीने गुजर गये हैं। उनके मुचलके भी हुए। हेतुसिंह सुसाइड

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

करके मर गया। इन्क्वायरी हुई तो मर्डर डिक्लेयर कर दिया। फर्जी केस बना। सन्तु की जीप के पीछे बांध कर घसीटा। सभापति महोदय, उसने नहर खोदी है। सभापति महोदय, उस सन्तू नाम के आदमी को पुलिस ने बेरहमी से पीटा। वहां पर भूर सिंह एस. पी. पहुंच गये। वह कहते हैं कि यह कौन से 20 सूत्री कार्यक्रम लागू करने वाले आते हैं। हजारों आदमी पहुंच गये। यह 20 सूत्री कार्यक्रम को रखने वाले हैं। यह केवल कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने ही नहीं, वहां के सारे लोगों ने एक होकर यह कहा है। वहां पर यह भूपतियों का काम किया गया है। सभापति महोदय, यह एक ही घटना नहीं है। मैंने 20 मामले हरिजनों के पेश किये हैं। थानेदारों के खिलाफ इन्क्वायरी हुई है। मैंने यहां पर बलात्कार के केस रखे हैं। 56 वर्ष की औरत को नंगा करके उसके साथ में रेप किया गया। एक हरिजन महिला की हत्या की गई। उसका मामला मैंने सदन में पेश किया है। डूंगरगढ़ की एक महिला का केस प्रस्तुत किया है। लेकिन आज तक कोई नतीजा नहीं है। अनूपगढ़ में हिम्मतसिंह का मर्डर हुआ। वह एस पी. है जैसा कि आप कहते हैं, मुझे भी उसके विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है। मैंने उसकी तारीफ सुनी है। शकल नहीं देखी है। इसके अलावा एक नौजवान मारा गया। एस.पी. की इन्वेस्टीगेशन सफीसिएन्ट नहीं है। मैं सदन के अन्दर चैलेंज करके कहता हूं कि गर्ग से नहीं, एस.पी. लेवल के आदमी के लिए उसी लेविल से जांच कराओ। आपने ए.एस.पी. से जांच करवाई। वह क्या इन्वेस्टीगेशन करेगा? एक एक आदमी को निकालने के लिए 80-80 हजार रुपये आपके वर्ग ने खाये हैं। पुलिस भूपतियों से मिली हुई है।

श्री सभापति : कृपया आसन ग्रहण करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : गंगानगर में पुलिस की आज जो स्थिति है। झूठे केस बनाने के आफिसेज बने हुए हैं। मैंने दो बार कहा कि आप कोई कमेटी बैठाइये। 107/151 में कितने गुण्डे बन्द किये हैं? उन पंजाबी धाकड़ों ने अनूपगढ़ तहसील में क्या किया? 30 हरिजन परिवारों पर रात को शराब पीकर गोलियां चलाते हैं। वहां के थानेदार का, जो मैंने लिस्ट पेश की; उसमें नाम है। राजस्थान कैनाल पर, अनूपगढ़ के अन्दर, उसके और भी धन्धे चलते हैं। आपकी हिम्मत नहीं कि गोपालसिंह को या गिरधारीसिंह को आप हटा दो। उनको हटा दिया गया तो बहुत सारी राजनीतियां नंगी हो जायेंगी। कहीं पर जसवन्त सिंहजी के रिश्तेदारों में गोलियां चलती हैं तो वहां के थानेदार या सर्किल इन्सपैक्टर ही तय करेंगे कि मुलजिम कौन है। कई ऐसे बड़े बड़े आई. ए. एस. आफिसर्स हैं, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, आप समझ रहे होंगे। उस व्यक्ति का कई दफा सस्पेन्शन हुआ, आपने उसका टर्मीनेशन नहीं किया। कई बार उसके पर्चे दर्ज हुए, लेकिन उनकी गिरफ्तारी तक नहीं हुई और बेचारे हरिजनों की चालीस हरिजनों की, पांच पांच हजार की जमानत कराते हैं। उनके लिये आपकी फौज पहुंच गई कब्जा छुड़ाने के लिए जो कि बीस-बीस साल से वहां पर काबिज हैं, जिन्होंने नहर बनाई है, वहां पर काम किया है और वह जमीन हरिजनों को अलाट कर दी गई है लेकिन अभी तक

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

उनको कब्जा नहीं मिला है, नोट कर लीजिये अब भी वहां पर वे लोग बैठे हुए हैं। पांच सौ रुपया जुर्माना और तीन महिने की सजा मत्ये के लिये या फत्यु के लिये हो सकती है किसी भू-पति के लिये नहीं। बीस हजार की जमानत किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता की तो हो सकती है किसी गरीब की नहीं।

श्री वृद्धिचन्द जैन : अब तो हो सकती है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अभी तक नहीं हो रही है। किसी ने उनको अरेस्ट नहीं किया, किसी ने भी उनको हथकड़िया नहीं लगाई। आज तो बोन्डेड लेवर एक्ट भी बन चुका है। फिर भी उनके भतीजे साहबाम ने हलीमा नाम की हरिजन लड़की, जो एक गरीब थानेदार हरिजन की लड़की थी, और वह कमडिया में रहती है, के साथ बलात्कार किया गया। मैंने गोपाला राम के लिये खुद चाज शीट दी. इस प्रकार के थानेदारों को तुरन्त हटा देना चाहिये। वहां सारे मकानों को वहां से हटा दिया क्योंकि उन गरीबों ने कोई एन्क्रोचमेन्ट किया था लेकिन गोपालाराम का मकान नहीं हटाया गया क्योंकि वह उसका मकान है, उसने कितने ही अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को बचाया है। आप इन सारे राजस्थान कैनाल के लोगों को देखो तो कितने पुलिस अधिकारी बचे हैं जिनके पास वहां पर मकान नहीं हैं। अनूपगढ़ की मण्डियों में किसने प्लाट नहीं ले रखा है, गोवर्धनसिंह जी आई.जी.पी. साहब ने, या सुल्तानसिंहजी ने, हकीकतराय डी.आई.जी. साहब ने क्यां वहां पर बड़ी बड़ी स्टेट नहीं बना रखी हैं? थानेदारों की और हैड कान्स्टेबलों की लिस्ट तो छोड़िये। इस प्रकार से आप भूपतियों से तालमेल करके प्रजातन्त्र पर आक्रमण नहीं कर रहे हैं? आज आप हरिजनों का हित करना चाहते हैं, जब आप वर्ग-संघर्ष को दूर करना चाहते हैं, आज पिछड़े तबके के लोगों को ऊंचा उठाने की बात कर रहे हैं और आज हर दिशा में प्रतिक्रियावादी तत्वों को, साम्प्रदायवादी तत्वों, दक्षिण पन्थियों और साम्राज्यवादी प्रवृत्ति को समूल नष्ट करना चाहते हैं लेकिन एक तरफ उनकी एक्टीविटीज तीव्र से तीव्रतर होती जा रही है, ऐसी हालत में आपकी जो यह रिपोर्ट है पुलिस की रिपोर्ट यह पुराने ढचरे की पुलिस रिपोर्ट है, यह कोई मायने नहीं रखती। चीफ मिनिस्टर्स की कान्फ्रेन्स में देश की प्रधान मन्त्री इन्दिरा गांधी के कहे हुए शब्दों के अनुसार बीस सूत्री कार्यक्रम में बोन्डेड लेबर कानून आपने पास किया, मनीलेन्डर के लाइसेन्स का एक्ट आपने पास किया, जिसमें लाइसेन्स लेने की व्यवस्था है, उनको सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। आपने दो सौ रुपये से कम की आमदनी वालों को आवासीय भूखण्ड अलाट करने की बात भी कही है और गांव के लोगों को जमीनें भी दिलाने की बात कही है, आज इन सारी एक्टीविटीज के अन्दर क्या हो रहा है–

(3.26 म.प.)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पीठासीन)

आप भले ही माइक्रोवेव के सेट लगा दीजिये और सारा मोर्डनाइज कर दीजिये। जहां तक मदद देने का सवाल है, पिछली दफा दो

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

लाख थी, इस दफा पता नहीं कितनी है लेकिन आपने इसका देश की शान के लिये उपयोग नहीं किया। आपके दो पुलिस अधिकारियों ने गौरव प्राप्त किया। स्पोर्ट्स में आपने मैदान मारे हैं, कान्स्टेबलों को भी पदक दिये गये हैं और ओरियेन्टेशन का भी काम हुआ है।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं, जिसका जिक्र मैंने पिछली बार भी किया था वेनेवोलेन्ट फन्ड का जिसका कान्स्टेबलों के बेनिफिट के लिये उपयोग होना चाहिए वह नहीं किया जाता है। दो ढ़ाई लाख की इसकी राशि है। आपने एलान कर दिया कि पाकिस्तान के पहलवान आ रहे हैं और वह कुश्ती लड़ने से पहले ही गायब हो गये। अब आप लौटरी के टिकिट वेच रहे हैं। उसमें आपको कमीशन मिल रहा है। कोई लाइसेन्स रिन्यू करवा रहा है या कोई गलती से थाने के बाहर से निकल गया तो उससे फन्ड के लिये पैसे इकट्ठे किये जा रहे हैं, आपके मुदालियर साहब इकट्ठे कर रहे थे। यह सब कुछ हो रहा है, लेकिन आखिर यह किसके लिए यूटिलाइज हो रहा है ? पिछले वर्ष भी मैंने कहा था यह जो फिगर्स हैं, वड़े डिस्गस्टिंग फिगर्स हैं। कितने ही आई. जी. साहब के लड़कों को छात्रवृत्ति दी गई, डी.आई.जी. साहब के लड़कों को छात्रवृत्ति दी गई, एस. पी. साहब के लड़कों को दी गई लेकिन मैं यह पूछता हूं कि कितने कान्स्टेबलों के लड़कों को छात्रवृत्ति दी गई ? ठीक है आज कान्स्टेबल को 110 रु. और 150 रु. मिलते हैं, थानेदारों को वर्दी के लिये 40 रुपये मिलते हैं जिसमें बोरे का पाजामा भी नहीं आ सकता है, उसको आप चालीस रुपये वर्दी के लिये अलाउन्स दे रहे हैं तो वे ईमानदारी का भट्टा नहीं बैठायेंगे तो क्या करेंगे। आज बहुत से थानेदार पांच हजार ऊपर से देने को तैयार हैं, पांच हजार ले लो और गंगानगर लगा दो। थानेदार और पटवारी तो अपनी जेब से देकर इस जोब को लेने को तैयार हैं। लेकिन आप अगर उसको रिओरियन्ट करें तो आपको यह सारा दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। सभापति महोदय, अब मैं कहूंगा कि इसमें राजस्थान सबसे कमजोर है।

मैं बोलना चाहता था सामान्य प्रशासन पर लेकिन अब उसके लिए समय नहीं है। आपकी सारी की सारी ब्यूरोक्रेसी है उसमें बहुत अच्छे लोग भी हैं। मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। उनका अच्छा दृष्टिकोण है। दोनों पहलू हैं। मैं इन्साफ नहीं करूंगा, अगर मैं दोनों पहलुओं को प्रस्तुत नहीं करूं। मैं दोनों पहलुओं को सदन में प्रस्तुत करना चाहता हूं। लेकिन ब्यूरोक्रेसी के अन्दर एक एटीट्यूड है। मैंने एक पत्र कलेक्टर गंगानगर को लिख दिया। पत्र पढ़ कर सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता। संगरिया की जमीन में लोग प्लाट काट काट कर प्राफिटियरिंग कर रहे हैं। यह एक्वायर हो चुकी थी। अन्त में उत्तर आया कि कार्यवाही हो रही है। लेकिन आप जरा गौर फर्मायें, मैंने उसमें लिख दिया था, कलेक्टर गंगानगर, सचिव, बीस सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति। आखिरी पैरा में कलेक्टर साहब लिखते हैं कि फलां फलां तारीख के फलां फलां आर्डर के तहत

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

कलेक्टर केवल मेम्बर ही नहीं है, मेम्बर सचिव है। बड़ा उनको अखरा मैंने उनको सचिव लिख दिया, मेम्बर सचिव नहीं। मेरे नाम के आगे से माननीय बिल्कुल गायब, श्री हाण्डा। हाण्ड कर देते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब यह ब्यूरोक्रेसी का एटीट्यूड है और फिर वही कानून, वही व्यवस्था, वही विधान। न तो इस देश में उस विधान को आज्ञा दी जायगी, जो शोषण बढ़ाने में सहायक हैं, न ब्यूरोक्रेसी की उन शक्तियों को आगे बढ़ने की आज्ञा दी दी जा सकती है जो देश के न्यूनतम तबके के काम में नहीं आये। उन सारी ताकतों को जो आज देश को कुचलने में लगे हुए हैं, उन समस्त शक्तियों, ऐसी शक्तियों को, चाहे वह विद्वान हों, चाहे वह पालिटिक्स में हों या ब्यूरोक्रेसी में हों, साम्प्रदायवादी, साम्राज्यवादी और देशद्रोही ताकतें जो हैं, इनको आगे बढ़ने की आज्ञा नहीं दी जा सकती। इन्हें सारी जगह जड़ से उखाड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री किशन मोटवाणी।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम): सभापति महोदय, आज की मांगों में पुलिस की मांग को काफी इम्पार्टेन्स दी जा रही है। मैंने एक निश्चय किया है कि पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार के प्रति मैं कुछ नहीं बोलूंगा। इस निश्चिय का एक ही कारण है कि या तो हम जो कुछ यहां बोलते हैं वह एक बियावान में चिल्लाहट के बराबर है, या हम उस ढीठ बच्चे को बोलते हैं, जितना ज्यादा बोलो उतना ही उसमें जो खराब प्रवृतियां हैं वह जड़ पकड़ लेती हैं। इसलिए मैं निश्चयपूर्वक उस बात पर कतई नहीं बोलूंगा।

मैं संक्षेप में इस बात की तरफ इस सदन का ध्यान अवश्य आकर्षित करूंगा कि इमर्जेन्सी के लागू होते ही अच्छे परिणाम सामने आये। पुलिस में भी एक्टिवनेस पैदा हुई। लॉ एण्ड आर्डर में भी काफी अच्छी चीजें पैदा होने लगीं। परन्तु थोड़े अर्से बाद पुनः वही शिथिलता पैदा हो गई। मैं उस शिथिलता पैदा होने की परिस्थितियों व कारणों की ओर आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा ताकि वह पुनः उसका अध्ययन करायें और उसमें जो कुछ सही और उचित कदम उठा सकते हैं वह उठायें जिससे जनता में जो एक विश्वास पैदा हुआ था हमारे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति वह पुनः कायम हो सके। इस दृष्टिकोण से जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने कहा और अपने विचार व्यक्त किये कि सब इन्सपेक्टर से लेकर नीचे के तबके तक तनख्वाह काफी कम हैं और यह कारण हो सकता है कि उनमें शिथिलता भी हो और भ्रष्टाचार भी हो। साथ ही उन्होंने इस बात की ओर भी संकेत किया, जो कुछ हद तक सही है कि जो ऊपर के तबके में कार्यशील, कुछ उत्साही नवयुवक, कुछ ईमानदार आफिसर भी हैं, मैं चाहूंगा, मंत्री महोदय उन्हें एक सक्रिय रूप से इन्वाल्व करें, वह सिर्फ दफ्तर में ही नहीं बैठें बल्कि वह ईमानदारी से बाहर निकल कर जन सम्पर्क पैदा करके जो उनके नीचे मातहत लोग हैं उनके ऊपर अंकुश रखें। मेरी मान्यता है, निश्चित मान्यता है कि इमर्जेन्सी लगते ही इस किस्म का वातावरण पैदा हुआ था,

(श्री किशन मोटवानी)

अंकुश पैदा हुआ था, ऊपर के लोगों का नीचे के मातहत कर्मचारियों के ऊपर जिससे निश्चित रूप से विश्वास पदा होने का एटमोसफिअर पैदा हुआ था।

मैं एक दो बातों की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा, जो मेरे क्षेत्र से सम्बन्ध रखती हैं लेकिन वे एक इंडिविजुअल स्वरूप नहीं रखती हैं लेकिन उनका एक साकार स्वरूप है, जिसको हम हर जगह पर लागू कर सकते हैं और उनका एनेलेटिकल मैनर में अध्ययन करके सुधार ला सकते हैं। हमारे यहां आज कल एक सी. ओ. महोदय पोस्टेड हुए हैं सदर कोतवाली में क्राइम का डर नहीं होता है। वहां पर और हमारी कोर्ट में कानून की आड़ में एक कमी नजर आती है। वह सिर्फ एक बड़े मकान मालिक का केस लेते हैं और मकान खाली कराने की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। इस किस्म की प्रक्रिया कानून को छोड़कर, कैसा ही बड़े से बड़ा आदमी हो, कानून की आड़ में इस प्रकार की प्रक्रिया चलेगी तो हमारे देश में जनतंत्र के प्रति जनता का विश्वास पैदा नहीं होगा। मैंने एक संकेत के रूप में यह चीज कही है। इसको आधार मान कर आप एनेलेसिस करायें। इससे हमारे प्रशासन के प्रति जनता में विश्वास पैदा होगा। मुझे विश्वास है कि इस इन्डिकेशन को आप अहमियत और इम्पार्टेन्स देंगे।

आज दूसरी क्राइम की आड़ में कमी है, इस पर यहां चर्चा हुई। जब लाटरी टिकिट की बिक्री को पुलिस विभाग ने अपने जिम्मे लिया तो उद्देश्य उसके पीछे बहुत अच्छा था, इस उद्देश्य को किसी तरह नहीं कह सकते कि बुरा था। अगर बेनीवोलेन्ट फण्ड इकट्ठा हो रहा है तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। लेकिन उसका क्रियान्वयन अच्छी तरह से हो, उस पैसे का सदुपयोग हो तो यह बहुत अच्छी बात है। बहरहाल, पुलिस से कनेक्टेड और स्पष्ट कई उदाहरण सामने आये। लेकिन लोगों से कहा हम रिपोर्ट नहीं लेंगे। हमारा टार्गेट है, वह पूरा नहीं होने वाला है यह रिपोर्ट आयी थी–इसको आप लाइटली नहीं लेंगे। इस किस्म का काम पुलिस से करवाया जाय तो निश्चित रूप से इन्सट्रक्शन भी देने चाहिए कि आप अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से करेंगे। इसका कन्सेप्शन हो कि आम जनता में आपके प्रति विश्वास का वातावरण पैदा हो। मैं इतना ही पुलिस विभाग पर बोलना चाहता हूं।

एक और हमारे यहां मनी लैंडर्स के खिलाफ अभियान चला। कार्य बहुत अच्छा था परन्तु उसको एक बार करके रोक दिया गया। हर समय यह बात सदन में उठती है कि हम छोटी छोटी मछलियों को पकड़ते हैं, बड़े बड़े मगरों को छोड़ देते हैं, वही का वही अजमेर में हुआ। वहां कारखाने के कुछ लोग जो मनी लैंडिंग का काम करते थे, सक्रिय थे उनको 107।193 में बंद कर दिया। जहां उसमें गलत तरीके अपनाए गए, उनकी भावना अच्छी थी परन्तु जो इस काम को चलाने वाले थे, वे रह गए। उसके बाद अभियान नजर ही नहीं आता। उनके विचार में भी नहीं है कि अभियान करने जायेंगे और वही की वही सारी व्यवस्था चल रही है। कोई भी प्रक्रिया आपने शुरू करके छोड़ दी तो उसके दुष्परिणाम होंगे उससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। आज मैं निश्चित

(श्री किशन मोटवानी)

रूप से कह सकता हूं, जनता में जो बात है, वह है पुलिस ने बड़े बड़े मनीलैंडर्स को नहीं पकड़ा। इसके पीछे करप्शन ही है, और कुछ नहीं। इसलिए आप यह जो अभियान था उसको एक ईमानदारी का रूप देकर आगे तक ले जायं ताकि जनता का जो कन्सेप्शन है, आस्था है, पुलिस के प्रति वह बढ़े। अन्य कमेरे पास ई उदाहरण हैं जो व्यक्तिगत हैं।

अब उद्योग की जो मांगें हैं उन पर आता हूं। अजमेर जिले को औद्योगिक दृष्टि से एडवान्स्ड मान रखा है। एडवान्स्ड मानने का जो बैकग्राउन्ड है, वह जो हमें बताया गया है, हमारे यहां पर रेलवे के दो बड़े कारखाने हैं और एम्पलाईमेंट पोटेंशियल को ही आधार मान कर अजमेर जिले को औद्योगिक दृष्टि से एडवान्स्ड माना है। मैं उस आधार को निराधार मानता हूं। औद्योगिक दृष्टि से एडवान्स्ड होने का एक ही आधार है कि उसका इकानामिक बैंकग्राउंड क्या है, इकानामिक पोटेन्शियल को जिले में कितना क्रीएट किया है। बाकी एम्पलायमेंट वाला आधार बिल्कुल गलत है। परंतु उस आधार को भी यदि हम लेकर चलें तो भी मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि पुनः सेन्सस करायें। रेलवे कारखानों को लेकर आपने अजमेर को एडवान्स्ड माना है। वहां पर 1953, 1954 तक 12 हजार स्ट्रेंथ थी, वह 5 हजार रह गई। वह प्रोड्यूसिंग यूनिट नहीं रहे, रिपेयरिंग यूनिट्स घोषित कर दिये गए हैं। सरकारी तौर पर घोषित कर दिए गए हैं। तो अगर हम एम्पलायमेंट पोटेंशियल के आधार पर चलें तो पुनः सेन्सस करायें और अजमेर जिले के औद्योगीकरण में जो अवरोध पैदा हुआ है उसको दूर करें। उदाहरण के लिए साल या 1½ साल पूर्व अजमेर जिले के विजयनगर नगर में एक सूत मिल लगा रहे थे जिसका लैटर आफ इन्टेंट हो गया था और स्थापना होने जा रही थी। यूं मानिए कि शाम को लग रही है लेकिन सुबह को बदल कर भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा में रखा गया। कारण यह है कि वह इन्सेंटिव्ज है जिससे सेठ को 20–25 लाख से ज्यादा फायदा हो गया इसलिए वहां चले गए। इन्सेन्टिव देते हैं, अच्छी बात है परंतु जब लाइसेंस लेते हैं, लैटर आफ इन्टेंट लेते हैं, आखिरी मोमेंट पर 40–50 हजार या एक लाख रुपया देते हैं तो स्थान चेंज किया जाता है। इसके पीछे भी दुर्भावना है। तो अपने कटौती प्रस्ताव के जरिए मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि इस मामले को पुनः एग्जामिन करायें और अजमेर का विकास अवरुद्ध हो रहा है, मर्जर के बाद अजमेर का विकास अवरुद्ध हो चुका है और जितना जो पहले विकास था उसी जगह पर है। तो इससे लोगों के मन में भावना पैदा होती है कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और अजमेर जिले को एडवान्स्ड घोषित करके पुराने इन्सेंटिव्ज को खत्म किया है। सबको समान स्तर पर लायें फिर जहां एन्टरप्रेन्योरशिप की स्प्रिट होगी वहां स्थापना होगी वरना कुछ क्षेत्र वैसे के वैसे बैकवर्ड रह जायेंगे। मैं आशा करता हूं कि मेरे कटौती प्रस्ताव के माध्यम से जो बातें मैंने कही हैं, सरकार उन पर विचार करेगी।

श्री सभापति : श्री जयकिशन।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी) : आदरणीय सभापति महोदय, आज सामान्य प्रशासन, पुलिस, उद्योग, ग्राम और लघु उद्योग की मांगें सदन में रखी गई हैं और उन्हीं पर वाद-विवाद चल रहा है। सभापतिजी, हर विभाग की या व्यक्ति की, किसी न किसी कानून की आलोचना तो हम अवश्य कर देते हैं लेकिन मेरी धारणा कुछ विपरीत है। पहले तो हमारे विभाग में वह आलोचना क्यों उपस्थित होती है। यदि उसकी वास्तविकता को देख लिया जाए तो फिर आलोचना कभी भी नहीं हो सकती। पुलिस विभाग के लिए गत 4 वर्षों से मैं यही निवेदन करता आया हूं कि हम केवल भ्रष्टाचार का नाम लेकर बोल तो जाते हैं लेकिन वास्तव में भ्रष्टाचार क्यों फैलता है इसकी वास्तविकता की ओर हमने ध्यान नहीं दिया। भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? यदि उसकी जड़ को समाप्त करें तो फिर वह फैल नहीं सकता। भ्रष्टाचार होता है किसी चीज की कमी रहने से। यदि उस कमी को पूरा कर लिया जाए तो फिर भ्रष्टाचार नहीं फैल सकता····

श्री गोकुल चंद जाटव : भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए कोरम तो फिक्स करें। कोरम तो है नहीं।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : पुलिस विभाग के लिए मैं बार बार यही कहता आया हूं कि फलां थानेदार ने, फलां डी वाई. एस. पी. ने, फलां कान्सटेबल ने···

श्री गोकुल चन्द जाटव : बिना कोरम हम बैठे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्यों की रुचि की बात है।

श्री गोकुलचंद जाटव : अच्छे विभाग हैं, जिनकी मांगें हैं, फिर भी माननीय सदस्य नहीं बैठते।

(गणपूरक घंटी)

(गण पूर्ति के पश्चात्)

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : तो सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि हम भ्रष्टाचार की वास्तविकता का पता लगायें और देखें कि इसकी नींव कौनसी है। अगर हम उस नींव को समाप्त कर देते हैं तो भ्रष्टाचार हम हमेशा के लिये किसी भी विभाग में से समाप्त कर सकते हैं। इसमें चाहे आपका उद्योग विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे आपका बिजली विभाग हो, चाहे आपका राजस्व विभाग हो, चाहे आपका सार्वजनिक निर्माण विभाग हो और इतना ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान भर में आप किसी भी विभाग को ले लें, अगर आप भ्रष्टाचार की वास्तविकता को पकड़ लेंगे तो मैं समझता हूं कि आप उसको समाप्त करने में समर्थ हो सकते हैं। नहीं तो आप चाहे जितनी बातें भ्रष्टाचार की समाप्ति के बारे में कर लें यह भ्रष्टाचार कभी भी समाप्त नहीं होने वाला है।

सभापति महोदय, इसके बारे में मैंने पहिले भी कई बार सदन में निवेदन किया है। मैंने पहले भी इसी सदन में यह कहा था राज्य सरकार से कि क्या कारण है कि आपके पुलिस विभाग में इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है? सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)

करना चाहता हूं कि यह क्यों फैला हुआ है। इसका एक तो सबसे बड़ा साधारण कारण यह है कि एक पुलिस के कान्सटेबल की बेसिक पे जो है वह सिर्फ 70 रुपये है और उस 70 रुपये में वह इन्सान क्या करे? जब कि आप और हम जैसे, बड़े लोग हैं. मैं तो अपने को बड़ा आदमी नहीं मानता मैं तो हर व्यक्ति को बराबर की श्रेणी में मानता हूं, लेकिन हमारे समाज में कुछ धारणायें होती हैं जिसमें कि इन्सान ऊपर उठने की कोशिश करता है। आज जो 70 रुपये एक पुलिस के कान्सटेबल को मिलते हैं, उतने पैसों के तो लोग पान खाकर थूक देते हैं या 70 रुपये की लोग सिगरेट फूंक कर उसका धुआं उड़ा देते हैं लेकिन एक 70 रुपये पाने वाला कान्सटेबल 24 घन्टे अपने हाथ में डन्डा लिये हुए खड़ा अपनी ड्यूटी देता है चाहे वह सर्दी की ऋतु हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो लेकिन बेचारा कान्सटेबल हाथ में डंडा लिये खड़ा रहता है। आखिर उसकी भी आकांक्षायें हैं। वह भी आपकी हमारी तरह एक परिवार का मुखिया होता है। उसके भी बाल बच्चे होते हैं। वह भी चाहता है उसके बाल बच्चे अच्छी जगह पढ़ें-लिखें, अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। तो वह व्यक्ति जिसको कुल मिला कर 200 या 250 रुपये मिलते हैं क्या कर सकता है इतने से रुपयों में? वह कैसे अपने परिवार को पालेगा? इसलिए मेरा निवेदन है कि पुलिस विभाग के अन्दर जो भ्रष्टाचार है उसकी जड़ को हमें देखने की जरूरत है, हमें उसकी वास्तविकता को देखना पड़ेगा। इसके साथ साथ हमें यह भी देखना पड़ेगा कि किस प्रकार की इसमें खामियां हैं और जब तक आप उन खामियों को दूर नहीं करेंगे तब तक मैं समझता हूं आप चाहे इस सदन में कितने ही बोल लें। इस सदन में काफी सदस्य पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार के बारे में बोल बोल कर चले गये। मैं समझता हूं, आगे भी अगर इस वास्तविकता की ओर ध्यान नहीं दिया तो और भी कई माननीय सदस्य इस सदन में बोल कर चले जायेंगे। इसलिये हमें तथ्यों में जाने की जरूरत है। आज किसी विभाग के अन्दर क्या क्या खामियां हैं, किन-किन कारणों से वहां भ्रष्टाचार होता है उसके लिये आलोचना नहीं करके सभी माननीय सदस्यों को चाहिये कि इस बारे में बैठ कर विचार करें। मुख्य मंत्री जी को आप चाहे रिप्रेजेन्टेशन के रूप में दें, चाहे व्यक्तिगत रूप से सदन के माननीय सदस्य मिलें और उन्हें यह निवेदन करें कि आप जब पुलिस विभाग की मांग पास करें उसमें अधिक राशि पुलिस विभाग के कर्मचारियों के लिये रखें। एक विशेष धनराशि उनके फायदे के लिये रखें इसके लिये राज्य सरकार से धनराशि प्राप्त करें और उस धनराशि को किसी प्रकार से पुलिस विभाग के उस तबके में बांटें जिससे कि उन लोगों की तनख्वाह है वह बढ़े और उन्हें कुछ सुविधायें दी जायं जिससे कि उनमें भ्रष्टाचार समाप्त हो जावे। यह बात केवल पुलिस विभाग पर ही नहीं लागू होती बल्कि आप चाहें तो यह बात किसी भी विभाग के ऊपर लागू कर सकते हैं। वास्तविकता का पता लगाने के लिये एक कमेटी बनाई जानी चाहिये। इसमें आप चाहें तो एक ही कमेटी बना कर सभी विभागों में किस प्रकार से भ्रष्टाचार समाप्त हो वह वास्तविकता के आधार पर हमें

(श्री जयकिशनलाल तोसवड़ा)

देखने की जरूरत है। इसमें चाहें तो दो चार चार डिपार्टमेन्ट के बारे में भी कमेटीज अलग अलग बना दी जायं और फिर वह कमेटी अपनी रिपोर्ट पूरा सर्वेक्षण करके राज्य सरकार के समक्ष रखे और राज्य सरकार के पास अगर बजट की कमी हो तो भारत सरकार के समक्ष उस सर्वेक्षण की रिपोर्ट रखे ताकि उन कमियों को दूर करके भ्रष्टाचार को मिटाया जा सके।

सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं एक बात यहां पर अवश्य ही निवेदन करना चाहूंगा कि वास्तविकता कहां पर है उसका पता लगायें तो मैं आपसे अवश्य इतना तो निवेदन कर सकता हूं कि अगर आप उन कमियों को दूर कर दें तो किसी प्रकार का झगड़ा ही नहीं हो सकता। दूसरा मैं, सभापति महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपके पुलिस विभाग में एक कमी अवश्य ही है। वह मैं आपके आई. जी. पी. साहब, डी. आई. जी. पी. साहब और होम कमिश्नर साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि आज आपके जो पुलिस के कान्सटेबल हैं उनमें मोरेलिटी की बहुत बड़ी कमी है। इस कमी को दूर करने की सख्त आवश्यकता है। यह कमी पुलिस विभाग से किस प्रकार से दूर की जाय इसके लिये उन लोगों की तन्ख्वाहें बढ़ानी चाहिये और उन लोगों को अच्छी ट्रेनिंग दी जानी चाहिये। उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा दिये जाने की व्यवस्था होनी चाहिये तथा साथ ही साथ उन लोगों में वफादारी देश के प्रति जागृत हो उसका प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये। उन्हें समय समय पर स्कूलों में, कालेजों में ट्रेनिंग दी जानी चाहिये और वहां पर ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिये जिससे कि उन लोगों में देश के प्रति वफादारी बढ़ सके। उन लोगों को दो दो, तीन तीन महीने या 6 महीने की ट्रेनिंग दी जानी चाहिये ताकि उन लोगों में देश के प्रति वफादारी की भावना बढ़े। उन लोगों को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिये जिससे कि उन लोगों में भ्रष्टाचार समाप्त हो सके। साथ साथ जो खामियां उनमें हैं उन्हें हटा दिया जाना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

सभापति महोदय मुझे तो पांच ही मिनिट हुए हैं।

श्री सभापति : आपको दस मिनिट हो गये हैं। अब आप जल्दी समाप्त करें।

(व्यवधान अश्रव्य)

आर्डर ! आर्डर प्लीज !

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है कि आज पुलिस विभाग में जो कमियां हैं उनमें मुख्य बात यह है कि पुलिस विभाग में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या बहुत कम है। दिनांक 10–2–75 के दिन सदन के अन्दर एक प्रश्न मैंने पूछा था। उस समय राज्य सरकार द्वारा मुझे यह आश्वासन दिया गया था कि पुलिस विभाग में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों को अवसर दिया जायेगा। उनके लिये रोस्टर प्रणाली को लागू किया जायेगा। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)

अभी तक यहां पर कोई रोस्टर प्रणाली को लागू नहीं किया गया है और उसमें ऐसे भी व्यक्ति हैं जिन्हें अभी तक रोस्टर प्रणाली के अनुसार प्रमोशन्स नहीं दिये गये हैं। आज भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं जो कि बी. ए. पास हैं लेकिन उन्हें प्रमोशन्स नहीं दिये गये हैं। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि पुलिस विभाग में रोस्टर प्रणाली के अनुसार रजिस्टर खोले जाने चाहिये। अगर रोस्टर प्रणाली के रजिस्टर को खोला जाय तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों का काफी भला हो सकता है। इसमें चाहे कनिष्ठ लिपिक हों, चाहे और कोई श्रेणी के लोग हों उन्हें लाभ मिलना चाहिये।

दूसरा, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करता हूं कि पुलिस विभाग में भर्ती की जाती है उसमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों को पहले ही बहुत कम लिया गया है। अतः उनकी भर्ती के लिये विशेष रिजर्वेशन होना चाहिये। और यह रिजर्वेशन जल्दी से जल्दी 50 प्रतिशत तक हो जाना चाहिये ताकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को बराबरी के अधिकार मिल सकें। इसके साथ-साथ मैं मुख्य मन्त्रीजी से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप ही वह एक ऐसे आदेश निकालें कि एक लिस्ट आये और उसे देखें कि किन किन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों को उनके अधिकार पुलिस विभाग में प्राप्त नहीं हुए हैं। यह नहीं होने से हमारे यहां प्रजातन्त्र में अधिकारों का हनन हो रहा है।

इसी प्रकार हमारे यहां पर जो औद्योगिक विकास के लिए अन्दर उद्योग लगाये जाते हैं वह ज्यादातर शहरों में स्थापित किये जाते हैं। उसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण क्षेत्र का विकास अच्छी तरह नहीं हो सकता है और न ही ग्रामीण क्षेत्र की जनता को कोई लाभ मिल पाता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे-छोटे उद्योग स्थापित किये जायं।

श्री गोकुलचन्द जाटव : आप इसमें फागी का नाम भी ले लें।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : मैं फागी का नाम भी लूंगा। तो, सभापति महोदय, उद्योगों के बारे में यह निवेदन है कि जो भी उद्योग धन्धे लगाये जायं वह अब शहरों में नहीं लगाकर ग्रामीण क्षेत्रों में ही लगाये जांय। आज शहरों में सभी प्रकार की व्यवस्था है, सभी प्रकार के उद्योग हैं, बड़ी बड़ी मिले हैं, बड़े बड़े कारखाने हैं। लेकिन हमारे देश की जनता के 80 प्रतिशत लोग हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और वास्तव में उन्हें शहरों की अपेक्षा कम सुविधायें प्राप्त होती हैं। अब राज्य सरकार को चाहिये कि सभी खर्च पंचवर्षीय योजना के तहत केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही किये जाने चाहिये। या ऐसा व्यवस्था करें कि जिससे कि एक साल की योजना की सारी की सारी धनराशि गांवों में योजना बनाकर वहां पर उद्योग धन्धे खोलने में खर्च किया जाय। इससे ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रोजगार मिलेगा और उनका विकास भी होगा। सभापति महोदय, हमारी फागी और चाकसू तहसील क्षेत्र में उद्योग खोले जाने चाहिये। सभापति महो-

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)

दय, अब ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये उसके बारे में चाहे वह तहसील स्तर पर हो चाहे वह जिला स्तर पर हो चाहे वह डिविजन स्तर पर हों। इसके लिये वहां की सारी की सारी स्थिति को देखें कि कौनसा माल उपलब्ध है और किस गांव में किस उद्योग की आवश्यकता है। कच्चा माल तो उपलब्ध होगा ही लेकिन उससे भी पहले वहां बिजली और पानी की आवश्यकता है, तो सभापति महोदय, वहां सर्व प्रथम बिजली की व्यवस्था करना अति आवश्यक है। यदि बिजली की आवश्यकता पूरी नहीं की गई तो छोटे उद्योग-धन्धे नहीं चल सकते हैं। इस लिए वहां पर इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिये क्योंकि गांवों में कच्चा माल उपलब्ध होता है चाहे तिल ले लें, चाहे तारामीरा ले लें, चाहे कपास ले लें और चाहे गन्ना ले लें। किस प्रकार की चीज प्राप्त करना चाहते हैं तो गांवों में अच्छी तरह उपलब्ध हो सकती है लेकिन उसका पहले सर्वेक्षण कराना चाहिये। राज्य सरकार किस प्रकार वहां सुविधायें दे सकती है, उन सुविधाओं को पहले पहुंचाना चाहिये और उसके बाद पानी, बिजली और सड़कें हैं-यदि इन सारी चीजों को व्यवस्थित कर दिया जाय और उसके बाद उद्योगों की स्थापना करें, इससे गांव वालों को रोजगार मिलेगा, और जो गांव के बेरोजगार श्रमिक हैं वे अपना जीवन ठीक ढंग से चला सकेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

सभापति जी, मेरा निवेदन यह भी है..

श्री सभापति : अब आप समाप्त करेंगे।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : दो मिनिट।

श्री सभापति : आपको 17 मिनिट दे चुका हूं।

श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा : सभापति महोदय, आपकी आज्ञा नहीं हो तो फिर मैं अपने विचार समाप्त करूं।

श्री सभापति : श्री रामगोपाल।

श्री रामगोपाल (किशनगंज) : सभापति महोदय, आज सदन के अन्दर लगातार चार घन्टे से सामान्य प्रशासन, पुलिस, उद्योग और ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग की मांगों पर काफी चर्चा हुई। समय कम है इसलिए मैं खास खास मुद्दों की ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा। माननीय सभापतिजी, आज की जो मांगें हैं या इस सदन में जो भी मांग है, जो भी चर्चा है उसमें यह देखना पड़ेगा कि आज देश की हालत या जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, क्या क्या कमजोरियां रही हैं और हमें अब क्या करना चाहिये। हमें देखना चाहिये कि क्या हमारी उपलब्धियां इस आपातकालीन स्थिति और देश में जो परिस्थितियां हैं उन की वजह से हुई हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि उसके अन्दर हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि हमारा जो 20 सूत्री कार्यक्रम है वह किसके लिए है विशेषकर किस तबके के लिए है और सरकार को उसके लिये क्या करना चाहिये? यह हमारा उसमें लक्ष्य है, यह हमेशा उसके पीछे छिपा हुआ है।

(श्री रामगोपाल)

सभापति महोदय, उद्योग विभाग की जो मांगे हैं और साथ ही ग्रामोद्योग और लघु उद्योग की जो मांगे हैं—दोनों को सम्मिलित करते हुए मैं उनके संदर्भ में कहना चाहूंगा । 20 सूत्री कार्यक्रम में हम यह चाहते हैं कि राजस्थान की जो गरीब जनता है, राजस्थान का पिछड़ा हुआ इलाका है, राजस्थान के जो आदिवासी लोग हैं, उन क्षेत्रों को हम विकसित करें । वहां के जो मजदूर हैं, उनको रोजगार दिलाने की कोशिश करें और रोजगार दिलाने की दृष्टि से हम विकसित करें । मैं, माननीय मन्त्री महोदय, आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं औद्योगिक क्षेत्र की ओर विशेष तौर से मैं यह कहूंगा मेरे पूर्व वक्ता चौहान साहब ने यह बताया था कि कोटा के लिए उद्योग की दृष्टि से यह कहना पर्याप्त नहीं है कि हमने काफी विकास किया । मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कोटा जिले के अन्तर्गत मेरी शाहबाद पंचायत समिति है, जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आती है । माननीय सभापति जी, मैं संक्षेप में बोल रहा हूं और पांच मिनिट के लिये ध्यान दें ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आपकी बात पर ही ध्यान दे रहा हूं ।

श्री रामगोपाल : राजस्थान में कहीं इस प्रकार की संख्या नहीं है· ·

(माननीय मन्त्री महोदय के आपस में बातें करने पर)

मन्त्री महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि यहां पर कुछ लघु उद्योग स्थापित करें और जनता को कुछ रोजगार दिलाने की कोशिश करें क्योंकि वहां वन क्षेत्र है । वहां छोटे छोटे उद्योग स्थापित कर सकते हैं, जैसे, बीड़ी उद्योग है, अच्छी मात्रा में बीड़ी का उद्योग लगा सकते हैं और बीड़ी उद्योग लगाकर वहां की जनता को सुविधा भी दे सकते हैं । इसी प्रकार कत्थे का उद्योग वहां लगा सकते हैं, गोंद का उद्योग वहां लगा सकते हैं और काफी वन खण्ड होने से शहद का उत्पादन भी कर सकते हैं । जो आपातकालीन स्थिति के उद्देश्य हैं वह वन क्षेत्र होने से पूरा हो सकते हैं इसलिये छोटे-छोटे उद्योग स्थापित कीजिये और आदिवासियों को मजदूरी दिलाने की कोशिश कीजिये ताकि उस क्षेत्र का विकास हो और जो 20 सूत्री कार्यक्रम है उसमें हम उपलब्धि कर सकें ।

इसी प्रकार प्रशासन की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । माननीय मन्त्री महोदय, यह देखना पड़ेगा कि राजस्थान में कहां कहां पर, किस किस जगह जनता को सुविधायें उपलब्ध हैं, कहां कहां की जनता तकलीफ में है, कहां कहां जनता आर्थिक दृष्टि से कमजोर है और उनको क्या क्या परेशानियां आती हैं । प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से मैं आपका इस ओर भी ध्यान दिलाना चाहता हूं । मैं कहना चाहता हूं, शायद आप शाहबाद नहीं गये हैं और गये हैं तो आपको उसकी भौगोलिक स्थिति का पता होगा । माननीय सभापति महोदय, शाहबाद एक ऐसा इलाका है कोटा का जिसमें कोटा का एक बटा दो भू-खण्ड है। वहां का जो सब डिविजन बनता है वह बारां में लगता है । एक तरफ मध्य प्रदेश की सीमाओं से घिरा हुआ है तो दूसरी तरफ पार्वती नदी भू-खण्ड को अलग कर देती है ।

(श्री रामगोपाल)
बरसात में चार महीने के लगभग वहां के निवासियों को अपनी सुविधा के लिये या अपने काम के लिये आना पड़ता है तो वह बारां होकर आना पड़ता है....

(माननीय मंत्री महोदय के पुनः बात करने पर)

तो मैं माननीय मंत्री महोदय, आपका ध्यान बार बार आकर्षित कर रहा हूँ। आपको याद होना चाहिये पार्वती नदी के ज्यादा आ जाने से जो गरीब लोग हैं, जिनके पास पहनने को कपड़ा नहीं, पैरों में पहनने को जूतियां नहीं उनको पहले शाहबाद से शिवपुरी जाना पड़ता है और फिर शिवपुरी से गुना जाना पड़ता है और गुना से बारां आना पड़ता है। इस तरह कई सैंकड़ों मील की यात्रा उस गरीब को करनी पड़ती है। छोटे छोटे कामों के लिये भी उसको भौगोलिक स्थिति की वजह से जो नदी की सीमा बान्धी है उसको पार करना पड़ता है। जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, जिसने सुबह खा लिया तो शाम की चिन्ता हो जाती है, प्रशासन को उसकी सुविधा को भी देखना चाहिये। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा। मैं जब बोलता हूं तो मंत्री महोदय ध्यान नहीं देते हैं तो मैं जनता का भी दुर्भाग्य समझता हूं। मंत्री महोदय, आपका ध्यान बार बार आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरी बात ध्यान से सुनें कृपा करके क्योंकि वहां की स्थिति बड़ी गम्भीर है। शाहबाद पंचायत समिति की भौगोलिक स्थिति को देखते हुये और जनता की आर्थिक स्थिति को देखते हुये अलग सब डिविजन कायम कीजिये। जिन सहरियों के पास खाने को नहीं है उन्हें किस प्रकार शाहबाद से शिवपुरी और शिवपुरी से गुना और फिर गुना से बारां आना पड़ता है और नहीं आते हैं तो उनके मुकदमे गैर हाजिरी में खारिज हो जाते हैं और उनको काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। माननीय सभापति महोदय, इस सन्दर्भ में कहते हुए निवेदन करूंगा कि मैंने इस सम्बन्ध में कट मोशन दिया है कि शाहबाद पंचायत समिति में अलग से सब डिविजन कायम हो।

(विराम)

श्री सभापति : आप अपना भाषण चालू रखिये। यह ख्याल मत करिये कि आप की बात कोई नहीं सुन रहा है।

श्री रामगोपाल : मैं माननीय सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आप मंत्री महोदय को गम्भीरता से मेरी बात सुन लेने देने की कृपा करें। वे मेरी बात को गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं।

आपके पास जो विभाग हैं जनता को उनसे उपलब्धि की आवश्यकता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : गम्भीर भी हैं।

श्री रामगोपाल : मैं यह कहना चाहूंगा मंत्री महोदय से और राज्य सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारा क्षेत्र राजस्थान के क्षेत्र का वह भू-खण्ड है जो मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है और बीहड़ जंगलों से घिरा हुआ है। डकैतों का वहां पर भारी आतंक है। मध्यप्रदेश ने उन क्षेत्रों में डकैतों का उन्मूलन किया है लेकिन शाहबाद पंचायत समिति के अन्दर डकैती हुई है। असेम्बली में भूचाल आया। माननीय मंत्रीजी

(श्री रामगोपाल)

द्वारा गतिविधियों और प्रोग्रेस के बारे में बताया गया। लेकिन जब मैंने उन्हें यह जानकारी दी कि पंचायत समिति शाहबाद के हथियार जब्त हैं और इस प्रकार से डाकुओं में आतंक फैल गया है तो मुख्य मंत्रीजी द्वारा यह जानकारी दी गयी कि हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि पंचायत समिति के हथियार जब्त हैं या नहीं। मैंने यह कहा कि हथियार जब्त हैं और जमा करा दिये गये हैं। शाहबाद थाने के अन्तर्गत कमाऊ ग्राम है वहां पर डकैती हुई। उसके बाद में सोमवार को ग्राम हैमदा में डकैती की घटना घटी। डकैतियों में एक व्यक्ति की हत्या हुई और तीन व्यक्ति घायल हुए। एक व्यक्ति की डकैती में हत्या हुई। इतनी जानकारी देने के बावजूद मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि जानकारी नहीं है कि हथियार जब्त किये या नहीं। मुख्य मंत्रीजी के पास जानकारी है, इसकी सूचना है कि यह हत्या का केस है। पंचायत समिति को हथियार नहीं दिये गये और डकैतियों का तांता बंधा हुआ है। कई व्यक्ति घायल हुए हैं। पहले भी आतंक रहा है। आज भी डकैती हुई है। शाहबाद में बामपुरी गांव है वहां पर डकैती की घटना हुई। राज्य सरकार को सूचना देने के बावजूद क्या कारण है कि हथियार जब्त कराये गये थे? उनको लौटाया नहीं गया। आदमियों की हत्यायें की जा रही हैं। उनको घायल किया जा रहा है। मैं यह कहना चाहूंगा कि कहां तो आदिवासियों के क्षेत्र की प्रोग्रेस का प्रश्न है और कहां यह स्थिति पैदा हो रही है। हालत तो यह हो रही है वहां पर इसकी टोपी इसके सिर और इसकी टोपी उसके सिर। केवल हथियार जब्त कराने से ही क्या हो सकता है? लोगों की हत्यायें हो रही हैं। लोगों को घायल किया जा रहा है। घोषणा कीजिये आज ही कि हथियार उनको लौटाये जा रहे हैं अन्यथा हत्याओं का तांता लगता चला जावेगा। ग्राम वराट में डकैती हुई। वहां की इन परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस अधिकारी रिकमन्ड कर रहे हैं कि शाहबाद पंचायत समिति को हथियार लौटाये जायं। जन हित की सुरक्षा कीजिये। जान माल की सुरक्षा कीजिये। पुलिस अधिकारी रिकमन्ड करते हैं तो क्यों नहीं लौटाते हैं उनको हथियार? क्यों आप मेरी पंचायत समिति के हथियार जब्त कराते हैं? लोग बाग घायल हो रहे हैं। हत्यायें हो रही हैं। 20 सूत्री प्रोग्राम के अन्तर्गत आदिवासी क्षेत्र में इस प्रकार की शर्मनाक आपकी व्यवस्था है, इससे अधिक नहीं कह सकता।

श्री सभापति : श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : सभापति महोदय, देश में अनुशासन इमर्जेन्सी के बाद काफी सुधरा है और उसमें काफी इम्प्रूवमेन्ट हुआ है। ऐसी रिपोर्ट है और वह सही भी है कि बहुत से जुर्म कम हो गये हैं। शुरू में तो ऐसा मालूम हुआ कि शहरों में जो जुआ खेलने वाले थे, चोरी करने वाले थे या अन्य प्रकार के जुल्म करने वाले लोग थे उनमें बड़ा आतंक है और पुलिस ने सतर्कता के साथ उनका दमन किया है। मगर पता नहीं क्या कारण हुआ पिछले दो महीने में अलवर जिले में पांच छः डाकों की वारदातें हुई हैं, डाके पड़े हैं। उनमें एक आदमी को तो जिन्दा जला दिया गया और दूसरे डाके में मकान के मालिक, औरत लड़के को

(श्री बद्री प्रसाद गुप्ता)

भी बेरहमी से मारा। और भी कई डाके पड़े हैं और इस कारण सारे जिले में एक बड़ा भारी आतंक छाया हुआ है। जनता में यही चिन्ता है। अलवर जिला कांग्रेस ने इस बात पर विचार करके प्रस्ताव पास किया और मुख्य मंत्रीजी को प्रस्ताव भेजा कि हमारे यहां लॉ एण्ड आर्डर की प्रोब्लम बढ़ती जा रही है। उसको रोकने का कदम उठाना चाहिए। उसके बाद कट मोशन और सवाल आये। उसका परिणाम इतना हुआ है कि अलवर जिले की पुलिस सक्रिय हुई है और कल अखबार में निकला कि 45 आदमी गिरफ्तार हुए। लेकिन ये डाके के मामले हैं, कल सेसपुरा में डाका पड़ा, मारपीट हुई लोगों के साथ। इसी प्रकार एक ग्राम में और डाका पड़ा। इनमें किसी भी मुल्जिम को गिरफ्तार किया हो मेरी जानकारी में नहीं है। पुलिस ने यह कहा कि यह बाहर से आया हुआ गैंग है। लेकिन जनता में आतंक छाया हुआ है और वह कम नहीं हुआ है और जनता बड़ी परेशान है। डाकों की घटनायें बहुत कम होनी चाहिये, वैसे तो होनी ही नहीं चाहिये लेकिन इमर्जेन्सी में होती हैं तो चिन्ता होना स्वाभाविक है। अलवर जिला कांग्रेस प्रेसिडेन्ट की हैसियत से भी यह बात कहना चाहूंगा। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इमरजेन्सी के बाद में डाके न पड़े इसके लिये पूर्ण सतर्क होना चाहिये। डाके यदि बरामद न हों तो इससे भी बड़ा आतंक फैलता है और लोगों को घोर चिन्ता होती है। इसलिए मुझे कट मोशन देना पड़ा और मैंने चिन्ता प्रकट की, पुलिस की ग्रान्ट पर भी सवाल भेज रखा है इसलिए इसको गम्भीरता से लिया जाकर इस मामले में कार्यवाही करनी चाहिये।

दूसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि 20 सूत्री कार्यक्रम जब से लागू हुआ है इसके अन्तर्गत हमने अपने जिले में 90 हजार बीघा जमीन गरीबों को बांटी है। उसमें 75 परसेन्ट अनुसूचित जाति को दी है। गांव के रहने वाले बहुत से लोग इस अलाटमेंट के खिलाफ हैं इसलिये कई जगह लोगों को कब्जे नहीं दिये गये हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम को सही बनाने के लिये पुलिस से कार्यवाही करवानी चाहिये ताकि लोगों को कब्जे मिल सके। गरीब आदमियों की अगर कोई रक्षा नहीं करता तो उसका अर्थ यह होता है कि पुलिस उनको संरक्षण नहीं देती है इसलिए इसका सर्वे कराया जाना चाहिये कि बीस सूत्री कार्यक्रम लागू होने के बाद कितने ऐसे मामले हैं कि जिनमें हरिजनों को प्रश्रय नहीं मिला पुलिस की तरफ से और उनके ऊपर ज्यादतियां हुई हैं। ऐसी घटनायें नहीं होनी चाहिएं और अगर होती हैं तो इसका मतलब यह है कि जो धनीमानी हैं वह उनको परेशान करना चाहते हैं। इसलिए इस बात को गम्भीरता से लिया जाना चाहिए।

तीसरी बात पुलिस के संबंध में जो मैं कहना चाहता हूं वह एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट के बारे में कहना चाहता हूं। एन्टी-करप्शन डिपार्टमेंट को आपने अपंग बना दिया है। मुझे मालूम है कई केसेज में एन्टी-करप्शन डिपार्टमेंट ने गिरफ्तारी के लिए कहा है लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ है। न सस्पेन्ड किया गया, न कोई एक्शन लिया गया और न उनका चालान हुआ है। कुछ

(श्री बद्री प्रसाद गुप्ता)

को सस्पेण्ड किया हुआ है और कुछ बिना सस्पेण्ड हुए यों ही घूम रहे हैं। हमारे यहां पर भी ऐसे लोग घूम रहे हैं। कई पटवारी ऐसे हैं कि जिनको गिरफ्तार किया गया था लेकिन उनको सस्पेण्ड नहीं किया गया और दो-दो साल होने को आये उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। करप्शन को रोकना है तो आपको एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट को सक्रिय करना चाहिये और इसको एनकरेज करना चाहिये। जो पकड़े गये हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए नहीं तो फिर एन्टी-करप्शन डिपार्टमेंट की तरफ से कार्यवाही क्यों करते हैं? इस डिपार्टमेंट को ही बन्द कर दीजिए। मैं समझता हूं कि सारे राजस्थान के बारे में शिकायतें हैं और उन केसेज में जो कि रगे हाथों गिरफ्तार किए गये हैं। सभापति महोदय, गिरफ्तार करने के बाद में पुलिस के आदमी ही उनको प्रोटेक्शन देते हैं। यह आदमी गुनहगार है या नहीं यह देखने का काम है एन्टी-करप्शन डिपार्टमेंट का और उसके ऊपर एक्शन लेना है पुलिस डिपार्टमेंट को। जब एन्टी-करप्शन डिपार्टमेंट कहता है कि यह मूल केस है तो फिर उनको लटके रखना मुनासिब नहीं है। इसलिए इस बात पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिये।

दूसरी डिमाण्ड है उद्योग और ग्राम उद्योग के बारे में। सभापति महोदय, मैं कई बार इस सदन में इस बात को कह चुका हूं कि देश में बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को अगर सफल बनाना है तो गांवों में औद्योगीकरण करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। गरीबों को ऊंचा उठाने के लिए, बेकारी को मिटाने के लिए और कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि आप गांवों में छोटे-छोटे उद्योग लगायें। आप कितना भी विचार कर लीजिए लेकिन बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम तभी सफल होगा जब कि गांव के घर घर में छोटे छोटे उद्योग लगेंगे। उद्योग का प्रसार और प्रचार होना चाहिए और हर घर में कोई न कोई उद्योग धंधा खोला जाना चाहिए। इस बात का कहीं भी जिक्र नहीं है। सभापति महोदय, मुझे जब भी असेम्बली में बोलने का मौका मिलता है तो मैं कहता हूं और मैं ही नहीं कहता यह तो गांधी जी और विनोबा जी ने भी कहा है और आज के एक्सपर्टस भी मानते हैं कि हमारे पास कोई चारा नहीं है सिवाय गांवों में औद्योगीकरण करने के। अलवर में बड़े उद्योग जरूर लगाये गये लेकिन, सभापति महोदय, मैं नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जिले को कोई लाभ नहीं है। इतना और हुआ है कि हमारे यहां की जमीन चली गई है और वहां पर उन बड़े उद्योग में काम करने के लिए लोग दिल्ली से आये है या पंजाब से आये हैं। नौकरियां तो उनको मिलती हैं और हमारे यहां के बहुत से लोग बेकार हो गये हैं। तो जो देश की समस्या है और गरीबी को दूर करना चाहते हैं, जो बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए आप गांवों के औद्योगीकरण का काम करें और गांव गांव में ग्रामोद्योग स्थापित करें। यह उद्योग प्रत्येक घर में होना चाहिए। अम्बर चर्खा और हैंडलूम उद्योग कायम करने चाहिए। जहां बिजली है वहां बिजली से करघे चलें और जहां बिजली नहीं

(श्री बद्री प्रसाद गुप्ता)

है वहां हाथ के चलने चाहिए। हमारे अकेले अलवर जिले में 7 करोड़ का कपड़ा हर साल आता है और इस तरह से हिसाब लगाया जाये तो 2 लाख रुपये रोज का कपड़ा कन्ज्यूम होता है। यह सारा कपड़ा बाहर से आता है। यह सारा पैसा हमारे जिले से बाहर चला जाता है। इससे हमारे यहां बेकारी बढ़ती है और गरीबी बढ़ती है। हम किसी को कोई धंधा भी नहीं दे पाते हैं। यदि हैण्डलूम और दूसरे तरीके से हम इसके लिए अपने यहां ही उत्पादन करें और 50 हजार का प्रोफिट भी निकाल दें तो भी डेढ़ लाख रुपये रोज का रोजगार लोगों को मिल सकता है अकेले अलवर जिले में। इसको मैंने आंकड़ों से देखा है। हैण्डीक्राफ्ट की भी हमारे यहां बहुत गुंजाइश है। तो इस तरह की परिस्थितियों में बेकारी का होना बहुत खतरनाक है। पढ़े-लिखे जवान बेकार घूमते हैं। गांवों के अन्दर बेकारी है। यह सब मानते हैं कि हमारी आबादी का 40 प्रतिशत आदमी दो रुपये में गुजर बसर करता है। अब लोगों के पास जमीनें बहुत कम होती जा रही हैं और आबादी बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से बेकारी हो रही है। लोग पल्लेदारी का काम करते हैं और छोटे छोटे काम करते हैं जिनको देखकर बड़ा अफसोस होता है। पुलिस का काम तो जितना कम होता जाये उतना अच्छा है। लेकिन हम देखते हैं कि पुलिस के बिना हमारा काम ही नहीं चलता क्योंकि आये दिन डाके डलते हैं, हड़तालें होती हैं। हम अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते, हम अधर्म करते हैं और पाप करते हैं। यह तो हमारे सोचने की बात है। मैं समझता हूं कि हमको इस ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उसके अलावा पुलिस की ज्यादतियां खत्म नहीं होंगी तो आपकी बेकारी बन्द होने वाली नहीं है। इसलिए इस ओर जब तक ध्यान नहीं देंगे तब तक मैं बहुत गम्भीरता से निवेदन करूंगा कि हम बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को सफल नहीं बना सकते। हमने जमीन सारी बांट दी और अब हमारे पास कोई कार्यक्रम नहीं है। हमारे यहां जितनी जमीन थी वह डिस्ट्रिब्यूट कर चुके हैं और बेकारी गांवों में बहुत बढ़ गयी है। गरीबी को मिटाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि हम गांवों में कोई न कोई ग्रामोद्योग पनपायें। इसलिए ग्रामोद्योग के बारे में मैंने निवेदन किया और पुलिस के बारे में निवेदन कर दिया। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री प्रद्युम्नसिंह।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मुझे पांच ही मिनिट में दो चार बातें निवेदन करनी हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी दो तीन दिन पहले राजस्थान पुलिस को जो सफलता मिली है गोपाल का गैंग मारने के अन्दर जिसने कि सवाई माधोपुर जिले के अन्दर और भरतपुर जिले के अन्दर काफी आतंक पैदा किया हुआ था, वह समाप्त हुआ, उसके लिए मैं पुलिस प्रशासन को बधाई देना चाहता हूं।

दूसरी बात यह जो नीति में परिवर्तन हुआ है, पुलिस प्रशासन के एप्रोच में जो परिवर्तन हुआ है उसी का ही कारण है कि यह सफलता पुलिस विभाग को मिली। पूर्व

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

के अन्दर अक्सर ऐसा देखा गया था कि डकैतों एक मुखबिर के जरिये बैठे बैठे देखा करते थे, कि डाकू रह रहे हैं या नहीं लेकिन जो अभी पिछले छः आठ महीने से कोंस्टेंट चैज कर रहे हैं, लगातार पीछा कर रहा है जिसके बारे में माननीय मुख्य मंत्रीजी को, गृह आयुक्त महोदय को और आई.जी. साहब को मैंने सुझाव दिया था और उन्होंने उस सुझाव को स्वीकार किया और लगातार चैज करने का तरीका अपनाया। उसके दो फायदे हुए। एक तो गैंग एक जगह टिक कर नहीं रह सके और दूसरा फायदा यह हुआ कि जो संख्या बढ़ती जाती है, यह देखा गया है कि बीस-बीस, पच्चीस-पच्चीस, तीस तीस आदमी हो जाते हैं, वह संख्या बढ़ी नहीं। वही 5, 7, 8 के करीब रह गए। तो और जो छुट भइय्ये साथ लग जाते थे, लोगों को मुफ्त की खाने की आदत हो जाती है इनके साथ लग लो कुछ मिल जाएगा, उससे भी मुलजिमों के मन में भय पैदा होने लगा कि पुलिस लगातार सजग है। लगातार चैज करने की वजह से लोगों की संख्या बढ़ी नहीं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अभी भी कुछ क्षेत्रों के अन्दर दो तीन गैंग मौजूद हैं इसलिए प्रशासन की तरफ से प्रयत्नों के अन्दर कोई ढिलाई नहीं आनी चाहिए और उसके लिए हमको बराबर प्रयत्न करना चाहिए। अब सवाल यह पैदा होता है कि इन प्रयत्नों के अन्दर मजबूती किस किस्म से लाई जावे, क्या तरीका हो सकता है ? वहां की जो रेवीन्स हैं, सवाई माधोपुर और धौलपुर का उपखण्ड पहाड़ी इलाका है, वहां सड़कों का बहुत ज्यादा अभाव है। पुलिस प्रशासन ने आर. ए. सी. की एक बटालियन काफी समय से लगा रखी है जिस पर कितना ही खर्चा हो रहा है। वर्षों से पड़ी हुई है वह वहां पर। अगर उस इलाके के अन्दर सड़कों का कुछ अधिक निर्माण हो सके तो आवागमन का साधन बढ़ाने से जो उनके छिपने की जगह है, वहां अभी पैदल चलकर पहुंचना पड़ता है पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों को, वे आसानी से वहां पहुंच सकते हैं। इस तरफ भी सरकार को ध्यान देना होगा। डकैतों की समस्या कोई नई समस्या नहीं है। यह आजादी से पहले भी थी, राजाओं के राज में थी, और आज के दिन भी है। एक गैंग खत्म नहीं हुआ दूसरा पैदा हो जाता है। उसके लिए क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं। सड़कों के लिए पहले कुछ पैसा भारत सरकार से मिला करता था तो इस इलाके में सड़कें बनाईं, इसके बाद वहां से पैसा मिलना बन्द हो गया और यह काम भी बन्द हो गया, ठप्प हो गया। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा होम मिनिस्टर साहब से कि इस तरफ ध्यान देकर आपको व्यवस्था करनी चाहिए।

दूसरी छोटी सी जो बात है वह यह है कि बहुत से कस्बों के अन्दर जहां पर पुलिस के थाने हैं, टेलीफोन की लाइनें खींची गई हैं लेकिन टेलीफोन नहीं हैं। यह ठीक है कि आपने वायरलैस सैट लगा दिये हैं लेकिन टेलीफोन लगाने से काफी आपको लाभ मिल सकता है तीसरी बात मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि वहां पर, धौलपुर सब डिविजन और डेकाइटी इलाके के अन्दर डिपार्टमेंट की तरफ से थानों के अन्दर गाड़ी प्रोवाइड करनी चाहिए। आपका उत्तर हो सकता है कि आर. ए. सी. के पास गाड़ी है जिसका

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यह बात नहीं है, काफी झगड़े टंटे होते हैं इस किस्म के पेट्रोल के खर्चे को लेकर। इसलिए पांच सात थानों में, खास तौर से जो डकैतों से इन्वाल्वड एरिया है वहां पर गाड़ियों की व्यवस्था करा दें तो इससे आपको सहायता मिलेगी।

दूसरी बात मैं, गृह मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करूंगा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने राजस्थान के अन्दर भयंकर आतंक पैदा कर रखा है। शमसाबाद का जो इलाका है आगरा जिले में वहां पर हरबिलास की गैंग ने पुलिस कांस्टेबल को थाने पर मार दिया। उत्तरप्रदेश पुलिस का इतना निकम्मापन है कि थाने पर आकर डाकू ने संत्री पर गोली चलाई और मार दिया। उसके बाद क्या होता है। उसके पास ही एक गांव है, मैं आपको नाम बताता हूं देवदासपुरा गांव उसके अन्दर उस जाति के लोग रहते हैं, उसके अन्दर उत्तरप्रदेश के पांच सौ सिपाहियों ने वह लूट मार की है कि औरतों के जेवर, औरतों के कपड़े ले गए, बर्तन फोड़ दिए, बर्तन उठा कर ले गए, मासूम बच्चों को पीटा। इस तरह की हालत हो गई जैसे हिन्दुस्तान आजाद नहीं है और वही अंग्रेजों का राज है। हम यह चाहते हैं कि गृह मंत्री जी को अपने स्तर पर उत्तर प्रदेश पुलिस के इस मामले को लेना चाहिए। आप एवीडेंस ले लीजिए, आपके एस. पी. और एडीशनल एस. पी. भी वहां पर हैं वे आपको बता देंगे कि किसी तरह से जुल्म किया है। अब एक संत्री को मार दिया तो गांव से आदमियों को पकड़ कर एक गैंग का फार्मेशन दे दिया और लोगों को गिरफ्तार करके बन्द कर दिया, उन पर झूठे मुकदमे लगा दिए। यह देवदासपुरा और कान्टकापुरा का मामला है। एक जाति के आदमी ने यह काम किया तो किसी जाति में से एक आदमी डकैत हो सकता है, उसका अभिप्राय यह तो नहीं कि उस जाति के सभी लोग खराब हैं, सभी लोग बदमाश हैं। इस प्रकार का व्यवहार उत्तर प्रदेश पुलिस का बहुत ही खराब है। उसने एक भय और आतंक का वातावरण पैदा कर रखा है, इस पर आपको सोचना पड़ेगा। यह आपका एग्रीमेंट होगा ज्वाइन्ट आपरेशन के तहत लेकिन इसका अभिप्राय यह तो नहीं है कि आपके आनेस्ट आदमियों को भी आपके यहां से ले जावें और आप मूक दर्शक की तरह देखते रहें। यह बात बिल्कुल सच है, आप किसी भी अधिकारी से जांच करवा लें इस मामले की। आपके अधिकारी, जो वहां के पुलिस अधिकारी हैं वह इस बात की गवाही आपके सामने देंगे।

दूसरी बात मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे भी तार प्राप्त हुआ है, आपको भी तार प्राप्त हुए होंगे, गृह मंत्रीजी, होम सेक्रेट्री साहब को भी मिला होगा, लेकिन आज दिन तक क्या कार्यवाही की गई। औरतों के संग मारपीट की गई, बच्चों को, औरतों को लूटा गया। हम किस तरह से इसको टालते जायं? हम भी जन प्रतिनिधि हैं, हमें लोग कहते हैं कि ऐसे जुल्म हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश की पुलिस इस तरह से जुल्म कर रही है। हम कब तक मूक दर्शक की तरह इस तरह की हरकतों को देखते रहेंगे? मैं एक बात और निवेदन करूंगा कि जिस सिपाही ने. आर. ए. सी. के सिपाही ने वीरगति प्राप्त की, मुझे मालूम नहीं कि उसके परिवार को क्या पेंशन मिलती रहेगी।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

मैंने सदन के बाहर माननीय मुख्य मंत्री महोदय से भी इस बारे में निवेदन किया और उन्होंने बहुत कृपापूर्वक स्वीकृति दी कि वह अपने फण्ड में से उस सिपाही के लिए कुछ करेंगे। उस सिपाही की दो साल की सर्विस थी, सिपाही की 27–28 वर्ष की उम्र थी और वह मर गया। वह कोई जहर खा कर नहीं मरा है या और किसी कारण से नहीं मरा है, आमने सामने काउन्टर हुआ है गोली चली है और सिपाही मरा है। उसके लिए अधिक से अधिक अपने नियमों को शिथिल करके जो कुछ कर सकें आपको करना चाहिए। इससे आपके सिपाहियों का होसला बुलन्द होगा और उनका होसला बढ़ेगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि अधिक से अधिक जो कुछ कर सकें राज्य सरकार को करना चाहिए।

अब मैं माननीय गृह मंत्री का ध्यान दूसरी बात की तरफ दिलाता हूं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने सदन के अन्दर सी. आई. डी. की क्राइम ब्रांच के बारे में कहा था कि वे सी. आई. डी. की क्राइम ब्रांच को इतना मजबूत कर देंगे कि लोग सी. बी. आई. की तफतीश को भूल जायेंगे। एक्जेक्ट वर्ड तो यह नहीं थे लेकिन उन्होंने इसी तरह की बात कही थी। आज मैं जानना चाहता हूं कि उस बारे में क्या कार्यवाही की गई। आज आप जिन आदमियों को सी. आई डी. में लगाते हैं, आम आदमी यह जानता है, कि पुलिस कर्मचारियों में यह भावना है कि यहां हमको बतौर पनिशमेंट लगाया जाता है। यह मैं आपके सीनियर आफिसर्स की बात नहीं कहता, उनमें दूसरी भावना हो सकती है लेकिन आम कर्मचारियों में यह भावना है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि आप एन्टी-करप्शन डिपार्टमेंट को कैसे मजबूत करना चाहते हैं। आपको कुछ तो अट्रेक्शन देना होगा। आपको कोई स्पेशल पे देनी होगी, अधिक स्पेशल पे देनी होगी और उसको आकर्षक बनाना होगा तभी अच्छे लोग आपके इस महकमे में आयेंगे। एण्टी-करप्शन और सी. आई. डी. क्राइम में मिल सकेंगे। पुलिस के अन्दर अच्छे लोग भी हैं और बुरे भी हैं। बेईमान भी हैं और ईमानदार आदमी भी हैं। दोनों किस्म के हैं। अभी आपने इतनी बड़ी अधिक संख्या में इन अफसर लोगों को रिटायर किया है। यही अपने आप में सबूत है कि आपने भी इस चीज को महसूस किया है कि गलत आदमी हैं और तभी इतनी बड़ी संख्या में आदमियों को रिटायर किया है। आपने एक काम किया तो है और इससे लोगों के अन्दर यह भावना पैदा हुई है कि देर है अंधेर नहीं है। जिन्होंने गड़बड़ की है उनको हटाया है जिससे यह भावना बनती है कि गड़बड़ करने पर सजा मिलेगी, यह सच बात है। लेकिन आपको इसके साथ-साथ अगर इन विभागों को मजबूत करना है तो आपको आकर्षक टर्म रखने होंगे ताकि स्वतः ही लोग तैयार हों। आप एण्टी-करप्शन में देखिए। इसी सदन के अन्दर कुछ दिन पूर्व उत्तर आया था कि कितने मामले पेंडिंग हैं एण्टी-करप्शन में। आपके पास 67, 68, 69 से केसेज पेंडिंग हैं। लोगों की शिकायत है कि इसमें बहुत टाईम लग जाता है। आपको इसकी प्रक्रियाओं को सरल करना पड़ेगा। आपको तय करना पड़ेगा कि जो भी शिकायत आवे, छः-आठ

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

महीने में जो शिकायत आपके पास आये उसका डिस्पोजल हो जाएगा और जिस आदमी ने शिकायत की उसको उसके नतीजे से अवगत करा दिया जावेगा। नहीं तो शिकायत करने वाले का हौंसला पस्त हो जाता है उसे कहते हैं तुमने शिकायत करके मेरा क्या बिगाड़ लिया ?

माननीय सभापति महोदय, अभी दो मिनिट में समाप्त कर रहा हूं। मैं आपका इशारा समझ रहा हूं और आपकी घन्टी को भी।

तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि इस बारे में गृह मंत्रीजी आपको कुछ सोचना होगा।

अब मैं इसी तरह से डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की तरफ आता हूं। अभी डिपार्टमेन्टल इंक्वायरी की प्रक्रिया के बारे में यहां पर इस सदन के अन्दर कितनी ही बार चर्चाएं हुईं लेकिन आज तक प्रक्रियाओं के अन्दर कोई भी रद्दोबदल आपने नहीं की इसको सरल बनाइये। आज तो एक नहीं कई सालों से केसेज पेन्डिंग पड़े हैं। अब इसके बाद होता क्या है, जो लोग शिकायत करते हैं वे निराश हो जाते हैं और जो गलती करने वाले होते हैं वे सोचते हैं 4-5 वर्ष तो लगेंगे ही और इन वर्षों में कितने ही आफिसर बदलेंगे। एक आफिसर के सामने एक गवाह और दूसरे के सामने दूसरा गवाह होता है। इससे केस की एक जैसी स्थिति नहीं रह पाती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इस प्रक्रिया को सरल बनायें ताकि लोगों के अन्दर एक भय पैदा हो। आज यह हो रहा है कि गलत काम करने वाले लोगों को सजा नहीं मिल रही है। चार, पांच साल लग जाते हैं डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी होते होते। इसलिए हर हालत में इस प्रक्रिया को सरल बनाना होगा। यह बात डिपार्टमेन्ट आफ परसोनल के बारे में पिछले तीन साल से कहता आ रहा हूं। मैं खुद इस महकमे में रह चुका हूं परन्तु मैं भी कुछ नहीं कर पाया। आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे। परन्तु आज जमाना बदल गया है। आप भी बदलिए। कुछ नयी रोशनी आयी है। बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत काफी रद्दोबदल किया है। आप भी बदलिए।

एक बात, सभापति महोदय, मैं बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, जिन जिलों को राज्य सरकार ने इन्डस्ट्रियली बैकवर्ड घोषित किया है, के बारे में कहना चाहता हूं। वहां पर कितनी इन्डस्ट्रीज अलवर को छोड़ कर आपने लगाने का प्रयत्न किया है? जिन जिलों को आपने बैकवर्ड घोषित किया है, वहां पर इन्डस्ट्रीज को आपने कुछ कनेक्शन भी दिये हैं। राजस्थान में ऐसे कई जिले घोषित किये गये हैं वहां पर कि कोई बहुत अच्छी इन्डस्ट्री, या कोई बहुत बड़े उद्योग खुल गये हों, ऐसी बात नहीं है। हमारा राजस्थान आन दी होल बैकवर्ड है इन्डस्ट्रीज के लिहाज से। इसलिए मेरा निवेदन है कि आपको नये सिरे से बैकवर्डनेस की परिभाषा के बारे में भारत सरकार से बात करनी चाहिए। इन्डस्ट्रीज के लिए वहां पर कई चीजों का अभाव है, आवागमन के साधन नहीं हैं, पीने के पानी की मुश्किल है। इस कारण से इन्डस्ट्रीज इन जिलों में नहीं खुल पा रही हैं। हो सकता है कि प्लानिंग कमीशन नई परिभाषा के लिए एग्री नहीं

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

करे। तो फिर कौन से एरिया में घोषित की जा सकती है ? बहुत से जिलों के अन्दर यह बात है। जब आप यह घोषणा करते हैं तो जिले की इकोनोमी को सामने रखते हैं परन्तु वहां के कुछ सब-डिविजन उपेक्षित हैं। वहां पर एक दो सब-डिविजन को मिला कर आप ऐसा कर सकते हैं जैसे कि धौलपुर सब-डिवीजन है आप इसको जोड़ते हैं जिले से। इसको घोषित करते हैं तो आपको चम्बल का लाभ मिल सकता है। नेशनल हाईवे और ब्राड गेज का भी लाभ मिल सकता है। इस लिए वहां पर इन्डस्ट्रीज के लिए स्कोप है। इस पर आप ध्यान देंगे ऐसी आशा है।

श्री सभापति : श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : सभापति महोदय, वैसे पुलिस विभाग के सम्बन्ध में काफी चर्चाएं हो चुकी हैं। मैं भी इसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। आज जो पुलिस विभाग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है उसको देखते हुए यह सही है कि पुलिस विभाग ने आपातकालीन स्थिति के बाद में काफी प्रोग्रेस की है। इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं कि कितनी प्रोग्रेस हुई है। दिनांक 15-2-76 को गंगापुर सिटी में मेहरसिंह ने एक रिपोर्ट थाना गंगापुर में दर्ज करायी कि उसकी लड़की का किसी ने अपहरण कर लिया है, यानि किसी ने उसकी लड़की का अपहरण करके रखा था और स्थान भी बताया। उसने यह रिपोर्ट साढ़े ग्यारह बजे करायी और डी-वाई.एस.पी. गंगापुर से भी उसने रिक्वेस्ट की। परन्तु शाम के साढ़े आठ बजे तक कोई भी पुलिस कर्मचारी या डी.वाई.एस.पी. वहां पर नहीं पहुंचे। और साढ़े आठ बजे ही वह लड़की शाम को वापिस अपने घर आ गई। वह आदमी उस लड़की को लेकर थाना गंगापुर आया। लड़की ने रोते हुए बताया कि उसके साथ तीन व्यक्तियों ने बलात्कार किया। इस रिपोर्ट के बाद भी गंगापुर थाना के जो पुलिस कर्मचारी थे, उन्होंने किसी को नहीं पकड़ा। दूसरे दिन एक लड़का रमेश है, उसको गिरफ्तार किया गया। उस लड़की ने मजिस्ट्रेट को जो बयान दिये उसमें साफ कहा कि मेरे साथ रमेश, ओम प्रकाश तथा एक भूतपूर्व विधायक, जो जनसंघ दल से विधायक थे, ने बलात्कार किया लड़के का नाम बताया, लेकिन पुलिस ने इन दो को गिरफ्तार नहीं किया, कारण कि वे पैसे वाले थे, थोड़ा बहुत प्रभाव रखते थे, इस कारण उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। सभापति महोदय, आप इसी से अन्दाजा लगा सकते हैं कि आपात्तकालीन स्थिति के बाद किस तरह का रवैया पुलिस अपना रही है। यह तो मैं मानकर चलता हूं कि आपात्त-कालीन स्थिति का थोड़ा बहुत असर शहरों तक रहा लेकिन देहातों, गांवों और कस्बों में इस आपात्तकालीन स्थिति का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है और इसका एक-मात्र कारण यह है कि वहां के पुलिस कर्म-चारियों की ओर हमारी राज्य सरकार का कोई ध्यान नहीं है। बराबर शिकायतें आती हैं और शिकायतों की जांच के लिए यहां से लिखा जाता है। वह शिकायत थाने तक पहुंचती है और यह जांच वहीं की वहीं रह जाती है। उस जांच का कोई मतलब नहीं होता है। वापिस उसकी रिपोर्ट नहीं आती है। आती है तो क्या आती है यह उच्च अधिकारी जानें।

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

दूसरी बात, इसी तरह का एक और मसला है। बोली कड़या गांव है। इस गांव के अन्दर 13-3-76 को बौली थानेदार रात्रि के साढ़े ग्यारह बजे हरगोविन्द नाम के किसान के खेत पर चार कान्सटेबल के साथ पहुंचा और वहां से 80 मन गल्ला गाड़ी में भरवा कर गांव में ले आया। उसकी गाड़ी दो दिन तक खड़ी रहती है। 14 की शाम को भी खड़ी रही। यहां तक कि किसान ने रिक्वेस्ट की कि यह जमीन मेरी है और 64 से मेरा उस पर कब्जा है। मैं आपको बता रहा हूं कि उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। यह अभी का किस्सा है। हमने 15-3 को मुख्य मंत्री महोदय को रिक्वेस्ट की और उन्होंने बड़ी तत्परता से कार्यवाही की। मैं उनका आभारी हूं। यह हमारे लिए शर्म की बात है कि ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए हम मुख्य मंत्री महोदय को निवेदन करें। उन्होंने जिलाधीश को कहा। जिलाधीश ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है, यह रिपोर्ट अभी नहीं आई है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि एक तरफ प्रतिवेदन में यह कहा जा रहा है कि इतनी चोरियां पकड़ी गई, इतनी डकैतियों का माल बरामद किया गया। मेरी समझ में नहीं आता कि यह बात शहरों तक ही सीमित क्यों है? यह गांव तक क्यों नहीं है? कस्बों तक यह नहीं होता है। गांव में थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज कराने जावे तो मुंशीजी पहले ही यह कहते हैं कि एक दस्ता कागज लेकर आओ। एक सिगरेट का पैकिट लाओ, तब तो रिपोर्ट लिखी जायगी वरना रफू-चक्कर हो जाओ। इसके बाद मुंशीजी को 100/50 रुपये और मिलेंगे तो आगे कार्यवाही होगी वरना रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं होगी। जहां तक चोरियों का सवाल है, 17 चोरियां पकड़ी गई उनमें से तीन, चार ही गांवों की हैं बाकी सब जयपुर, जोधपुर और उदयपुर की हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि सवाई माधोपुर जिले के अन्दर इतनी चोरियां होती है उनको क्यों नहीं पकड़ा जाता? दिसम्बर, 74 के अन्दर दिल्ली क्लाथ मिल की रिटेल शाप से 50 हजार का कपड़ा चोरी चला गया। आज तक उस चोरी का कोई सुराग नहीं मिला। भगवान जाने गंगापुर थाने ने सी.आई.डी. को क्या रिपोर्ट भेजी। यह सारी कार्यवाही फाइलों के ऊपर ही चलती रहती है। वह भी दब जाती है। इसी तरह से सवाई माधोपुर में तारों की चोरियां होती हैं, टैलीफोन डिपार्टमेंट से जब टेलीफोन नहीं मिलने पर कारण पूछते हैं कि जयपुर का कॉल क्यों नहीं मिलता तो कहते हैं हम क्या करें, आपके यहां से तार चोरी चले जाते हैं। दुबारा तार लगेंगे तब टेलीफोन मिल पायेगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर इसी तरह से इस प्रतिवेदन के आधार पर सुधार मान लें तो यह सही नहीं है। एक तरफ तो इन्होंने बताया कि सन् 75 की जनवरी से 25 जून तक तो हमारे प्रान्त अन्दर वारदातें हुई हैं उनमें वृद्धि हुई है, लेकिन आपातकालीन स्थिति के बाद में जाकर इसके अन्दर कमी हुई है। मेरा मतलब यह है कि आपात्तकालीन स्थिति नहीं होती तो बराबर वृद्धि होती जाती। इसका हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को ही श्रेय समझिये कि आपात्तकालीन स्थिति घोषित करके इस देश को, जो डूबने जा रहा था, बचा लिया।

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

इसके अलावा एक और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि डिपार्टमेंट में जो सी.आई. डिपार्टमेंट है उसको मैंने देखा है और सुना भी है कि सी. आई. डिपार्टमेंट यानी गुप्तचर विभाग पुलिस डिपार्टमेंट की जान है। वह चाहे तो दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता है। लेकिन मैंने देखा है कि जो थानेदार, जिले में एस. आई., ए. एस. आई. और इन्सपेक्टर होते हैं वह अपने ही मुंह से कहते हैं कि सी. आई. डी. में जाना हमारे लिए पुलिस लाइन में जाना है। किसी भी आफिसर से गलती हो जाती है तो इसका तबादला सी. आई. डी. में हो जाता है। मैं जहां तक सोचता हूं कम से कम सरकार को यह चाहिए कि सी. आई. डी. को स्वच्छ और मजबूत बनाये। उसमें इस तरह के आदमियों की भर्ती की जानी चाहिए, इस तरह के आदमियों को इसमें रखना चाहिए जो कम से कम सी. आई. डी में इन्ट्रेस्ट रखते हों, और अलग से उनको इस तरह की ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि उसमें रुचि लेकर वह कार्य करें, और सी. आई. डी. के जो आफिसर्स हैं उनको दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं भेजना चाहिए।

इसके अलावा, शायद समय कम है इसलिए मैं अब जो दूसरी मांगें हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। सभापति महोदय, गत वर्ष हमारे गंगापुर के अन्दर इंडस्ट्रियल सेमीनार किया गया था जिसके अन्दर जयपुर से भी हमारे इन्डस्ट्री के आफिस के डिप्टी डाइरेक्टर भी पहुंचे थे...

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जब तक मुख्य मंत्री महोदय का जवाब न हो तब तक के लिए सदन की कार्यवाही का समय बढ़ाया जाय।

श्री हरिदेव जोशी : अभी टाइम बाकी है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह कार्य कब आपने (श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा) ले लिया है अपने हाथ में ?

श्री खेतसिंह : आप चीफ व्हिप कब से हो गये ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मैंने समझा कि आप होली के मूड में बैठे हैं।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : जब वहां पर सेमीनार हुआ था तो माननीय उद्योग मंत्रीजी भी पधारे थे। इन्होंने देखा है कि सवाई माधोपुर जिले में खास तौर से गंगापुर में इन्डस्ट्री की दृष्टि से काफी विकास हो सकता है, लेकिन हम तो इसको सद्भाग्य यों मानकर चलते हैं कि सवाई माधोपुर जिले को बैकवर्ड घोषित नहीं कर रखा है, इसका एकमात्र कारण यही हो सकता है हमारे यहां पर सबसे बड़ी सीमेंट की फैक्ट्री, जो कि बन्द पड़ी हुई है, के कारण सवाई माधोपुर जिले को बैकवर्ड घोषित नहीं किया गया। खुद मंत्री महोदय ने वहां पर देखा कि गंगापुर में 9 तो चावल मिलें हैं और 60 के करीब तेल के मिल चल रहे हैं। कृषि पर आधारित उद्योग-धन्धे अच्छी तरह से पनप सकते हैं। अभी तक हम चावलों की भूसी को जलाने के काम में लाते हैं, गंगापुर, हिण्डौन सवाई माधोपुर वगैरह में इन सब चीजों का दुरुपयोग होता है। मूंगफली के

(श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल)

छिलकों को जलाने के काम में लाते हैं। इनका जलाने के काम में दुरुपयोग हो रहा है। इनसे कारखाने, जैसे कागज के कारखाने हैं, सालवेन्ट प्लान्ट है, लुब्रिकेंन्ट प्लान्ट है, इनके कारखाने अच्छी तरह से लगा सकते हैं। जब तक सवाई माधोपुर जिले को बैकवर्ड घोषित नहीं किया जायगा तब तक वहां पर इस तरह के कारखाने नहीं लग पायेंगे, क्योंकि भारत सरकार से जो उसको सब्सिडी मिलती है वह नहीं मिल सकती है। इसी कारण से जो वेजिटेबल आइल का प्लान्ट गंगापुर में लगने जा रहा था वह वहां पर नहीं लग सका और जयपुर में चार–चार प्लान्ट लग रहे हैं। सवाई माधोपुर जिले में इस तरह के रॉ मेटेरियल मौजूद है, इसके लिए क्लाइमेट मौजूद है तो सवाई माधोपुर जिले को बैकवर्ड घोषित करने के बारे में राजस्थान सरकार भारत सरकार को लिखे और उसको बैकवर्ड कराने की कार्यवाही करे।

श्री सभापति : श्री शंकरसिंह रावत।

श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद) : सभापति महोदय, मैंने पुलिस के सम्बन्ध में कटौती प्रस्ताव दिये हैं और मैं सिर्फ मेरे जिले के बारे में ही बात करना चाहता हूं। और पुलिस के सम्बन्ध में अजमेर जिले के लिए ही कहना चाहूंगा कि जो भी वहां पर पुलिस के अधीक्षक रहे हैं चाहे वह विश्नोई साहब हों, चाहे आर. के. बैजल हों, चाहे दूसरे साहब रहे इन अधीक्षकों का प्रशासन सामान्य और अच्छा रहा। लेकिन अधीक्षक वगैरह ही करें क्या उनको भी नीचे वालों पर निर्भर रहना पड़ता है। अगर उनको सी.ओ. और थानों पर अच्छे थानेदार मिल जायं तो प्रशासन ठीक हो सकता है। भ्रष्टाचार तो 99 पर्सेन्ट लोगों में घुसा हुआ है। इसको भ्रष्टाचार न कहकर शिष्टाचार की संज्ञा दे दें तो कोई बात नहीं है।

सभापति महोदय, मैं इतना आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अभी 13 की बात है कि मैंने अधीक्षक महोदय को लैटर लिखा कि होली का त्यौहार है, लोग शराब पीकर झगड़ा कर सकते हैं इसलिए पुलिस की व्यवस्था करें। हमारे यहां पर दो सिपाही 15 तारीख को भेजे गये। उनमें से एक तो शराब पीकर रात को ही गायब हो गया और एक जरूर हमारे साथ रहा। जब होली का दिन आया, कल की ही बात है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि थानेदारजी दूर पर आये तो पूछा कि भाई हालत ठीक है तो हमने कहा कि बिल्कुल बढ़िया है। हमने गांव वालों से कह दिया कि शराब नहीं पीओगे। गांव वालों ने माना, लेकिन पड़ौस के गांव में शराब का दौर चल रहा था और पुलिस के सिपाही भी पी रहे थे। पुलिस के सिपाहियों से पूछा गया कि यह क्या करते हो तो कहा होली मना रहे हैं लोग। वह मान जायं तो हमें कोई एतराज नहीं है। बदमाश और गुण्डे व्यक्तियों के साथ में यदि पुलिस बैठे तो ईमानदार आदमियों की आस्था उन पर क्या रह जाती है? वहां पर शाम को एक गोपालसिंह देवीसिंह नाम का व्यक्ति आया तो उन लोगों ने पीटा और कन्नूसिंह का हाथ तोड़ दिया और लोगों पर पत्थर बरसाये। उसको हेमरेज हो गया। उसको लेकर हम एस.पी. साहब के पास पहुंचे तो एस.पी. साहब ने सहानुभूतिपूर्वक विचार

(श्री शंकर सिंह रावत)

करके डी-वाई. एस. पी. से कहा कि मौके पर जायं। वह मौके पर आये और बयान लेकर थानेदार साहब से निवेदन किया कि आप थाने पर जायं। पुलिस के सिपाही, जो कि जनता की सुरक्षा के लिए हैं, का यह हाल है। डी-वाई.एस. पी. साहब वहां पर गये और उन्होंने उन लोगों को डांटा। वहां के थाने के थानेदार से लेकर दीवान तक, पुलिस के आदमी, गुण्डों को प्रोत्साहित करते हैं। वहां पर डी-वाई. एस. पी. साहब गये और सहानुभूतिपूर्वक उन्होंने एक्शन लिया। वह जो सिपाही हमारे साथ था वह भी गायब हो गया और दूसरा शराब पीकर रह गया था उसको लाइन पर भेजा जाय। प्रशासक जो ऊपर बैठते हैं उनको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जो जनता शिकायत करती है तो गलत नहीं करती है। धुम्रां वहीं पर उठता है जहां आग होती है। कुछ न कुछ कमी जरूर है। वह अगर सही और ईमानदारी से न्याय करें तो मैं समझता हूं कि 20-सूत्री कार्यक्रम में पुलिस बहुत काम कर सकती है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर सकें। जिनकी शिकायतें हैं उनको रिटायर करना चाहिए।

नसीराबाद की लाछपुरा चोकी पर बाबूलाल दीवान है। वहां पर पट्टे की चोरी की गई। जब उनको मालूम हुआ कि पट्टे की चोरी हो गई तो वहां पर एक ईमानदार आदमी की दुकान है उस पर जाकर कहा, चोर से कहा कि हम कहें जैसा करते रहोगे तो छोड़ देंगे। दुकान पर जाकर चोर से पूछा तो उसने बताया कि पट्टा इस दुकान पर बेचा है। सेठजी ईमानदार आदमी हैं और वह पट्टे का काम करते नहीं हैं। थानेदारजी वहां पर थे नहीं। बाबूलाल दीवान को वहां पर गये हुए थोड़े ही दिन हुए थे तो उसने सोचा कि थानेदारजी नहीं आयें उससे पहले कुछ कमाई कर लो। उसके पास गये और कहा कि कपड़े की चोरी हो गई है और कपड़ा आपके यहां बेचा गया जब कि कपड़े की चोरी नहीं हुई। मेरे कहने का तात्पर्य यह है, सभापति महोदय, इस प्रकार की कार्यवाही करते हैं, और आखिर इस नतीजे पर पहुंचे कि . . .

श्री खेतसिंह : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि सदन का समय जब तक माननीय मुख्य मंत्रीजी इस डिमाण्ड का जवाब न दे दें और डिमाण्ड पास न हो जाय तब तक के लिए बढ़ा दिया जाय।

श्री सभापति : क्या सदन की यह अनुमति है कि जब तक डिमाण्ड जो पेश हुई हैं वह पास न हो जाये तब तक के लिए सदन का समय बढ़ा दिया जाय ?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : यह निवेदन अधिक मधुर है, सभापति महोदय।

श्री शंकर सिंह रावत : जब इमर्जेन्सी लागू हुई तो डेढ़—दो महीने तक बड़ी तेजी के साथ चली। सब घबरा गये कि इमर्जेन्सी आ गई लेकिन अब कई लोगों की ऐसी जगह एजेन्सी बन गई हैं। लोगों को डराया

Page No 134

(134)

(श्री शंकरसिंह रावत)

जाता है। उनको इमर्जेन्सी के नाम से डराया जाता है। मेरा, सभापति महोदय, निवेदन यह है कि आप कोई और शिविर भी लगायें तो भी कुछ होने वाला नहीं है। पुलिस डिपार्टमेन्ट ठीक तरह से काम करे। तो मैं पुलिस के सम्बन्ध में इतना ही कहना चाहता हूं।

बेरोजगारी के बारे में मुझे निवेदन करना है। आप की योजना 2 हजार से 5 हजार की आबादी के गांव को लेने की है। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा अजमेर एक ऐसा जिला है हालांकि अलवर भी उसमें आता है। आपकी जो योजना है कि 2 हजार से 5 हजार की आबादी वाले गांवों की बेरोजगारी दूर हो सकती है। बेरोजगारी का तो यह हिसाब है कि अभी इम्तिहान होंगे और हजारों लड़के निकलेंगे। आपकी योजना से कइयों को राहत मिल सकती है। अजमेर जिले को अकाल ग्रस्त घोषित कर दिया जाये। ब्यावर एक पथरीला इलाका है। मुझे मालूम है कि वहां के लोग किस तरह से गुजारा करते हैं। अगर ऐसा प्लान बनाकर आप सारे राजस्थान के लिए लागू करें तो सारे राजस्थान की बेरोजगारी समाप्त हो सकती है।

श्री सभापति : माननीय मुख्य मन्त्री जी।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : माननीय सभापति जी, आज माननीय सदस्यों ने उद्योग, ग्रामोद्योग, पुलिस और सामान्य प्रशासन के बारे में अपने विचार व्यक्त किये हैं। जिन माननीय सदस्यों ने रचनात्मक ढंग से सुझाव दिये हैं, मैं उनका आभार प्रकट करता हूं और उन्हें यह विश्वास दिला सकता हूं, प्रशासन अच्छा हो, और प्रशासनिक ढांचे में जो कमजोरियां हैं, जो कमियां हैं, उन्हें दुरुस्त किया जाये और हमारा प्रशासन पिछड़ा हुआ नहीं माना जाये। आर्थिक दृष्टि से हम किसी भी अन्य प्रान्त के मुकाबले में पिछड़े हुए हों परन्तु प्रशासनिक दृष्टि से हम किसी से पिछड़े हुए हों, यह कोई अच्छी बात नहीं है। हमने पिछले कुछ अर्से से इस दिशा में कोशिश की है। कई माननीय सदस्यों ने इसकी पुष्टि भी की है।

माननीय सदस्यों ने राजस्थान के औद्योगीकरण के बारे में काफी बातें कही हैं। जहां तक औद्योगीकरण का सवाल है, औद्योगीकरण के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिए। राजस्थान एक रियासती दौर में से, सामन्ती दौर में से निकला था, यहां पर औद्योगीकरण के लिए न वातावरण था, न पृष्ठभूमि थी। एक समय मैंने बताते हुए कहा था कि इण्डिपेण्डेंस

(5.03 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

से पहले राजस्थान के एक भी कुए पर बिजली नहीं थी। यह हमारे इन्फ्रास्ट्रक्चर की हालत थी। इससे चलकर आज मैं कह सकता हूं कि जो राजस्थान नक्शे में सबसे नीचे था, कई बातों में आज वह कई प्रान्तों के मुकाबले में आ गया है। बिजली, पानी, सड़क, जमीन और जो इन्सेण्टिव औद्योगीकरण के लिए चाहिए अन: इस सारे पर हमने विचार विमर्श किया। एक जमाना था

(श्री हरिदेव जोशी)

जब प्रत्येक इन्सेण्टिव को राज्य सरकार अलग अलग आधार से सोचती थी। अलग फैसला कर के सिफारिश करती थी। राज्य सरकार ने पिछले कुछ अर्से से जमीन पर, बिजली पर, लोनिंग रेश्यो पर जो इन्सेण्टिव है, उस रेश्यो पर जो रेट ऑफ इन्ट्रेस्ट है, उन सारे पर लार्ज स्केल पर विचार कर यह सब डिसाइड कर लिया है। आज बहुत बड़े बड़े उद्योग हैं। पिछले 5 साल से कुछ उद्योग हमारे यहां नहीं आते हैं उनके लिए हमें नेगोशिएट करने की आवश्यकता है। 5 साल से एक भी उद्योग नहीं आया है। अलवर में इण्डस्ट्री लगा दी है। जयपुर, कोटा, और जोधपुर में लगाने की बात की है। 1962 से 1972 के मुकाबले में हम काफी आगे आ गये हैं। यह मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं। उद्योगों को इन्सेण्टिव देने में जो दो स्टेट आगे मानी जाती हैं, वह गुजरात और महाराष्ट्र हैं। उनके मुकाबले में हम पिछड़े हुए हैं। अभी केवल सेल्स टैक्स में हमने रिबेट नहीं दिया है और बाकी में हमने पूरा कर दिया है। शायद 15 दिन पहले ही हमने 50 लाख रु. राजस्थान फाइनेंस कार्पोरेशन को इक्विटी के रूप में ज्यादा दिया है। इसका मतलब है कि अब इस तरह से करेंगे। एक वर्ष के अन्दर शायद आर. आई. एम. डी. सी. और 173 उद्योगों के लिए साढ़े 5 करोड़ रु. ऋण वितरित किया गया है। यह राशि पिछले वर्ष की तुलना में 60% ज्यादा है। अभी तक जितना पिछले वर्ष दिया गया था उसका 60% ज्यादा है। हमें यह नहीं समझना चाहिए कि हम इन्सेण्टिव नहीं देते हैं। हमने साढ़े 12 लाख रु. ज्यादा दिया है।

एक माननीय सदस्य : 20 लाख दिया है।

श्री हरिदेव जोशी : इक्विटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते तो मेरे मुंह से कहना कहां तक ठीक होगा, यह भीटवाड़ा, विश्वकर्मा एरिया है, हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा एरिया है। जो अलवर के एरिया में हो रहा है, वह हिन्दुस्तान का आदर्श एरिया होगा। अब इन चीजों के पनपने में टाइम लगता है। दुर्भाग्य से जो पिछले वर्षों में गति आनी चाहिए वह पूरी नहीं आई है फिर भी चौथी पंचवर्षीय योजना से पांचवी पंचवर्षीय योजना में हमारे औद्योगिक आंकड़े और हमारा इनवेस्टमेंट कई गुना ज्यादा हुआ है। यह हम इसलिये कह रहे हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट काफी अच्छे ढंग से है। जो माननीय सदस्यों ने पूछा, स्टेट सेक्टर और प्राईवेट सेक्टर के बारे में तो खेतड़ी कापर प्रोजेक्ट कमीशन हो गया। दूसरे जो फर्टिलाइजर प्लाण्ट लगने वाला था, वह प्रोडक्शन में आ रहा है। 28 मार्च को जो राजस्थान अरावली स्कूटर है, उसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। वह रोड पर आ जाएगा। टायर्स की राजसमन्द फैक्ट्री है। वह भी फैसला हो कर आ रहा है। इस प्रकार के जितने भी उद्योग हैं उन सारे उद्योगों में हम पर्सनली इस चीज को देखते हैं कि किस किस उद्योग को कितनी और किस प्रकार की मदद की जरूरत है। एक जमाना था जब कि उद्योगों को यह शिकायत रहती थी कि लाइसेन्स की एप्लीकेशन

(श्री हरिदेव जोशी)

क्लियर नहीं हुई, लेकिन आज यह शिकायत उनको नहीं है। आज हमको शिकायत है कि लाइसेन्स मिलने के बाद जल्दी से जल्दी इण्डस्ट्रीज लगायें। तो इस प्रकार का वातावरण बना है प्रान्त के अन्दर और एक वर्ष की योजना में भारत सरकार से 28 लैटर ऑफ इन्टेंट नये उद्योगों के लिए स्वीकृत कराये गये हैं जिनमें से 24 के लाइसेन्स मिल चुके हैं। 16 बड़े उद्योग स्थापित किये जा चुके हैं और 9 उद्योग स्थापित होने जा रहे हैं। मिडिल सेक्टर में भी काफी उद्योग स्थापित कराये हैं और 2200 स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज नई रजिस्टर की गई हैं। यह कोई कम संख्या नहीं है राजस्थान के अन्दर, पिछले वर्ष के मुकाबले में काफी अच्छी है।

हमने जो 50 लाख रुपया आर. एफ. सी. को दिया है उससे तीन करोड़ का रिफ़ाईनेन्स दिलाने की कार्पोरेशन से सुविधा हो जायेगी, यह उनकी स्थिति बन जायेगी। मैं उन सारी डिटेल्स के अन्दर नहीं जाना चाहता कि कितना किसको दिया।

एक प्रश्न की ओर माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर कुछ जिलों को बैकवर्ड घोषित नहीं किया गया और कुछ जिलों को बैकवर्ड घोषित कर दिया गया है। प्लानिंग कमीशन ने जिन जिलों को बैकवर्ड घोषित किया है, उसमें उनका एक फार्मूला है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कितना हो, एजूकेशन कितनी हो, रोड्स कितनी हों, कन्जम्प्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितनी हो, इन सारे आस्पेक्ट्स के ऊपर एक फार्मूला बनाकर हमसे तो केवल उन्होंने इन्फार्मेशन मांगी थी, उस प्रोफार्मा के अनुसार कि आप हमको बतलायें कि किस किस जिले के अन्दर क्या पोजिशन है, यह हम उनको भेजें और जो प्रपोर्शनेटली बैकवर्ड थे, उस प्रोफार्मा के अनुसार, उनको उन्होंने बैकवर्ड घोषित कर दिया। अब अगर हमारा बस चलता तो अलवर को बैकवर्ड घोषित नहीं होने देते, बाड़मेर को करवा देते। बाड़मेर और डूंगरपुर को करवा भी देते तो वहां पर कितना औद्योगिक विकास हो रहा है। अलवर में इसलिए हुआ कि वहां से दिल्ली नजदीक है, और भी कई दृष्टिकोण हैं। सारे के सारे राजस्थान में दो जिलों को, अलवर और जोधपुर को उन्होंने बैकवर्ड घोषित किया, फिर भी अलवर में इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हुआ और जोधपुर में नहीं हुआ। जमीन वहां पर है, बिजली है, पानी की सुविधा है फिर भी वहां पर नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ कि उद्योगों के लिये जो लोकेशन पर बेनीफिट मिलने चाहिएं वहां पर नहीं मिले किन्तु अलवर को बैकवर्ड जिला घोषित किया गया और कोटा को नहीं किया गया किन्तु कोटा में इन्वेस्टमेंट हायर हो रहा है बनिस्पत अलवर के क्योंकि वहां पर एक निश्चित प्रकार के फायदे हैं उद्योगों के लिये। आज किसी आदमी को ओपन लाइसेन्स मिले तो सबसे पहले वह बम्बई में उद्योग लगायेगा और वह इसलिए कि जितनी भी फाइनेन्सियल इन्स्टीटयूशन्स हैं वह सारी के सारी लोकेटेड हैं बम्बई में, कहीं और जगह उनको जाना नहीं पड़ेगा। छोटी-बड़ी रेल लाइन वहां पर हैं, हवाई जहाज वहां हैं, समुद्र वहां पर हैं। उसको फिर कहा जाय कि बम्बई के अलावा दूसरी जगह ले लो तो वह कलकत्ता में लगाना पसन्द करेगा। आप देखेंगे कि वेस्ट बंगाल में सी. पी. एम. की जब गवर्न-

(श्री हरिदेव जोशी)

मेंट बनी तब लोग भाग भाग कर वहां से आ गये क्योंकि बहुत सी गड़बड़ियां होने लगीं, वे सब अब वापिस चले गये, इसलिए कि उद्योग एक अमुक स्थान पर ही हो सकते हैं। इसलिए जो रॉ मैटेरियल पर बेस्ड इण्डस्ट्रीज हैं वे हमारे यहां पनप सकतीं है, उदाहरण के लिये सीमेंट फेक्ट्रीज हैं। हमारे यहां लाइम स्टोन बहुत ज्यादा है तो उसके लिये हमने सोचा कि इस पर ज्यादा जोर देना चाहिए और आज जो भी एप्लीकेशन्स हैं वह गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया से क्लियर हो जाती हैं रेल्वे मिनिस्ट्री और इण्डस्ट्री मिनिस्ट्री मे तो मैं समझता हूँ कि सीमेंट के उत्पादन में राजस्थान में ही नहीं पूरे भारत में पहले नम्बर पर होगा, मगर इसमें कई इपस एण्ड बट्स लगे हुऐ हैं। इण्डस्ट्री मिनिस्ट्री को लाइसेन्स देने से पहले रेल्वे मिनिस्ट्री से कन्सल्ट करना पड़ता है केयरिंग केपेसिटी भी देखनी पड़ती है। फिर भी हमारे यहां पर मोडक का प्लांट संक्शन हो चुका है और मैं आशा करता हूं कि इस वर्ष उसका कार्य शुरू हो जायगा। इसी प्रकार से निम्बाहेड़ा सीमेंट फैक्ट्री के एक्सटेन्शन की स्वीकृति मिल चुकी है उसका हम विस्तार कर रहे हैं। नीमकाथाना और मिरावली के मामले विचाराधीन हैं और हम आशा करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया से आने के बाद कुछ न कुछ कर सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने यह भी कोशिश की है, जो अन्डर डवलप्ड डिस्ट्रिक्ट हैं उनका इन्डस्ट्रीयली सर्वे कराकर उनकी हमने रिपोर्ट बनवा ली है। इस वर्ष जालौर, भीलवाड़ा और चित्तौडगढ़ की रिपोर्ट आ गई और दूसरे जिलों की भी जल्दी से जल्दी आ जायेगी।

एक माननीय सदस्य, जो पहले यहां बैठे थे अब चले गये हैं, उपाध्यक्ष महोदय, ने शिकायत की थी कि आप उद्योगों के लिये कन्सेशन क्यों देते हैं, कन्सेशन नहीं देने चाहिए। मैं उनसे सहमत नहीं हूं। सारी दुनिया में आज, यहां तक कि कम्यु-निस्ट कन्ट्रीज में भी कई उद्योगों को कन्सेशन्स दिये जाते हैं, तो जब कि सारे देश के अन्दर इस बात का काम्पीटीशन चल रहा हो कि अधिक से अधिक कन्सेशन देकर यहां पर एक प्रकार से उनको न्यौता दिया जाय, तो क्या राजस्थान सरकार यह कह देवे कि हमारे यहां आना है तो आओ नहीं तो हम उद्योगों के लिये कन्सेशन नहीं देंगे, यह राजस्थान के इन्ट्रेस्ट में नहीं होगा हम गैर वाजिब इन्सेन्टिव या कन्सेशन नहीं दें मगर वाजिब कन्सेशन जो सब जगह दिये जाते हैं वह कन्सेशन भी नहीं देंगे तो हम न तो समुद्र के किनारे पर हैं, हवाई जहाज हमारे यहां हैं नहीं, ब्रोड गेज हमारे यहां पर नहीं और कोई सुविधा नहीं, हम छोटी-मोटी जमीन और पानी की सुविधा नहीं देंगे तो राजस्थान में कोई नहीं आयेगा और राजस्थान केवल बातें करने वाला राज्य ही रह जायगा औद्योगिक उत्पादन करने वाला नहीं। इसलिए जो माननीय सदस्य ने बात कही है कि उद्योगों को इन्सेन्टिव नहीं देना चाहिए, मैं उनसे सहमत नहीं हूं।

कुछ माननीय सदस्यों ने सवाई माधोपुर सीमेन्ट फैक्ट्री बन्द होने की बात कही है। वह सही है, मगर यह सारी चीजें गवर्नमेंट आफ इंडिया के अण्डर कन्सीडरेशन हैं।

(श्री हरिदेव जोशी)

सब चीजें जल्दी फाइनल हों–यह हम चाहते हैं। स्टेट बैंक, स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट आफ इंडिया–तीनों पार्टी ने मिल कर एक प्रकार का फैसला कर लिया है और जल्दी शुरू कराने के बारे में वर्किंग प्लान बना लिया है। मैं समझता हूं, जल्दी हो जायगा।

यह कुछ मुद्दे थे, जो माननीय सदस्यों ने कहे थे, जिनके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने पुलिस विभाग की सर्विसेज के बारे में, हायर सर्विसेज के बारे में और नीचे की सर्विस के बारे में कहीं प्रशंसा की है, कहीं आलोचना की है। मुझे खुशी है कि जो अच्छाई थी उसको भी हाई लाइट किया गया है। जिन माननीय सदस्यों ने केवल पाइप में फूंक देकर और अपनी आवाज निकालने की बात कही, उनको तो मैं किसी प्रकार प्रभावित कर नहीं सकता, उनके लिए कहना नहीं चाहता मगर जो लोग वस्तु स्थिति को समझ कर कहते हैं, उन लोगों की बाबत एक बात मैं कह सकता हूँ और वह यह है कि पुलिस विभाग के रीआर्गेनाइजेशन की तरफ हमने पिछले दो वर्ष ढाई वर्ष में काफी काम किया है और भारत सरकार भी ऐसा मानती है कि हमने काफी अच्छे ढंग से इस दिशा में प्रगति की है, जो काम्युनिकेशन सिस्टम, वायरलैस सिस्टम है, शायद नम्बर एक तमिलनाड है और नम्बर दो राजस्थान है। यह क्रेडिट हम ले सकते हैं। लॉ एण्ड आर्डर के लिहाज से किसी स्टेट को किस पैमाने से नापना चाहते हैं, क्योंकि लॉ एण्ड आर्डर क्या है–मैं किसी राज्य का नाम नहीं लेना चाहता मगर हिन्दुस्तान में ऐसा राज्य है जहां पर शाम पड़ने के बाद पुलिस स्वयं गाड़ियों को, बसेज को, ट्रक्स को, कार्स को रोक लेती है और रोक करके जब तक एसकोर्ट न करे आगे और पीछे तब तक उसको आगे नहीं जाने दिया जाता है। जब कि मैं यह कह सकता हूं कि राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां रात के बारह बजे किसी समय दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम आप चले जायें, आपको कोई रोकने वाला नहीं मिलेगा और बाई एण्ड लार्ज गवर्नमेंट आफ इंडिया भी यह मान कर चलती है कि राजस्थान हिन्दुस्तान की अधिक से अधिक उन स्टेट्स में से है न केवल एमर्जेन्सी के बाद में बल्कि इमर्जेन्सी के पहले भी जहां क्राइम इन्सीडेंट रहे हैं, उसके आंकड़े कम है। इसका क्रेडिट पुलिस को नहीं है, मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, इसका क्रेडिट राजस्थान के समाज को है, राजस्थान की जनता को है कि क्राइम्स के अन्दर, क्रिमिनल टेन्डेन्सी में, दूसरे प्रान्तों के मुकाबले में हमारे यहां क्रिमिनल टेन्डेन्सी कम है। यह क्रेडिट राजस्थान की जनता को है। अभी सनवाड़ के अन्दर एक बैंक रोबरी हुई थी दिन दहाड़े, उदयपुर जिले की सनवाड़ बैंक के अन्दर दो रिवाल्वर वाले गये। मैंने सोचा, राजस्थान में पहली वारदात हुई है। बाद में मालूम हुआ राजस्थान के लोग नहीं थे, बाहर के आये थे। एसी वे मैं निवेदन करना चाहता हूं, स्ट्रे केसेज होंगे ऐसे फिर भी वह पकड़ा गया वह सारा, तीन हजार रुपया खर्च हो गया, बाकी सारा रुपया पकड़ा गया, सारा माल बरामद हो गया आदमी भी बरामद हुए कुछ। मगर करौली, सवाई माधोपुर, जो यू.पी. और मध्य प्रदेश का बोर्डर है, को छोड़ कर राजस्थान हिन्दुस्तान के राज्यों में पीसफुल जोन में आता

(श्री हरिदेव जोशी)

है और उसके लिए यू. पी. और मध्य प्रदेश मिलकर जो इलाका है, उसके अन्दर हरचन्द कोशिश करते हैं कि उनके अन्दर वारदात कम से कम हों। पता नहीं, कहीं पानी ऐसा है, अथवा जोग्राफिकल कन्डीशन वहां ऐसी हैं कि एक गैंग मरता है तो दूसरा पैदा हो जाता है। दूसरा मरता है तो तीसरा पैदा हो जाता है। इस प्रकार की हालत पैदा हो जाती है। मैं प्रद्युम्नसिंह जी को कुछ नहीं कह रहा हूं ...

श्री ओंकारलाल चौहान : इशारा उनकी तरफ कर रहे हैं।

श्री मूलचन्द सामरिया : पानी में कमी है।

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : यह ना कहें फिर भी समझ रहे हैं।

श्री हरिदेव जोशी : गंगानगर की बात कहूं या धौलपुर की बात कहूँ–वह सबके करने की बात है।

मैं निवेदन कर रहा था जब पुलिस की आलोचना करते हैं तो एक बात ध्यान में रखनी हैं, मैं किसी को ब्रीफ होल्ड करके नहीं कहता हूं, मगर जैसा समाज होगा, कुल मिला करके वैसी ही सर्विस होगी। एक भाई एम.एल. ए. अथवा एम.पी. होकर राजनीति में आ जाता है, दूसरा भाई दुकान लगा कर दुकानदारी करने लग जाता है, तीसरा भाई मास्टर हो जाता है और चौथा भाई पुलिस में कान्स्टेबल हो जाता है और एक जो संस्कार कुल मिला कर समाज में है वह रिफ्लेक्ट करता है, वह चाहे राजनीति में हो, चाहे दुकानदारी में हो, या चाहे सर्विस में हो, कुछ भी हो, चाहे किसी में हो। मैं एक चीज कह सकता हूं, पिछले वर्षों में हरचन्द कोशिश की है, जो करप्ट लोग हैं उनको वीड आउट करने की। माननीय सदस्यों ने उदारतापूर्वक इसको समझने की कोशिश की होगी, शायद आपको आश्चर्य होगा कि हमारी सर्विसेज के ढ़ाई लाख लोग हैं उन ढाई लाख लोगों में से दो हजार सौ लोगों को वीड आउट किया है। यह पर्सेन्टेज हिन्दुस्तान में सबसे बड़ा है। मैं यह नहीं कहता हूं सब करप्ट लोगों को वीड आउट कर दिया गया है। सबको वीड आउट किया भी नहीं जा सकता। इस प्रकार की क्राइसेस क्रियेट भी नहीं की जा सकती। जो क्राइटेरिया बना है, पचास साल की उम्र या बीस साल की सर्विस हो। तो सारे लोग, जो पचास साल के हैं उम्र में, करप्शन नहीं करते हैं कोई करता है तो जो कोई है उसके ऊपर डिपार्टमेंटल एक्शन होगा। यह देखने की बात है, यह जो काम है, इस दिशा में काम हुआ है या नहीं। मैं ऐसा समझता हूं, इमर्जेन्सी के बाद क्राइम में कमी हुई है, पुलिस के ऊपर प्रेसर कम हुआ है, रोजमर्रा की हड़ताल, रोजमर्रा के जुलूस, यह रोजमर्रा की चीजें कम हुई हैं। मगर इसके सिवाय क्राइमों में कमी हुई है। जनवरी, 1975 से जून, 1975 तक 83 डकैती की वारदात हुई थीं, उनके मुकाबले 58 हुई। उन छः महीनों के मुकाबले में इन छः महीनों में कम हुई। लूटपाट में भी कमी हुई। डाकुओं के अन्दर कमी हुई, अपहरण में कमी हुई, बर्गलरी में कमी हुई, कैटल लिफ्टिंग में कमी हुई। सारे प्रकार के क्राइम हैं उनमें कमी हुई। मैं इस को भी क्राइटेरिया

(श्री हरिदेव जोशी)

नहीं मानता हूं। मैं कुल मिला कर किसी चीज को मानता हूं तो वह यह है कि क्या हमारी पुलिस की एफीशियेंसी बढ़ी है अथवा नहीं बढ़ी है ? मैं ऐसा समझता हूं कि पुलिस का मार्डेनाइजेशन करते हैं तो इन्स-पेक्टर के बदले सर्किल इन्सपेक्टर को बैठा देना काफी नहीं है। उनको मार्डन इक्विपमेंट देने पड़ेंगे, मार्डन टेक्निकल चीजों को समझने का उनका दिमाग बनाना होगा और उनका रिओरियेंटेशन जरूरी होगा, इस चीज को ध्यान में रखते हुए जहां स्ट्रिन्जेन्सी है वहां पर पुलिस की अकादमी की स्थापना की। यह हिन्दुस्तान की बहुत कम स्टेटों में से है। मैं आपसे कहना चाहता हूं हमारे एक उच्च अधिकारी अभी हैदरा-बाद स्टेट के अन्दर गये थे, वहां देखने के लिए कि वहां की इन्स्टीट्यूशन को देखें। उनका होल्ड यह है कि हमारी इन्स्टीट्यूशन उनके मुकाबले में काफी अच्छी है। उसकी क्या बात कहते हैं, मैं आपको कह सकता हूं कि आज हमारा हरिश्चन्द्र माथुर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव इन्स्टीट्यूशन है, वह पूरे हिन्दुस्तान की एक दो इन्स्टीट्यू-शन्स में से एक इन्स्टीट्यूशन होगा। हमने इस दिशा में अपने कर्मचारियों के रिओरि-येंटेशन, ट्रेनिंग के लिए काफी काम किया है। जितना पैसा गवर्नमेंट आफ इंडिया ने मार्डेनाइजेशन के लिए दिया था, कई स्टेट ऐसी हैं जिन्होंने मार्डेनाइजेशन के पैसे को दूसरी तरफ खर्च कर दिया अथवा लेप्स कर दिया। राजस्थान वह स्टेट है जिसने उतना पैसा खर्च ही नहीं कर दिया बल्कि ज्यादा कर दिया। हम समझते हैं कि जो रिओ-रियेंटेशन हुआ है उससे इसके अन्दर काफी फर्क पड़ेगा। फारेंसिक साइन्स लेबोरेट्री, उसमें जो टेक्निकल इक्विपमेंट होने चाहिएं, उस दृष्टि से हिन्दुस्तान की अच्छी से अच्छी लेबोरेट्री में से एक है। ऐसी ट्रेनिंग देकर क्राइम को डिटेक्ट करने की बात हाथ के निशान, दूसरी चीज तीसरी चीज-उस सबसे वो होकर लोगों को वो कर रहे हैं। पुलिस में भी जो अयोग्य अथवा करप्ट अधिकारी थे उसमें 104 कर्मचारियों को बरखास्त कर दिया गया है, 42 को नौकरी से हटाया गया है और 48 को माइनर सजा दी गई है।

जो हरिजनों पर अत्याचार हैं उनको रोकने के लिए मुख्य मंत्री के आफिस में एक नया सेल कायम हुआ और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि अब तक इस प्रकार के 102 केसेज जो थे वे हमारे यहां रजिस्टर किए गए सीधे और वहां जाकर जिलों में उनको रिलीफ दिया गया है। उससे काफी इम्पेक्ट भी होता है।

जो फिगर्स मैंने दिये शायद सही नहीं थे। कम्पलसरी रिटायरमेंट में 5 अपर पुलिस अधीक्षक, 7 उप अधीक्षक, 23 निरी-क्षक, 15 उप निरीक्षक, हैड कान्सटेबल्स 127 व कान्सटेबल्स 264 हैं। यहां एक चीज महत्वपूर्ण कही गई कि इसके बावजूद भी कई करप्ट लोग बैठे हैं। यह सही है। लेकिन क्या करें ? कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने मुझे अपना लीडर चुना, इसके बावजूद इसके अंदर कई लोग हैं जो कि मेरी मर्जी के अनु-कूल नहीं हैं। क्या किया जाए ? जो नियम हैं कानून है, स्थितियां हैं उसके अनुसार ही तो काम होगा। जो रूल्स और रेगुलेशन्स और फ्रेमवर्क बनायेंगे उसके अंदर ही तो

(श्री हरिदेव जोशी)

काम करेंगे। हमने फ्रेमवर्क बनाया कि जिनकी कान्सीक्यूटिवली सी. श्रार. खराब है, जिनकी इन्टेग्रिटी संतोषजनक नहीं है या एफीसियेन्सी बार पर एनएफीशियेंसी के कारण रुक गए हैं, ऐसे केसेज को स्क्रूटीनाइज किया गया। काफी लोग 50 की उम्र के नीचे हैं,। मगर एक बात है कि यह एक कन्टीन्यूअस प्रोसेस बना लिया है। अब कोई भी आदमी जो 50 का हो अथवा 20 साल की सर्विस का हो, एक बार स्क्रीनिंग होगी तब जाकर आगे बढ़ेगा। इससे इस प्रकार जो लोग उस उम्र में आयेंगे वीड आउट हो जायेंगे। हमने अधिकारियों व कर्मचारियों की अफीशियेंसी को असेस करने के लिए एक नया ए. सी. आर. का प्रोफार्मा बनाया जो उनकी परफार्मेंस के बेसिस पर होगा। तो उसको हम देखेंगे और देखकर जितना सुधार कर सकते हैं करेंगे।

जो विजिलेंस कमेटियां बनाई गई हैं, उनके बारे में भी चर्चा की गई। मैं समझता हूं कि इनको रीआर्गेनाइज करने की जरूरत है। जिला स्तर पर पुलिस परफार्मेन्स के बारे में ओपन डिस्कशन की भी जरूरत है और उसमें ऐसे साहसिक आदमियों के रखने की जरूरत है जो एस.पी. और जिलाधीश को कह सकें कि आपके अमुक लोग ठीक नहीं हैं। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि जिला स्तर पर इन कमेटियों को रीआर्गेनाइज करके नए सिरे से बनाया जाय ताकि पर्सन्स आफ रेप्यूट उसमें बैठें और साहसपूर्वक कह सकें कि आपके अमुक आदमी ने गलत काम किया है।

उपाध्यक्षजी, जिनका कम्पलसरी रिटायरमेंट हुआ है, उनके बारे में एक सवाल सदन में आया था कि उनको रिप्रेजेन्टेशन देने का, अपनी रिव्यू पिटीशन देने का अधिकार होना चाहिये, स्क्रीनिंग होनी चाहिये। भारत सरकार ने भी हमें कुछ गाइड लाइन्स भेजे हैं। तो इनके प्रिन्सीपल्स हमने स्वीकार किया है और एक हफ्ते के अन्दर प्रत्येक लेवल पर स्क्रीनिंग के लिए हम रिव्यू कमेटीज घोषित कर देंगे। जिन लोगों ने रिव्यू पिटीशन्स दी हैं उनकी भी कोई मियाद नहीं रहेगी इस बात की। अब से लेकर आगे प्रत्येक को अपनी रिव्यू पिटीशन देने का अधिकार होगा।

रोस्टर सिस्टम के बारे में, हरिजनों को प्रमोशन वगैरह देने के बारे में यहां चर्चा आई थी। चाहे पुलिस विभाग हो या दूसरा विभाग हो, जहां कहीं भी ऐसी चीजें हमारे ध्यान में आयेंगी, हम सख्ती से कदम उठायेंगे। पूरी निष्ठा के साथ में राज्य सरकार ने इस रोस्टर सिस्टम, प्रमोशन सिस्टम को स्वीकार किया है। जो भी डिफाल्टर विभाग होगा, उसके विभागाध्यक्ष के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे।

उपाध्यक्ष जी, जहां तक इकानामी का सवाल है, इस वर्ष में 2780 पद समाप्त किए गए हैं और जो नान-प्लान पोस्ट्स थीं उनको प्लान के अन्दर डाइवर्ट किया गया, केवल इसलिए कि हम ओवरहैड खर्चा नहीं बढ़ाना चाहते हैं बल्कि इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहते हैं–सेक्रेटेरियट लेविल पर भी और दूसरी और जगह भी।

जनता के अभाव अभियोगों के बारे में जो जिला स्तर कमेटियां हैं वे तो हैं ही।

Page No 142

(142)

(श्री हरिदेव जोशी)

इस एक वर्ष के अन्दर 1975 में मेरी आफिस में 32 हजार से अधिक शिकायतें प्राप्त हुईं और उनमें से कई हजार से ऊपर पर डिपार्टमेंटल एक्शन होकर उन सबको एकत्रित किया गया। केवल उसके लिए डाइरेक्टर आफ ग्रीवेंसेज की पोस्ट क्रिएट की। अब मुख्य मंत्री को कोई भी दरख्वास्त देता है जैसे मैं आपके जिले में आता हूं, मेरे लिए संभव नहीं है कि सारी दरख्वास्तों को स्क्रूटिनाइज करके एक्शन लूं लेकिन सारी दरख्वास्तें डाइरेक्टर आफ ग्रीवेन्सेज के पास में जाती हैं, वह स्क्रूटीनाइज करता है और जो एक्शन लेना होता है, वह लेता है। तो हम टापमोस्ट प्रायरिटी देते हैं आम लोगों के ग्रीवेन्सेज को और कोशिश करते हैं कि लोगों की शिकायतें दूर हों।

कुछ माननीय सदस्यों ने किन्हीं इन्डिविजूअल केसेज के बारे में चर्चायें की हैं। कहीं तो चोरी के बारे में, कहीं हत्या के बारे में, कहीं ज्यादती के बारे में। मेरे लिए मुश्किल होगा कि उन सबके विस्तार में जाकर कुछ कहूं। इसलिए जो महत्वपूर्ण चीजें हैं इनमें, उनको नोट किया गया है, उन सबसे, संभव हुआ तो, माननीय सदस्यों को लिखित उत्तर भेजे जायेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ में जिन माननीय सदस्यों ने वहां पर अपने सुझाव दिए हैं, उनका मैं आभार प्रकट करता हूं और निवेदन करता हूं कि इन सब मांगों को स्वीकार किया जाय।

मांग सं. 5, 16, 41 व 42 का पारण

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 5 के संबंध में 31 मार्च 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,57,74,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 16 के संबंध में 31 मार्च 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 22,11,69,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 41 के संबंध में 31 मार्च 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,87,55,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 42 के संबंध में 31 मार्च 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 48,60,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाए।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही कल बृहस्पतिवार दिनांक 18 मार्च 1976 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म.प. 5.40 बजे बृहस्पतिवार दिनांक 18 मार्च, 1976 के म.पू. 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट–1

(तारांकित प्रश्न सं. 107 की टिप्पणी)

पंचायत समिति शाहबाद जिला कोटा में खनिज सर्वेक्षण रिपोर्ट की संक्षिप्त टिप्पणी

सन् 57–58, 58–59 में खनिज विभाग द्वारा प्रारम्भिक सर्वेक्षण तहसील शाहबाद जिला कोटा में कराया गया जिससे इस क्षेत्र में निम्न खनिज पाये गये:—

1. बाक्साईट :—

बाक्साईट खनिज जो कि अल्यूमिनियम बनाने के काम में आता है। गांव खारा सिरोल एवं मुमानी गांव के आस पास पाया गया। इसकी जांच के लिये विभाग से करीब 18 खड्डे लगाये एवं जगह जगह से नमूने एकत्रित किये और उन नमूनों का विश्लेषण भी कराया। विश्लेषण से यह बाक्साईट निम्न श्रेणी में पाया गया। बाक्साईट के भण्डार करीब 6.6 वर्ग किलो मीटर के क्षेत्र में उपलब्ध हैं।

2. क्ले :—

खनिज सर्वेक्षण द्वारा क्ले गांव बादरा एवं सिरोल में पाया गया। इस क्षेत्र की क्ले का रंग सफेद हल्का पीला एवं भूरे का रंग पाया गया। क्ले की पट्टिया लेटराईट की पट्टियों के साथ पायी जाती है। लेटराईट सतह पर पाया जाता है और उसके नीचे क्ले की थर पायी जाती है। जो कि कुछ ही स्थानों पर दिखाई देता है। यह क्ले का भण्डार गांव मंगोला में भी पाया गया है। यह क्ले लेटराईट के साथ मिलता है। अतः इसमें आयरन की मात्रा अधिक पाई जाती है।

3. रेड ओकर:—

रेड ओकर गांव मंडिया (राठी) में पाया गया है। रेड ओकर का भंडार सिर्फ एक मीटर चौड़ी पट्टी में ही पाया जाता है।

सन 74–75 में इस क्षेत्र का पूर्वेक्षण कार्य पुनः आरम्भ किया गया और 15 नमूने बाक्साईट, क्ले, तथा रेड ओकर के एकत्रित किये गये। अभी भी पूर्वेक्षण कार्य चल रहा है।

(144)

परिशिष्ट- 2

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर)

सैनिकों व पेन्शनरों से भवन कर

117. श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि म्युनिसिपिल एरिया में बसने वाले रेगुलर फौजी या पेन्शनर्स (फौजी) से भवन कर लिया जाने के लिए नोटिसेज दिए गए हैं ? यदि हां, तो क्या रक्षण की भारी जिम्मेदारी को निभाने वाले सैनिकों व पेन्शनरों को इससे मुक्त रखना आवश्यक नहीं है ?

(ख) अगर हां, तो सरकार कब तक उन पर टैक्सेज भरने हेतु आए हुए नोटिसों को वापिस लेगी ?

(ग) क्या यह सही है कि जयपुर की म्युनिसिपैलिटी में तो उपरोक्त व्यक्तियों से सन् 74 तक यह टैक्स नहीं लिया ?

उत्तर

(क) यह सही है कि नगर परिषद्, जयपुर के क्षेत्र में बसने वाले रेगूलर फौजी व पेन्शनरों को गृहकर लगाने संबंधित नोटिसेज दिये गये हैं। बाकी नगरपरिषद् के बारे में जानकारी नहीं है। रैगूलर फौजी या पेन्शनर्स को गृहकर से मुक्त किया जाना आवश्यक नहीं है। राज्य सरकार ने सैनिकों की विधवाओं को गृह कर से मुक्ति दे रखी है।

(ख) भाग (1) में उत्तर के फलस्वरूप नोटिसेज वापिस लेने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) जयपुर नगर परिषद् के लिये राज्य सरकार के ऐसे कोई आदेश नहीं हैं जिनके आधार पर 1974 तक रेगूलर सैनिक या अवकाश प्राप्त सैनिकों से गृह कर नहीं लिया गया है।

कृषि विभाग में मार्केटिंग इन्टेलीजेन्स की स्थापना

118. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कृषि विभाग में मार्केटिंग इन्टेलीजेन्स की स्थापना कब की गई थी एवं इसकी स्थापना के क्या उद्देश्य थे ?

(2) वर्तमान में इसमें कितने अधिकारी एवं कर्मचारी किस किस वेतन शृंखला के कार्यरत हैं ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त कार्य हेतु कृषि स्नातकों को लगाया गया है जब कि यह कार्य अन्य स्नातक भी कर सकते है ? यदि हां, तो फिर अन्य स्नातकों को क्यों नहीं इस कार्य हेतु लिया गया ?

उत्तर

(1) मार्केटिंग इन्टेलीजेन्स की स्थापना सन् 1958 में हुई। राज्य सरकार, रिजर्व

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
बैंक, केन्द्र सरकार, आदि द्वारा नीति निर्धारण हेतु सूचनाओं की आवश्यकता को देखते हुए इस स्कीम का सृजन किया गया था।

(2) सहायक विपणन अधिकारी पद—1 वेतन श्रृंखला (500-1000)

कृषि सहायक पद 20 वेतन श्रृंखला (क) 225-525 (ख) 180-425

सांख्यिकी सहायक पद—2 वेतन श्रृंखला (180-425) संगणक पद—4 वेतन श्रृंखला (130-300) कनिष्ठ लिपिक पद—2 वेतन श्रृंखला (110-230)

(3) यह सही नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी योजना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र

119. **श्री सुरेशचन्द्र शर्मा** (कोटपूतली) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राष्ट्रीय राजधानी योजना के अन्तर्गत प्रदेश का कौन-कौन-सा क्षेत्र आता है तथा उसका क्या आधार है?

(2) क्या यह सही है कि जयपुर जिले का कोटपूतली क्षेत्र भी उक्त योजना के अन्तर्गत शामिल किया जा सकता है? यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है?

उत्तर

(1) राष्ट्रीय राजधानी योजना के अन्तर्गत अलवर जिले की—अलवर, बहरोड़, तिजारा, किशनगढ़, मण्डावर और रामगढ़ तहसीलें आती हैं। भारत सरकार ने दिल्ली से 100 मील के दायरे में आने वाले क्षेत्र को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लिया है।

(2) ी नहीं।

पाली जिले में गेहूं की फसल में रोली का रोग

120. **श्री शंकरलाल** (पाली) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पाली जिले में इस वर्ष गेहूं की फसल में रोली के रोग के प्रकोप की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो किन-किन गांवों से? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) कृषि विभाग की तरफ से इसका उपचार करने हेतु क्या-क्या प्रयास किये गये और किस हद तक सफलता मिल पाई? ब्योरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां, पंचायत समितिवार गांवों की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) पाली जिले की नौ पंचायत समितियों में 4430 हेक्टर गेहूं की फसल में रोली रोग के प्रकोप की सूचना प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त 7579 हेक्टर में गेहूं की फसल जो इस ग्रसित क्षेत्र से लगी हुई थी को सम्मिलित कर कुल 12000 हेक्टर क्षेत्र में रोली रोग प्रसारण की रोकथाम हेतु विभाग ने महामारी घोषित करवा कर काश्तकारों को फफूंदनाशक दवा 50 प्रतिशत अनुदान व 50 प्रतिशत ऋण पर वितरित करने के आदेश दिये। इसके अतिरिक्त जिले

(कृषि मंत्री)

में फफूंदनाशक रसायन व उपकरणों की समुचित व्यवस्था विभाग द्वारा कर दी गई है।

रोली की रोकथाम हेतु छिड़काव कार्य जारी है। जिन क्षेत्रों में फफूंदनाशक रसायन का छिड़काव किया गया है उनमें रोली रोग का प्रभाव कम हो गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राज्य पथ परिवहन निगम में आदिवासियों की नियुक्ति

121. **श्री महेन्द्र कुमार** (पाड़वा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में कितने आदिवासी श्रमिक किन-किन पदों पर कार्य कर रहे हैं ?

(2) क्या डूंगरपुर बांसवाड़ा, उदयपुर आदि क्षेत्रों के आदिवासियों को इन क्षेत्रों में प्राथमिकता दी जाती है या नहीं ? क्या इनमें से किसी की पदोन्नति हुई ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या निगम में रोस्टर प्रणाली अपनाई है ? यदि हां, तो रजिस्टर में दर्ज होता है या नहीं ?

(3) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर में कन्डक्टर पद के लिए योग्यता मिडिल पास तक लेने का प्रावधान है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितने आदिवासी प्रार्थियों ने अपना प्रार्थना-पत्र दिया था व इसमें से कितनों को नियुक्त किया गया ? जिलेवार अब तक नियुक्त ऐसे व्यक्तियों के नाम बताने की कृपा करें।

(4) गत 5 व 6 दिसम्बर, 1975 को आगार कार्यालय उदयपुर, डूंगरपुर पर कन्डक्टरों के जो साक्षात्कार हुए उसमें कितने व्यक्ति चयन किये गये, उनकी शैक्षणिक योग्यता सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि हायर सैकेण्ड्री से कम योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को भी कन्डक्टरों के स्थान पर नियुक्त किया गया है ? यदि हां, आदिवासियों को प्राथमिकता क्यों नहीं दी गई ?

उत्तर

(1) वांछित सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है ?

(2) जी हां। निगम ने आदिवासी कर्मचारियों को पदोन्नति के मामले में आरक्षण देने हेतु निर्णय लिया है। परन्तु उपयुक्त निर्णय लेने के पश्चात् अब तक विभागीय समिति की कोई बैठक नहीं हुई है। अतः पदोन्नतियों के मामलों पर विचार नहीं हो सका है। अब शीघ्र ही पदोन्नति समिति की बैठक होगी और यदि निर्धारित योग्यता में आदिवासी उम्मीदवार उपलब्ध हुए तो उनका चयन किया जा सकेगा। निगम में रोस्टर प्रणाली का नियमन किया जाता है।

(3) जी नहीं।

(4) वांछित सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(5) परिचालक पद पर हायर सैकण्डरी उत्तीर्ण से कम योग्यता रखने वाले केवल ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है जो कि पूर्व में विस्थापित बस मालिकों के कर्मचारी रहे हैं। अब न्यूनतम योग्यता सैकण्डरी कर दी गई है।

List showing the number of Scheduled Tribes candidates Working in the Rajasthan State Road Transport Corporation.

S.No	Name of the cadre	No. of ST candidates employed/working
1.	Subordinate and supervisory staff.	70
2.	Ministerial services	27
3.	Mechanical staff	8
4.	Class 4th service	[illegible]4

(148)

दिनांक 5-12-75 को उदयपुर साक्षात्कार में परिचालक पद हेतु चयन किये गये व्यक्तियों की चयन सूची

क्र.सं.	नाम व पिता का नाम	शैक्षणिक योग्यता	विशेष विवरण
1	2	3	4
1.	श्री गोरधनलाल नगारची पुत्र श्री नाथू जी	हायर सैकण्डरी	
2.	श्री जमनालाल पुत्र श्री गणेशी लाल	प्रथमा	अनु सू. जाति।प्रथमा परीक्षा सैकण्डरी के समकक्ष होने के प्रमाणीकरण के आधार पर।
3.	श्री लालूराम पुत्र श्री उदयराम	सैकण्डरी	अनु.सू. जाति का प्रत्याशी।
4.	श्री नाथूलाल धोबी पुत्र श्री ओंकार	सैकण्डरी	अनु. जाति।
5.	श्री गेरोलाल लबाना पुत्र श्री गौत्तमजी	सैकण्डरी	अनु. जन जाति।
6.	श्री चुन्नीलाल खटीक	सैकण्डरी	अनु. जाति।
7.	श्री असरार मोहम्मद पुत्र श्री अजीतसिंह	नवीं पास	विस्थापित।
8.	श्री गोपालसिंह पुत्र श्री मन्नालाल	सैकण्डरी	( )
9.	श्री कृष्णचन्द्र व्यास पुत्र श्री मोहनलाल	सैकण्डरी	विस्थापित।
10.	श्री कृष्णचन्द्र पुत्र श्री राधेलाल	मिडिल पास	विस्थापित।
11.	श्री भैंरोलाल पुत्र श्री चमनलाल	मिडिल पास	विस्थापित।
12.	श्री गौरीशंकर आचार्य	प्रथम वर्ष टी.डी.सी.	
13.	श्री बृजगोपाल शर्मा	हा. सैकण्डरी	
14.	श्री सत्यनारायण पुरोहित	प्रथम वर्ष टी.डी.सी.	
15.	श्री रामेश्वर अहीर	हा. सैकण्डरी	
16.	श्री दिनेशचन्द पालीवाल	बी.ए.	
17.	श्री कमलेश्वरप्रसाद व्यास	बी.ए.	
18.	श्री गुलाब नबी लड्ढा	हा. सैकण्डरी	
19.	श्री देवीलाल बाफना	"	
20.	श्री भंवरलाल पुत्र मांगीलाल	पी. यू. सी.	

1	2	3	4
21.	श्री मानसिंह भाटी	हा. सैकण्डरी	
22.	श्री रमेशचन्द्र पुत्र शंकरलाल	,,	
23.	श्री श्यामलाल शर्मा	,,	
24.	श्री सुशीलकुमार आचार्य	,,	
25.	श्री अमरसिंह राणावत	,,	
26.	श्री लहरीलाल महता	,,	
27.	श्री गोपालकृष्ण व्यास	बी. काम.	
28.	श्री किशनसिंह झाला	पी. यू. सी.	
29.	श्री रमेशचन्द्र	बी. काम.	
30.	श्री कौशल किशोर	हायर सैकण्डरी	
31.	श्री कैलाश गोयल	पी. यू. सी.	
32.	श्री देवीलाल	हायर सैकण्डरी	
33.	श्री जगन्नाथसिंह	प्रथम वर्ष टी.डी.सी.	
34.	श्री जाकिम हुसैन	हायर सैकण्डरी	
35.	श्री नन्दलाल	,,	
36.	श्री सम्पतलाल	,,	
37.	श्री महावीरसिंह	प्रथम वर्ष टी.डी.सी.	
38.	श्री सुनील कुमार	हायर सैकण्डरी	
39.	श्री शंकरसिंह	,,	
40.	श्री कमलाशंकर बेनारिया	,,	
41.	श्री चन्द्रप्रकाश व्यास	,,	
42.	श्री सुरेशचन्द्र शर्मा	उपाध्याय	
43.	श्री किशनलाल तेली	हायर सैकण्डरी	
44.	श्री दौलतराम माली	,,	
45.	श्री हेमेन्द्र कुमार जैन	पी. यू. सी.	
46.	श्री अब्दुल गनी	सैकण्डरी	

(150)

दिनांक 6-12-75 डूंगरपुर में हुए परिचालक के साक्षात्कार की पेनल लिस्ट

क्रम सं.	नाम	योग्यता	विशेष विवरण
(1)	श्री वासुदेव	सैकण्डरी	अनुसूचित जन जाति
(2)	श्री अमृतलाल रोट	हायर सैकण्डरी	अनुसूचित जन जाति
(3)	श्री शान्तिलाल परमार	हायर सैकण्डरी	
(4)	श्री महेन्द्रसिंह	सैकण्डरी	विस्थापित
(5)	श्री सत्यनारायण	नवीं पास	विस्थापित
(6)	श्री भगवती शंकर	हायर सैकण्डरी	
(7)	श्री जयन्ती लाल पुत्र हीरालाल	हायर सैकण्डरी	
(8)	श्री गोविन्दराम पाटीदार	हायर सैकण्डरी	
(9)	श्री केशरी सिंह	बी.ए.	
(10)	श्री दलपतराम	हायर सैकण्डरी	
(11)	श्री दिलिप कुमार	सैकण्ड ईयर, टी.डी.सी.	
(12)	श्री गजेन्द्र सिंह	प्रथम वर्ष, टी.डी.सी.	
(13)	श्री भानजी पाटीदार	पी.यू.सी.	
(14)	श्री भगवती लाल	हायर सैकण्डरी	
(15)	श्री मान सिंह	हायर सैकण्डरी	
(16)	श्री हजारी लाल	हायर सैकण्डरी	
(17)	श्री रमनलाल पाटीदार	हायर सैकण्डरी	
(18)	श्री मोहन लाल त्रिवेदी	हायर सैकण्डरी	
(19)	श्री रमन लाल सुथार	हायर सैकण्डरी	
(20)	श्री रमन लाल मेहता	हायर सैकण्डरी	
(21)	श्री धनराज पाटीदार	हायर सैकण्डरी	
(22)	श्री मोहम्मद असलम खांन	हायर सैकण्डरी	
(23)	श्री देवीलाल पुत्र गौतम जी	हायर सैकण्डरी	

(151)

लेखाकारों की पदोन्नतियां

122. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में लेखाकार एवं सहायक लेखाधिकारियों के कितने पद रिक्त पड़े हुए हैं ? ये पद कब से रिक्त हैं और क्यों ?

(2) क्या उपरोक्त पदों को भरने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) क्या यह सही है कि लेखाकार से सहायक लेखाधिकारी के पद पर पदोन्नत होने के लिए नियमानुसार योग्य होने के बावजूद कुछ लेखाकारों को इस पदोन्नति से वंचित रखा गया है ? यदि हां, तो उन्हें किन किन कारणों से पदोन्नति से वंचित रखा गया दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(4) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने 4-12-75 को एक परिपत्र जारी किया है जिसके अनुसार यह हिदायत दी गई है कि सी. सी. ए. रूल्स, 1958 के नियम 17 के तहत कार्यवाही चलते हुए किसी कर्मचारी की पदोन्नति को न रोका जावे ?

(5) क्या यह सही है कि मुख्य लेखाधिकारी द्वारा उक्त हिदायत की अवहेलना की गई है ?

उत्तर

(1) राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में लेखाकारों एवं सहायक लेखाधिकारियों के रिक्त पदों के सम्बन्ध में वांछित सूचना निम्न प्रकार है :—

1. सहायक लेखाधिकारी—

दिनांक 29-2-76 को सहायक लेखाधिकारियों के 13 पद रिक्त थे, जिनके विवरण निम्न प्रकार हैं :—

1.	माह अक्टूबर 1975 से	2
2.	माह दिसम्बर 1975 से	5
3.	माह जनवरी 1976 से	2
4.	माह फरवरी 1976 से	4
	योग	13

(2) राज्य सरकार द्वारा प्रसारित नियमों के अनुसार सहायक लेखाधिकारियों के पद लेखाकार संवर्ग से केवल "योग्यता" के आधार पर लेखाकारों का चयन कर भरने का प्रावधान है । अतः नियुक्ति अधिकारी ने अल्पावधि के लिए "तदर्थ" आधार पर पदोन्नति न कर, विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक बुलाने की कार्यवाही की है । गत दो माह से तदर्थ आधार पर कोई पदोन्नति नहीं की है ।

(3) इस समय लेखाकारों के 105 पद रिक्त हैं – योग्य अभ्यार्थियों के उपलब्ध न होने के कारण, रिक्त पद नहीं भरे जा सके । जी हां । सहायक लेखाधिकारी के रिक्त पद लेखाकार संवर्ग से केवल 'योग्यता' के आधार पर लेखाकारों का चयन कर भरने का प्रावधान है । रिक्त पदों को भरने लिए योग्य व्यक्तियों के चयन हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक माह अप्रेल 1976 में आयोजित करने हेतु मुख्य लेखाधिकारी द्वारा

(वित्त मंत्री)

अपने पत्र क्रमांक 6999–7000 दिनांक 25-2-76 से राजस्थान लोक सेवा आयोग को निवेदन किया जा चुका है। राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम, 1963 के अनुसार लेखाकार संवर्ग में रिक्त पद कनिष्ठ लेखाकार संवर्ग से पदोन्नति द्वारा एवं सीधी भर्ती द्वारा 2:1 के अनुपात में भरने का प्रावधान है। मात्र कनिष्ठ लेखाकार उपलब्ध नहीं होने के कारण सभी रिक्त पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने हैं। सीधी भर्ती के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा माह अगस्त 1975 में आयोजित परीक्षा में केवल 62 अभ्यार्थी सफल हुये। इस परीक्षा का परिणाम माह दिसम्बर 75 के अन्त में प्राप्त हुआ था। रिक्त पदों की संख्या को देखते हुये मुख्य लेखाधिकारी ने अपने अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या 444 दिनांक 3-1-76 के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग को 150 पदों के लिये सीधी भर्ती करने के लिये शीघ्र परीक्षा का आयोजन करने हेतु निवेदन कर दिया है।

(4) जी हां। पदोन्नति से वंचित रखे गये लेखाकारों की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है। इस सूची में प्रत्येक व्यक्ति के सामने उसे पदोन्नति से वंचित रखने के कारण दिये हैं।

(5) जी नहीं। प्रश्न 4 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक 4-12-75 द्वारा प्रसारित निर्देश विभागीय पदोन्नति समिति के मार्ग-दर्शन हेतु है। फिर भी मुख्य लेखाधिकारी ने अपने पत्र क्रमांक 6890 दिनांक 24-2-76 के द्वारा राज्य सरकार के कार्मिक विभाग से स्पष्टीकरण मांगा था, कार्मिक विभाग के पत्र क्रमांक प. 10 (I) कार्मिक/(क-II) 75 दिनांक 5-3-76 के द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार दिनांक 4-12-75 का परिपत्र केवल विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा नियमित चयन के लिये ही है। अतः मुख्य लेखाधिकारी द्वारा उक्त आदेशों की अवहेलना किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

पदोन्नति से वंचित रखे गये लेखाकारों की सूची

1. श्री रामजी लाल जैन	श्री जैन के विरुद्ध सी. सी. ए. रूल्स 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत विभागीय जांच चल रही थी। अतः कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ. 1(16) नियुक्ति (ए-II) 67 दिनांक 12-6-72 एवं 27-7-72 के आधार पर उनको पदोन्नति का लाभ नहीं दिया गया। श्री जैन दिनांक 1-10-75 से सेवा निवृत्त हो चुके हैं।
2. श्री गोपीचन्द जाग्रेत	श्री जाग्रेत को विभागीय पदोन्नति समिति ने जिसकी बैठक माह अप्रेल, 75 में हुई थी, पदोन्नति के लिए योग्य नहीं माना था। अतः पदोन्नति नहीं की गई।
3. श्री चांदमल विजय	श्री विजय के विरुद्ध सी. सी. ए. रूल्स 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही चल रही है। विभागीय पदोन्नति समिति, जिसकी बैठक माह अप्रेल, 1975 में हुई थी, ने श्री विजय के चयन के नतीजे को बन्द लिफाफे में रखा है। चूंकि अभी तक इनके मामले में अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है, अतः पदोन्नति नहीं की गई।
4. श्री कुलदीप सिंह	माह जून एवं जुलाई, 1975 (प्रथम सप्ताह) में जब श्री कुलदीप सिंह, लेखाकार की पदोन्नति का प्रश्न आया था उस समय वे 5 वेतन वृद्धि रोके जाने के दण्ड से दण्डित थे, और इसलिये कार्मिक विभाग के पत्र क्रमांक एफ. 1(16) नियुक्ति/ए-II/67 दिनांक 12-6-72 में दिये गये निर्देशों को ध्यान में रखते हुए उनकी पदोन्नति नहीं की गई। श्री कुलदीप सिंह द्वारा इस विभाग के आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार के वित्त विभाग को प्रस्तुत अपील पर हुए निर्णय प. 2 (59) वित्त (राज. सेवा-1) 74/2403-04 दिनांक 3-7-75 के फलस्वरूप श्री कुलदीप सिंह लेखाकार फिर पदोन्नति के पात्र हो गये थे। लेकिन नियुक्ति अधिकारी ने उनको पदोन्नति के लिए उपयुक्त नहीं पाया। अब अन्य eligible लेखाकारों के साथ इनका मामला भी पदोन्नति समिति के सामने रखा जायगा।

(154)

विश्नोई बस्ती वाले गांवों में हिरणों की शिकार बंदी

123. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि राजस्थान में विश्नोई बस्ती वाले गांवों में अभी तक हिरण की शिकार बन्दी कानूनन नहीं की गई है? अगर हां, तो क्यों?

(2) क्या राज्य सरकार विश्नोई बस्ती प्रधान गांवों में हिरणों की सेन्चुअरी कायम करने का विचार रखती है? अगर हां, तो इस प्रकार की सेन्चुअरी कब तक स्थापित कर दी जायेगी?

(3) क्या यह सत्य है कि हरियाणा एवं पंजाब राज्य सरकारों ने हिरणों की शिकारबन्दी विश्नोई जन संख्या वाले गांवों में कर दी है? अगर हां, तो इसी प्रकार राजस्थान में शिकारबन्दी कब तक करदी जायेगी?

उत्तर

(1) जी नहीं। वाईल्ड लाईफ (प्रोटेक्शन) एक्ट, 1972 सम्पूर्ण राजस्थान में दिनांक: 1-9-1973 से प्रभावित है जिसके अन्तर्गत हिरणों के शिकार पर भी प्रतिबन्ध लगा हुआ है।

(2) जी नहीं, परन्तु इन क्षेत्रों को वाइल्ड लाईफ (प्रोटेक्शन) एक्ट, 1972 की धारा 37 के अन्तर्गत बंद क्षेत्र घोषित करने की कार्यवाही विचाराधीन है।

(3) इसकी जानकारी सरकार को नहीं है। राजस्थान में वाइल्ड लाईफ (प्रोटेक्शन) एक्ट, 1972 के सेक्शन 16 के अन्तर्गत सभी प्रकार के शिकार जिनमें हिरण भी शामिल हैं पर दिनांक 12-11-76 तक के लिए रोक लगी हुई है।

भेड़ व ऊन सुपरवाइजर दौसा के विरुद्ध शिकायतें

124. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा): क्या भेड़ व ऊन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) श्री पुरुषोत्तम दास ओझा (पी. डी. ओझा) जो वर्तमान में भेड़ व ऊन केन्द्र दौसा में सुपरवाइजर के पद पर कार्य कर रहे हैं, वे किस तिथि को सरकारी सेवा में आये?

(2) उक्त श्री ओझा राज्य सेवा में आने के बाद अब तक किस किस स्थान पर व किस किस पद पर रहे?

(3) उक्त सेवा काल में श्री ओझा के विरुद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं और उन पर क्या कार्यवाही हुई?

(4) आज तक श्री ओझा के विरुद्ध कितनी डी. ई. चल रही हैं? जांच कार्य पूर्ण होने में विलम्ब का क्या कारण है?

(5) क्या श्री ओझा के विरुद्ध सरकारी राशि की वसूली (Recovery) का मामला भी चल रहा है? यदि हां, तो किस बाबत व कितनी राशि का? उनसे राशि वसूल की गयी अथवा नहीं? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों?

(श्री मूलचन्द सामरिया)

(6) क्या श्री ओझा द्वारा भेड़ व ऊन विभाग में ऊन की खरीद की गई ? यदि हां, तो कब व किस स्थान पर ?

(7) क्या उक्त अवधि में श्री ओझा ने सरकारी नियमों के विरुद्ध थानागाजी से चल कर दौसा में ऊन खरीदी ? यदि हां, तो कब, कितनी किस किस भाव में व किस किस व्यक्ति से ?

(8) क्या इस सम्बन्ध में उन के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) दिनांक 1–9–65 को।

(2) सूचना 'अ' संलग्न है।

(3) विवरण 'ब' संलग्न है।

(4) सूचना 'स' संलग्न है।

(5) जी हां, वसूली की नियमानुसार कार्यवाही जारी है। सूचना तालिका 'द' में संलग्न है।

(6) जी हां। सूचना तालिका 'क' में संलग्न है।

(7) जी हां। सूचना तालिका 'ख' में संलग्न है।

(8) कार्यवाही की जा रही है।

सूचना 'अ'

श्री पुरुषोत्तम दास ओझा, भेड़ व ऊन प्रसार अधिकारी, दौसा के पदस्थापन के सम्बन्धी सूचना:–

(1)	सहायक पशु शल्य चिकित्सक, छोटीसादड़ी	1–9–65 से 12–9–66
(2)	भेड़ व ऊन प्रसार अधिकारी, सोजत	13–9–66 से 15–7–68
(3)	भेड़ व ऊन प्रसार अधिकारी, सवाई माधोपुर	16–7–67 से 2–3–69
(4)	भेड़ व ऊन प्रसार अधिकारी, निवाई	3–3–69 से 6–5–70
(5)	भेड़ व ऊन प्रसार अधिकारी, खुडी	7–5–70 से 23–6–71
(6)	भेड़ व ऊन प्रसार अधिकारी, मालपुरा	24–6–71 से 12–6–73
(7)	भेड़ व ऊन प्रसार अधिकारी, थानागाजी	13–6–73 से 1–7–75
(8)	भेड़ व ऊन प्रसार अधिकारी, दौसा	2–7–75 से.......

(156)

विवरण 'ब'

क्र.सं.	शिकायत कब प्राप्त हुई	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायत का विषय	कार्यवाही जो की गई
(1)	15-5-70	जिला भेड़ व ऊन अधिकारी, जयपुर	यात्रा भत्ता बिल फाड़ने के सम्बन्ध में।	कार्मिक विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा जांच जारी है।
(2)	6-9-75	भेड़ पालक दौसा सुबराम आदि	दवाई न देना अप शब्द कहना, छूआछूत।	जिला अधिकारी, जयपुर से प्राथमिक जांच कराई गई।
(3)	10-9-75	भेड़ पालक, दौसा बिरधीचन्द आदि।	रेवड़ों को न देखना दवाई न देना, रोग बतलाना, कृत्रिम गर्भाधान कार्य न करना, अपशब्द, गैर हाजरी, भेड़ देखने की फीस मांगना, शराब पीना आदि।	जांच रिपोर्ट के आधार पर जनपद सेवा नियम 17 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।
(4)	25-11-75	श्री शन्नूखां, दौसा	मजदूरी का भुगतान न करना आदि।	शिकायत सही नहीं पाई गई।
(5)	18-10-75	श्री प्रभातराम पुत्र श्री सोहनलाल खटीक	दवा न देने एवं दवा बेचने बाबत।	विभागीय जांच जारी है।

विवरण 'स'

श्री पुरुषोत्तम दास ओझा के विरुद्ध चल रही विभागीय जांच का विवरण

क्र.सं.	विषय	कहां चल रही है	कब से चल रही है	क्या स्थिति है।
(1)	यात्रा भत्ता बिलों को फाड़ने के सम्बन्ध में।	राज्य सरकार के कार्मिक (क-3) विभाग	7-6-75	जनपद सेवायें नियम 17 का नोटिस दिया गया है। कार्यवाही जारी है।
(2)	ऊन की क्षति	निदेशालय भेड़ व ऊन विभाग।	9-3-76	जनपद सेवायें नियम 17 का नोटिस जारी हो गया है।

तालिका 'द'

ऊन खरीद के विषय में वसूलियां

क्र. सं.	केन्द्र का नाम जहां से ऊन क्रय की गई	क्लिप का नाम	ऊन क्रय की गई	ऊन खरीद में क्षति की राशि की वसूली का विवरण
(1)	प्रसार केन्द्र, निवाई	सितम्बर, 69 क्लिप	5164–950 कि. ग्राम	ऊन खरीद में निर्धारित सीमा से 45–000 किलोग्राम ऊन की अधिक कमी होने के कारण उसकी कीमत रु. 154.70 पैसों की वसूली के आदेश दिनांक 4–7–72 को दिये गये, जिसके क्रम में श्री ओझा ने प्रतिवेदन किया उस पर जिला भेड़ व ऊन अधिकारी, जयपुर से टिप्पणी चाही गई है।
(2)	प्रसार केन्द्र, थानागाजी	मार्च, 74 क्लिप	25243–850 ,,	ऊन खरीद में निर्धारित सीमा से 303.700 किलोग्राम ऊन की अधिक कमी के कारण रु. 2586–63 पैसों की वसूली का नोटिस निदेशालय के पत्र क्रमांक 12773-74 दिनांक 9-3-76 द्वारा राजस्थान जनपद सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं पुनरावेदन) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत दिया गया है।

अग्रिम यात्रा भत्ता और अग्रिम वेतन की वसूलियां

क्रम संख्या	दिनांक जिस दिन कोष से राशि उठाई गई	अग्रिम रकम जो महालेखाकार कार्यालय के अनुसार बकाया है	विवरण
(1)	27-5-70	300.00	स्थानान्तरण पर यात्रा अग्रिम
(2)	23-6-71	335.00	स्थानान्तरण पर यात्रा अग्रिम
(3)	19-8-72	250.00	यात्रा भत्ता अग्रिम
(4)	9-6-73	125.00	शेष राशि (वेतन)
		250.00	स्थानान्तरण पर यात्रा अग्रिम
(5)	1-3-75	600.00	यात्रा भत्ता अग्रिम

तालिका क

क्र.सं.	कल्पन का मौसम जिस में ऊन क्रय की गई	प्रसार केन्द्र जहां कार्यरत थे/जहां ऊन क्रय की
1.	सितम्बर 1966	भेड़ व ऊन प्रसार केन्द्र, सोजत
2.	मार्च 1967	भेड़ व ऊन प्रसार केन्द्र, सोजत
3.	सितम्बर 1967	भेड़ व ऊन प्रसार केन्द्र, सोजत
4.	मार्च 1968	भेड़ व ऊन प्रसार केन्द्र, सोजत
5.	सितम्बर 1969	भेड़ व ऊन प्रसार केन्द्र, निवाई
6.	मार्च 1970	भेड़ व ऊन प्रसार केन्द्र, निवाई
7.	मार्च 1971	भेड़ व ऊन प्रसार केन्द्र, खुड़ी
8.	सितम्बर 1971	भेड़ व ऊन प्रसार केन्द्र, मालपुरा
9.	मार्च 1973	भेड़ व ऊन प्रसार केन्द्र, मालपुरा
10.	सितम्बर 1973 से फरवरी 74	भेड़ व ऊन प्रसार केन्द्र, थानागाजी व दौसा
11.	मार्च 74 से अगस्त 74	भेड़ व ऊन प्रसार केन्द्र, थानागाजी व दौसा
12.	सितम्बर 1974	भेड़ व ऊन प्रसार केन्द्र, थानागाजी

तालिका ख

क.सं.	दिनांक	नाम व्यक्ति	निवास	ऊन क्रय की मात्रा	दर	कुल राशि
1.	4-12-73	रेवड़ पुत्र रामदेव	दौसा	230-000 किलोग्राम	12.25	2817.50
2.	12-12-73	सुगरा पुत्र नानगराम	मौरा	784-000 ,,	12.15	9525.60
3.	18-12-73	रामनारायण पुत्र लक्ष्मण	गुढ़ा कटला	236-000 ,,	12.50	2950.00
4.	,,	चिरंजीलाल पुत्र रेवड़राम	,,	160-000 ,,	12.50	2000.00
5.	,,	चन्दाराम पुत्र भोरीलाल	,,	262-250 ,,	12.75	3343.68
6.	27-12-73	नारायण पुत्र चुन्नीलाल खटीक	दौसा	579-500 ,,	11.67	6661.25
7.	21-6-74	श्री लीलाराम पुत्र श्री डूंगर राम	गढ़मौरा	509-000 ,,	11.75	5980.75
8.	5-7-74	श्री प्रभाती पुत्र श्री भूरा खटीक	दौसा	456-000 ,,	11.54	5262.24
9.	9-7-74	श्री रामचन्द्र पुत्र श्री हरसाय	भांडारेज	67-510 ,,	11.75	793.12
				3284-250 किलोग्राम		39337.14

नसीराबाद नगर में फूड इन्सपेक्टर की पावर

125. श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद):क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नसीराबाद नगर में निदेशक, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग, राजस्थान ने श्री महेन्द्र प्रसाद जैन को फूड इन्सपेक्टर की पॉवर दे रखी है ?

(2) क्या यह भी सही है कि श्री महेन्द्र प्रसाद जैन को जो अधिकार दिये गये थे वे दिनांक 30 जनवरी, 1976 को समाप्त हो गये ? यदि हां, तो क्या ये पावर श्री महेन्द्र प्रसाद जैन को न देकर पूर्व की तरह मिलिट्री के स्वास्थ्य अधिकारी को देने का राज्य सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) दिनांक 1 फरवरी, 1976 को अवधि समाप्त होने पर पुनः 12 फरवरी, 1976 को अधिकार दे दिये गये हैं। मिलिट्री के स्वास्थ्य अधिकारी को भी शक्तियां देने का मामला विचाराधीन है।

जयपुर नगर में देशी शराब की दुकानों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को अवकाश

126. श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गंगानगर शुगर मिल की देशी शराब की जयपुर नगर में कितनी दुकानें हैं और उन दुकानों पर कुल कितने कर्मचारी काम करते हैं ?

(2) क्या इन दुकानों पर कोई साप्ताहिक अवकाश होता है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) क्या यह सच है कि उक्त दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों को कोई साप्ताहिक, आकस्मिक, या उपार्जित अवकाश नहीं मिलता है ? क्या उन्हें केवल अवैतनिक अवकाश ही दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) राज्य सरकार ने इन कर्मचारियों को अवकाश आदि के अधिकारों से वंचित क्यों कर रखा है ?

उत्तर

(1) गंगानगर शुगर मिल्स द्वारा जयपुर नगर में देशी शराब की 21 दूकानें एवं उप दुकानें चलाई जा रही हैं। तथा इन दुकानों पर 75 कर्मचारी काम करते हैं।

(2) जी नहीं। राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 तथा राजस्थान आबकारी नियमों के अन्तर्गत देशी शराब की दुकानों के लिए जारी किये गये लाईसेन्सों के अनुसार देशी शराब की दुकानें केवल शुष्क दिवसों को ही बन्द की जाती हैं।

(3) देशी शराब की दुकानों पर कार्य कर रहे स्थायी कर्मचारियों को जिन्हें कम्पनी के अन्य यूनिट्स से स्थानान्तरित किया गया है, कम्पनी के नियमानुसार आकस्मिक एवं उपार्जित अवकाश दिया जाता है। अन्य कर्मचारी जिनकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी आधार पर की गई है, कम्पनी के नियमों के अनुसार एक वर्ष की सेवा अवधि में 15 दिन के आकस्मिक अवकाश तथा एक वर्ष की सेवा

(आबकारी मंत्री)

पूर्ण करने के पश्चात् ही एक माह का उपार्जित अवकाश लेने के हकदार होते हैं। जहां तक साप्ताहिक अवकाश का प्रश्न है दुकानों पर मदिरा के स्टाक्स के चार्ज को लेने देने में होने वाली कठिनाईयों के कारण इन कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश नहीं दिया जा सका है जिसकी एवज में उन्हें नियमों के अनुसार अतिरिक्त पारिश्रमिक का भुगतान कर दिया जावेगा। ऐसे कर्मचारी जिन्हें अवैतनिक अवकाश स्वीकृत कर दिया गया है, उन्हें भी उपरोक्त नियमानुसार सवैतनिक आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने के आदेश दे दिये गये हैं।

(4) जैसा प्रश्न संख्या 3 के उत्तर से स्पष्ट है, देशी शराब की दुकानों पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को कम्पनी ने अवकाश आदि के अधिकारों से वंचित नहीं कर रखा है।

आयुर्वेद विभाग में कार्यरत धात्रियों की सेवा मुक्ति

127. श्री जेठमल आर्य (बरवड़): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि आयुर्वेद विभाग द्वारा 3 वर्ष से 10 वर्ष तक की कार्यरत 60 कल्पद्धात्रियों को अचानक ही सेवा से पृथक कर दिया गया है? यदि हां, तो 1-2-76 को राजस्थान में किस किस को सेवा से पृथक किया गया तथा उनकी नियुक्ति किस किस तारीख को हुई थी? नाम एवं जिलावार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि 1-2-76 को सेवा से पृथक की गई कल्पद एवं धात्रियों में से लगभग 40 विधवायें एवं असहाय हैं और वे नियमानुसार प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी हैं? यदि हां, तो इस महिला वर्ष में इन महिलाओं को क्यों हटाया गया?

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान सेवा नियम के अनुसार दो वर्ष की सेवा पूर्ण होने के पश्चात् राज्य कर्मचारी स्वतः ही स्थाई हो जाता है तो इन्हें तीन वर्ष से अधिक का सेवा काल होने पर भी सब्स्टीट्यूट क्यों और किस नियम से माना गया?

(4) क्या यह सही है कि उक्त 60 कल्पद धात्रियों को एक फरवरी से सेवा से पृथक करने के पश्चात् नयी नियुक्तियां की गई हैं? यदि हां, तो कितनी, जिलावार सूची सदन की मेज पर रखें और उन्हें किस वेतन श्रृंखला में रखा गया है और पूर्व कार्यरत को कितना वेतन दिया जाता था?

(5) क्या यह सही है कि उक्त साठ धात्रियों को हटाने से पूर्व नियमानुसार नोटिस नहीं दिया जब कि इनकी राजकीय नियमानुसार बीमा राशि काटी जाती रही है और वेतन वृद्धियां भी बराबर दी जाती रही हैं? यदि हां, तो इन्हें सब्स्टीट्यूट किस नियम के तहत माना गया?

(6) क्या यह सही है कि उक्त सभी अस्थाई धात्रियों को नियमों का ध्यान नहीं रखते हुए सेवा से पृथक कर दिया गया है? यदि हां, तो इसके लिये कौन दोषी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है तथा इन सभी धात्रियों को कब से कार्य पर लिया जा रहा है?

उत्तर

(1) यह सही है कि 57 कल्पद धात्रियों की जो लीव रिजर्व पदों के विरुद्ध कार्य कर

Page No 163

(आयुर्वेद मंत्री)

रहे थे, ऐसे 60 पद समाप्त होने पर दिनांक 1-2-76 से, राज्य सेवा से पृथक कर दिया गया था। इनके बारे में विस्तृत सूचना की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है। इनमें से 52 को तो वापिस सेवा में भी लिया गया है। केवल 5 ऐसे कल्पद-धात्री हैं जो राज्य सेवा में लिये जाने के समय निर्धारित योग्यता नहीं रखते थे। उनके मामलों पर भी अब विचार कर लिया गया है और नियमों में शिथिलता देकर इनको भी वापिस सेवा में लेने का निर्णय ले लिया गया है। दिनांक 1-2-76 से उनके चार्ज लेने की तिथि तक के समय को भी अवकाश मानकर नियमित कर दिया जावेगा। तदनुसार निदेशक, आयुर्वेद विभाग को आदेश प्रसारित करने के लिये लिख दिया गया है।

(2) अब सभी को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, सेवा में रख लिया गया है, आगे का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) केवल 2 वर्ष की सेवा करने से ही कोई कर्मचारी स्थाई नहीं हो जाता। स्थाईकरण के लिए स्थाई पद रिक्त होना आवश्यक है।

(4) जी नहीं।

(5) जी हां। मितव्ययता के कारण राज्य सरकार के वित्त विभाग ने 16-1-76 को यह निर्णय लिया कि 1-2-76 से यह पद कम कर दिये जायें। निदेशक ने यह सोचा कि यह लीव रिजर्व की सब्स्टीट्यूट जगह है जिन पर काम कर रहे व्यक्तियों को हटाने के लिए नोटिस की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिये नोटिस नहीं दिया गया। बाद में कार्मिक विभाग की राय लेकर यह निर्णय लिया गया कि जगहों में कमी के कारण यदि आवश्यकता हो तो कनिष्ठतम व्यक्तियों को ही निकाला जाना चाहिए, चाहे वह नियमित जगहों के विरुद्ध नियुक्त हुए हों या लीव रिजर्व पदों के विरुद्ध। तदनुसार सभी व्यक्तियों को वापिस सेवा में लेने के आदेश प्रसारित कर दिये गये और बीच के समय को अवकाश मान लिया गया।

(6) इसमें जान-बूझकर गलती किसी ने नहीं की है। यह नियमों के गलत इन्टरप्रिटेशन की बात है और इसमें किसी का दोष नहीं है अतः किसी के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

सस्टीटयूट/कल्पद/छात्रियों की नामावला

क. सं.	नाम कल्पद/धात्री	योग्यता	नियुक्ति दि.	वर्तमान पदस्थापन स्थान	निर्धारित योग्यता रखते हैं या नहीं
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीमती पदमचंद जैन	मिडिल अंट्रेन्ड	28–4–65	'अ' श्रेणी अजमेर	हां
2.	,, यशोदा देवी	,, ,,	28–2-66	ईंटाली (उदयपुर)	हां
3.	,, गीता देवी	बि. विनो.	3–66	'अ' श्रेणी	हां
4.	,, त्रिलोक चन्द	मिडिल ,,	20–4–66	मडावर स. माधोपुर	हां
5.	,, कंचन देवी पारासर	मिडिल ,,	26–4–66	मदनगंज किशनगढ़	हां
6.	,, शकुन्तला देवी	वि. वि. अनट्रेन्ड	7–66	ब्रह्मपुरी जयपुर	हां
7.	,, रमा देवी पालीवाल	मिडिल अनट्रेन्ड	21–11–66	झाडोल (भीलवाड़ा)	हां
8.	,, सावित्री देवी	,, ,,	6–1–67	सरदारगढ़ उदयपुर	नहीं
9.	,, लक्ष्मी देवी	,, ,,	1–67	'ब' श्रेणी ब्यावर	नहीं
10.	,, शारदा देवी	ट्रेन्ड	16–6–68	राजाखेड़ा (भरतपुर)	हां
	(दिनांक 1–7–68 से 26–7–72 तक अनुपस्थित)				
11.	,, रुकमा देवी	ट्रेन्ड	2–4–70	'अ' श्रेणी/जोधपुर खाण्डा फसला	हां
12.	,, प्रेमलता शर्मा	,,	6–4–70	कालेज, जयपुर	हां
13.	,, हांसी देवी	,,	8–4–70	मदनगंज किशनगढ़	हां
14.	,, राजदेवी शर्मा	,,	8–4–70	भापोत (अलवर)	हां

1	2	3	4	5	6
15.	श्रीमती सुमित्रा देवी	,,	8–4–70	कौलिया (नागौर)	हां
16.	,, राधा देवी बिस्सा	,,	10–4–70	बगड़ (झुन्झुनू)	हां
17.	,, जीवनलता	,,	14–4–70	'अ' श्रेणी जोधपुर	हां
18.	,, पार्वती देवी	,,	14–4–70	होम्योपैथिक बापू नगर जयपुर	हां
19.	,, प्रेमलता माथुर	,,	17–4–70	'अ' श्रेणी जोधपुर	हां
20.	,, बिमला देवी शर्मा	,,	25–4–70	साखना (टोंक)	हां
21.	,, कौशल्या देवी	,,	4–5–70	'अ' श्रेणी जोधपुर	हां
22.	,, सावित्री देवी चौहान	,,	1–6–70	'अ' श्रेणी अलवर	हां
23.	,, अनूप शर्मा	,,	4–6–70	सुमेरगंज मंडी (कोटा)	हां
24.	,, जमना देवी शर्मा	,,	20–8–70	टेकरी (उदयपुर)	हां
25.	,, कुन्ती देवी शर्मा	,,	23–8–70	घोड़न्दा (उदयपुर)	हां
26.	,, मनोरमा देवी	,,	8–9–70	सिन्धी बाजार उदयपुर	हां
27.	,, रुकसाना प्रवीन	,,	1–11–70	'अ' श्रेणी यूनानी टोंक	हां
28.	,, रूप कंवर लोढ़ा	,,	21–11–70	'ब' श्रेणी जोधपुर	हां
29.	,, अलकांता देवी	,,	24–12–70	सेमलिया घाटा (डूंगरपुर)	हां
30.	,, सुमन ओझा	,,	22–10–71	मदनगंज किशनगढ़	हां
31.	,, देवकिशनी अरोड़ा	,,	24–10–71	'अ' श्रेणी यूनानी टोंक	हां
32.	,, सीता देवी	,,	28–10–71	सिहासन सीकर	हां

1	2	3	4	5	6
33.	श्रीमती घनश्याम प्यारी	ट्रेन्ड	31—10—71	जगदम्बा, जोधपुर	हां
34.	,, रतनकुमारी शर्मा	,,	1—11—71	मावली उदयपुर	हां
35.	,, सुमित्रा देवी मिश्रा	,,	22—11—71	'म' श्रेणी भरतपुर	हां
36.	,, कंचन कुमारी	भिष ग्वर	7—5—72	'म' श्रेणी बीकानेर	हां
37.	,, विमला देवी शर्मा	ट्रेण्ड	19—6—72	खिलचीपुर (स. माधोपुर)	हां
38.	चम्पा देवी शर्मा	,,	16—6—72	प्रतापगढ़ 'म' श्रेणी	हां
39.	,, विमला देवी शर्मा	,,	19—6—72	मण्डामुरेरा (सीकर)	हां
40.	,, उर्मिला माहेश्वरी	,,	11—7—72	फूलिया (भीलवाड़ा)	हां
41.	,, गुलाबदेवी भाटी	,,	24—6—72	हरसोलाव (नागौर)	हां
42.	,, हेमलता शर्मा	,,	21—8—72	'म' श्रेणी अलवर	हां
43.	,, नरोत्तमलाल	डा.से.वै.वि.	11—72	सरमथुरा (भरतपुर)	हां
44.	,, कलावतीदेवी शर्मा	ट्रेण्ड	3—73	नाहरी का नाका (जयपुर)	हां
45.	,, चन्द्रकला देवी	,,	,,	यूमानी (चूरू)	हां
46.	,, मायादेवी गुप्ता	,,	24—3—73	'म' श्रेणी, धौलपुर	हां
47.	,, चन्द्र कान्ता देवी	,,	30—3—73	मामरू (जयपुर)	हां
48.	,, सुशीलादेवी शर्मा	,,	27—3—73	धानमण्डी (उदयपुर)	हां
49.	,, गणेशी देवी	,,	29—3—73	कुन्दयी (उदयपुर) कोठारिया	हां

1	2	3	4	5	6
50.	श्रीमती मन्दुलता देवी	,,	3–73	बड़ी सादड़ी (चित्तौड़)	हां
51.	,, विजयलक्ष्मी पाठक	,,	,,	होम्यो. बापूनगर (जयपुर)	हां
52.	,, हीरादेवी चौहान	,,	3–4–73	'ब' श्रेणी जोधपुर	हां
53.	,, मनोहर देवी	,,	1–4–73	काकड़ा (बीकानेर)	हां
54.	श्री राधेश्याम शर्मा	हा.सै.	31–3–73	'ब' श्रेणी धौलपुर	हां
55.	श्री शान्तिदेवी शर्मा	ट्रेण्ड	5–75	बलावड़ा (जालौर)	नहीं
56.	,, राजकुमारी शर्मा	,,	10–9–73	'ब' श्रेणी अजमेर	नहीं
57.	श्रीमती रतीराम	हा.सै.	8–10–73	खानपुर मेनान (अलवर)	नहीं

झालावाड़ जिले की नल योजना

128. श्री ओंकारलाल चौहान (डग): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) झालावाड़ जिले में 1973, 74, 75 तथा 76 में कितनी नल योजनायें स्वीकृत हुई हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें?

(2) उक्त योजनाओं पर इस जिले में कितनी धनराशि खर्च करने का प्रावधान रखा गया है?

(3) क्या जितनी योजनायें स्वीकार हुई हैं उन सब का कार्य प्रारम्भ हो गया है?

उत्तर

(1) वर्ष 73-74, 74-75 एवं 75-76 में स्वीकृत जल प्रदाय योजनाओं की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) प्रश्न 1 की सूची में उपरोक्त वर्षों में किया गया प्रावधान एवं खर्चा भी दिया गया है।

(3) वर्ष 75–76 में स्वीकृत 3 जल प्रदाय योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है।

प्रश्न संख्या एक की सूची

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग खण्ड, झालावाड़ (झालावाड़ जिला क्षेत्र) में सन् 73–74 से 75–76 तक स्वीकृत की गई योजनाओं की स्थिति

क.सं.	नाम योजना	अनुमानित लागत	स्वीकृत होने का वर्ष	बजट आवंटन 73–74	बजट आवंटन 74–75	बजट आवंटन 75–76	खर्चा 73–74	खर्चा 74–75	खर्चा 75–76 फरवरी 76 तक
1.	बकानी क्षेत्रीय	4,86,000	73–74	1,84,000	1,00000	1,50,000	1,89,139	1,03,013	1,29,660
2.	सरड़ा पी. एण्ड टी.	1,25,000	74–75	–	10,000	30,000	–	10,043	(–) 2,833
3.	मिश्रोली पी. एण्ड टी.	2,96,000	75–76	–	–	40,000	–	–	1,9,890
4.	घाटोली कलां	4,25,000	75–76	–	–	70,000	–	–	69,932
5.	क्षेत्रीय पनवाड़ फेज 1	5,00,000	31–1–76	–	–	2,00,000	–	–	–
		18,42,000		1,84,000	1,10,000	4,90,000	1,89,139	1,13,056	–2,16,649

169

गुंवार के भाव

129. श्री रावतराम आर्य (छापर): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि इस वर्ष रेगिस्तानी क्षेत्रों के चूरू, नागौर, बीकानेर आदि जिलों में मोटे अनाज का, विशेष कर गुंवार का उत्पादन अच्छा हुआ है ?

(2) क्या यह सही है कि गत साल सरकार ने काश्तकारों को बीज के लिए गुंवार 284 रु. क्विंटल तकावी के रूप में दिया था ?

(3) क्या यह सही कि चालू वर्ष में गुंवार के भाव 70 रु. क्विटल हो गया है जिससे काश्तकारों को बड़ा नुकसान हो रहा है ? यदि हां, तो गुंवार की ठीक कीमत दिलाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

(4) क्या सरकार एफ. सी. आई. को गुंवार का स्टॉक करने के लिए प्रेरित करेगी ?

(स्थगित किया गया)

श्री डूंगरगढ़ में सहायक अभियन्ता का कार्यालय

130. श्री लूणाराम (श्री डूंगरगढ़): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) चूरू जिले में सन् 1974-75 तक कुल कितने सहायक अभियन्ताओं के कार्यालय किस किस स्थान पर किस किस एरिया से सम्बन्धित थे ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) सन 1975-76 में जिले में कहां कहां सहायक अभियन्ताओं का पद सृजन किया जाकर कौन कौन क्षेत्र दिया गया उनके अधीन कितनी कितनी योजनायें स्वीकृत और चालू हैं ?

(3) श्री डूंगरगढ़ से सहायक अभियन्ता कार्यालय हटाने का क्या कारण था राजनैतिक या अन्य कोई ?

उत्तर

(1) वर्ष 74-75 में चूरू जिले में कुल 6 सहायक अभियन्ता थे जिनके मुख्यालय एवं कार्यक्षेत्र की सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) वर्ष 75-76 में चूरू स्थित दोनों खण्डों के कार्यक्षेत्र को पुनः निर्धारित किया गया जिसके अनुसार सहायक अभियन्ताओं के मुख्यालय एव उनके अधीन क्षेत्र व योजनाओं की संख्या सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) सहायक अभियन्ता का मुख्यालय डूंगरगढ़ से प्रशासनिक दृष्टि से एव कार्य की देखभाल की सुविधा की दृष्टि से हटाया गया।

[redacted]

प्रश्न 1 की सूची

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग खण्ड चूरू के अधीन योजना मद के तहत स्वीकृत नई जलप्रदाय योजनाओं का निर्माण एवं समस्त चालू जल प्रदाय योजनाओं के संधारण के कार्य थे इसके अधीन उपखण्ड निम्न प्रकार कार्य कर रहे थे :-

उप-खण्ड	कार्य-क्षेत्र
चूरू	तहसील चूरू, राजगढ़
सरदारशहर	तहसील तारानगर, डूंगरगढ़, सरदारशहर
सुजानगढ़	तहसील सुजानगढ़ रतनगढ़

अधिशासी अभियन्ता, प्रोजेक्ट खण्ड चूरू के अधीन डी. पी. ए. पी. एवं ए. पी. क्रम के अन्तर्गत निर्माणाधीन जल प्रदाय योजनायें थीं उनके अधीन उप-खण्ड एवं उनका कार्य क्षेत्र निम्न प्रकार था:--

उप-खण्ड	कार्य-क्षेत्र
डूंगरगढ़	डूंगरगढ़ एवं सुजानगढ़
चूरू	त. रतनगढ़, सरदारशहर व तारानगर
राजगढ़	राजगढ़, चूरू

Page No 172

(172)

प्रश्न 2 की सूची

अधिशासी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, चूरू के अधीन तहसील चूरू तारानगर एवं राजगढ़ की समस्त योजनाओं के निर्माण एवं संधारण का कार्य निर्धारित किया गया। खण्ड के अधीन सहायक अभियन्ताओं का मुख्यालय, कार्य क्षेत्र एवं अधीन योजनाओं की संख्या निम्न प्रकार है:--

मुख्यालय	कार्य क्षेत्र	योजना
चूरू	तहसील चूरू	1 नगरीय जल प्रदाय योजना एव 4 ग्रामीण जलप्रदाय योजनायें 1 खण्डीय भण्डार की देखभाल।
तारानगर	,, तारानगर	1 नगरीय ज. प्र. यो. 4 ग्रामीण ज. प्र. यो. एवं लखूवाली साहुवा क्षेत्र ज.प्र. यो.।
राजगढ़	,, राजगढ़	1 नगरीय ज. प्र. यो. 4 ग्रामीण ज. प्र.।

अधिशासी अभियन्ता प्रोजेक्ट खण्ड रतनगढ के अधीन तहसील रतनगढ, सरदार शहर, डूंगरगढ़ एवं सुजानगढ़ की समस्त जल प्रदाय योजनाओं के निर्माण एवं संधारण का कार्य निर्धारित किया है उसके अधीन मुख्यालय, कार्य क्षेत्र एवं कार्य भार निम्न प्रकार है:--

रतनगढ़	त. रतनगढ़, डूंगरगढ़	3 नगरीय ज. प्र. यो., 12 ग्रामीण ज. प्र. यो. एवं रतनगढ़ के खण्डीय भण्डार की देखभाल।
सुजानगढ़	त. सुजानगढ़	3 नगरीय ज. प्र. यो. एवं 9 ग्रामीण ज. प्र. यो.।
सरदारशहर	त. सरदारशहर	1 नगरीय ज. प्र. यो. एवं 7 ग्रामीण ज. प्र. यो.।

पंचायत समिति मनोहर थाना में डीलरों द्वारा की गई अनियमितताएँ

131. श्री भैरूलाल (अकलेरा) :– क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) पंचायत समिति मनोहर थाना (जिला झालावाड) क्षेत्र की किन किन पंचायतों के शक्कर, कैरोसीन एवं कपड़ा के डीलरों द्वारा की गई अनियमितताओं के मामले परगना अधिकारी अकलेरा ने जांच के बाद जिलाधीश (रसद) झालावाड के यहां अदालत में चालान हेतु भेजे ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त मामलों में किन किन पंचायतों के डीलर्स के चालान अदालत में पेश कर दिये गये एवं किन किन डीलर्स के चालान अदालत में देना शेष हैं और क्यों ? कृपया दोनों सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) परगना अधिकारी, अकलेरा ने तीन चीनी डीलरों की अनियमितताओं के मामले वास्ते कार्यवाही जिलाधीश झालावाड़ को प्रस्तुत किये हैं। कपड़े व कैरोसीन के डीलरों के विरुद्ध कोई मामला जिलाधीश को नहीं भेजा गया। जिन जिन व्यापारियों के विरुद्ध मामले भेजे गये हैं उनकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) किसी भी डीलर के विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत नहीं किये गए बल्कि जिलाधीश द्वारा अपने स्तर पर ही कार्यवाही कर जमा शुदा प्रतिभूति राशि में से कुछ राशि जप्त की गई है तथा लाइसेन्स निरस्त किये गये हैं।

भाग (1) की सूची

(1) श्री देवसिंह लोधा अधिकृत चीनी विक्रेता पंचायत बांसखेड़ी लोढ़ा।

(2) श्री बालचन्द दर्जी अधिकृत चीनी विक्रेता गुलखेड़ी।

(3) श्री रमेशचन्द्र अधिकृत चीनी विक्रेता आसलपुर व घाटोली पंचायत।

भूतपूर्व एवं वर्तमान सैनिकों को कृषि हेतु आवंटित भूमि

132. श्री बनवारी लाल (धौलपुर)

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल जयपुर) :–क्या सैनिक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) भूतपूर्व तथा वर्तमान सैनिकों को कृषि हेतु भूमि आवंटित करने हेतु किस-किस क्षेत्र में कितनी कितनी भूमि सुरक्षित रखने हेतु राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर घोषणा की गई थी ? और हर घोषणा के फलस्वरूप कितनी-कितनी भूमि सुरक्षित कहां कहां रखी गई ?

(2) उक्त भूमि में से किस-किस सैनिक को कहां-कहां कितनी भूमि आवण्टित की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा भूतपूर्व तथा वर्तमान सैनिकों में शौर्यपदक प्राप्तकर्ता व स्थाई रूप से विकलांग सैनिकों एवं युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों के आश्रितों को भूमि आवन्टन हेतु राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट में 38158 एकड़ भूमि व चम्बल प्रोजेक्ट एरिया में 1000 बीघा भूमि आरक्षित की गई है ।

(2) राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट क्षेत्र की आरक्षित 38158 एकड़ भूमि में से 1177 वीरगति प्राप्त सैनिकों के आश्रित, विकलांग सैनिकों व शौर्यपदक प्राप्तकर्ता सैनिकों को 16719 एकड़ भूमि का आवटन किया जा चुका है । चम्बल प्रोजेक्ट क्षेत्र आरक्षित भूमि में से 7 व्यक्तियों में 188 बीघा 10 बिस्वा भूमि आवंटित की है । कोटा क्षेत्र में जिन-व्यक्तियों को भूमि आवंटित की गई है उसकी सूची संलग्न है । राजस्थान नहर परियोजना की सूची तैयार करने में समय लगेगा ।

चम्बल प्रोजेक्ट एरिया में आवंटित की गई भूमियों का विवरण

क्र. सं.	सैनिक का नाम.	व्यक्ति का नाम जिसे भूमि दी	खसरा नम्बर	रकबा बीघा में
1	2916230 स्व. गुलाबसिंह निमोला कोटा	श्रीमती कमला बाई बेवा	1650 1112	39 बीघा
2.	6451877 स्व. सिपाही रघुनाथ उमर, बूंदी	श्रीमती सोसर बेवा	1311 व 1306	39 बीघा
3.	आई. सी. 18128 मेजर राजेन्द्रसिंह, कोटा	श्रीमती शशिकला बेवा	1306 1311 1312	65 बीघा
4.	2951253 स्व. सिपाही लादूराम, मांगरोल, कोटा	श्रीमती मोतीया		39 बीघा
5.	2959623 सिपाही गोपी ग्राम हुवानिया (बूंदी)	स्वयं	1306	12½ बीघा
6.	टी.ए. 4104 केप्टन नरेन्द्रसिंह (झालावाड़)	स्वयं	159	12½ बीघा
7.	एस.एस. 22877 एफ केप्टन जी.एस. राठौड़, कोटा	स्वयं		12½ बीघा

Page No 176

(176)

बानसूर तहसील की काश्त की जमीन में खार

133. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सरकार के ध्यान में है कि अलवर जिले की बानसूर तहसील में बहुत सी काश्त की जमीन में खार हो गया है जिससे जमीन काश्त के काबिल नहीं रही है ? यदि हां, तो किस किस गांव की कितनी कितनी जमीन में खार होने की शिकायत है ?

(2) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में पहले भी विधान सभा में प्रश्न किया गया था ?

(3) क्या यह सही है कि अब तक खार ग्रस्त जमीन को काबिल काश्त करने के लिए कोई कदम नहीं उठाये गये हैं ?

(4) क्या यह सही है कि पानी का स्तर बढ़ जाने के कारण और भी जमीन में खार पैदा हो रहा है ?

(5) राज्य सरकार का इस सम्बन्ध में क्या और कब तक करने का प्रोग्राम है ?

उत्तर

(1) जी हां, अलवर जिले की बानसूर तहसील के गुन्ता, रामनगर, शाहपुर, रामपुर, हाजीपुर, मदनपुरा, बावरिया, स्वामी की ढाणी, हरसोरा, भगवारा, बिचाल, माची, लालपुरा, तवरों की ढाणी, असनावर, गोटुवा, चतरपुरा, मोदुवा, घाट, बानसूर, बालावास, शाहपुरा, उधो का बास, बासकरणसर, बीचड़ी, खोचड़ी, खोहरी, मानपुर, खोहर तथा रतनपुरा गांवों में क्षारीय समस्या है किन्तु अभी तक इस पंचायत समिति का विस्तृत भू-सर्वेक्षण नहीं होने के कारण इस समस्या से प्रभावित ग्रामवार निश्चित क्षेत्रफल बतलाना संभव नहीं है।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। यह समस्या जलस्तर ऊंचा हो जाने के कारण उत्पन्न होती है अतः सिंचाई विभाग द्वारा पानी के निकास हेतु 94718/-रु. व्यय कर 500 फुट लम्बी ड्रेन खुदवा दी गई।

(4) जी हां, हो सकता है।

(5) विस्तृत भू-सर्वेक्षण एवं टोपोग्राफीकल सर्वेक्षण के उपरान्त ही समस्या निर्धारण हेतु योजना तैयार की जा सकती है—सर्वेक्षण के आदेश दिए जा चुके हैं।

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न संख्या 110 की सूची)

पाली जिले में निम्न व्यक्तियों के पास निर्धारित सीमा से अधिक भूमि होते हुये भी उनके द्वारा नियमानुसार घोषणा रिटर्न प्रस्तुत नहीं करने के मामले सामने आये हैं :

1. श्री रतनसिंह ग्राम बलाना
2. श्री गजेन्द्रसिंह ग्राम बलाना
3. श्रीमती रतनकंवर ग्राम बलाना
4. मोती कंवर ग्राम बलाना
5. श्री छतरसिंह पुत्र श्री गुलाबसिंह पुरोहित ग्राम दुजाना

बेनामी हस्तान्तरणों के कारण निर्धारित सीमा से अधिक भूमि धारण करने वाले व्यक्तियों का विवरण :

1. श्री जगजीतसिंह ग्राम बेड़ा
2. लाडी जी भटियाणी जी धर्मपत्नि श्री जगजीत सिंह ग्राम बेड़ा
3. श्री बलजीत सिंह ग्राम बेड़ा
4. श्रीमती मोहन कंवर ग्राम बेड़ा
5. श्री महावीर सिंह ग्राम बेड़ा
6. श्रीमती गुलाब कंवर ग्राम बेड़ा

परिशिष्ट 4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 36 की सूची)

श्रम विभाग में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर कार्य कर रहे अनुसूचित जाति व जन जाति के कर्मचारियों का प्रतिशत निम्न प्रकार है:—

1.	राजपत्रित अधिकारी	4.7%
2.	अधीनस्थ सेवा	10%
3.	मंत्रालयिक सेवा	5.7%
4.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	9.1%

179

परिशिष्ट-5

(अतारांकित प्रश्न सं 41 की सूची)

राजस्व की बकाया राशि का विवरण

विभाग का नाम	राशि बकाया (लाख रुपयों में)
खनिज विभाग	126-19
सार्वजनिक निर्माण विभाग	49-74
उद्योग विभाग	सूचना प्राप्त नहीं हुई
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग	224-09
आबकारी विभाग	308-18
वाणिज्य कर विभाग	702-58
वन विभाग	14-94
परिवहन विभाग	209-50
राजस्व मण्डल (भू-राजस्व)	1712-34
उपनिवेशन विभाग	170-27
	3517-93

(180)

ऋण की बकाया राशि का विवरण

नाम विभाग	बकाया राशि (लाख रुपयों में)
1. उद्योग	
(1) लघु उद्योग	66–22
(2) वृहत् उद्योग	59–87
2. पशु पालन विभाग.	6–71
3. स्वर्ण नियन्त्रण विभाग	10–30
4. कृषि विभाग	406–33
5. राजकीय उपक्रम विभाग	56–60
6. भेड़ व ऊन विभाग	0–55
7. (1) वन विभाग	0–40
(2) वन परियोजना विभाग	5–12
8. श्रम विभाग	1–29
9. सहकारिता	44–94
10. पंचायत एवं विकास	1270–66
11. स्थानीय निकाय	सूचना प्राप्त नहीं हुई।
12. जागीर	5–73
13. कालेज शिक्षा	30–10
14. प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा	1–54
15. सामान्य प्रशासन विभाग	सूचना प्राप्त नहीं हुई।
16. सहायता एवं पुनर्वास	90–35
17. आयोजना विभाग	
(1) अल्प आय गृह निर्माण योजना	10–67
(2) मध्य आय गृह निर्माण योजना	3–36
18. खान एवं भू-गर्भ विभाग	
(1) निदेशालय	0–84
(2) सचिवालय	60–00
19. राजस्व मण्डल	401–94
20. जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकि विभाग	सूचना प्राप्त नहीं हुई।
21. समाज कल्याण विभाग	"
	2534–32

परिशिष्ट 6

(अतारांकित प्रश्न सं. 43 की सूची)

वर्तमान में सिरोही सैन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि. सिरोही में कार्यरत कर्मचारियों की सूची

क्रम संख्या 1	नाम कर्मचारी 2	जाति 3	पद एवं वेतन श्रृंखला 4
1.	श्री जे. एस. गुणोवत		मैनेजर,
2.	श्री पी. सी. चौधरी		अधिशाषी अधिकारी
3.	श्री पी. एस. माथुर		ऋण निरीक्षक
4.	श्री टी. डी. वर्मा		,, ये एक से पांच तक के कर्म-
5.	श्री हुब्बत सिंह		,, चारी विभाग की ओर से प्रति नियुक्ति पर हैं।
6.	श्री बी. आर. सिंघवी	जैन	ऐजेन्ट कम अकाउन्टेन्ट 200-15-350-20-450-25-525
7.	श्री आर. एस. धारावत	खण्डेलवाल	,, ,,
8.	श्री के. के. शर्मा	ब्राह्मण	,, ,,
9.	श्री के. एम. जैन	जैन	,, ,,
10.	श्री आर. एस. सैयद	मुस्लिम	,, ,,
11.	श्री एम. डी. जोशी	ब्राह्मण	क्लर्क कम कैशियर 110-5-130-7-137-8--177-10-217-12-241-15-376
12.	श्री नरपत सिंह	राजपूत	,, ,,
13.	श्री डी. पी. गोधा	ब्राह्मण	,, ,,
14.	श्री डी. एस. गौव	राजपूत	,, ,,
15.	श्री हाकिम खां	मुस्लिम	सुपरवाइजर ,,
16.	श्री आर. एस. राठौड़	राजपूत	क्लर्क कम कैशियर ,,
17.	श्री चन्दन सिंह	राजपूत	,, ,,
18.	श्री सी. एम. जायसवाल	खण्डेलवाल	,, ,,
19.	श्री तख्तसिंह	राजपूत	,, ,,

Page No 182

(182)

1	2	3	4
20.	श्री ओ. के. दवे	ब्राह्मण	क्लर्क कम कैशियर 110-5-130-7-137-8-177-10-217-12-241-15-376
21.	श्री देवी सिंह	राजपूत	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 81-2-109-3-130
22.	श्री हिम्मतमल	खण्डेलवाल	,, ,,
23.	श्री समरथ मल	माली	पीयोन कम ड्राईवर ,,
24.	श्री हीरा राम	कुम्हारा	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ,,
25.	श्री भवन सिंह	राजपूत	,, ,,
26.	श्री नारायण सिंह	राजपूत	,, ,,

वर्तमान में सिरोही भूमि विकास बैंक लि. सिरोही में कार्यरत कर्मचारियों की सूची।

क्र. सं.	नाम कर्मचारी	जाति	पद एवं वेतन श्रृंखला
1.	श्री तख्त सिंह	राजपूत	सचिव 285-20-385-25-510-30-600
2.	श्री कान सिंह	,,	लेखापाल 180-10-230-15-305-20-375
3.	श्री विक्रम सिंह	,,	शाखा सचिव, सिरोही ,,
4.	श्री नारायण सिंह	,,	शाखा सचिव, रेवदर ,,
5.	श्री नाहर सिंह	,,	लिपिक, 120-8-160-10-200-15-260
6.	श्री अर्जुन सिंह	,,	,, ,,
7.	श्री मनोहर सिंह	,,	,, ,,
8.	श्री भूर सिंह	,,	चपरासी 75-4-95-6-125-8-165
9.	पाबूदान सिंह	,,	,, ,,

परिशिष्ट—7

(अतारांकित प्रश्न सं. 46 की सूची)

पंजीकृत दूध उत्पादक सहकारी समितियों/सदस्यों की जिलेवार सूची

जिला	गठित की गई दूध उत्पादक सहकारी समितियों की संख्या	सदस्यों की संख्या
जोधपुर	87	3,306
नागौर	53	1,477
पाली	33	693
बाड़मेर	36	1,102
जैसलमेर	24	887
बीकानेर	86	2,878
चूरू	23	368
भीलवाड़ा	46	1,005
कोटा	39	988
अलवर	77	1,698
अजमेर	140	4,200
जयपुर	55	2,100
	699	20,702

184

परिशिष्ट—8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 51 का विवरण)

(सर्वे उपरान्त खनिज परिणाम)

जिला	तहसील	ग्राम	खनिज
जयपुर	कोटपुतली	सोहनपुरा, जोधपुर अजीतपुरा इत्यादि	लाइमस्टोन
	,,	द्वारकापुरा, जैतपुरा, बुचारा	कैलसाइट
	,,	दोतिस एवं बदाली	लोह खनिज
	,,	मैंगी, दातिल रायसाला	व्हाइटक्ले
	,,	बुचारा	फ्लोराइट
	आमेर	चौमू, मोरीया	लौह खनिज
	विराटनगर	बागावास	लौह खनिज
	लालसोट	गोल	क्ले
	जमवारामगढ़	सानकोटड़ा, रायोला, धली	डोलोमैटिक, लाइम स्टोन
	सिकराय	गिरोदा	सिलीका सैण्ड
	बस्सी	बस्सी, बांसखो, भिर, मिनोरा इत्यादि	सिलीका सैण्ड
		बैनाड़ा	सफेद क्वार्टज

ह०/—

खनिज अभियन्ता; जयपुर।